कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

वार्षिक रिपोर्ट

2022-2023

Skill India

कौशल भारत - कुशल भारत

नरेंद्र मोदी

“ इसे भारत की सदी बनाने के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि भारत के युवा शिक्षा के साथ - साथ कौशल में भी समान रूप से दक्ष हो। जब कौशल की बात आती है तो आपका मंत्र होना चाहिए - स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग। ”

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

वार्षिक रिपोर्ट

2022 - 23

विषय सूची

1. भूमिका **5–7**

1.1. मंत्रालय

1.2. कार्य आबंटन

1.3. बजट आबंटन

2. भारत में कौशलीकरण और उद्यमशीलता परिदृश्य **8–12**

2.1. भारत में कौशलीकरण और उद्यमशीलता परिदृश्य में चुनौतियां

2.2. 24 सेक्टरों में वर्धित मानव संसाधन आवश्यकताएँ (2017–22)

2.3. कौशल कार्य योजना

2.4. राज्य स्तर पर मानव संसाधन आवश्यकता

3. एमएसडीई के नीतिगत कार्यक्रम **13–18**

3.1. राष्ट्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता नीति, 2015

3.2. कुशल भारत मिशन

3.3. दृष्टिकोण विवरण–2025

3.4. राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन

3.5. अग्निवीरों के कौशल को मान्यता

3.6. कौशल विश्वविद्यालय

3.7. समान मानदंड

4. मंत्रालय की प्रमुख संस्थाएं **19–85**

4.1. प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी)

4.2. राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी)

4.3. राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी)

4.4. क्षेत्र कौशल परिषदें (एसएससी)

4.5. राष्ट्रीय कौशल विकास निधि (एनएसडीएफ)

4.6. राष्ट्रीय उद्यमशीलता तथा लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निस्बड)

4.7. भारतीय उद्यमशीलता संस्थान (आईआईई)

4.8. राष्ट्रीय अनुदेशात्मक मीडिया संस्थान (निमी)

4.9. केंद्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (सीएसटीएआरआई)

4.10. जन शिक्षण संस्थान निदेशालय (डीजेएसएस)

5. स्कीमें और पहलें **86–117**

क. एनएसडीसी के माध्यम से स्कीमें और पहलें

5.1. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई)

5.2. प्रधानमंत्री कौशल केंद्र (पीएमकेके)

5.3. पीएमकेवीवाई स्कीम के अंतर्गत अन्य कौशलीकरण पहल

5.4. स्कूली पहलें

5.5. उच्चतर शिक्षा

5.6. भारत अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र (आईआईएससी)

ख. डीजीटी के माध्यम से स्कीमें और पहलें **118–189**

5.7. शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस)

5.8. शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण स्कीम (सीआईटीएस)
5.9. डीजीटी में आईटी कार्यकलाप
5.10. आईटीआई के उन्नयन के लिए स्कीमें
5.11. वाम पक्ष उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में पहलें
5.12. सरकारी आईटीआई का मॉडल आईटीआई में उन्नयन
5.13. स्ट्राइव
5.14. पॉलिटेक्निक योजनाएँ
5.15. कार्यक्रम
5.16. कौशल विकास पहल (एसडीआई) पहल
5.17. शिक्षुता अधिनियम, 1961 तथा एनएपीएस के अंतर्गत शिक्षुता प्रशिक्षण
5.18. उन्नत व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कीम (एवीटीएस)

ग. उद्यमशीलता विकास हेतु पहलें **189–192**
5.19. उद्यमशीलता विकास संबंधी प्रायोगिक परियोजना
5.20. छह पवित्र शहरों में उद्यमशीलता विकास
5.21. महिला उद्यमियों का आर्थिक सशक्तिकरण और महिलाओं द्वारा स्टार्ट–अप (डब्ल्यूईई)

घ. अन्य स्कीमें और पहलें **193–213**
5.22. कौशल ऋण स्कीम
5.23. भारतीय कौशल संस्थान (आईआईएस)
5.24. संकल्प
5.25. जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस)

6. प्रतियोगिता तथा पुरस्कार **214–216**
6.1. विश्व कौशल
6.2. कौशलाचार्य पुरस्कार
6.3. आजादी का अमृत महोत्सव (एकेएएम) मनाना

7. अंतर्राष्ट्रीय कौशल संबद्धता **217–223**
7.1. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और प्रशिक्षण
7.2. विभिन्न देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय कौशल संबद्धताएँ
7.3. वर्चुअल वैश्विक कौशल सम्मेलन
7.4. कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (एसआईआईसी)
7.5. एनएसडीसी इंटरनेशनल लिमिटेड

8. क्षमता–निर्माण इकाई (सीबीयू) **224–230**
9. संसद प्रभाग के कार्यकलाप **231–232**
10. राजभाषा प्रभाग (ओएल) के कार्यकलाप **233–234**
11. विशेष अभियान 2.0 (2 अकतूबर–31 अक्तूबर, 2022) **235–240**
12. सूचना का अधिकार **241**
13. जन शिकायत प्रकोष्ठ **242**
14. सतर्कता प्रभाग के कार्यकलाप **243**
15. एमएसडीई का संगठनात्मक चार्ट **244**
अनुबंध–I से IV **245–260**

1

भूमिका

1.1 मंत्रालय की स्थापना और कौशल विकास तथा उद्यमशीलता को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका

भारत दुनिया की कौशल राजधानी बनने की ओर अग्रसर है। भारत, विश्व की सबसे युवा आबादी के साथ ऐसे कार्यबल के माध्यम से अपने जनसांख्यिकीय लाभ प्राप्त कर सकता है जो 'नियोजनीय' कौशल में प्रशिक्षित और उद्योग के लिए तैयार है। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) ने विकास के लिए, इस सामर्थ्य का सकारात्मक बल में उपयोग करने, सभी क्षेत्रों में कौशलीकरण प्रयासों में गतिशीलता लाने और उन्हें बढ़ाने के लिए केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, उद्योग, गैर–लाभकारी तथा शिक्षा जगत के साथ सहयोग किया है। सभी हितधारकों के सामूहिक प्रयासों से कौशल प्रशिक्षण में पर्याप्त वृद्धि के साथ सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए है।

एमएसडीई की 2014 में स्थापना के पश्चात इसका यह नौवां सफल वर्ष है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अंतर्गत कौशल विकास विभाग को 31 जुलाई, 2014 को अधिसूचित किया गया था, जिसे बाद में नवंबर 2014 (09.11.2014) में कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के रूप में अधिसूचित किया गया। मंत्रालय के अंतर्गत कुशल भारत कार्यक्रम नामक एक मिशन के अंतर्गत बेहतर आजीविका के लिए युवाओं को कौशलयुक्त बनाने हेतु प्रति वर्ष एक करोड़ से अधिक युवाओं को जोड़ा जा रहा है और वे इससे लाभान्वित भी हो रहे हैं।

एमएसडीई ने अपने बहु–संगठनों तथा कौशलीकरण स्कीमों अर्थात प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), प्रधानमंत्री कौशल केंद्र (पीएमकेके), राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी), राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद् (एनसीवीईटी), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय उद्यमशीलता तथा लघु व्यवसाय संस्थान (निस्बड), भारतीय उद्यमशीलता संस्थान (आईआईई), प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) के माध्यम से समय–समय पर कई अतिरिक्त भूमिकाओं का निर्वहन किया है। एमएसडीई और इसके संबद्ध तथा अधीनस्थ संगठनों द्वारा कार्यान्वित विभिन्न स्कीमों का ब्योरा आगे के अध्यायों में दिया गया है।

भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, जो सेवा क्षेत्रों के भीतर अवसरों को व्यापक बनाने और शिक्षुता कार्यक्रमों के साथ शिक्षण पाठयक्रमों को एकीकृत करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता को पहचान प्रदाने करने के लिए उत्प्रेरित करता है। देश में शिक्षुता पहल को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने के लिए, दिसंबर, 2014 में शिक्षुता अधिनियम में एक महत्वपूर्ण सुधार हुआ। इस आधार पर, सरकार ने अगस्त, 2016 में राष्ट्रीय शिक्षुता संबर्धन स्कीम (एनएपीएस) की शुरुआत की, जिसे नियोक्ताओं को अपने कार्यबल में और अधिक शिक्षुओं को सम्मिलित और संबद्ध करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु कार्यनीतिक रूप से डिजाइन किया गया था। इन सामूहिक प्रयासों से पिछले पांच वर्षों में प्रभावशाली परिणाम मिले हैं, जिसका उदाहरण शिक्षुओं के नामांकन में उल्लेखनीय प्रगति और कौशल विकास में उनकी सक्रिय भागीदारी है।

कौशल विकास निस्संदेह आवश्यक है, लेकिन इसका प्रभाव तब तक सीमित रहेगा जब तक यह रोजगार सृजन के साथ–साथ नहीं चलेगा। इसलिए, सरकार के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि वह पर्याप्त रोजगार के अवसर सृजित करने पर ध्यान केंद्रित करे। इसे केवल पूंजी–सघन या प्रौद्योगिकी–संचालित क्षेत्रों पर निर्भर रहने के बजाए श्रम–सधन उद्योगों की ओर ध्यान केंद्रित करके ही प्राप्त किया जा सकता है। छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों (एसएमई) के विकास और उन्नति को बढ़ावा देकर, सरकार संपूर्ण कार्यबल को उपयोगी बनाने और संलग्न करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त रोजगार के अवसर सृजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

एमएसडीई के अधिदेश को ध्यान में रखते हुए उद्यमशीलता उन्मुखीकरण मॉड्यूल को, पीएमकेवीवाई पाठ्यक्रमों में एनओएस (राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक) के अनुसार नियोजनीयता, उद्यमशीलता तथा जीवन कौशल के अंतर्गत एकीकृत किया गया है। आईटीआई पाठ्यक्रमों में, उद्यमशीलता संबंधी मॉड्यूल को नियोजनीयता कौशलों के एक भाग के रूप में एकीकृत किया जा चुका है। युवाओं में उद्यमशीलता संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए मंत्रालय ने उत्कृष्ट उद्यमियों तथा इकोसिस्टम निर्माताओं को मान्यता देने और सम्मानित करने के लिए 2016 में राष्ट्रीय उद्यमशीलता पुरस्कार (एनईए) प्रारंभ किया। यह पुरस्कार अन्य लोगों द्वारा अनुकरण किए जाने तथा सुधार करने के उत्कृष्ट आदर्श को रेखांकित करने के लिए है।

1.2 कार्य आबंटन

i. समुचित कौशल विकास ढांचा विकसित करने के लिए सभी संबंधितों के साथ समन्वय करना, व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा के माध्यम से कुशल जनशक्ति की मांग और आपूर्ति के बीच विषमता को दूर करना, कौशल का स्तर बढ़ाना, नए कौशल विकसित करना, न केवल मौजूदा जॉब के लिए, बल्कि सृजित किए जाने वाले जॉब के लिए भी नए कौशल, नवोन्मेषी सोच और प्रतिभाएं विकसित करना।

ii. मौजूदा कौशल और उनके प्रमाणन का पता लगाना।

iii. शिक्षण संस्थाओं, व्यापार और अन्य सामुदायिक संगठनों के बीच सुदृढ़ भागीदारी करके युवा उद्यमशीलता शिक्षा और क्षमता का विस्तार तथा इसके लिए राष्ट्रीय मानक निर्धारित करना।

iv. कौशल विकास से संबंधित समन्वय की भूमिका।

v. महत्वपूर्ण सेक्टरों में बाजार अनुसंधान करना और प्रशिक्षण पाठ्यचर्या तैयार करना।

vi. उद्योग–संस्थान संबंद्धता।

vii. इस कार्य में सार्वजनिक निजी भागीदारी तत्व को लाना – ऐसे उद्योगों के साथ भागीदारी करना जिन्हें कुशल जनशक्ति की आवश्यकता है।

viii. बाजार की आवश्यतकता और कौशल विकास के संबंध में सभी अन्य मंत्रालयों और विभागों के लिए विस्तृनत नीतियां बनाना।

ix. सॉफ्ट कौशलों के लिए नीतियां तैयार करना।

x. सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर शिक्षा संबंधी व्यापक कौशल विकास।

xi. कौशल सेटों की शैक्षिक समतुल्यता।

xii. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से संबंधित कार्य।

xiii. राष्ट्रीय कौशल विकास निगम।

xiv. राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी।

xv. राष्ट्रीय कौशल विकास न्यास।

xvi. विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उद्यमशीलता विकास हेतु कौशलीकरण।

xvii. राष्ट्रीय उद्यमशीलता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान, नोएडा।

xviii. भारतीय उद्यमशीलता संस्थान, गुवाहटी।

1.3 बजट आबंटन

1.3.1 तालिका–1

बजट आवंटन

मांग संख्या 92– कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय मंत्रालय को आवंटित बजट का विवरण (करोड़ रुपए में)												
	बजट अनु. 2022–23			संशो. अनु 2022–23			वास्तविक व्यय 2022–23 (31.12.2022 तक)			बजट अनु. 2023–24		
	राजस्व	पूंजी	कुल	राजस्व	पूंजी	कुल	राजस्व	पूंजी	कुल	राजस्व	पूंजी	कुल
	2847.54	151.46	2999.00	1829.64	72.07	1901.71	584.70	19.53	604.23	3418.07	99.24	3517.31

जेंडर बजट

तालिका 2 और 3

(i) महिलाओं के लिए 100% प्रावधान

(करोड रुपए में)

स्कीम का ब्योरा	ब.अ. 2022–23	सं.अ. 2022–23	ब.अ. 2023–24
राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान (महिला प्रशिक्षण)	65.85	64.28	68.00

(ii) महिलारक्षित (कम से कम 30% प्रावधान)

स्कीम का ब्योरा	ब.अ. 2022–23	सं.अ. 2022–23	ब.अ. 2023–24
कौशल भारत कार्यक्रम'	––	––	2278.37
'हालांकि इस स्कीम के अंतर्गत कोई जेंडर विशिष्ट बजट प्रावधान नहीं है, परंतु चलाए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कौशल इकोसिस्टम में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कुछ समर्पित महिला उन्मुख कार्यक्रम/ प्रोत्साहन हैं।			

2

भारत में कौशलीकरण और उद्यमशीलता परिदृश्य

2.1 भारत में कौशलीकरण और उद्यमशीलता परिदृश्य में चुनौतियां

कौशल और ज्ञान, किसी भी देश के लिए आर्थिक प्रगति और सामाजिक विकास की प्रेरक शक्तियां होती हैं। कौशल स्तर के उच्च और बेहतर मानक वाले देश, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीयि जॉब मार्केट में चुनौतियों और अवसरों को अधिक प्रभावशाली ढंग से समायोजित करते हैं। भारत में शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण की स्थिति पर एनएसएसओ, 2011–12 (68वें दौर) रिपोर्ट के अनुसार 15 से 59 वर्ष की आयु के व्यक्तियों में से औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों की संख्या लगभग 2.2 प्रतिशत तथा गैर–औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों की संख्या 8.6 प्रतिशत बताई गई है। हालांकि चुनौतियों के वास्तविक परिमाप पर बहस होती रहती है, किंतु यह निर्विवाद तथ्य है कि चुनौती बहुत बड़ी है।

देश में कौशलीकरण और उद्यमशीलता परिदृश्य में अनेक चुनौतियां हैं, उनमें से कुछ का वर्णन नीचे किया जा रहा है:

i. यह आम अवधारणा है कि कौशलीकरण उन लोगों के लिए है, जो प्रगति नहीं कर पाए हैं/जिन्हें शिक्षा का लाभ नहीं मिल पाया है।

ii- केंद्रीय सरकार के कौशल विकास कार्यक्रम 20 से अधिक मंत्रालयों/विभागों में फैले हुए है, जो अभिसरण सुनिश्चित करने के लिए किसी सुदृढ़ समन्वय और निगरानी प्रणाली से रहित हैं।

iii. आकलन और प्रमाणन की विविध प्रणालियों के अलग–अलग परिणाम होते हैं और नियोजकों में भ्रम पैदा करते है।

iv. प्रशिक्षकों की कमी, उद्योग के व्यअवसायियों को संकाय के रूप में आकर्षित करने की असमर्थता।

v. क्षेत्रीय और भौगोलिक स्त,रों पर मांग और आपूर्ति के बीच तालमेल न होना।

vi. कुशल और उच्चो शिक्षा कार्यक्रम तथा व्यारवसायिक शिक्षा के बीच सीमित गतिशीलता।

vii. शिक्षुता कार्यक्रम का बहुत कम प्रचार।

viii. संकीर्ण और प्रायः अप्रचलित कौशल पाठ्यचर्या।

ix. श्रमिक बल भागीदारी में महिलाओं की घटती दर।

x. अभिभावी गैर–कृषि, असंगठित क्षेत्र का रोजगार, जिससे उत्पादकता कम होती है किंतु कौशलीकरण का कोई लाभ नहीं मिलता।

xi. औपचारिक शिक्षा प्रणाली में उद्यमशीलता को शामिल न करना।

xii. 'स्टार्ट–अप' के लिए मेंटरशिप और वित्त के लिए पर्याप्त पहुंच का अभाव।

xiii. नवीनता प्रेरित उद्यमशीलता पर पर्याप्ते बल न देना।

xiv. कुशल लोगों के लिए सुनिश्चित वेतन प्रीमियम का अभाव।

2.2 24 सेक्टरों में वर्धित मानव संसाधन आवश्यकताएं (2017–22)

मानव संसाधन आवश्यकता रिपोर्टें कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के अधीन कार्यरत राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) द्वारा प्रवर्तित की गई थीं। इन रिपोर्टों का उद्देश्य 2013–17 और 2017–22 के बीच 24 उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में बढ़ती कौशल आवश्यकताओं के क्षेत्रीय और भौगोलिक प्रसार को समझना था।

यह अनुसंधान कौशल की दृष्टि से क्षेत्र का एक विस्तृत अवलोकन प्रदान करता है, कौशल की मांग का आकलन करता है, प्रमुख जॉब रोलों पर प्रकाश डालता है, उपलब्ध आपूर्ति पक्ष के बुनियादी ढांचे को मैप करता है और प्रणाली में हितधारकों के लिए कार्रवाई योग्य सिफारिशों का सुझाव देता है। ये अध्ययन 1000 उद्योग विशेषज्ञों, 500 जॉब रोलों और 1500 से अधिक शिक्षुओं, क्षेत्र कौशल परिषदों और सरकार सहित प्रमुख हितधारकों के साथ व्यापक प्राथमिक विचार–विमर्श के माध्यम से आयोजित किए गए थे।

2016 के पर्यावरण अवलोकन ने मानव संसाधन आवश्यकता संबंधी सरकार की प्रमुख महत्वाकांक्षी पहलों पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करके पहले की रिपोर्ट के निष्कर्षों को अद्यतन किया। इस अध्ययन में इन 24 क्षेत्रों में 2017–2022 के दौरान 103 मिलियन वर्धित मानव संसाधन की आवश्यकता होने का अनुमान लगाया गया था। निष्कर्षों का सारांश नीचे तालिका में दिया गया है।

तालिका 4: 24 क्षेत्रों में वर्धित मानव संसाधन आवश्यकता का विवरण

(अनुमान मिलियन में)

क्रं. स.	क्षेत्र	मानव संसाधन आवश्यकता अनुमान		वर्धित मानव संसाधन आवश्यकता
		2017	2022	(2017–2022)
1	कृषि	229	215.5	–13.5
2	भवन निर्माण और रियल एस्टेट	60.4	91	30.6
3	खुदरा	45.3	56	10.7
4	संभार, परिवहन एवं भण्डारण	23	31.2	8.2
5	वस्त्र और कपड़ा	18.3	25	6.7
6	शिक्षा और कौशल विकास	14.8	18.1	3.3
7	हथकरघा व हस्तशिल्प	14.1	18.8	4.7
8	ऑटो और ऑटो कंपोनेंट	12.8	15	2.2
9	निर्माण सामग्री और बिल्डिंग हार्डवेयर	9.7	12.4	2.7
10	निजी सुरक्षा सेवाएँ	8.9	12	3.1
11	खाद्य प्रसंस्करण	8.8	11.6	2.8
12	पर्यटन, आतिथ्य और यात्रा	9.7	14.6	4.9
13	घरेलू मदद	7.8	11.1	3.3

14	रत्न एवं आभूषण	6.1	9.4	3.3
15	इलेक्ट्रानिक्स और आईटी हार्डवेयर	6.2	9.6	3.4
16	सौंदर्य और वेलनेस	7.4	15.6	8.2
17	फर्नीचर और फर्निशिंग	6.5	12.2	5.7
18	स्वास्थ्य देखभाल	4.6	7.4	2.8
19	चमड़ा और चमड़े के सामान	4.4	7.1	2.7
20	आईटी और आईटीईज	3.8	5.3	1.5
21	बैंकिंग, वित्तीय सेवा और बीमा	3.2	4.4	1.2
22	दूरसंचार	2.9	5.7	2.8
23	फार्मास्यूटिकल्स	2.6	4	1.4
24	मीडिया और मनोरंजन	0.7	1.3	0.6
	कुल	**510.8**	**614.2**	**103.4**

स्रोतः पर्यावरण स्कैन रिपोर्ट, 2016 (एनएसडीसी)

2.3 कौशल कार्य योजना

उपर्युक्त अध्ययनों के निष्कर्ष के आधार पर 34 क्षेत्रों में अक्तूबर, 2015 से सितंबर, 2016 के बीच, 2022 तक क्षेत्र–वार प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पहचान करने तथा कौशल कार्य योजना विकसित करने के लिए सचिव एमएसडीई की अध्यक्षता में संबंधित मंत्रालयों/विभागों के बीच लंबी वार्ताएं हुई। 34 क्षेत्रों में अनुमानित प्रशिक्षण आवश्यकताओं को नीचे तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका 5: 34 सेक्टरों में वर्धित प्रशिक्षण आवश्यकता (2017 से 2022) (लाख में)

क्र.सं.	क्षेत्र	वर्धित मानव संसाधन अपेक्षा और प्रशिक्षण आवश्यकता
1	कृषि	24.5
2	पशुपालन	18
3	उर्वरक	1
4	वस्त्र हथकरघा और हस्तशिल्प	60
5	मोटर वाहन, ऑटो कंपोनेंट्स और कैपिटल गुड्स	41′
6	रत्न एवं आभूषण	35
7	खाद्य प्रसंस्करण	33.7
8	चमड़ा	25
9	फार्मास्यूटिकल्स	14

10	रसायन और पेट्रो रसायन	12
11	स्टील	7.5 (2025 तक)
12	रबड़ विनिर्माण	6.7
13	सड़क परिवहन और राजमार्ग	62.2''
14	बंदरगाह और समुद्री	25
15	विमानन और अंतरिक्ष	14.2
16	रेलवे	0.12 (2018 तक)
17	विद्युत	15.2
18	तेल गैस	7.3
19	नवीकरणीय ऊर्जा	6
20	कोयला खनन	2.6
21	निर्माण	320''
22	फर्नीचर एंड फिटिंग	52.6
23	पेंट एंड कोटिंग्स	9
24	इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी–आईटीईज	69
25	दूरसंचार	38.6
26	खुदरा	107''
27	सौंदर्य और स्वास्थ्य	82
28	मीडिया और मनोरंजन	13
29	पर्यटन और आतिथ्य	49
30	बैंकिंग, वित्तीय सेवा और बीमा (बीएफएसआई)	12
31	संभारतंत्र	42.9''
32	स्वास्थ्य देखभाल	32 (2025 तक)
33	सुरक्षा	31
34	मीडिया तथा मनोरंजन	13
	कुल	1282.12

*पूंजीगत सामग्री– 19 लाख, आटोमोटिव– 22 लाख

**अन्य सेक्टरों के साथ ओवरलैप

#इलेक्ट्रॉनिक्स–53 लाख, आई–आईटीज–16 लाख

2.4. राज्य स्तर पर मानव संसाधन आवश्यकता:

वर्धित मानव संसाधन आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने के लिए राज्यों में विभिन्न अध्ययन किए गए थे। यह नीचे तालिका में दिया गया है।

तालिका 6: राज्यों में वर्धित मानव संसाधन आवश्यकता (2013–22)

(लाख में)

क्र.सं.	राज्य	वर्धित मानव संसाधन आवश्यकताएं
1	आंध्र प्रदेश	108.71
2	अरुणाचल प्रदेश	1.47
3	असम	12.34
4	छत्तीसगढ़	30.43
5	दिल्ली	63.41
6	गोवा	2.27
7	गुजरात	57.57
8	हरियाणा	34.84
9	हरियाणा	0.93
10	हिमाचल	12.06
11	जम्मू और कश्मीर	11.22
12	झारखंड	44.52
13	कर्नाटक	84.77
14	केरल	29.57
15	मध्य प्रदेश	78.16
16	महाराष्ट्र	155.22
17	मणिपुर	2.33
18	मेघालय	2.49
19	मिजोरम	1.40
20	नागालैंड	0.97
21	ओडिशा	33.45
22	पंजाब	28.99
23	राजस्थान	42.42
24	सिक्किम	147.82
25	तमिलनाडु	135.52
26	त्रिपुरा	2.59
27	उत्तर प्रदेश	110.11
28	उत्तराखंड	20.61
29	पश्चिम बंगाल	93.42
	सकल योग	**1203.34**

3

एमएसडीई के नीतिगत कार्यक्रम

3.1 राष्ट्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता नीति, 2015

राष्ट्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता नीति, 2015 नीति माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 15 जुलाई 2015 को प्रारम्भ की गई थी। यह नीति सफल कौशल कार्यनीति की कुंजी के रूप में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए एक प्रभावी रूपरेखा की आवश्यकता को स्वीकार करती है। इस नीति का दृष्टिकोण ''उद्यमशीलता आधारित नवोन्मेष की संस्कृयति को, तीव्र गति और उच्चण मानकों के साथ विशाल पैमाने पर कौशलीकरण के साथ उन्नित करके सशक्ति करण परिवेश निर्मित करना है, जिससे धन और रोजगार का सृजन हो सके और देश के सभी नागरिकों के लिए सतत आजीविका सुनिश्चिति हो सके''।

3.1.1 एनपीएसडीई का मिशन निम्नलिखित है:

पूरे देश में कौशल विकास की मांग सृजित करना;

आवश्यक दक्षताओं के साथ कौशल को सही और संरेखित करना;

कुशल मानव संसाधनों की आपूर्ति को क्षेत्रीय मांगों से जोड़ना;

वैश्विक और राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्रमाणित करना और आकलन करना; और

एक ऐसे इकोसिस्टम्त्र को उत्प्रेरित करना जहां उत्पादक और अभिनव उद्यमशीलता सृजित होती है, एक अधिक गतिशील उद्यमशील अर्थव्यवस्था और अधिक औपचारिक वेतन रोजगार के निर्माण के लिए अग्रणी होती है।

3.1.2. यह नीति कम आकांक्षात्मक मूल्य, औपचारिक शिक्षा के साथ एकीकरण की कमी, परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने में कमी, प्रशिक्षण के बुनियादी ढांचे और प्रशिक्षकों की कम गुणवत्ता आदि सहित कौशलीकरण की प्रमुख बाधाओं का समाधान करती है। इसके अलावा, यह नीति मौजूदा कौशल अंतराल को कम करके, उद्योग संलग्नता को बढ़ावा देकर, गुणवत्ता आश्वासन ढांचे का संचालन करके, प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने और शिक्षुता प्रशिक्षण के लिए अधिक से अधिक अवसरों को बढ़ाकर कौशलों की मांग और आपूर्ति में तालमेल स्थापित करने के लिए है। इक्विटी भी इस नीति का संकेन्द्रण है, जो सामाजिक/भौगोलिक रूप से हाशिए और वंचित समूहों के लिए कौशल अवसरों पर लक्षित है। महिलाओं के लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता कार्यक्रम, इस नीति का विशिष्ट केंद्र हैं। उद्यमशीलता डोमेन में, यह नीति औपचारिक शिक्षा प्रणाली के भीतर और बाहर, दोनों में संभावित उद्यमियों को शिक्षित और समर्थ करना चाहती है। यह उद्यमियों को सलाहकारों, इनक्यूबेटरों और क्रेडिट बाजारों से जोड़ने, नवाचार और उद्यमशीलता की संस्कृति को बढ़ावा देने, व्यापार की सुगमता में सुधार और सामाजिक उद्यमशीलता पर ध्यान केंद्रित करने को बढ़ावा देने के लिए है।

3.1.3. इस नीति के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा अनेक पहल की गई हैं। इसमें अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित शामिल हैं –

- युवाओं को अल्पावधि कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) की शुरूआत।
- विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा विभिन्न कौशल विकास स्कीमों के कार्यान्वयन में एकरूपता और मानकीकरण लाने के लिए समान मानदंड अधिसूचित करना।
- राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (एनओएस) विकसित करने के लिए उद्योगनीत निकायों के रूप में क्षेत्र कौशल परिषदों (एसएससी) की स्थापना।
- राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर संस्थागत तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए विश्व बैंक समर्थित परिणाम–उन्मुख परियोजना आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अर्जन और ज्ञान जागरूकता (संकल्प) का कार्यान्वयन।

- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) और शिक्षुता के माध्यम से प्रदान किए जाने वाले कौशल प्रशिक्षण की प्रासंगिकता और दक्षता में सुधार करने के उद्देश्य से विश्व बैंक की सहायता से प्रारम्भ की गई परियोजना, औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढ़ीकरण (स्ट्राइव) स्कीम का कार्यान्वयन।
- शिक्षार्थियों, प्रशिक्षण प्रदाताओं और प्रशिक्षकों की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कुशल भारत पोर्टल की शुरूआत।
- कौशलीकरण को आकांक्षी बनाने के लिए कौशल/रोज़गार मेलों, कौशल कैरियर परामर्श स्कीम के माध्यम से जुटाव/विस्तार गतिविधियाँ।

3.1.4. दीर्घावधि प्रशिक्षण के क्षेत्र में, प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) के अंतर्गत, आधुनिक पाठ्यक्रम, नए ढंग से तैयार किए गए पाठ्यक्रमों में से एक हैं और आईटीआई नेटवर्क के माध्यम से देश भर में वितरित किया जाता है। आधुनिक पाठ्यक्रम का उद्देश्य नवयुग के उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रचलित आधुनिक कौशलों में सुधार करना है। कुछ नए पाठ्यक्रम स्मार्ट एग्रीकल्चर (इंटरनेट ऑफ थिंग्स), स्मार्ट हेल्थकेयर (इंटरनेट ऑफ थिंग्स), स्मार्ट सिटी (इंटरनेट ऑफ थिंग्स), रिमोटली पायलेटेड एयरक्राफ्ट आदि हैं। वर्तमान में, कुल 5,644 सीटों सहित 142 आईटीआई हैं जो स्मार्ट कृषि, 3–डी प्रिंटिंग, स्मार्ट सिटी आदि जैसे आधुनिक पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं।

3.2. कुशल भारत मिशन

कुशल भारत मिशन के तहत, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) देश भर में प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों/स्कीमों को कार्यान्वित कर रहा है। एमएसडीई के कार्यक्रमों के तहत देश भर में प्रचालनरत कौशल विकास केंद्रों की संख्या नीचे दी गई है:

(क) देश में परिचालन प्रशिक्षण केंद्रों की कार्यक्रमों/स्कीमों की संख्या

कार्यक्रम/स्कीम देश भर में प्रचालनरत प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के तहत प्रशिक्षण केंद्र (टीसी) (प्रधानमंत्री कौशल केंद्र (पीएमकेके) सहित) 3,419, जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) (नव स्वीकृत सहित) 301 और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) 14,953।

(ख) कौशलीकरण की वर्तमान मांग को पूरा करने के लिए, एमएसडीई ने देश के प्रत्येक जिले में 'प्रधानमंत्री कौशल केंद्र (पीएमकेके)' नामक एक आदर्श आकांक्षात्मक कौशल केंद्र की स्थापना की दिशा में पहल की है। इस पहल के तहत अब तक 717 पीएमकेके स्थापित किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, 14,711 आईटीआई प्रशिक्षण केंद्रों और 309 जेएसएस प्रशिक्षण केंद्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है।

(ग) एमएसडीई के तत्वावधान में एनएसडीसी, क्षेत्र कौशल परिषद (एसएससी) के साथ, उभरती प्रौद्योगिकियों में कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। उभरती प्रौद्योगिकियों के साथ कुशल होने के लिए आईटी–पेशेवरों का पुनःकौशल और कौशल उन्नयन करना होगा। एनएसडीसी ने आईटी–आईटीईज़ क्षेत्र कौशल परिषद (नैस्कॉम) के सहयोग से 'भावी कार्य' पहल की स्थापना की है, और साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉक चेन, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वर्चुअल रियलिटी और सोशल एंड मोबाइल एप्लिकेशन जैसी 9 उभरती प्रौद्योगिकियों में अर्हता पैक (क्यूपी) तैयार और विकसित किए हैं।

(घ) इसके अलावा, भारत के आईटी उद्योग प्रसार को गतिशील विश्व बाजार के साथ संरेखित करने के लिए, एमएसडीई के तत्वावधान में एक क्षेत्र कौशल परिषद, नैस्कॉम ने 19 फरवरी 2018 को भावी कौशल मंच शुरू किया है। एक शिक्षार्थी निर्बाध रूप से निःशुल्क और सशुल्क सामग्री, आकलन और वर्चुअल लैब का उपयोग कर सकता है और अपनी पसंद के कौशलों में प्रमाण–पत्र प्राप्त कर सकता है। भावी कौशल 10 उभरती प्रौद्योगिकियों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉक–चेन, बिग डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मोबाइल टेक, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, वर्चुअल रियलिटी और 3–डी मुद्रण संबंधी 70 से अधिक जॉब रोलों में फैले 155 से अधिक कौशलों पर फोकस करता है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य 5 वर्षों की अवधि में उद्योग में 2 मिलियन पेशेवरों और संभावित कर्मचारियों और छात्रों को पुनःकुशल बनाना है। अब तक, भावी कौशल के अंतर्गत लगभग 55,000 से अधिक उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

3.3 दृष्टिकोण विवरण 2025

"उत्पादकता लाभांश को बढ़ाने के लिए मानव पूंजी को स्वतंत्र करना और सभी के लिए आकांक्षात्मक रोजगार और उद्यमशीलता मार्ग लाना"

3.3.1. एमएसडीई का विजन 2025 भारत को एक उच्च–कौशल संतुलन में बदलने के लिए एक इकोसिस्टम–सक्षम अवधारणा का अनुसरण करता है और व्यक्तियों, उद्यमों और अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक परिणाम सृजित करने में मदद करता है। इस दृष्टिकोण के माध्यम से प्राप्त किए जाने वाले तीन परिणाम निम्नलिखित हैं:

- व्यक्तिगत आर्थिक लाभ और सामाजिक गतिशीलता को सक्षम बनाना;
- एक कौशल बाजार बनाना जो शिक्षार्थी–केंद्रित और मांग–संचालित हो; तथा
- आकांक्षी रोजगार और उद्यमशीलता सृजन को सुगम बनाना, उद्यमों के लिए समग्र उत्पादकता में सुधार करना तथा आर्थिक विकास को उत्प्रेरित करना।

3.3.2. विजन प्राप्त करने के लिए तीन रणनीतिक प्राथमिकताओं की पहचान की गई है:

1. रणनीतिक प्राथमिकता 1: कौशलीकरण और शिक्षा मार्ग के लिए एक पूरक और एकीकृत इकोसिस्टम बनाने के लिए शिक्षा और कौशलीकरण मार्ग के बीच संबंधों में सुधार करना। विशेष ध्यान दिए जाने वाले क्षेत्र इसे सक्षम बनाएंगे।

- कौशलीकरण और सामान्य शिक्षा के बीच गतिशीलता में सुधार;
- रोजगारपरकता और उद्यमशीलता के परिणामों में सुधार के लिए सीखने–सिखाने को बढ़ावा देना; और
- स्कूल न जाने वाले शिक्षार्थियों और कामगारों के लिए अनौपचारिक शिक्षा की सुविधा प्रदान करना।

2. रणनीतिक प्राथमिकता 2: औपचारिक कौशल, विशेष रूप से लघु और अनौपचारिक उद्यमों और उद्यमियों से मांग को उत्प्रेरित करना। विशेष ध्यान दिए जाने वाले क्षेत्र इसे सक्षम बनाएंगे।

- औपचारिक कौशल प्रशिक्षण की मांग बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना और जागरूकता बढ़ाना;
- लघु और अनौपचारिक उद्यमों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रावधान के मॉडल को बढ़ावा देना; और
- पारंपरिक शिक्षुता या अन्य गैर–औपचारिक चैनलों के माध्यम से अर्जित कौशल को पहचानना।

3. रणनीतिक प्राथमिकता 3: गुणवत्ता आश्वासन में सुधार, सूचना विषमता को कम करने और नियोजक की भागीदारी बढ़ाने के लिए एक सक्षम कौशल और उद्यमशीलता इकोसिस्टम बनाना और सक्षम तथा समावेशी करना।

- शिक्षार्थियों और नियोजकों द्वारा सूचित निर्णय लेने, कौशल इकोसिस्टम में नियोजक का विश्वास बढ़ाने और कुशल श्रमिकों को चारों ओर से जुटाने के लिए समर्थन हेतु एक सक्षम वातावरण के निर्माण के लिए ठोस कार्रवाई की आवश्यकता है। इसे प्राप्त करने के लिए, तीन फोकस क्षेत्रों की पहचान की गई है।

3.4. राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन

राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन देश में कौशलीकरण कार्यकलापों का कार्यान्वयन करने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच एक सुदृढ़ संस्थागत ढांचा प्रदान करने के लिए है। इस मिशन में उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाली तीन स्तरीय संरचना है। समग्र मार्गदर्शन और नीति–निर्देश प्रदान करने के लिए इसके शीर्ष स्तर पर, प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में मिशन की संचालन परिषद है। कौशल विकास के प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में संचालन समिति, संचालन परिषद द्वारा निर्धारित दिशा के अनुरूप मिशन की गतिविधियों की समीक्षा करती है। मिशन निदेशालय के मिशन निदेशक के रूप में सचिव, कौशल विकास, केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों में कौशल कार्यकलापों का कार्यान्वयन, समन्वय और अभिसरण सुनिश्चित कराते हैं। उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में मिशन के चुनिन्दा उप–मिशन भी हैं।

माननीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री की अध्यक्षता में एनएसडीएम की संचालन समिति की तीसरी बैठक 4 जनवरी 2023 को आयोजित की गई। बैठक के दौरान, सभी मंत्रालयों के साथ–साथ राज्य सरकारों की कौशल विकास योजनाओं के बीच अधिक तालमेल बनाने की आवश्यकता है। सभी हितधारकों द्वारा कौशल विकास पर खर्च, बाजार की वास्तविकताओं के साथ कौशल विकास प्रयासों को आगे बढ़ाने, कुशल कार्यबल की अंतरराष्ट्रीय गतिशीलता और बड़े पैमाने

पर प्रभाव पैदा करने के लिए तेजी से कार्यान्वयन पर जोर दिया गया।

3.5 अग्निवीरों के कौशल को मान्यता

3.5.1 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय युवाओं को सशस्त्र बलों में सेवा देने के लिए जून, 2022 में 'अग्निपथ' योजना को मंजूरी दी। इस योजना के तहत, 17.5 से 21 वर्ष की आयु के बीच के पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवारों को अग्निवीर के रूप में चार साल की अवधि के लिए तीनों सेवाओं के 'अधिकारी के रैंक से नीचे' कैडर में भर्ती किया जाना है।

3.5.2 कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) ने सशस्त्र बलों में अपने कार्यकाल के दौरान अग्निवीरों द्वारा हासिल किए गए कौशल को मान्यता देने के लिए सशस्त्र बलों के तीनों अंगों के साथ सहयोग किया। प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी), राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) और क्षेत्र कौशल परिषदों (एसएससी) के समन्वय में सशस्त्र बलों के साथ प्रशिक्षित और तैनात किए जाने के दौरान अग्निवीरों के जॉब रोलों/कौशल सेट राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों (एनओएस) के साथ मैप किए गए थे।

3.5.3 अग्निवीरों को आगे बढ़ाने की पहल करने के लिए, प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) ने राष्ट्रीय व्यापार प्रमाणपत्र (एनटीसी) प्रदान करने के लिए भारतीय सेना, भारतीय वायु सेना और भारतीय नौसेना के साथ फ्लेक्सी–एमओयू योजना के तहत समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। अग्निवीरों को। इसी तरह, राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) ने सशस्त्र बलों के तीन विंगों (1 भारतीय नौसेना के तहत, 1 भारतीय वायु सेना के तहत और 1) के 19 संस्थानों को अवार्डिंग निकाय (एबी) और आकलन एजेंसी (एए) के रूप में दोहरी श्रेणी की मान्यता प्रदान की। भारतीय सेना के 17 निदेशालय)। यह भारतीय सशस्त्र बलों के विभिन्न अंगों के कौशल सेटों को उद्योग मानकों के अनुसार राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचा (एनएसक्यूएफ) के संरेखण में सक्षम करेगा ताकि वे सेवा से सेवानिवृत्ति के बाद राष्ट्र के आर्थिक विकास के लिए विभिन्न क्षेत्रों में योगदान करने में सक्षम हो सकें।

3.5.4 3 जनवरी, 2023 को डीजीटी, एनसीवीईटी और सशस्त्र बलों के तीनों अंगों के बीच समझौता ज्ञापनों और समझौतों का आदान–प्रदान किया गया, जिसे माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और माननीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री, श्री धर्मेंद्र प्रधान ने वर्चुअली संबोधित किया।

आकृतिः 1

आकृतिः 2

माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह 3 जनवरी, 2023 को अग्निवीरों के कौशल की पहल पर फ्लेक्सी एमओयू पर हस्ताक्षर करने के अवसर पर भारतीय रक्षा बलों को संबोधित करते हुए

3.6. कौशल विश्वविद्यालय

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 ने उचित प्रमाणीकरण के साथ कई प्रविष्टियों और निकास की अनुमति देते हुए मुख्यधारा की शिक्षा के साथ व्यावसायिक शिक्षा के कौशल और एकीकरण पर बहुत जोर दिया है। एनईपी 2020 के अधिदेश को पूरा करने के लिए कौशल विश्वविद्यालय एक अनूठी और महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

विभिन्न कौशल विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग को मजबूत करने के लिए, "कौशल विश्वविद्यालयों–चुनौतियों और अवसरों"

पर एक बैठक 21 सितंबर, 2022 को भारत के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, नई दिल्ली में माननीय कौशल विकास और विकास मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। माननीय राज्य मंत्री, एमएसडीई की उपस्थिति में उद्यमिता। बैठक में एनसीवीईटी के अध्यक्ष, यूजीसी के अध्यक्ष, डीओएचई के सचिव, एमएसडीई के सचिव और विभिन्न कौशल विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने भाग लिया। कौशल विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग के लिए विभिन्न चुनौतियों और अवसरों पर विस्तृत चर्चा की गई।

इस बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, यूजीसी, एनसीवीईटी, एमएसडीई और कौशल विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधित्व के साथ निम्नलिखित विषयगत क्षेत्रों पर कार्य समूहों का गठन किया गया था, जो कौशल विश्वविद्यालयों के लिए दिशानिर्देश तैयार करने और उन्हें ठीक करने में मदद करने वाली सिफारिशों का सुझाव देंगे।

उद्योग सहयोग और कौशल का आकांक्षी मूल्य

नियामक ढांचा, प्रवेश योग्यता और गतिशीलता मार्ग

शिक्षाशास्त्र, पाठ्यक्रम और संकाय दिशानिर्देश

सचिव (एमएसडीई) की अध्यक्षता में 9 दिसंबर 2022 को एक बैठक में तीन कार्य समूहों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विस्तार से चर्चा की गई। इसके बाद 20 दिसंबर, 2022 को सचिव, एमएसडीई की अध्यक्षता में एक और बैठक हुई, जिसमें अध्यक्ष, एनसीवीईटी, अध्यक्ष, यूजीसी के साथ–साथ डीओएचई, एमएसडीई, यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीवीईटी, डीजीटी के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। और एनएसडीसी। इस बैठक के दौरान, कौशल विश्वविद्यालयों में अनुप्रयोग आधारित शिक्षण को सक्षम करने के लिए आवश्यक प्रावधानों को सुविधाजनक बनाने के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई।

3.7. समान मानदंड

कौशल विकास कार्यक्रमों की एकरूपता और मानकीकरण के लिए समान मानदंड 15.07.2015 को अधिसूचित किए गए थे। समान मानदंड की शुरूआत से पहले, भारत सरकार द्वारा 70 से अधिक–कौशल विकास कार्यक्रम (एसडीपी) कार्यान्वित किए जा रहे थे, जिनके पात्रता मानदंड, प्रशिक्षण की अवधि, प्रशिक्षण की लागत, परिणाम, अनुवीक्षण और निगरानी प्रणाली आदि के लिए अपने–अपने मानदंड थे। इन मानदंडों और मापदंडों की बहुलता से एसडीपी का एक व्यापक प्रभाव पैदा हुआ, जिसे परिकल्पित अंतिम परिणाम प्राप्त करने के लिए सुव्यवस्थित किए जाने की आवश्यकता थी। सामान्य मानदंड इनपुट, आउटपुट, फंडिंग/लागत मानदंडों, तीसरे पक्ष के प्रमाणन और मूल्यांकन, निगरानी/ट्रैकिंग तंत्र, और प्रशिक्षण प्रदाताओं के पैनल सहित कौशल विकास प्रक्रियाओं और प्रणालियों के पूरे स्पेक्ट्रम को युक्तिसंगत बनाना चाहते हैं।

समान मानदंड देश में 'कौशल विकास' कार्यकलापों, कौशल विकास पाठ्यक्रमों और राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचा के साथ उनके संरेखण, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए व्यापक इनपुट मानकों और इन कार्यक्रमों के अपेक्षित परिणामों को परिभाषित करते हैं। कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के परिणामों को, पूर्व शिक्षण मान्यता प्राप्त नए शिक्षार्थियों के साथ–साथ मौजूदा श्रमिकों, दोनों के वेतन और स्वरोजगार में हासिल किए गए नियोजन के संदर्भ में परिभाषित किया गया है। चूंकि सामान्य मानदंडों का उद्देश्य परिणाम केंद्रित होना है, कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए लागत मानदंड और निधि प्रवाह तंत्र को भी प्राप्त विशिष्ट परिणामों से जोड़ा गया है। लागत मानदंडों में उम्मीदवारों को जुटाना, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, प्लेसमेंट खर्च, पोस्ट–प्लेसमेंट ट्रैकिंग/निगरानी और बुनियादी ढांचे की लागत जैसे घटकों के लिए समर्थन शामिल है।

प्रस्ताव में केंद्र सरकार की कौशल विकास योजनाओं के बीच एकरूपता और मानकीकरण लाने के लिए सचिव, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की अध्यक्षता में एक सामान्य मानदंड समिति के गठन की परिकल्पना की गई है। समिति में प्रासंगिक केंद्रीय मंत्रालयों/ विभागों, राज्य सरकारों, राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के आठ अन्य प्रतिनिधि भी शामिल होंगे, जिसमें विशेषज्ञों और अन्य महत्वपूर्ण हितधारकों को आमंत्रित करने का प्रावधान होगा, जो कर सकते हैं। निर्णय लेने की प्रक्रिया में आवश्यक हो। यह कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए सामान्य मानदंडों, अधिसूचना के कार्यक्रम, प्रशिक्षण लागत और वित्त पोषण मानदंडों को संशोधित/ संशोधित करने के लिए सशक्त होगा।

जबकि सामान्य मानदंड विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही भारत सरकार की कौशल विकास योजनाओं पर लागू होंगे, राज्य सरकारों से भी अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी कौशल विकास योजनाओं को सामान्य

मानदंडों के साथ संरेखित करें ताकि एकरूपता और मानकीकरण लाया जा सके। यह सामान्य इनपुट मानदंड प्रदान करता है जैसेः– लागत मानदंड, प्रशिक्षण के न्यूनतम घंटे, एनएसक्यूएफ संरेखण, प्रशिक्षण अवसंरचना आदि, निर्दिष्ट वेतन और स्वरोजगार के संदर्भ में सामान्य परिणाम मानदंड और प्रक्रिया की समानता जैसेः– निधि प्रवाह तंत्र, मूल्यांकन मानदंड, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के माध्यम से लागू की जा रही भारत सरकार की कौशल विकास योजनाओं पर सामान्य मानदंड लागू होते हैं और राज्य सरकारों से भी उनकी कौशल विकास योजनाओं को संरेखित करने की अपेक्षा की जाती है।

मंत्रालयों/विभागों द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कौशल योजनाओं को संरेखित करने की सुविधा के लिए दिनांक 11.12. 2015, 22.03.2016, 29.09.2016, 16.02.2018, 05.11.2018, 05.08.2019, 26.02,2020, 13.11 को नौ बैठकें आयोजित की गई हैं। 2020, और 14.03.2022, जहां तीसरी बैठक दो भागों में हुई। सामान्य मानदंड समिति ने अधिसूचना में पांच बार दिनांक 20.05.2016, 28.02.2017, 31.12.2018, 11.11.2020 और 01.01.2021 को संशोधन किया है।

पांचवें संशोधन में, 01.01.2021 से विभिन्न क्षेत्रों के लिए आधार लागत को अगले 10 पैसे तक बढ़ाकर 5% कर दिया गया है। विभिन्न क्षेत्रों के लिए वर्तमान आधार लागत 01.01.2021 से प्रभावी होगी।

(i) अनुसूची–ii की श्रेणी–i में सूचीबद्ध ट्रेडों/क्षेत्रों में प्रशिक्षण के लिए 49.00 रुपए प्रति घंटा।

(ii) अनुसूची–ii की श्रेणी–ii में सूचीबद्ध ट्रेडों/क्षेत्रों में प्रशिक्षण के लिए 42.00 रुपए प्रति घंटा।

(iii) अनुसूची–iii की श्रेणी–iii में सूचीबद्ध ट्रेडों/क्षेत्रों में प्रशिक्षण के लिए 35.10 रुपए प्रति घंटा।

4

मंत्रालय की प्रमुख संस्थाएं

4.1 प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी)

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय में प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) देश में रोजगार योग्य युवाओं के लिए महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण सहित व्यावसायिक प्रशिक्षण के विकास और समन्वय के लिए एक शीर्ष संगठन है और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) और राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान (एनएसटीआई) के अपने नेटवर्क के माध्यम से अर्थव्यवस्था को कुशल जनशक्ति प्रदान करता है।

कैबिनेट सचिवालय आदेश संख्या 1/21/9/2014–कैब दिनांक 16 अप्रैल, 2015 और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के आदेश संख्या डीजीई एंड टी–ए–22020/01/2015–प्रशा.–प्प दिनांक 21 अप्रैल, 2015 के अनुसरण में; उप महानिदेशक (प्रशिक्षण) और उप महानिदेशक (शिक्षुता प्रशिक्षण) के तहत काम करने वाले रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीई एंड टी) के दो कार्यक्षेत्रों को उनकी समर्थन प्रणालियों के साथ कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में अंतरित कर दिया गया।

डीजीटी से संबद्ध संस्थान श्रम बाजार में विभिन्न क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की एक विस्तृत श्रृंखला पेश करते हैं। स्कूल छोड़ने वालों, आईटीआई पास आउट, आईटीआई प्रशिक्षकों, औद्योगिक श्रमिकों, तकनीशियनों, जूनियर और मध्यम स्तर के अधिकारियों, पर्यवेक्षकों/फोरमैन, महिलाओं और शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। डीजीटी लंबी अवधि के व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के सचिवालय और कार्यान्वयन शाखा के रूप में कार्य करता है।

डीजीटी की प्रमुख भूमिकाएं इस प्रकार हैं–

- व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए समग्र नीतियों, मानदंडों और मानकों को तैयार करना।
- उद्योगों के नवीनतम प्रौद्योगिकी परिवर्तनों के अनुसार कौशल अंतर का विश्लेषण करना और आवश्यक कौशल कार्यबल सुनिश्चित करना
- नया पाठ्यक्रम डिजाइन करना
- पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या संशोधित करना
- संबद्धता प्रदान करना
- ट्रेड परीक्षण
- प्रमाणीकरण
- शिल्पकार प्रशिक्षक प्रशिक्षण स्कीम (सीआईटीएस) के तहत आईटीआई प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित करना
- प्रशिक्षकों का पुनः कौशलीकरण तथा कौशल उन्नयन
- उद्योगों के कर्मचारियों का पुनः कौशलीकरण तथा कौशल उन्नयन
- उद्योग के लिए तैयार कार्यबल प्रदान करने के लिए एटीएस/डीएसटी/फ्लेक्सिएमओयू के तहत उद्योग की भागीदारी में पाठ्यक्रम आयोजित करना
- व्यावसायिक प्रशिक्षण की गुणवत्ता के साथ–साथ सभी व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कीमों के कामकाज की निगरानी करना

- व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए सामग्री और मिश्रित शिक्षण सामग्री विकसित करना

4.1.1 प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) कौशल प्रशिक्षण इकोसिस्टम के तहत संस्थानों के लिए एक अवार्डिंग निकाय और आकलन एजेंसी के रूप में"

एक नियामक के रूप में राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) की फाइल संख्याः 32001/14/2020/एनसीवीईटी/234 दिनांक 10 जून 2020 की अधिसूचना के अनुसरण में; प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) के कामकाज को दीर्घावधि और अल्पावधि व्यावसायिक प्रशिक्षण दोनों के लिए अवार्डिंग निकाय और आकलन हेतु एजेंसी के रूप में मान्यता दी गई है।

इस संदर्भ में डीजीटी के पाठ्यक्रम विकास, प्रत्यायन और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) की संबद्धता, प्रशिक्षुओं की परीक्षा और प्रमाणन के प्रमुख कार्यों को विभिन्न बोर्डों के मानक कामकाज से जोड़ा गया है।

4.1.2 क्षेत्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता निदेशालय (आरडीएसडीई)

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में भारत सरकार ने कौशल प्रशिक्षण और शिक्षुता प्रशिक्षण में और सुधार करने और राज्य स्तर पर इन कार्यक्रमों के प्रभावी एकीकृत विकास और निगरानी को सुनिश्चित करने के प्रश्न पर विचार किया है। इस क्रम में, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (प्रशिक्षण महानिदेशालय) ने प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए अपने संकल्प सं. डीजीटी–ए–11018/1/2018–प्रशा.प्दिनांक 14 दिसंबर, 2018 के तहत कौशल विकास और उद्यमशीलता के क्षेत्रीय निदेशालयों (आरडीएसडीई) की स्थापना की।

अनुबंध–प् में दिए गए क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के अनुसार प्रस्तावित आरडीएसडीई भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, फरीदाबाद, गुवाहाटी, हैदराबाद, कानपुर, कोलकाता और मुंबई में स्थित तत्कालीन क्षेत्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालयों (आरडीएटी) की भूमि और भवनों सहित मौजूदा गतिविधियों, कर्मियों, संपत्तियों और देनदारियों को समाहित करता है। आरडीएसडीई के प्रमुख क्षेत्रीय निदेशक के रूप में जाने जाएंगे और केंद्रीय फील्ड संस्थानों (सीएफआई) के लिए निदेशकों का कोई अलग पद नहीं होगा। आरडीएसडीई मंत्रालय के अधीन डीजीटी के संबद्ध कार्यालय होंगे। उनके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के साथ आरडीएसडीई का विवरण अनुबंध–प् में दिया गया है और आरडीएसडीई को सौंपे गए कार्यों को अनुबंध–प्प् में दिया गया है।

हालाँकि, मौजूदा केंद्रीय क्षेत्र संस्थान जैसे; राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान (एनएसटीआई)/एनएसटीआई (डब्ल्यू) संबंधित आरडीएसडीई के तहत एक एकीकृत अधीनस्थ संरचना है। राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान (एनएसटीआई) देश में आईटीआई के प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देने के मुख्य उद्देश्य के साथ प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी), कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा संचालित प्रमुख संस्थान हैं।

4.1.3 राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान (एनएसटीआई)/महिलाओं के लिए राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान (एनएसटीआई (डब्ल्यू))

एनएसटीआई/एनएसटीआई(डब्ल्यू) का मुख्य उद्देश्य प्रशिक्षकों को कौशल और प्रशिक्षण पद्धति पर हाथ स्थानांतरित करने की तकनीकों में प्रशिक्षित करना है। वर्तमान में 19 एनएसटीआई (डब्ल्यू) सहित 33 एनएसटीआई (तालिका 7) हैं। एनसीवीईटी सभी प्रशिक्षकों को प्रमाणित करने के लिए अनिवार्य करता है और आज की तारीख में आईटीआई इकोसिस्टम में लगभग 90,000 प्रशिक्षकों की आवश्यकता है। ये संस्थान प्रमुख रूप सेः

- शिल्प प्रशिक्षक प्रशिक्षण योजना आयोजित करता है
- उन्नत व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना
- सभी एनएसटीआई (डब्ल्यू) में शिल्पकार प्रशिक्षण पाठ्यक्रम
- प्रशिक्षक मूल्यांकनकर्ताओं का प्रशिक्षण एनएसडीसी/जेएसएस के साथ मिलकर अल्पावधि प्रशिक्षण आईबीएम के सहयोग से 15 एनएसटीआई में उन्नत डिप्लोमा (व्यावसायिक)।

तालिका 7: राज्यों में राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई)/महिलाओं के लिए राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई(डब्ल्यू)) की सूची।

एनएसटीआई/एनएसटीआई(डब्ल्यू) की सूची इस प्रकार है:

क्र. सं.	राज्य का नाम	इकाई का नाम	संस्थान का पता	वेबसाइट का पता
1	बिहार	एनएसटीआई (डब्ल्यू) पटना	डब्ल्यूआईटीआई परिसर, दीघाघाट, पटना–800011	https://nstiwpatna.dgt.gov.in
2	गोवा	एनएसटीआई (डब्ल्यू) गोवा	एनएसटीआई (डब्ल्यू) गोवा, आईटीआई परिसर, सीओई बिल्डिंग, फरमागुडी पोंडा, गोवा	https://nstiwgoa.dgt.gov.in
3	गुजरात	एनएसटीआई (डब्ल्यू) वडोदरा	शांति नगर, बी/एच तरसाली आईटीआई, तरसाली, वडोदरा–390009	https://nstiwvadodara.dgt.gov.in
4	हरियाणा	एनएसटीआई (डब्ल्यू) पानीपत	एन एफ एल, के पास जीटी रोड, पानीपत	https://nstiwpanipat.dgt.gov.in
5	हिमाचल प्रदेश	एनएसटीआई (डब्ल्यू) शिमला	सिमेट बिल्डिंग, डाइट कैंपस से सटे	https://nstiwshimla.dgt.gov.in
6	जम्मू	एनएसटीआई (डब्ल्यू) जम्मू	भौर, चठा रोड, नीर टीन पैलेस, पीओ भौर, जिला जम्मू	https://nstijammu.dgt.gov.in
7	झारखंड	एनएसटीआई जमशेदपुर	एनएसटीआई (एफटीआई), जमशेदपुर	https://nstijamshedpur.dgt.gov.in
8	कर्नाटक	एनएसटीआई बेंगलुरु	एफटीआई परिसर, ईएसआईसी अस्पताल के बगल में– पीन्या, आउटर रिंग रोड, यशवंतपुर, बेंगलुरु	https://nstibengaluru.dgt. gov.in /
9	कर्नाटक	एनएसटीआई (डब्ल्यू) बेंगलुरु	एनएसटीआई (डब्ल्यू)	https://nstiwbengaluru.dgt.gov.in
10	केरल	एनएसटीआई (डब्ल्यू) त्रिवेंद्रम	विपक्षः ब्लॉक कार्यालय, कझाकुट्टम (पीओ), त्रिवेंद्रम	https://nstiwtrivandrum.dgt.gov.in/
11	केरल	एनएसटीआई कालीकट	गोविंदा पुरम, कोझीकोड	https://nsticalicut.dgt.gov.in/
12	मध्य प्रदेश	एनएसटीआई (डब्ल्यू) इंदौर	एनएसटीआई (डब्ल्यू), सुखलिया रोड, नंदा नगर	https://nstiwindore.dgt.gov.in/
13	महाराष्ट्र	एनएसटीआई मुंबई	वी.एन.पूरव मार्ग, मुंबई–400022	https://nstimumbai.dgt.gov.in/
14	महाराष्ट्र	एनएसटीआई (डब्ल्यू) मुंबई	काशीनाथ धुरू मार्ग, आगर बाजार, दादर (पश्चिम), मुंबई–400028	https://nstiwmumbai.dgt.gov.in
15	मेघालय	एनएसटीआई (डब्ल्यू) तुरा	एनएसटीआई (डब्ल्यू), तुरा, मेघालय	https://nstiwtura.dgt.gov.in
16	ओडिशा	एनएसटीआई भुवनेश्वर	5वीं मंजिल धर्मपाड़ा, भवन, (एनएसआईसी–आईएमडीसी भवन), आईडीसीओ प्लॉट नंबर 6, मंचेश्वर औद्योगिक क्षेत्र, भुवनेश्वर 751010	https://nstibhubaneswar.dgt.gov.in

17	पंजाब	एनएसटीआई लुधियाना	गिल रोड, लुधियाना	https://nstiludhiana.dgt.gov.in/
18	पंजाब	एनएसटीआई (डब्ल्यू) मोहाली	डब्ल्यूआईटीआई परिसर नीलपुर, राजपुरा, जिला– पटियाला	https://nstiwmohali.dgt.gov.in/
19	राजस्थान	एनएसटीआई (डब्ल्यू) जयपुर	केवी नंबर 03 के सामने झालाना डूंगरी, जयपुर 302017	https://nstiwjaipur.dgt.gov.in
20	राजस्थान	एनएसटीआई जोधपुर	भारी औद्योगिक क्षेत्र, सरस डेयरी के पास, जोधपुर–342005, (राजस्थान)	https://nstijodhpur.dgt.gov.in
21	तमिलनाडु	एनएसटीआई (डब्ल्यू) त्रिची	एनएसटीआई (डब्ल्यू), सीओई भवन, सरकारी आईटीआई परिसर, तिरुवंबुर, त्रिची	https://nstiwtrichy.dgt.gov.in/
22	तमिलनाडु	एनएसटीआई चेन्नई	10, अलंदुर रोड, सीटीआई कैंपस, गिंडी, चेन्नई –32	https://nstichennai.dgt.gov.in
23	तेलंगाना	एनएसटीआई (डब्ल्यू) हैदराबाद	एनएसटीआईडब्ल्यू, विद्या नगर, शिवम रोड, हैदराबाद	https://nstiw hyderabad.dgt.gov.in/
24	तेलंगाना	एनएसटीआई हैदराबाद (विद्या नगर)	एनएसटीआई विद्यानगर परिसर, शिवम रोड, हैदराबाद	https://nsti hyderabad2.dgt.gov.in
25	तेलंगाना	एनएसटीआई हैदराबाद (रामनाथपुर)	उप्पल रोड, रामनाथपुर, हैदराबाद – 500013	https://nsti hyderabad1.dgt.gov.in
26	त्रिपुरा	एनएसटीआई (डब्ल्यू) अगरतला	महिला पीएन कॉम्प्लेक्स के लिए एनएसटीआई, गुरखाबस्ती अगरतला, त्रिपुरा 799001	https://nsti wagartala.dgt.gov.in
27	उत्तर प्रदेश	एनएसटीआई कानपुर	एनएसटीआई कानपुर– 208022	httpss://nstikanpur.dgt.gov.in
28	उत्तर प्रदेश	एनएसटीआई (डब्ल्यू) नोएडा	डी–1, सेक्टर 1, नोएडा	https://nstiwnoida.dgt.gov.in
29	उत्तर प्रदेश	एनएसटीआई (डब्ल्यू) इलाहाबाद	6, न्यू कटरा रोड, इलाहाबाद	https://nsti wallahabad.dgt.gov.in
30	उत्तराखंड	एनएसटीआई हल्द्वानी	टिहरी पुलिया नैनीताल रोड, हल्द्वानी, पीओ काठगोदाम, जिला नैनीताल – 263126, उत्तराखंड	https://nstihaldwani.dgt.gov.in
31	उत्तराखंड	एनएसटीआई देहरादून	ग्रीनपार्क निरंजनपुर, देहरादून– 248171, उत्तराखंड	https://nstidehradun.dgt.gov.in
32	पश्चिम बंगाल	एनएसटीआई हावड़ा	एनएसटीआई कोलकाता, दासनगर, हावड़ा–711105	https://nstihowrah.dgt.gov.in
33	पश्चिम बंगाल	एनएसटीआई (डब्ल्यू) कोलकाता	एनएसटीआई (डब्ल्यू), सीपी–16, सेक्टर –वी, साल्ट लेक, कोलकाता –700091	https://nstiwkolkata.dgt.gov.in

4.2 राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी)

4.2.1 भूमिका

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 5 दिसंबर, 2018 के द्वारा व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय परिषद (एनसीवीटी)) की स्थापना की गई है, जिसका कार्य व्यावसायिक शिक्षा और दीर्घावधि और अल्पअवधि दोनों प्रशिक्षण में लगी संस्थाओं के कामकाज को विनियमित करने के लिए एक व्यापक नियामक निकाय के रूप में और संस्थाओं के कामकाज के लिए न्यूनतम मानक स्थापित करना है। यह पूर्ववर्ती राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी (एनएसडीए) और राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीटी) के कार्यों को शामिल करके अस्तित्व में आया और इसने 01.08.2020 से पूरी तरह कार्य करना प्रारंभ कर दिया है।

1. एनसीवीईटी के प्राथमिक कार्यः

जैसा कि इसकी अधिसूचना में उल्लिखित है, एनसीवीईटी के मुख्य कार्यों में अवॉर्डिंग निकायों (एबी), आकलन एजेंसियों (एए) और कौशल से संबंधित सूचना प्रदाताओं (एसआईपी) को मान्यता देना, अनुशासन सुनिश्चित करना, मान्यता रद्द करना, विनियमन और निगरानी शामिल हैं। एनसीवीईटी राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचा (एनएसक्यूएफ) राष्ट्रीय अर्हता रजिस्टर (एनक्यूएस) को बनाए रखने, प्रत्येक अर्हता में एनएसक्यूएफ संरेखित अर्हता और राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों (एनएसओ) के अनुमोदन को कार्यान्वित करने के लिए जिम्मेदार है। एनसीवीईटी मान्यता प्राप्त संस्थाओं के अनुवीक्षण, आकलन और पर्यवेक्षण और विभिन्न हितधारकों की शिकायत निवारण के लिए भी जिम्मेदार है।

2. एनसीवीईटी परिषद की संरचनाः

राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद के लिए गठित परिषद का एक अध्यक्ष होता है और इसमें कार्यकारी और गैर–कार्यकारी सदस्य और एक मनोनीत सदस्य होते हैं। सदस्यों का चयन कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली एक खोज–सह–चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है। परिषद में एनसीवीईटी को समग्र मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए राज्यों और उद्योग के प्रतिनिधियों का एक सामान्य निकाय भी है जिसकी अध्यक्षता माननीय मंत्री, एसडीई द्वारा की जाती है।

3. प्रमुख उपलब्धियां

एनसीवीईटी को दिए गए अधिदेश के अनुसरण में 01 जनवरी, 2022 से 31 दिसंबर, 2022 की अवधि के दौरान निम्नलिखित उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं:

3.1. अर्हता अनुमोदन और संरेखण

क) **राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचा (एनएसक्यूएफ):** 27 दिसंबर, 2013 को अधिसूचित राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचा (एनएसक्यूएफ), एक अर्हता आधारित ढांचा है जो ज्ञान, कौशल और अर्हता के स्तरों की एक श्रृंखला के अनुसार सभी अर्हताओं को व्यवस्थित करता है। इन स्तरों को प्रशिक्षण के परिणामों के रूप में परिभाषित किया गया है, जो शिक्षार्थी के पास होना चाहिए, भले ही वे औपचारिक, गैर–औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से प्राप्त किए गए हों। एनएसक्यूएफ को राष्ट्रीय कौशल अर्हता समिति (एनएसक्यूसी) के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। एनएसक्यूसी विभिन्न अवार्डिंग निकायों द्वारा प्रस्तुत अर्हताओं को अनुमोदित करता है। एनएसक्यूसी ने 26 मार्च, 2015 को आयोजित चौथी एनएसक्यूसी की बैठक से अर्हता की अनुमोदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। एनसीवीईटी के अंतर्गत पहली एनएसक्यूसी बैठक 11 अगस्त, 2020 को हुई थी और तब से 31/12/2020 तक एनएसक्यूसी की 24 बैठकें हो चुकी हैं। वर्ष 2022 के दौरान एनएसक्यूसी की कुल 10 बैठकें हुईं। 17.12.2022 को आयोजित एनएसक्यूसी की 24वीं बैठक के बाद अर्हता के एनएसक्यूएफ संरेखण की स्थिति निम्नानुसार है:–

क्र.स.	प्रस्तुतकर्ता निकाय/स्कीम	संरेखित अर्हताओं की संख्या
1.	केंद्र/राज्य सरकारों के निकायों और संस्थाओं की अर्हताएं	1811 (रक्षा बलों की 120 अर्हताओं सहित)
2.	क्षेत्र कौशल परिषदों और अन्य अवार्डिंग निकायों की अर्हताएं	4006 (261 भावी अर्हताओं सहित)

क्र.स.	प्रस्तुतकर्ता निकाय/स्कीम	संरेखित अर्हताओं की संख्या
3.	संग्रह के अंतर्गत अर्हताएं	1797
4.	प्रभावी अर्हताओं की कुल संख्या	4020

ख) **राष्ट्रीय कौशल अर्हता समिति (एनएसक्यूसी):** एनसीवीईटी के साथ पूर्ववर्ती एनएसडीए के विलय और 31 जुलाई, 2020 से एनएसडीए के विघटन के परिणामस्वरूप, एनएसक्यूएफ संरेखण की प्रक्रिया और राष्ट्रीय कौशल अर्हता समिति (एनएसक्यूसी), एनएसक्यूएफ संरेखण की अर्हता को मंजूरी देने के लिए अंतिम शीर्ष निकाय, एनसीवीईटी में भेजा गया है। एनएसक्यूसी को एनसीवीईटी के दिनांक 27 अगस्त, 2021 के आदेश संख्या 20004/01/202/ एनसीवीईटी के माध्यम से पुनर्गठित किया गया है। एनएसक्यूसी की अध्यक्षता अब अध्यक्ष, एनसीवीईटी द्वारा की जाती है और इसमें केंद्रीय मंत्रालयों, नीति आयोग, एआईसीटीई, यूजीसी, सीबीएसई, चयनित एसएसडीएम के मिशन निदेशक (रोटेशन पर), कार्यकारी सदस्य–एनसीवीईटी, डीजीटी, एमएसडीई से नामित प्रतिनिधि (संयुक्त सचिव के पद से नीचे नहीं), चयनित उद्योग प्रतिनिधि और विचाराधीन अर्हता प्रस्तुत करने वाले निकाय से संबंधित क्षेत्रीय प्रतिनिधि शामिल हैं। एनसीवीईटी के अधीन राष्ट्रीय कौशल अर्हता समिति (एनएसक्यूसी) की 10 बैठकें वर्ष 2022 के दौरान आयोजित की गईं, जिसमें कुल 1767 (609 पीएमकेवीवाई सहित) अर्हताएं एनएसक्यूसी द्वारा अनुमोदन के माध्यम से राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचे (एनएसक्यूएफ) के अनुरूप की गई थीं। इसे राष्ट्रीय अर्हता रजिस्टर (एनक्यूआर) पर अपलोड कर दिया गया है।

ग) **राष्ट्रीय अर्हता रजिस्टर (एनक्यूआर):** एक बार एनएसक्यूसी द्वारा अर्हता को मंजूरी मिलने के बाद, इसे राष्ट्रीय अर्हता रजिस्टर (एनक्यूआर) पर अपलोड किया जाता है जो सार्वजनिक डोमेन में है और इसे www.nqr.gov.in पर देखा जा सकता है। एनक्यूआर सभी एनएसक्यूएफ संरेखित अर्हताओं का भंडार है जो उन्हें आसान पहुंच के लिए खोज सुविधा के साथ क्षेत्र–वार सूचीबद्ध करता है। एनक्यूआर के मौजूदा आर्किटेक्चर में 'आर्काइव' का एक नया खंड जोड़ा गया है ताकि निष्क्रिय अर्हताओं को संग्रहीत किया जा सके और अवार्डिंग निकायों को उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए आवश्यकता के अनुसार इसे पुनः प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके। अर्हता के पुराने संस्करण को जब भी संशोधित किया जाता है, उन्हें भी संग्रह अनुभाग में स्थानांतरित कर दिया जाता है और यह एक सतत प्रक्रिया है।

3.2. एनसीवीईटी परिषद की बैठकें: परिषद की तीन बैठकें क्रमशः 16 मार्च, 2022, 13 जुलाई, 2022 और 12 दिसंबर, 2022 को आयोजित की गई हैं, जिनमें नीतिगत और प्रशासनिक निर्णय लिए गए।

3.3. अवार्डिंग निकायों (एबी) और आकलनकर्ता एजेंसियों (एए) को मान्यता देना: प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन करने और संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने के लिए योग्य प्रस्तावों को परिषद के समक्ष रखने के लिए परिषद के अनुमोदन के साथ एक उप–समिति (दिनांक 14 अक्टूबर, 2021 के आदेश संख्या 38004/01/2021/एनसीवीईटी के माध्यम से) गठित की गई है। अवार्डिंग निकाय और आकलनकर्ता एजेंसी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले संगठनों से प्राप्त प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए परिषद का प्रतिनिधित्व करने वाली उप–समिति की 150 से अधिक बैठकें आयोजित की गईं।

क) अवार्डिंग निकायः अवार्डिंग निकाय के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कुल 120 प्रस्तावों की एबी की मान्यता और विनियमन के लिए एनसीवीईटी दिशानिर्देशों के अनुसार जांच की गई थी। इन 120 प्रस्तावों में से अवार्डिंग निकायों के 79 प्रस्तावों (क्षेत्र कौशल परिषदों, राज्य कौशल विकास मिशनों, केंद्र और राज्य सरकार के निकायों, विश्वविद्यालयों आदि को शामिल करते हुए) को मान्यता प्रदान करने के लिए आशय पत्र (एलओआई) जारी किए गए हैं और बाद में इन 79 में से 54 अवार्डिंग निकायों ने मान्यता प्रदान करने के लिए एनसीवीईटी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

ख) आकलनकर्ता एजेंसीः आकलनकर्ता एजेंसियों के कुल 181 प्रस्तावों की संवीक्षा की गई है और 52 एजेंसियों को मान्यता प्रदान करने के लिए आशय पत्र (एलओआई) जारी किए गए हैं।

3.4. एनसीवीईटी दिशानिर्देशों का गठन और कार्यान्वयन

क) **अवार्डिंग निकायों द्वारा अर्हता अंगीकरण के लिए दिशानिर्देश:** मानकीकृत अर्हता तक पहुंच प्रदान करते

हुए अर्हता के दोहराव को कम करने, जिससे मूल्यांकन और प्रमाणन में एकरूपता और गुणवत्ता आश्वासन सुनिश्चित किया जा सके, अर्हता अंगीकरण की सुविधा के लिए दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं जो एनसीवीईटी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। अंगीकरण दिशानिर्देश एक अर्हता के संबंध में एक अवार्डिंग निकाय द्वारा अवार्ड देने के अधिकारों के अर्जन की सुविधा प्रदान करेगा जो किसी अन्य अवार्डिंग निकाय द्वारा तैयार किया गया है। वे राज्यों को स्थानीय/पारंपरिक कौशल में अर्हता तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करने में भी सक्षम बनाएंगे। अंगीकरण की सुविधा स्कूलों सहित सभी सरकारी अवार्डिंग निकायों के लिए निःशुल्क उपलब्ध है।

ख) **बहु कौशलीकरण और क्रॉस सेक्टरल कौशलीकरण के लिए दिशानिर्देशः** माननीय वित्त मंत्री के बजट संबोधन के अनुरूप, गतिशील उद्योग की जरूरतों के लिए एनएसक्यूएफ के संरेखण के बारे में 'बहु कौशलीकरण और क्रॉस–सेक्टरल कौशलीकरण के लिए दिशानिर्देश' एनसीवीईटी द्वारा तैयार और कार्यान्वित किए गए हैं। दिशानिर्देश परिषद द्वारा अनुमोदित किए गए हैं और एनसीवीईटी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। ये दिशानिर्देश संसाधन अनुकूलन, एकरूपता/पुनः प्रयोग/अर्हता के विकास, प्रशिक्षण आयोजित करने, आकलन और प्रमाणन में गुणवत्ता आश्वासन को सक्षम बनाएंगे।

ग) **व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण (वीईटी) में मिश्रित शिक्षा संबंधी दिशानिर्देशः** भारत सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी 2020) ने उभरती नई तकनीकों के मद्देनजर और हाल ही में देखी गई महामारी जैसी स्थिति से निपटने हेतु बदलती वैश्विक आवश्यकताओं को समायोजित करने के लिए डिजिटल शिक्षा को शामिल करके सभी शिक्षार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने पर जोर दिया है। मिश्रित शिक्षा औपचारिक (पारंपरिक कक्षा) और गैर–औपचारिक (ऑनलाइन) अर्थात पारंपरिक कक्षा के आमने–सामने शिक्षण के साथ डिजिटल शिक्षण प्लेटफार्मों के संयोजन का शैक्षिक अभ्यास दोनों कार्यपद्धतियों का एक संयोजन है। मिश्रित शिक्षा शिक्षण की प्रक्रिया में लचीलापन प्रदान करती है। एनसीवीईटी ने मिश्रित शिक्षा संबंधित दिशानिर्देश तैयार किए हैं। मिश्रित शिक्षण संबंधी दिशानिर्देश व्यावसायिक शिक्षा के लिए शिक्षण के प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं, अर्थात्,

i. ट्रेड सिद्धांत/व्याख्यान/सैद्धांतिक/वैचारिक ज्ञान प्रदान करना,
ii. सॉफ्ट कौशल/जीवन कौशल/नियोजनीय कौशल/मेंटरिंग प्रदान करना,
iii. शिक्षार्थियों को प्रदर्शन दिखान, हाथों से काम करने के लिए व्यावहारिक कौशल/ कौशल प्रदान करना,
iv. ट्यूटोरियल, असाइनमेंट, ड्रिल और अभ्यास,
v. मॉनिटरिंग/प्रोक्टर्ड मॉनिटरिंग/असेसमेंट,
vi. कार्य के दौरान प्रशिक्षण (ओजेटी), इंटर्नशिप, और
vii. शिक्षुता प्रशिक्षण

दिशानिर्देश उपकरणों और कार्यपद्धतियों का सुझाव देते हैं जिनका उपयोग व्यावसायिक प्रशिक्षण और शिक्षा के विभिन्न चरणों में किया जा सकता है। यह मिश्रण के प्रतिशत के सुझाव भी प्रदान करता है, जो विभिन्न प्रकार के शिक्षण के लिए विभिन्न चरणों में हो सकता है।

घ) **शिकायत निवारण तंत्र के लिए दिशानिर्देशः** एनसीवीईटी के अंतर्गत मान्यता प्राप्त संस्थाओं की शिकायतों के निवारण के लिए एक तंत्र विकसित करने के लिए व्यापक हितधारक और सार्वजनिक परामर्श के बाद परिषद द्वारा 'शिकायत निवारण तंत्र हेतु दिशानिर्देश' अनुमोदित किए गए हैं और कार्यान्वयन के लिए एनसीवीईटी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। ये दिशानिर्देश सभी हितधारकों को समयबद्ध तरीके से उनकी शिकायतों के समाधान/निवारण के लिए आसान पहुंच प्रदान करने के लिए अवार्डिंग निकायों, आकलनकर्ता एजेंसियों, प्रशिक्षण प्रदाताओं (टीपी) और परिषद द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली शिकायतों के निवारण की एक प्रणाली बनाने और निगरानी करने के लिए हैं।

ङ) **राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों और माइक्रो क्रेडेंशियल्स अनुमोदन के लिए दिशानिर्देशः** अनेक अवार्डिंग निकायों, क्रॉस सेक्टरल और बहु–क्षेत्रीय कौशल की पहचान जैसी नई नीतियों के आगमन के साथ अर्हता तैयार

करने में और अधिक लचीलापन प्रदान करने की आवश्यकता महसूस की गई। तेजी से बदलती जॉब की जरूरतों को पूरा करने के लिए कौशल उन्नयन और सेतु पाठ्यक्रम का उपयोग करने के लिए स्टैंडअलोन एनओएस की परिकल्पना की गई थी। एनओएस अनुमोदन और संरेखण निम्नलिखित को स्थापित करने और सुविधा प्रदान करने के लिए अनिवार्य किया गया था:

- क्रॉस सेक्टरल और मल्टी सेक्टरल अर्हताएं तैयार करना
- उपलब्ध ज्ञान का उपयोग
- आवश्यकता के अनुसार क्षमताओं की इकाई चुनने का अवसर प्रदान करने के लिए कौशल उन्नयन
- सेतु पाठ्यक्रम और कौशल उन्नयन के साथ आरपीएल
- आजीवन शिक्षण
- एकाधिक प्रवेश और एकाधिक निकास (एमई–एमई) मार्ग
- संसाधनों का बेहतर प्रणालीकरण

राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (एनओएस) दिशानिर्देश निष्पादन के उस मानक को निर्दिष्ट करते हैं जो किसी व्यक्ति को कार्यस्थल में किसी कार्य को करते समय प्राप्त करना चाहिए, उन्हें ज्ञान और समझ के साथ उस मानक को पूरा करने की लगातार आवश्यकता होती है। प्रत्येक एनओएस संबंधित जॉब रोल में विशिष्ट कार्य के संबंध में संबंधित निष्पादन मानदंड को जोड़कर एक प्रमुख कार्य को परिभाषित करता है।

साथ ही, ये एनओएस एक अर्हता बनाते हैं जो शिक्षार्थियों को किसी विशेष जॉब रोल में प्रशिक्षित करने के लिए उपयोग की जाती है। ये दिशानिर्देश परिषद द्वारा अनुमोदित किए गए हैं और अधिसूचित किए जा रहे हैं।

च) **माइक्रो क्रेडेंशियल्स के विकास और उपयोग हेतु दिशानिर्देश:** कौशल उन्नयन के लिए माइक्रो क्रेडेंशियल्स के विकास के लिए दिशानिर्देशों की पेशकश करने का प्राथमिक उद्देश्य आधुनिक कार्यस्थलों की गतिशील उद्योग की जरूरतों को स्वीकार करना था, उन शिक्षार्थियों का जिनकी पहले से ही कौशल पर पकड़ है और उत्पादकता के अगले स्तर के लिए ज्ञान को सम्मेय करना तथा उन लोगों के लिए भी जिन्हें पूर्ववर्ती कौशल सेट में वृद्धि करने के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है, का कौशल उन्नयन करना है। ये दिशानिर्देश शिक्षार्थियों के लिए एक सक्षम वातावरण तैयार करेंगे ताकि वे कई कौशल सेटों को तैयार करने के बाद निरंतर शिक्षण और क्रॉस मोबिलिटी हासिल कर सकें। दिशानिर्देश मिनी–मॉड्यूल और शिक्षण के माध्यम से युवाओं को कौशल में वृद्धि के लिए बड़े मार्ग उपलब्ध कराएंगे ताकि वे तीव्रता से दूसरी जॉब में न भाग सकें। अंत में, माइक्रो–क्रेडेंशियल्स संबंधी दिशानिर्देश उच्च मांग और उभरते उद्योग कौशलों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

ये दिशानिर्देश परिषद द्वारा अनुमोदित किए गए हैं और अधिसूचित किए जा रहे हैं:

छ) **पूर्व शिक्षण मान्यता संबंधी दिशानिर्देश (आरपीएल):** राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020, सभी के लिए आजीवन शिक्षण को सुनिश्चित करने पर बल देती है। एनईपी, 2020 के अनुसार, "बुनियादी साक्षरता प्राप्त करने, शिक्षा प्राप्त करने और जीविकोपार्जन के अवसर को प्रत्येक नागरिक के मूल अधिकार के रूप में देखा जाना चाहिए। साक्षरता और बुनियादी शिक्षा व्यक्तियों के लिए व्यक्तिगत, नागरिक, आर्थिक और आजीवन शिक्षण के अवसरों की पूरी नई दुनिया खोलती है जो उन्हें व्यक्तिगत और पेशेवर रूप से प्रगति करने में सक्षम बनाती है"। आरपीएल किसी व्यक्ति की दक्षता, कौशल, प्राप्त व्यावसायिक स्तर, मूलभूत साक्षरता और शिक्षा को मान्यता देने के लिए एक टूल के रूप में कार्य कर सकता है, जो मुख्य रूप से शिक्षण के गैर–औपचारिक, अनौपचारिक या पारंपरिक तरीकों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। यह व्यक्तियों को अपनी व्यक्तिगत और व्यावसायिक क्षमताओं को अधिक औपचारिक और प्रभावी तरीके से प्रदर्शित करने में सक्षम बनाएगा।

आरपीएल संबंधी दिशानिर्देश किसी व्यक्ति/आवेदक की पूर्व शिक्षण के प्रमुख घटकों का समाधान करते हैं और आरपीएल आकलन के लिए नए वर्टिकल भी प्रदान करते हैं जो पारंपरिक तरीकों से परे होंगे। आरपीएल

दिशानिर्देशों की कुछ मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं:

- कौशल इकोसिस्टम में आरपीएल के कार्यान्वयन के लिए एक व्यापक रोडमैप प्रदान करता है।
- आरपीएल प्रक्रिया की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए अपेक्षित आकलन प्रक्रिया के बढ़ते स्तरों और कठोरता की आवश्यकता वाले विभिन्न अर्हता स्तरों के आकलन की विभिन्न पद्धतियों का प्रावधान करता है।
- आरपीएल के लिए एबी और एए में सर्वोत्तम पद्धतियों की पेशकश।
- आकलन के मिश्रित मॉडल सहित आकलन के लिए अभिनव तरीकों की पेशकश
- अपने कार्यबल के लिए आरपीएल के संचालन हेतु औद्योगिक निकायों को सशक्त बनाना
- पारंपरिक/स्वदेशी कौशलों के लिए आरपीएल
- विभिन्न एनएसक्यूएफ स्तरों के लिए अच्छी तरह से प्रस्तावित आरपीएल आकलन मॉडल सभी क्षेत्रों में सुलभ होगा
- एक्रिडेटिड बैंक ऑफ क्रेडिट्स (एबीसी) में आरपीएल और क्रेडिट के संचय के माध्यम से अर्निंग क्रेडिट का प्रावधान।
- हैकथॉन और ओलंपियाड आधारित आकलन के लिए प्रावधान

एनसीवीईटी में एक परामर्श प्रक्रिया में आरपीएल दिशानिर्देश तैयार किए जा रहे हैं। दिशानिर्देशों के कई पहलुओं पर चर्चा करने के लिए विभिन्न हितधारक बैठकें शुरू की गई हैं। सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए मसौदा दिशानिर्देश एनसीवीईटी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

ज) **वीईटी और कौशलीकरण में डिप्लोमा और डिप्लोमा उपरांत अर्हताओं हेतु दिशानिर्देश:** एनईपी 2020 और राष्ट्रीय क्रेडिट ढांचा (एनसीआरएफ) द्वारा निर्धारित उद्देश्यों और हितधारकों से उभरती जरूरतों के आलोक में, एनसीवीईटी व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण और कौशलीकरण में डिप्लोमा और डिप्लोमा उपरांत अर्हताओं के मसौदा के दिशानिर्देशों पर कार्य कर रहा है। दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने के लिए हितधारक परामर्श किए जा रहे हैं।

झ) **अवार्डिंग निकाय/आकलनकर्ता एजेंसी के रूप में कौशल विश्वविद्यालयों को मान्यता देने हेतु दिशानिर्देश:** राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) को केंद्र सरकार के परामर्श से कौशल विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता हेतु व्यापक दिशानिर्देश तैयार करने, बुनियादी न्यूनतम मानक अथवा मानदंड निर्धारित करने के लिए कार्य सौंपा गया है। कौशल प्रशिक्षण की गुणवत्ता और प्रदायगी को बढ़ाने के लिए व्यापक शोध करने और कार्यान्वयन योग्य दिशानिर्देश तैयार करने सहित उन्नत व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विकास और संचालन में कौशल विश्वविद्यालयों को सुविधा प्रदान करने के लिए कौशल विश्वविद्यालय के विभिन्न पहलुओं पर अपनी सिफारिशें देने के लिए एमओएसडीई द्वारा तीन कार्य समूह का गठन किया गया था। कार्य समूह की सिफारिशें कौशल विश्वविद्यालय के प्रारूप दिशानिर्देशों में उपयुक्त रूप से शामिल की गई हैं और इन्हें अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है।

3.5. अन्य प्रमुख पहलें:

क) राष्ट्रीय क्रेडिट ढांचा (एनसीआरएफ)

i. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन को पूरा करने, शिक्षा को अधिक समग्र और प्रभावी बनाने और सामान्य (शैक्षणिक) शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत करने के लिए, भारत सरकार ने व्यावसायिक और सामान्य शिक्षा दोनों के लिए एक राष्ट्रीय क्रेडिट संचय और अंतरण ढांचा विकसित करने के लिए दिनांक 18 नवंबर 2021 के आदेश के माध्यम से एक उच्च स्तरीय समिति के गठन को अनुमोदित किया था।

आकृतिः 3: केंद्रीय शिक्षा मंत्री और कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री, श्री धर्मेंद्र प्रधान ने 22 अक्टूबर, 2022 को सार्वजनिक परामर्श के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) के मसौदे का शुभारंभ किया। एमओएस, शिक्षा, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी; एमओएस, कौशल विकास और उद्यमिता, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी, श्री राजीव चंद्रशेखर; श्रीमती अनीता करवाल; सचिव, उच्च शिक्षा श्री संजय मूर्ति; सचिव, कौशल विकास और उद्यमिता, श्री अतुल कुमार तिवारी; अध्यक्ष, एनसीवीईटी; कार्यक्रम में श्री डॉ. निर्मलजीत सिंह कलसी और शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

ii. अध्यक्ष, एनसीवीईटी की अध्यक्षता में उच्च–स्तरीय समिति को शैक्षणिक और व्यावसायिक डोमेन/शिक्षण के घटकों के एकीकरण को सक्षम करने और दोनों के बीच लचीलापन और गतिशीलता सुनिश्चित करने के लिए एक क्रेडिट ढांचा प्रणाली तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। राष्ट्रीय क्रेडिट ढांचा (एनसीआरएफ) को यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीवीईटी, एनआईओएस, सीबीएसई, एनसीईआरटी, शिक्षा मंत्रालय, डीजीटी और कौशल विकास मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से प्राथमिक, स्कूल, उच्च और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण, शिक्षण के सभी डोमेनों अर्थात शिक्षाविदों, व्यावसायिक कौशल और प्रासंगिक अनुभव और व्यावसायिक स्तर सहित अनुभवात्मक शिक्षा को शामिल करते हुए व्यापक ढांचे के रूप में विकसित किया गया है।

iii. उच्च स्तरीय समिति ने एचएलसी की 12 बैठकों और विश्वविद्यालयों, स्कूल बोर्डों, अवार्डिंग निकायों, एसएससी, विभिन्न राज्यों के तकनीकी और व्यावसायिक विभागों के सचिवों, एनसीएफ फोकस समूहों आदि के साथ हितधारक चर्चाओं में व्यापक विचार–विमर्श के बाद अपनी प्रारंभिक सिफारिशें प्रस्तुत कीं। 19 अक्तूबर, 2022 को माननीय मंत्री ने विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, स्कूल बोर्डों और विभिन्न स्कूलों, क्षेत्र कौशल परिषदों और अन्य सहित 600 से अधिक संस्थाओं की ऑनलाइन उपस्थिति में सार्वजनिक परामर्श के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट ढांचे के प्रारूप की रिपोर्ट लॉन्च की। सार्वजनिक परामर्श 30 नवंबर, 2022 तक खुला रखा गया था।

iv. राष्ट्रीय क्रेडिट ढांचे से निम्नलिखित उद्देश्य को पूरा करने की प्रत्याशा हैः

- सामान्य और व्यावसायिक शिक्षा के बीच अत्यधिक भिन्नता को दूर करना
- सामान्य और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण/कौशल के बीच समानता स्थापित करना
- सामान्य और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण/कौशल के बीच और भीतर गतिशीलता को सक्षम बनाना
- एकाधिक प्रवेश और निकास विकल्पों के माध्यम से आजीवन शिक्षण के प्रावधानों को सक्षम बनाना
- एकीकृत शिक्षा, कौशल और कार्य अनुभव

v. इस ढांचे के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए आईआईटी दिल्ली, आईआईटी भुवनेश्वर, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी मुंबई और आईआईटी मद्रास द्वारा आयोजित 5 क्षेत्रीय कार्यशालाएं 21 नवंबर से 29 नवंबर 2022 तक आयोजित की गईं। इसके बाद, दिसंबर 2022 माह में, जागरूकता जन शिक्षण संस्थान निदेशालय, भारतीय वायु सेना और भारतीय सेना निदेशालयों द्वारा कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। इन कार्यशालाओं से प्राप्त टिप्पणियों/प्रतिक्रिया/प्रश्नों पर 23 दिसंबर 2022, 27 दिसंबर 2022 को आयोजित उच्च स्तरीय समिति की 2 और बैठकों में विचार–विमर्श किया गया। एनसीआरएफ के प्रावधानों और प्रयोज्यता के मद्देनजर, इन टिप्पणियों को रिपोर्ट में उचित रूप से शामिल किया गया है।

आकृति 4: 26 नवंबर 2022 को आईआईटी गुवाहाटी में राष्ट्रीय क्रेडिट ढांचा (एनसीआरएफ) कार्यशाला

ख) सभी अर्हताओं में सामान्य एनओएस के रूप में नियोजनीय कौशलों (ईएस) को शामिल करना:

यह सुनिश्चित करने के लिए कि एनएसक्यूएफ संरेखण और अनुमोदन के लिए लाए गए जॉब रोल समग्र प्रकृति के है और उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, यह निर्णय लिया गया है कि अनुमानित घंटे की 10 अवधि की सीमा तक नियोजनीय कौशल पर अनिवार्य सामान्य एनओएस तैयार किए जा सकते हैं और एनएसक्यूसी अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए जा रहे सभी प्रासंगिक जॉब रोलों में शामिल किए जा सकते हैं। तदनुसार, ई–सामग्री और शिक्षण सामग्री (डिजिटल और भौतिक) के साथ–साथ सभी अवार्डिंग निकायों के अलग–अलग काल्पनिक घंटों के सभी जॉब रोलों को पूरा करने के लिए 120 घंटे, 90 घंटे, 60 घंटे और 30 घंटे की अवधि के नियोजनीय कौशल पर एनओएस तैयार करने का कार्य किया गया था। प्रत्येक एनओएस में मुख्य रूप से निम्नलिखित घटक होते हैं,

i. नियोजनीय कौशल का परिचय;
ii. संवैधानिक मूल्य/नागरिकता;
iii. 21वीं सदी में पेशेवर बनाना;
iv. अंग्रेज़ी कौशल;
v. करियर विकास और लक्ष्य निर्धारण;
vi. संचार कौशल;
vii. समावेशन, लैंगिक संचेतना, दिव्यांग आदि;
viii. वित्तीय और कानूनी साक्षरता;

ix. डिजिटल साक्षरता और कौशल;
x. उद्यमशीलता;
xi. ग्राहक सेवा; और
xii. जॉब की तैयारी और परीक्षा की तैयारी

ग) **एनसीवीईटी परिषद द्वारा यथा अनुमोदित एसटीटी और एलटीटी प्रमाण–पत्र, कौशल प्रशिक्षण के लिए विशिष्ट कोडिंग के साथ एक समान प्रमाण–पत्रः** कौशल कार्यक्रमों की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने हेतु प्रमाण–पत्र का मानकीकरण करने के लिए क्रमशः अल्पावधि और दीर्घावधि प्रशिक्षण के लिए प्रमाण–पत्र के समान प्रारूप तैयार किए गए थे और माननीय कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री द्वारा 27 अक्टूबर, 2020 को लॉन्च किए गए थे। प्रमाण–पत्र में एक विशिष्ट कोड शामिल होता है जो प्रमाण–पत्र जारी करने का वर्ष, आयोजित प्रशिक्षण का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, अवार्डिंग निकाय की श्रेणी और कोड, अर्हता कोड और प्रमाण–पत्र की क्रम संख्या को दर्शाता है। विभिन्न अवार्डिंग निकायों द्वारा शिक्षुओं को इन एनसीवीईटी प्रमाण–पत्रों को जारी करना कौशल इकोसिस्टम में शुरू हो गया है। इसके डिजाइन में सुधार करने और कुशल भारत लोगो को शामिल करने के लिए प्रमाण–पत्र टेम्पलेट पर पुनः विचार किया जा रहा है।

घ) **डिजिलॉकर – केंद्रीय कौशल प्रमाण–पत्र भंडारः**

डिजिटल भारत अभियान के अंतर्गत भारत को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए, एनसीवीईटी ने डिजीलॉकर के साथ एक राष्ट्रीय कौशल प्रमाण पत्र भंडार का निर्माण किया है। यह केंद्रीय कौशल भंडार डिजिलॉकर द्वारा होस्ट किया गया है और सभी एनसीवीईटी मान्यता प्राप्त एबी इस भंडार के साथ एकीकृत होंगे ताकि उनके द्वारा जारी किए गए सभी कौशल प्रमाण–पत्रों को डिजिटल रूप से संग्रहीत किया जा सके। इस व्यवस्था को औपचारिक रूप देने के लिए विश्व युवा कौशल दिवस, 2021 पर एनसीवीईटी और डिजीलॉकर के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। केंद्रीय कौशल भंडार सभी कौशल प्रमाण–पत्रों का एक स्थायी, सुरक्षित और प्रामाणिक रिकॉर्ड प्रदान करता है। यह शिक्षार्थियों को प्रमाण–पत्र खोने अथवा खराब होने के जोखिम के बिना कहीं भी किसी भी समय अपने प्रमाण–पत्रों को डिजिटल रूप से एक्सेस करने में सक्षम करेगा। इस भंडार में एक डिजिटल रूप से संग्रहीत कौशल प्रमाण–पत्र कानूनी रूप से मूल के बराबर होगा। यह संबंधित हितधारकों जैसे नियोजकों, शैक्षणिक संस्थानों, बैंकों अथवा सरकारी एजेंसियों आदि द्वारा प्रमाण–पत्रों के ऑनलाइन, शीघ्र और विश्वसनीय सत्यापन को भी सक्षम करेगा। सत्यापनकर्ताओं के पास कम लागत और समय पर प्रामाणिक दस्तावेजों तक पहुंच होगी। इसके अलावा, एक केंद्रीय कौशल भंडार सुरक्षित और विश्वसनीय डिजिटल गेटवे के माध्यम से अधिक पारदर्शिता और सुरक्षा लाएगा। यह विशिष्ट क्रेडिट ढांचा और यूनिफाइड बैंक ऑफ क्रेडिट्स को लागू करते समय भी उपयोगी होगा। अवार्डिंग निकायों के रूप में सभी एसएससी पहले ही डिजिलॉकर पर पंजीकृत हो चुके हैं।

ङ) **डीजीटी अर्हताओं का पुनर्गठनः**

एमएसडीई के तत्वावधान में डीजीटी, आईटीआई के माध्यम से दीर्घावधि प्रशिक्षण के विकास और समन्वय के लिए सबसे बड़ा अवार्डिंग निकाय है। उनकी लगभग सभी अर्हताएं एनएसक्यूएफ के अनुरूप हैं। तथापि, विकासशील अर्हताओं के लिए उभरते राष्ट्रीय प्रारूप के साथ उनके एकीकरण को सक्षम बनाने के लिए, डीजीटी अर्हता (149 सीआईटी और 54 सीआईटीएस) को राष्ट्रीय व्यवसाय मानकों (एनओएस) के रूप में पुनर्गठित किया जा रहा है। आईटीआई कार्यक्रमों की अवधि आम तौर पर प्रत्येक वर्ष में 1600 अनुमानित घंटों के साथ एक से दो वर्ष तक होती है। इसे 1200 शिक्षण घंटे तक युक्तिसंगत बनाया गया है, जिसमें 150 घंटे कार्य के दौरान प्रशिक्षण/परियोजना कार्य और 240 घंटे भाषा पाठ्यक्रम या अल्पावधि प्रशिक्षण के साथ उन्हें प्रस्तावित राष्ट्रीय क्रेडिट ढांचे (एनसीआरएफ) के अनुरूप लाने के लिए किया गया है।

च) **संरेखण और अनुमोदन प्रक्रिया का सरलीकरण और फास्ट ट्रैकिंगः**

अर्हता संरेखण और अनुमोदन प्रक्रिया को अधिक उपयोग अनुकूल बनाने और दक्षता बढ़ाने के लिए इसकी लगातार समीक्षा की जाती है। संरेखण प्रक्रिया के सरलीकरण और तेजी से ट्रैकिंग के लिए एनसीवीईटी द्वारा कई

कदम उठाए गए हैं, जिसमें अर्हता टेम्प्लेट के प्रारूप को पुनः सृजित किया गया है।

छ) भावी कौशल से संबंधित अर्हताओं का विकासः

भारत को दुनिया की कौशल राजधानी बनाने के माननीय प्रधान मंत्री के विजन के मद्देनजर, उद्योग 4.0 और कोविड के बाद जॉबों में बदलाव के कारण उभरती नई प्रौद्योगिकियों को ध्यान में रखते हुए, भावी कौशलों और जॉबों की आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। अवार्डिंग निकायों से अनुरोध किया गया था कि वे अपने सेक्टरों और उप–सेक्टरों में भावी कौशलों की पहचान करें और ऐसे भावी कौशलों से संबंधित एनओएस/अर्हताएं तैयार करें, जिन्हें आगे एनएसक्यूएफ के साथ संरेखित किया जाएगा और एनएसक्यूसी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। तदनुसार, एनसीवीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त अवार्डिंग निकायों ने उभरती और भावी 261 अर्हताएं विकसित और संरेखित की हैं। यह विश्व की सेवा अथवा विनिर्माण अर्थव्यवस्थाओं में वैश्विक उपस्थिति वाले उद्योगों/ ओईएम के लिए भविष्य के लिए तैयार कार्यबल तैयार करेगा। ईवी विनिर्माण, एआई/एमएल तकनीशियन, ड्रोन प्रौद्योगिकी उत्पादन और सेवा, स्वास्थ्य तकनीक जैसे आगामी क्षेत्र कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां राष्ट्र और इसके तकनीकी कार्यबल वैश्विक मंच पर नेतृत्व कर सकते हैं।

ज) एनसीवीईटी डिजिटल उद्यम पोर्टल का विकासः

एनसीवीईटी एक डिजिटल उद्यम पोर्टल बनाने की प्रक्रिया में है, जिसमें सभी प्रक्रियाएं और हितधारकों के साथ बातचीत "एनसीवीईटी डिजिटल स्ट्रैटेजिक एंटरप्राइज पोर्टल फुटप्रिंट" के माध्यम से होगी। यह अपने संचालन को प्रबंधित करने और निर्णय लेने एवं विनियमन में सहायता करने के लिए प्रमुख आईटी अनुप्रयोगों और डेटाबेस के रूप में एक डिजिटल बैकबोन स्थापित करेगा। कौशल इकोसिस्टम में सभी संस्थाओं को इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से मान्यता, निगरानी, शिकायत निवारण, रेटिंग आदि प्रदान करने के संबंध में विनियमित किया जाएगा, जिससे मानव इंटरफ़ेस को न्यूनतम कर दिया जाएगा। पोर्टल एनसीवीईटी को हितधारकों से डेटा एकत्र करने, विश्लेषण करने, समीक्षा करने में भी सक्षम करेगा और इस प्रकार परिषद को बेहतर प्रशासन और शीघ्र निर्णय लेने में मदद करेगा।

झ) राष्ट्रीय अर्हता रजिस्टर (एनक्यूआर):

एनएसक्यूएफ संरेखण और अर्हता का अनुमोदन एक गतिशील प्रक्रिया है। एनएसक्यूसी द्वारा संरेखित और अनुमोदित अर्हताएं राष्ट्रीय अर्हता रजिस्टर (एनक्यूआर) में सूचीबद्ध होती हैं, जो एनएसक्यूएफ से संरेखित सभी अर्हताओं का राष्ट्रीय सार्वजनिक भंडार है। 31.12.2020 तक, 4020 एनएसक्यूएफ संरेखित और अनुमोदित अर्हताएं एनक्यूआर में सूचीबद्ध हैं और 1797 अर्हताएं संग्रहीत की गई हैं और एनक्यूआर के संग्रह अनुभाग में देखी जा सकती हैं। तथापि, जब भी उद्योग/एबी द्वारा ऐसी संग्रहित अर्हता की आवश्यकता महसूस की जाएगी, उसे सक्रिय कर दिया जाएगा। एनक्यूआर पोर्टल में सुधार की प्रक्रिया चल रही है।

ञ) वीईटी डोमेन में भारतीय भाषाओं के उपयोग को बढ़ावा देनाः

वीईटी डोमेन में भारतीय भाषाओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अवार्डिंग निकायों/ प्रस्तुतकर्ता निकायों को निम्नलिखित कार्रवाई करने का निदेश दिया गया हैः

i. अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं में अर्हता तैयार करना

ii. प्रयोज्यता के अनुसार हिंदी और राज्यों की अन्य भारतीय भाषाओं में अर्हता और संबंधित पाठ्यक्रम की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

iii. यथा प्रायोज्य कुल सक्रिय अर्हताओं का लगभग 50% राजभाषा/क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित किया गया है।

4.3 राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी)

4.3.1 राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अनुरूप) के अंतर्गत 2009 में वित्त मंत्रालय, भारत द्वारा स्थापित एक सार्वजनिक निजी भागीदारी फर्म है। कौशल विकास में निजी क्षेत्र की पहल के समन्वय/प्रेरित करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 मई 2008 को पीपीपी निकाय के

रूप में इसे मंजूरी दी थी। बाजार की जरूरतों से प्रेरित और विश्व स्तर के कौशल प्रदान करने वाले "निजी क्षेत्र के नेतृत्व करने वाले" के रूप में इसकी कल्पना की गई थी।

एनएसडीसी का इक्विटी आधार 10 करोड़ रुपए है, जिसमें से 49% भारत सरकार के पास है, जबकि निजी क्षेत्र के पास शेष 51% (10 निजी क्षेत्र के संगठनों के पास 5.1% प्रत्येक) है।

कौशल विकास में निजी क्षेत्र की पहल के समन्वय/उत्तेजना के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 मई 2008 को पीपीपी निकाय के रूप में मंजूरी दी। "निजी क्षेत्र के नेतृत्व वाले" के रूप में परिकल्पित, बाजार की जरूरतों से प्रेरित और विश्व स्तर के कौशल प्रदान करता है।

परिकल्पित मिशनः आउटरीच, थ्रूपुट, लचीलेपन, श्रम, बाजार की प्रासंगिकता और पारदर्शिता के संदर्भ में कौशल विकास के लिए नवीन दृष्टिकोणों द्वारा एक व्यापक परिवर्तन प्रक्रिया शुरू करके, इसे बाजार के नेतृत्व में बनाने के लिए "कौशल अर्थव्यवस्था" को खोलें।

एनएसडीसी की स्थापना के समय निर्धारित परिकल्पित उद्देश्यः

- कौशल विकास के लिए धन जुटाना और उसका प्रबंधन करना
- कौशल विकास संस्थानों की स्थापना, प्रबंधन, संचालन/संवर्धन करना
- मांग–आपूर्ति विषमताओं को समाप्त करने के लिए एक "बाजार निर्माता" की भूमिका
- हितधारक प्रबंधन और जुड़ाव
- रोजगार अर्हता कौशल, दक्षताओं और मानकों की स्थापना
- "गुणक" की भूमिका

4.3.2 एनएसडीसी की प्रमुख भूमिकाएँ इस प्रकार हैं:

आकृति 5: राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की मुख्य भूमिकाएं

- एनएसडीसी व्यापक रूप से निम्नलिखित कार्यकलाप करता है:
- क्षेत्र कौशल परिषदों का पोषण और सुशासन
- सामाजिक प्रभाव वित्त पोषण के माध्यम से निजी प्रशिक्षण प्रदाताओं का पोषण और वित्तपोषण
- उद्योग से जुड़ाव और भागीदारी
- सरकारी स्कीमों के क्रियान्वयन में सहयोग
- मानकों, गुणवत्ता आश्वासन और पाठ्यक्रम के माध्यम से सहयोग
- 'कार्य का भविष्य' के लिए डिजिटल कौशल और कौशल को बढ़ावा देना
- राज्यों, सरकार, निजी क्षेत्र और अंतरराष्ट्रीय भागीदारों को सलाहकार सेवाएं प्रदान करना
- कौशल इकोसिस्टम में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग
- बाजार विश्लेषण
- मजबूत अनुवीक्षण, रिपोर्टिंग और मूल्यांकन प्रणाली के लिए प्रौद्योगिकी के नेतृत्व में सक्षम करना।

4.3.3 आईटी और डिजिटल पहल

(i) स्किल इंडिया डिजिटल (एसआईडी)

भारत में कौशल विकास इकोसिस्टम बड़ा और विविध है, जो देश की विषम जनसंख्या में विविध कौशल प्रदान करता है। इसमें वार्षिक रूप से 80 लाख स्नातकों को प्रशिक्षित करने की अद्भुत क्षमता है। वार्षिक प्रशिक्षण क्षमता राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) इकोसिस्टम के माध्यम से 50 लाख और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) इकोसिस्टम के माध्यम से 20 लाख तक है।

कई हितधारकों द्वारा कौशल विकास इकोसिस्टम को अनुकूल बनाया गया है। विभिन्न प्रकार की सरकारी एजेंसियां जिसमें केंद्र सरकार के मंत्रालय, राज्य कौशल विकास मिशन (एसएसडीएम), निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व निधि के माध्यम से निगम, विभिन्न कर्मचारियों और प्रशिक्षुओं सहित, को कौशलीकरण के लिए निधि प्रदान करती हैं। इसके अलावा, एनईपी (2020) में कहा गया है कि कक्षा 6 से 8 के दौरान सभी छात्रों के लिए शिक्षुता के अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए, जिसके दौरान वे बढ़ई, माली, कुम्हार, कलाकार आदि जैसे स्थानीय व्यावसायिक विशेषज्ञों के साथ शिक्षुता कर सकते हैं। इसी प्रकार के शिक्षुता के अवसर ग्रेड 6–12 में उपलब्ध कराए जा सकते हैं। इस नीति वक्तव्य का उपयोग करते हुए, उन छात्रों के

लिए एक अवसर दिया जा सकता है जो पूर्णकालिक जॉब की दुनिया का पता लगाना चाहते हैं और अपने आसपास के क्षेत्र में प्रासंगिक शिक्षुता के अवसरों की तलाश करना चाहते हैं।

अभिस्वीकृति

01 फरवरी 2022 को, देश–स्टैक–ई–पोर्टल की घोषणा भारत की वित्त मंत्री सुश्री निर्मला सीतारमण ने 2022–23 के बजट भाषण के दौरान की थी, जिसमें यह बताया गया था कि "कौशल और आजीविका के लिए डिजिटल इकोसिस्टम–देश– स्टैक ई–पोर्टल (अब इसका नाम बदलकर एसआईडी कर दिया गया है)–शुरू किया जाएगा। इस पोर्टल का उद्देश्य ऑनलाइन प्रशिक्षण के माध्यम से नागरिकों को कौशल, पुनर्कौशल या कौशलोन्नयन के लिए सशक्त बनाना है। यह प्रासंगिक नौकरियों और उद्यमशीलता के अवसरों को खोजने के लिए एपीआई–आधारित विश्वसनीय कौशल साख, भुगतान और खोज लेयर्स भी प्रदान करेगा। इसके बाद, विभिन्न सरकारी मंत्रालयों के साथ स्किल इंडिया डिजिटल के एकीकरण और कौशल तथा शिक्षा के महत्व पर चर्चा करने के लिए 21 फ़रवरी 2022 को शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक वेबिनार आयोजित किया गया था, जिसमें भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 21 फरवरी 2022 को एक वेबिनार आयोजित किया था। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि "आत्मनिर्भर भारत और वैश्विक प्रतिभा के लिए गतिशील कौशल बहुत महत्वपूर्ण है। पुराने जॉब रोल्स के तीव्र परिवर्तन के अनुसार हमें अपना जनसांख्यिकीय लाभांश तेजी से तैयार करना होगा। इसलिए शिक्षा जगत और उद्योग जगत को मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है। बजट में कौशल और आजीविका के लिए डिजिटल इकोसिस्टम (देश–स्टैक–ई–पोर्टल) और ई–स्किलिंग लैब की घोषणा के पीछे यही सोच है। इसके बाद, माननीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री के साथ 4 अप्रैल 2022 को एक बैठक हुई, जिसमें स्किल इंडिया डिजिटल के रोडमैप और समय–सीमा को रखा गया और इस पर सहमति बनी। यह भी निर्णय लिया गया कि देश–स्टैक–ई–पोर्टल का नाम बदलकर स्किल इंडिया डिजिटल किया जाएगा।

इसके अलावा, बजट 2023–2024 ने स्किल इंडिया डिजिटल के शुरू होने की घोषणा की है–जो मांग–आधारित औपचारिक कौशल को सक्षम करने और नियोजकों के साथ जुड़ने के लिए एक एकीकृत मंच इसमें एमएसएमई शामिल हैं, और यह उद्यमिता स्कीमों तक पहुंच की सुविधा प्रदान करता है।

(ii) स्किल इंडिया डिजिटल के बारे में

विभिन्न हितधारकों की पूर्ति करने के लिए, क्षेत्र कौशल परिषदों, प्रशिक्षण भागीदारों, नियोजकों, उद्यमियों, प्रशिक्षकों, आकलनकर्ताओं, आकलन एजेंसियों, आवर्डिंग निकायों आदि का एक इकोसिस्टम बनाया गया है। कौशल, शिक्षा, रोजगार और उद्यमशीलता इकोसिस्टम में सेवाओं और हितधारकों का प्रबंधन करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, स्किल इंडिया डिजिटल की परिकल्पना की गई है।

स्किल इंडिया डिजिटल एक नागरिक–केंद्रित मंच के रूप में परिकल्पित है, जो यह सुनिश्चित करता है कि नागरिक मंच पर उपलब्ध सभी सेवाओं के केंद्र में है। कई प्लेटफार्मों के व्यापक शोध ने उन विशेषताओं का अभिनिर्धारण किया है जो मुख्य रूप से अनुभव के इकोसिस्टम में सुधार कर सकते हैं। इस शिक्षण प्रणाली के माध्यम से, हम 70 करोड़ लोगों (आकृति 1) को राष्ट्रीय और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय रोजगार के अवसरों के लिए कौशलीकरण, कौशलोन्नयन, पुनः कौशलीकरण द्वारा पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। स्किल इंडिया डिजिटल में नागरिकों को उनके लिए सुविधाजनक कुशल भारत केंद्र (आईआईटी, पीएमकेके, कौशल केंद्र, स्किल यूनिवर्सिटी और पीएम राष्ट्रीय शिक्षुता मिशन में भाग लेने वाले प्रतिष्ठान) से जुड़ने में सहायता करने के लिए एक शक्तिशाली डिजिटल मैप है। यह प्लेटफॉर्म कौशल प्रवीणता और दक्षता से संबंधित उनके भरोसे में सुधार करके नागरिकों द्वारा अर्जित कौशल के डिजिटल सत्यापन को भी सक्षम करेगा, जिससे जॉब की चाह रखने वालों और उसी पर पंजीकृत जॉब प्रदाताओं के बीच की खाई को पाटा जा सकेगा।यह मंच कौशल की चाह रखने वालों के साथ शिक्षुता के अवसरों को जोड़कर कार्य–आधारित कौशल प्रदान करता है।

स्किल इंडिया डिजिटल एक एआई–आधारित माइक्रो–सर्विसेज आर्किटेक्टेड प्लेटफॉर्म है, जो सटीक लर्निंग/करियर पथ के लिए सिफारिशों को सक्षम बनाता है, जो एक उपयोगकर्ता के लिए निर्बाध अनुभव प्रदान करने के लिए, यूआईडीएआई, डिजीलॉकर, ई–श्रम, ईपीएफओ, पैन, जीएसटी, टैन, सीआईएन पावर ऑथेंटिकेशन सेवाओं जैसे मौजूदा सरकारी बुनियादी ढांचे के साथ समेकन करता है। इंटेलिजेंट सर्च फीचर सिस्टम के साथ एंड यूजर्स के अंतःक्रिया की दक्षता को बढ़ाने के लिए नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पावर्ड चैटबॉट का उपयोग करता है।

आकृति 6: 70 करोड़ लोगों का अलगाव

एसआईडी इकोसिस्टम में अवसरों से संबंधित सूचना विषमता को दूर करते समय एक खंडित कौशल विकास इकोसिस्टम की इन समस्याओं को हल करता है, अर्थात, प्रदाता और उपभोक्ता परस्पर खोजे जाने योग्य नहीं हैं। आज के युवाओं को पता नहीं है कि उनके आसपास के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। वैकल्पिक रूप से, यदि उम्मीदवार किसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का इरादा रखते हैं, तो उनके पास इस कार्यक्रम को ऑफर करने वाले निकटतम प्रशिक्षण केंद्रों की जानकारी नहीं होती है। इसे जोड़ने के लिए, इसे आस–पड़ोस की जॉब की खोज चुनौतियों तक भी बढ़ाया जा सकता है। यह कौशल इकोसिस्टम में एक प्रभावी बाजार–क्षेत्र के लिए एक बड़ी बाधा है जिसे स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म द्वारा दूर किया जा रहा है।

स्किल इंडिया डिजिटल शिक्षा, कौशल, उद्यमशीलता और जॉब में मौजूदा सरकारी डेटाबेस के साथ एकीकृत है तथा शिक्षा और कौशल प्राप्त करने वाले शिक्षार्थियों के लिए वन–स्टॉप सोल्युशन के रूप में कार्य करता है और एनसीएफ, एनसीआरएफ और एबीसी एकीकरण, पुनःकौशलीकरण/कौशल उन्नयन के माध्यम से आजीवन शिक्षण से सक्षम करके शिक्षा संस्थाओं और कार्यस्थलों के बीच कौशल अंतर को पाटने में सहायता करेगा। नेशनल करियर सर्विस और स्किल इंडिया डिजिटल के बीच एकीकरण से उम्मीदवारों को उनकी रुचि के क्षेत्र और भूगोल में उनके लिए उपलब्ध करियर विकल्पों को समझने में मदद मिलेगी। ई–श्रम–स्किल इंडिया डिजिटल एकीकरण के बीच एकीकरण असंगठित क्षेत्र (श्रमिकों) के श्रमिकों को कौशलीकरण, कौशलोन्नयन और जॉब के अवसरों की खोज करने तथा उन तक पहुंचने में सहायता करता है।

(iii) प्रगति

स्किल इंडिया डिजिटल का परीक्षण 15 दिसंबर, 2022 को आयोजित किया गया था। इस परीक्षण के दौरान, 7 राज्यों (कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और नई दिल्ली) को शामिल करते हुए शिक्षार्थियों के साथ अनेक फीडबैक–कैप्चरिंग सत्र आयोजित किए गए थे। इस मंच के परीक्षण के लिए कौशल विश्वविद्यालयों, पीएमकेके, आईटीआई, जेएसएस केंद्र, उच्च शिक्षा संस्थानों और शुल्क–आधारित प्रशिक्षण भागीदारों के शिक्षार्थियों को शामिल किया गया था। इसके अलावा, पिछड़े समूह, ई–श्रम के श्रमिक, विभिन्न

शैक्षिक पृष्ठभूमि और आयु–समूहों से संबंधित शिक्षार्थियों (पुरुष और महिला दोनों) को विविधता सुनिश्चित करने के लिए शामिल किया गया था। कार्यक्रम के समय के दौरान, 250 से अधिक शिक्षार्थियों से बहुमूल्य प्रतिक्रिया प्राप्त की गई। परीक्षण जारी होने के दौरान शिक्षार्थियों से प्राप्त फीडबैक को एसआईडी में शामिल किया गया था।

(iv) भावी उपाय

पिछले दो वर्षों में माननीय केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री, भारत सरकार की बजट घोषणा के अनुरूप, एसआईडी प्लेटफॉर्म एक अनुकूल वातावरण बना रहा है जो भारतीय नागरिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार, गैर–सरकारी संगठनों, निजी क्षेत्र, क्षेत्र कौशल परिषदों, ज्ञान प्रदाताओं, सामग्री भागीदारों, प्रशिक्षण भागीदारों, नियोक्ताओं, कौशल केंद्रों, प्रशिक्षकों, आकलनकर्ताओं, आकलन एजेंसियों, मान्यता प्रदान करने वाले निकायों और वित्तीय संस्थाओं सहित विभिन्न हितधारकों को एकीकृत करता है।

यह कौशल, शिक्षा, रोजगार और उद्यमशीलता इकोसिस्टम के विभिन्न घटकों को एक ही मंच पर एकीकृत करके एक सहज उपयोगकर्ता अनुभव प्रदान करता है। ऐसा करके, यह कौशल, शिक्षा, रोजगार और उद्यमशीलता प्रक्रियाओं को और अधिक कुशल, सुलभ और समावेशी बनाना चाहता है। यह लाभार्थियों को सभी सरकारी कौशल स्कीमों के वितरण के लिए प्रस्तावित मंच भी है। एकल मार्ग के रूप में कार्य करके, एसआईडी का उद्देश्य पात्रता प्रदान करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और लाभार्थियों के लिए सरकारी कार्यक्रमों तक पहुँच को आसान बनाना है।

एसआईडी एक सुलभ मंच है जिसे दृश्य, श्रव्य, मोटर और संज्ञानात्मक दुर्बलता सहित दिव्यांग शिक्षार्थियों की पूर्ति के लिए बनाया गया है। इसमें छवियों के लिए वैकल्पिक पाठ, ऑडियो और वीडियो सामग्री के लिए कैप्शनिंग, की–बोर्ड नेविगेशन और पाठ का आकार, कंट्रास्ट और रंग को समायोजित करने की क्षमता जैसी विशेषताएं शामिल हैं।

एसआईडी मौजूदा डिजिटल प्लेटफॉर्म अर्थात असीम, ईपीएफ़ओ, उद्यम, एसएसडीएम, भारतस्किल्स, के साथ तालमेल का पता लगाएगा तथा समेकन करेगा और इंडिया स्टैक जैसे डिजिटल बुनियादी ढांचे से लाभान्वित होगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लक्षित लाभार्थियों को उन्हें अपने कौशल को बढ़ाने और अपनी आजीविका में सुधार करने के लिए आवश्यक सहयोग और प्रशिक्षण प्राप्त हो सके। यह एक आधुनिक मंच है जो सरकारी कौशल, शिक्षा, रोजगार और उद्यमशीलता कार्यक्रमों तक पहुँचने में नागरिकों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना चाहता है और इसका उद्देश्य पात्रता प्रदान करने के लिए अधिक न्यायसंगत और कुशल प्रणाली सृजित करना है।

(v) वास्तविक समय का प्रमाणीकरण/सत्यापन सेवाएं

वास्तविक समय का प्रमाणीकरण/सत्यापन विभिन्न हितधारकों से व्यक्तिगत रूप से पहचाने जाने योग्य जानकारी के सुरक्षित संग्रह को सक्षम बनाता है। ये सेवाएं डेस्कटॉप मैन्युअल सत्यापन प्रक्रियाओं के संबंध में भारी बदलाव समय को समाप्त कर देती हैं। वास्तविक समय प्रमाणीकरण/सत्यापन के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सक्षम करने के लिए घरेलू विकसित सेवाओं का लाभ उठाया गया है–

1. **व्यक्तिगत के वाई सी सत्यापन सेवाएं**
   - चालक लाइसेंस प्रमाणीकरण एपीआई
   - मतदाता पहचान–पत्र प्रमाणीकरण एपीआई
   - पासपोर्ट सत्यापन एपीआई
   - आधार एक्स एम एल सत्यापन (ऑटो–फ़ेच या एक्स एम एल अपलोड) एपीआई
   - आधार ई–केवाईसी एपीआई
2. **व्यक्तिगत/कॉर्पोरेट आईटीआर सत्यापन**

   3 वर्षों के लिए + 26 एएस+ टैन प्रमाणीकरण ऑटो–फ़ेच आईटीआर बिजनेस रिटर्न एपीआई (आईटीआर 3,4,5,6)
3. **उपयोग बिल, बैंक खाता और वाहन आरसी सत्यापन सेवाएं**
   - बिजली बिल प्रमाणीकरण एपीआई
   - पीएनजी एपीआई

- एलपीजी एपीआई
- टेलीफोन लैंडलाइन प्रमाणीकरण एपीआई
- बैंक खाता सत्यापन/पेनी ड्रॉप एपीआई

4. वाणिज्यिक लाइसेंस प्रमाणीकरण सेवा

- दुकान और प्रतिष्ठाणन एपीआई

5. एमसीए और कॉर्पोरेट सत्यापन सेवाएं

- इकाई का नाम खोजने के लिए एपीआई
- कंपनियों के डेटा के लिए सीआईएन एपीआई
- सीआईएन से हस्ताक्षरकर्ता डेटा एपीआई
- टैन अनुपालन एपीआई

6. सरकारी एकीकरण

- डिस्पैक एपीआई
- गुजरात राज्य के लिए एनएपीएस एपीआई
- दिशा एपीआई एकीकरण
- एलजीडी एपीआई के साथ निरंतर सामंजस्य

(vi) डिजिटल कौशलीकरण

कौशल विकास में पैमाने के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए संगठनों और हितधारकों के बीच निरंतर सहयोग, कार्यनीतिक भागीदारी और प्रभावी सहयोग महत्वपूर्ण हैं। एनएसडीसी वर्तमान में डिजिटल साधनों के माध्यम से समान कौशल अवसर लाने के उद्देश्य से आधुनिक पाठ्यक्रमों हेतु डिजिटल कौशलीकरण का संचालन करने के लिए विभिन्न संस्थाओं के साथ भागीदारी कर रहा है।

नीचे सूचीबद्ध संस्थाओं में से कुछ इस प्रकार हैं–

- विश्वविद्यालय और कॉलेज
- उद्योग भागीदारी
- टेक कंपनियां
- एडटेक पार्टनर्स
- डिजिटल स्किल लैब्स

(vii) डिजिटल सामग्री निर्माण

एनएसडीसी कौशलीकरण इकोसिस्टम के लिए डिजिटल सामग्री तैयार करने के लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) के साथ काम कर रहा है। डिजिटल सामग्री सृजन एनएसडीसी की ऑनलाइन कार्यनीति का एक अनिवार्य तत्व है। एनएसडीसी ने डिजिटल कौशलीकरण प्रभाव को बढ़ाने के लिए प्रभावी डिजिटल सामग्री कार्यनीतियों की परिकल्पना की है।

(vii) संकेन्द्रण (डिजिटल)

शैक्षिक इकोसिस्टम में व्यावसायिक शिक्षा/कौशल प्रशिक्षण को अनिवार्य करने के माननीय प्रधान मंत्री के विज़न के अनुरूप, कुशल भारत एक ऐसे उपकरण के रूप में कार्य करेगा जो इकोसिस्टम में मांग और आपूर्ति के बीच की अंतर को पाटता है। यह युवाओं के सशक्तिकरण का एक बिल्डिंग ब्लॉक है। मिशन–शिक्षा के एनडीईएआर आर्किटेक्चर, आधार, पैन, जीएसटीएन, डिजिलॉकर, पीएफएमएस (सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली, आधार–सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस), यूपीआई, स्केलेबल काउइन पंजीकरण, माईटी की ओपन–सोर्स पॉलिसी, डेटा) की एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर (डीईपीए), और कई अन्य एमएसडीई के अधिदेश के साथ, एनएसडीसी कौशल इकोसिस्टम की पेशकश करके राज्यों/मंत्रालयों के सभी पोर्टलों के साथ ऑनबोर्डिंग/एकीकरण की प्रक्रिया में, मौजूदा बुनियादी सुविधाओं का उपयोग करेगा है। एमएसडीई

के शासनादेश के साथ, एनएसडीसी कौशल इकोसिस्टम की पेशकश करके राज्यों/मंत्रालयों के सभी पोर्टलों के साथ ऑनबोर्डिंग/एकीकरण प्रक्रियाधीन है। परिणामस्वरूप, चालू वित्त–वर्ष के दौरान एनएसडीसी लगभग 21 राज्यों और 18 मंत्रालयों में शामिल हो गया है।

(ix) उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग

ब्लॉकचेन

प्रमाणन के माध्यम से उम्मीदवारों की साख को सत्यापित करने के लिए ब्लॉकचैन जैसी आधुनिक तकनीक प्रदान करने के लिए एनएसडीसी आईआईटी कानपुर के साथ काम कर रहा है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता/मशीनी शिक्षण: एनएसडीसी की टीम कृत्रिम बुद्धिमता/मशीन लर्निंग फ्रंट संबंधी कई पहलों पर काम कर रही है।

- उपस्थिति प्रणाली – डेटाबेस से किसी छवि या वीडियो में चेहरे की विशेषताओं का उपयोग करने वाले व्यक्ति की पहचान और सत्यापन करने में सक्षम बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उन्नत रूप।
- फोटो सत्यापन – फोटो की समीक्षा करने और जेंडर, आकृति की गुणवत्ता, मानव चेहरा आदि जैसे विवरणों के माध्यम से उन्नत विधि का प्रयोग।

4.4 क्षेत्र कौशल परिषदें (एसएससी)

एसएससी स्वायत्त निकायों और अलाभकारी संगठनों के रूप में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा स्थापित किए गए हैं और संबंधित क्षेत्रों में उद्योग लीडरों द्वारा नेतृत्व किया जाता हैं। वे व्यावसायिक मानकों का निर्माण करते हैं, सक्षमता ढाँचे का विकास करते हैं, प्रशिक्षक कार्यक्रमों को प्रशिक्षित करते हैं, संबद्ध व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, अपने क्षेत्र में कौशल अंतर अध्ययन का संचालन करते हैं, जिससे श्रम बाजार सूचना प्रणाली का निर्माण होता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रशिक्षुओं को उनके द्वारा विकसित राष्ट्रीय व्यावसायिक पाठ्यक्रम से संबद्ध पाठ्यक्रम संबंधी प्रशिक्षुओं का आकलन और प्रमाणन करते हैं।

कुशल भारत मिशन के भाग के रूप में विकसित राष्ट्रीय कौशल विकास नीति, 2015 द्वारा परिभाषित एसएससी कार्य निम्नानुसार हैं:

- कौशल के प्रकारों की एक सूची तैयार करने सहित कौशल विकास आवश्यकताओं की पहचान, कौशल की श्रेणी और गहनता जिससे व्यक्तियों को उनमें से चयन करने में सुविधा हो
- एक क्षेत्र कौशल विकास योजना का विकास और कौशल सूची बनाए रखना
- कौशल/दक्षता मानकों और अर्हताओं का निर्धारण करना और उन्हें एनएसक्यूएफ के अनुसार अधिसूचित करना
- एनएसक्यूसी द्वारा निर्धारित एनएसक्यूएफ के अनुसार संबद्धता, मान्यता, परीक्षा और प्रमाणन प्रक्रिया का मानकीकरण। क्यूपी/एनओएस–संरेखित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए कौशल–आधारित आकलन और प्रमाणन भी आयोजित किया जाता है
- अपने संबंधित क्षेत्रों के लिए संबद्धता, मान्यता, परीक्षा और प्रमाणन मानदंडों की स्थापना में भागीदारी
- एनएसडीसी और राज्यों के साथ मिलकर प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के निष्पादन की योजना बनाना और सुविधा प्रदान करना
- उत्कृष्ट अकादमियों को बढ़ावा देना
- अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति, दिव्यांग और अल्पसंख्यक समूहों की कौशल आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देना।
- यह सुनिश्चित करना कि निर्धारित मानदंडों के अनुसार प्रशिक्षित और कुशल व्यक्तियों को उचित दिहाड़ी पर रोज़गार का आश्वासन दिया जाता है

सभी एसएससी को हर साल एनएसडीसी को प्रस्तुत वार्षिक व्यापार योजना के माध्यम से अपने कार्यों में अपनी उपलब्धियों का प्रदर्शन करना होता है। एसएससी के लिए महत्वपूर्ण पैरामीटर इस प्रकार हैं:

- प्रशिक्षकों और आकलनकर्ताओं का प्रशिक्षण
- उद्योग–वित्त–पोषित प्रशिक्षण
- जॉब संग्रह
- नियोजन सहायता और उपलब्धि
- अंतर्राष्ट्रीय नियोजन
- शिक्षुता संवर्धन और भागीदारी
- उद्यमशीलता संवर्धन
- भावी जॉब रोलों के लिए तैयारी
- उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करना
- सुशासन पद्धतियों का पालन

तालिका 7: नीचे दी गई तालिका में सक्रिय क्षेत्र कौशल परिषदों की सूची है।

क्र.सं.	क्षेत्र कौशल परिषद
1	एयरोस्पेस और एविएशन क्षेत्र कौशल परिषद
2	भारतीय कृषि कौशल परिषद
3	अपैरल मेड–अप्स होम फर्निशिंग क्षेत्र कौशल परिषद
4	ऑटोमोटिव कौशल विकास परिषद
5	भारतीय बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा क्षेत्र कौशल परिषद
6	सौंदर्य और कल्याण क्षेत्र कौशल परिषद
7	पूंजीगत माल कौशल परिषद
8	भारतीय निर्माण कौशल विकास परिषद
9	घरेलू कामगार क्षेत्र कौशल परिषद
10	इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर स्किल्स काउंसिल ऑफ इंडिया
11	खाद्य उद्योग क्षमता और कौशल पहल
12	फर्नीचर और फिटिंग कौशल परिषद
13	जेम एंड ज्वैलरी स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया
14	हस्तशिल्प और कालीन क्षेत्र कौशल परिषद
15	हेल्थकेयर सेक्टर स्किल काउंसिल
16	हाइड्रोकार्बन क्षेत्र कौशल परिषद
17	भारतीय लौह और इस्पात क्षेत्र कौशल परिषद
18	इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट स्किल काउंसिल
19	इंस्ट्रूमेंटेशन, ऑटोमेशन, सर्विलांस एंड कम्युनिकेशन सेक्टर स्किल काउंसिल
20	आईटी–आईटीईएस सेक्टर कौशल परिषद
21	चमड़ा क्षेत्र कौशल परिषद

22	जीवन विज्ञान क्षेत्र कौशल विकास परिषद
23	रसद क्षेत्र कौशल परिषद
24	प्रबंधन और उद्यमिता और व्यावसायिक कौशल परिषद
25	मीडिया और मनोरंजन कौशल परिषद
26	विद्युत क्षेत्र कौशल परिषद
27	रिटेलर्स एसोसिएशन की स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया
28	रबर, रसायन और पेट्रोकेमिकल कौशल विकास परिषद
29	स्किल काउंसिल फॉर ग्रीन जॉब्स
30	खनन क्षेत्र के लिए कौशल परिषद
31	दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कौशल परिषद
32	खेल, शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य और अवकाश कौशल परिषद
33	दूरसंचार क्षेत्र कौशल परिषद
34	कपड़ा क्षेत्र कौशल परिषद
35	पर्यटन और आतिथ्य कौशल परिषद
36	जल प्रबंधन और नलसाजी कौशल परिषद

4.5. राष्ट्रीय कौशल विकास निधि (एनएसडीएफ)

देश के सरकारी तथा गैर–सरकारी क्षेत्रों से कौशल विकास के लिए धन जुटाने के लिए भारत सरकार द्वारा 2009 में राष्ट्रीय कौशल विकास निधि का गठन किया गया था। यह धन विभिन्न सरकारी स्रोतों तथा अन्य दानदाताओं/अंशदाताओं द्वारा भारतीय कौशलों का विकास और वृद्धि करने के लिए दिया जाता है। भारत सरकार द्वारा स्थापित एक सार्वजनिक न्यास इस निधि का संरक्षक है। इस निधि का संचालन और प्रबंधन न्यासी बोर्ड द्वारा किया जाता है। न्यास का मुख्य कार्यकारी अधिकारी न्यास के दैनिक प्रशासन तथा प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है। एनएसडीएफ बोर्ड के न्यासियों की वर्तमान संरचना निम्नानुसार है:

क. सचिव, एमएसडीई–अध्यक्ष;

ख. अपर सचिव, वित्तीय सेवा विभाग–न्यासी;

ग. विशेष सचिव, नीति आयोग–न्यासी;

घ. श्री टी.वी. मोहनदास पाई, अध्यक्ष, मनिपाल ग्लोबल एजुकेशन सर्विस (उद्योग प्रतिनिधि के रूप में)–न्यासी; तथा

ङ. अपर सचिव, एमएसडीई–सीईओ एवं कार्यकारी न्यासी।

यह निधि, कौशल विकास क्षमता–निर्माण और मजबूत बाजार संबंध बनाने के लिए स्थापित उद्योगनीत 'लाभ न कमाने वाली कंपनी' राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी), के माध्यम से अपने उद्देश्यों को पूरा करती है। एनएसडीसी कौशल संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करने वाले उद्यमों, कंपनियों और संगठनों के लिए धन जुटाकर कौशल विकास में एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती है। यह निजी क्षेत्र की पहलों को बढ़ावा देने, सहयोग तथा समन्वय करने के लिए उपयुक्त मॉडलों का विकास भी करती है।

न्यास के लेखों की लेखा–परीक्षा प्रत्येक वित्त–वर्ष में सनदी लेखाकार द्वारा और भारत सरकार द्वारा निदेशित तरीके से किए जाने के अधीन है। न्यास ने एनएसडीसी और एनएसडीएफ के बीच निवेश प्रबंधन समझौते (आईएमए) के संदर्भ में

एनएसडीसी की गतिविधियों की निगरानी करने का कार्य मैसर्स विस्ट्रा आईटीसीएल को सौंपा है। निगरानी एजेंसी सहमत ढांचे के अनुसार समय–समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करती है।

राष्ट्रीय कौशल विकास निधि को सरकार द्वारा विभिन्न कर तथा गैर–कर नीतियों के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाता है। यह आयकर अधिनिमय की धारा 80 जी के तहत पंजीकृत है। इससे निधि दानदाताओं को कर प्रोत्साहन देकर न्यास कौशल विकास के क्षेत्र में अधिक प्रभावी भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त, एनएसडीएफ को विदेशी स्रोतों से धन स्वीकार करने के लिए एफसीआरए विनियमों से छूट प्राप्त है।

4.6 राष्ट्रीय उद्यमशीलता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निस्बड)

परिचय

राष्ट्रीय उद्यमशीलता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निस्बड), नोएडा, उत्तर प्रदेश कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक संगठन है, जो उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण, परामर्श, अनुसंधान और प्रकाशन में लगा हुआ है। निस्बड सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत है और तत्कालीन उद्योग मंत्रालय (अब सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय), भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था, जिसने 6 जुलाई, 1983 से अपना संचालन शुरू किया। संस्थान के प्रशासनिक मामले मई, 2015 से कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई), भारत सरकार को अंतरित कर दिए गए थे।

यह संस्थान नोएडा, उत्तर प्रदेश में एक एकीकृत परिसर से संचालित हो रहा है। संस्थान का देहरादून में एक क्षेत्रीय केंद्र स्थित है जो एनएसटीआई देहरादून परिसर से संचालित होता है। इसके अलावा, संस्थान के देश भर में 20 राज्यों में केंद्र हैं जो एनएसटीआई के परिसरों में स्थित हैं।

4.6.1 वित्तीय वर्ष 2022–2023 के दौरान प्रमुख कार्यकलाप

1. प्रशिक्षण कार्यक्रम

संस्थान उद्यमशीलता और लघु व्यवसाय विकास के क्षेत्र में एक शीर्ष निकाय होने के नाते विभिन्न लक्षित समूहों – उद्यमियों, प्रशिक्षकों, प्रमोटरों और विकास कार्यकर्ताओं के लिए अभिनव प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करता है। संस्थान के प्रमुख प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी), प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी), संकाय विकास कार्यक्रम (एफडीपी), उद्यमशीलता सह–कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी) और उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) आदि शामिल हैं।

वित्तीय वर्ष 2022–2023 के दौरान निस्बड द्वारा विभिन्न कार्यक्रम श्रेणियों में 1,419 कार्यक्रम आयोजित किए गए, जो उद्यमशीलता विकास के प्रोत्साहन, सहयोग और निरंतरता के क्षेत्रों पर केंद्रित थे। इन कार्यक्रमों में कुल 44,557 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

तालिका 8: 2022–23 के दौरान कार्यक्रमों की सूची और लाभार्थियों की संख्या

कार्यक्रम का प्रकार	कार्यक्रमों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या
उद्यमशीलता जागरूकता कार्यक्रम	370	18485
उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम	491	12267
उद्यमशीलता सह कौशल विकास कार्यक्रम	302	7560
अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	6	109
प्रबंधन विकास कार्यक्रम	4	95
प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम (पीएमकेवीवाई)	15	371

कार्यक्रम का प्रकार	कार्यक्रमों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या
प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम (बिज़ सखी)	27	560
प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम (डीजीटी)	18	417
प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम (जेएसएस)	47	1173
प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम (दिल्ली पुलिस)	10	263
प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम (एमओआरडी)	2	66
प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम (सीएसएसडीए)	1	16
एकम	123	3075
कार्यशाला	3	100
योग	1419	44557

संस्थान द्वारा संचालित प्रमुख प्रशिक्षण कार्यकलापों का उल्लेख नीचे किया गया है:

(i) उद्यमशीलता जागरूकता कार्यक्रम

निस्बड ने युवाओं में उद्यमशीलता को एक व्यवहार्य कैरियर विकल्प के रूप में आगे बढ़ाने के लिए उनमें जागरूकता पैदा करने के उदेश्य से 370 उद्यमशीलता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इन जागरूकता कार्यक्रमों में कुल 18,485 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

(ii) उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम

संस्थान ने नवोदित और मौजूदा उद्यमियों में प्रभावी तरीके से अपने उद्यमों को स्थापित करने और बढ़ाने के लिए क्रमशः स्वरोजगार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए कुल 491 उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिसमें 12267 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। इन ईडीपी में वैतनिक ईडीपी के साथ–साथ विभिन्न प्रायोजक एजेंसियों द्वारा प्रायोजित ईडीपी शामिल हैं।

(iii) पवित्र शहरों में उद्यमशीलता विकास पर प्रायोगिक परियोजना

संस्थान सूक्ष्म और लघु व्यवसायों के उद्यमशीलता संवर्धन और सलाह पर हरिद्वार, पंढरपुर और वाराणसी के पवित्र शहरों में एक प्रायोगिक परियोजना को लागू कर रहा है। परियोजना का उद्देश्य मौजूदा आजीविका कार्यकलापों को पुनः शुरू करने और/या मौजूदा उद्यम को बढ़ाने के लिए सहयोग देकर चुनिंदा शहरों के सूक्ष्म और लघु व्यवसायों/उद्यमों के उद्यमशीलता कार्यकलापों, उद्यमशीलता संवर्धन और मेंटरिंग में वृद्धि करना है। संस्थान ने परियोजना के अंतर्गत दिसंबर 2022 तक 6373 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया है।

(iv) जेल परियोजना

संस्थान ने नारी बंदी निकेतन, लखनऊ और मॉडल जेल लखनऊ में जेल संवासियों के लिए पावरलूम, बेकरी, फैशन डिजाइनिंग और मसाला उद्योग पर उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम और मूल्य वर्धन कार्यक्रम का आयोजित किए। कार्यक्रम में कुल 130 जेल संवासियों ने भाग लिया। यह कार्यक्रम कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के सहयोग से "जेल संवासियों के बीच उद्यमशीलता विकास को बढ़ावा देना" परियोजना के अंतर्गत आयोजित किए जा रहे हैं।

आकृति 7: प्रशिक्षण महानिदेशालय के अंतर्गत आईटीआई प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम

(v) प्रशिक्षण महानिदेशालय के अंतर्गत आईटीआई प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम

संस्थान ने प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा प्रायोजित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के 417 प्रशिक्षकों के लिए रोजगार, उद्यमशीलता और जीवन कौशल पर 18 प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

(vi) जेएसएस प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम

संस्थान ने कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा प्रायोजित जन शिक्षण संस्थानों के 1173 प्रशिक्षकों के लिए रोजगार, उद्यमशीलता और जीवन कौशल पर 47 प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

आकृति 8: डॉ के के द्विवेदी, संयुक्त सचिव, एमएसडीई द्वारा रोजगारपरकता, उद्यमिता और जीवन कौशल पर प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभागियों को संबोधित किया जा रहा है।

(vii) अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

संस्थान ने दिसंबर 2022 तक छह अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। संस्थान ने जल आपूर्ति और स्वच्छता विकास में महिला और युवा उद्यमशीलता पर एक कार्यक्रम, लघु व्यवसायों के लिए उद्यमिता पर दो कार्यक्रम–ट्रैनर्स/प्रमोटर्स, महिला और उद्यम विकास (डब्ल्यूईडी) पर एक कार्यक्रम तथा संगठन विकास और उत्कृष्टता के लिए अभिनव नेतृत्व पर दो कार्यक्रम क्रमशः वास्तविक रूप से और ऑनलाइन मोड के माध्यम से आयोजित किए है। इन कार्यक्रमों में कुल 73 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

आकृति 9: अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने वाले

(viii) पीएमकेवीवाई प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम

संस्थान ने वर्ष के दौरान एनएसडीसी भागीदारों के 371 प्रशिक्षकों के लिए रोजगार, उद्यमशीलता और जीवन कौशल पर 15 प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

(ix) राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों में उद्यमशीलता जागरूकता कार्यक्रम

संस्थान ने राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान (एनएसटीआई) देहरादून, जम्मू, पानीपत, पंजाब और श्रीनगर में प्रशिक्षुओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए हैं। जागरूकता कार्यक्रमों में कुल 525 प्रशिक्षुओं ने भाग लिया है।

(x) डब्ल्यूएसएचजी के लिए डिजिटल मार्केटिंग पर उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम

संस्थान ने 10 आकांक्षी जिले बोलंगीर, ढेंकनाल, गजपति, कालाहांडी, कंधमाल, कोरापुट, मल्कानगिरी, नबरंगपुर, नुआपाड़ा और रायगढ़ा के 101 ब्लॉकों में डिजिटल मार्केटिंग और उद्यमशीलता विकास पर महिला स्व–सहायता समूहों (डब्ल्यूएसजी) का ईडीपी प्रशिक्षण आयोजित किया जिसमें 1995 प्रतिभागियों ने भाग लिया और 693 डब्ल्यूएसएचजी को अमेजन, 744 डब्ल्यूएसएचजी को फ्लिपकार्ट और 830 डब्ल्यूएसएचजी को विला मार्ट ई–कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ने की सुविधा प्रदान की।

(xi) एनबीसीएफडीसी, एनएसएफडीसी, एनएसकेएफडीसी के अंतर्गत उद्यमशीलता सह कौशल विकास कार्यक्रम

संस्थान ने अखिल भारतीय स्तर पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम (एनबीसीएफडीसी), राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम (एनएसएफडीसी) और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्तीय विकास निगम (एनएसकेएफडीसी) द्वारा प्रायोजित उद्यमशीलता और कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी) आयोजित किए हैं। संस्थान ने 302 विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से 7560 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान किया।

(xii) प्रबंधन विकास कार्यक्रम

निस्बड ने चार प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिनमें उत्तराखंड सरकार के उद्योग निदेशालय के अधिकारियों के लिए उद्यमशीलता विकास पर क्षमता–निर्माण कार्यक्रम, भारतीय कौशल विकास सेवाओं के अधिकारियों के लिए उद्यमशीलता विकास पर क्षमता–निर्माण कार्यक्रम, छत्तीसगढ़ कौशल विकास अधिकारियों के लिए क्षमता–निर्माण कार्यक्रम और मौजूदा उद्यमों के व्यावसायिक कार्यकलापों को बढ़ाने के लिए क्षमता–निर्माण कार्यक्रम शामिल हैं। कार्यक्रमों में 95 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

(xiii) दिल्ली पुलिस के साथ युवा परियोजना

दिल्ली पुलिस ने कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई), निस्बड और एनएसडीसी के साथ युवा कार्यक्रम में सहयोग किया है। संस्थान ने परियोजना के तहत दिल्ली पुलिस के 263 प्रशिक्षकों और अधिकारियों के लिए रोजगार, उद्यमशीलता और जीवन कौशल पर 10 प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। संस्थान ने 191 प्रतिभागियों के लिए आठ उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम आयोजित किए हैं। ईडीपी का संचालन दिल्ली पुलिस के थानों में किया जा रहा है।

आकृति 10: भारतीय नौसेना के अधिकारियों के लिए क्षमता–निर्माण कार्यक्रम

(xiv) भारतीय नौसेना के अधिकारियों के लिए क्षमता–निर्माण कार्यक्रम

संस्थान ने भारतीय नौसेना के अधिकारियों के लिए उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम के अंतर्गत उद्यमशीलता पर उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से कुल 300 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

(xv) पुनर्वास महानिदेशालय (डीजीआर) द्वारा प्रायोजित उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम (ईडीपी)

रक्षा मंत्रालय का पुनर्वास महानिदेशालय (डीजीआर) भूतपूर्व सैनिकों को प्रशिक्षित करने और अतिरिक्त कौशल हासिल करने तथा दूसरे कैरियर के माध्यम से उनके पुनर्वास की सुविधा प्रदान करने में सहायता करता है। संस्थान ने सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त होने वाले रक्षा कर्मियों के लिए डीजीआर के प्रायोजन के तहत उद्यमशीलता विकास, खुदरा उद्यमियों, खुदरा टीम लीडर और वेब डेवलपर पाठ्यक्रमों के क्षेत्र में 453 प्रतिभागियों के लिए 18 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए।

आकृति 11: हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम द्वारा प्रायोजित उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम (ईडीपी)

(xvi) हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम द्वारा प्रायोजित उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम (ईडीपी)

संस्थान ने हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के सहयोग से हिमाचल प्रदेश राज्य में युवाओं के लिए उद्यमशीलता जागरूकता कार्यक्रम और उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस पहल के अंतर्गत कुल 31 कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और इस परियोजना के अंतर्गत 775 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया गया है।

(xvii) जिला उद्योग केंद्र (डीआईसी), उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रायोजित उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम (ईडीपी)

संस्थान ने उत्तराखंड के जिला उद्योग केंद्रों के सहयोग से एमएसवाई लाभार्थियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (एमएसवाई) के तहत ऑनलाइन उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम और उत्तराखंड राज्य में युवाओं के लिए ऑफलाइन उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस परियोजना की पहल के अंतर्गत कुल 30 कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और 851 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया गया है।

(xviii) एमएसएमई विभाग (उद्योग निदेशालय), उत्तराखंड सरकार के अधिकारियों के लिए उद्यमशीलता विकास पर क्षमता–निर्माण कार्यक्रम

संस्थान ने एमएसएमई विभाग (उद्योग निदेशालय), उत्तराखंड सरकार के अधिकारियों के लिए उद्यमशीलता विकास पर एक क्षमता–निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया है। पांच दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में कुल 29 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

आकृति 12: छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण के प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम

(xix) छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण के प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम

संस्थान ने सीएसएसडीए द्वारा प्रायोजित छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण के 16 आजीविका प्रशिक्षकों के लिए रोजगार, उद्यमशीलता और जीवन कौशल पर एक प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है।

(xx) भारत के सर्वोच्च न्यायालय के चैंबर परिचारकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

संस्थान ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के चैंबर परिचारकों की ग्रूमिंग स्किल्स पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है। कार्यक्रम में 34 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

(xxi) आजादी का अमृत महोत्सव के तहत कार्यकलाप

निस्बड ने आजादी के अमृत महोत्सव के स्मरणोत्सव के लिए सक्रिय रूप से कार्यकलापों का आयोजन किया है। संस्थान ने एनएसडीसी प्रशिक्षण भागीदारों के लिए सरकारी सहयोग इकोसिस्टम पर क्षमता–निर्माण के लिए जागरूकता कार्यक्रम, एनएसटीआई/आईटीआई/निस्बड में विश्व गुरु भारत, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायक, 'भावी राष्ट्र' के रूप में भारत की आकांक्षा और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत विषयों पर निबंध लेखन प्रतियोगिताओं सहित विभिन्न कार्यकलापों का आयोजन किया है। इस पहल के तहत कुल 123 कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं जिनमें 3075 प्रतिभागियों ने भाग लिया है।

आकृति 13 और 14: आजादी का अमृत महोत्सव की स्मृति

2. अनुसंधान और मूल्यांकन

अनुसंधान अध्ययन निस्बड संविभाग के प्रमुख क्षेत्रों में से एक है। समस्याओं का अध्ययन करना तथा ज्ञान सृजन करने के लिए अनुसंधान/समीक्षा अध्ययन करना और उद्यमशीलता विकास की प्रक्रिया को तेज करने के लिए नए आर्थिक उद्यमों की स्थापना करना संस्थान के इंटरवेंसन के फोकस क्षेत्रों में से एक रहा है।

संस्थान ने महाराष्ट्र में वित्तपोषित स्कीम के तहत 2037 इकाइयों की 2015–16 और 2016–17 की वास्तविक सत्यापन रिपोर्ट आवश्यक प्रतियों के साथ राज्य केवीआईसी कार्यालय, महाराष्ट्र को प्रस्तुत की थी।

राज्य केवीआईसी कार्यालय को पहले जमा की गई दो वर्ष की मसौदा रिपोर्ट को राज्य कार्यालय से प्राप्त सुझावों/सलाह के आलोक में अंतिम रूप दिया जाएगा।

3. क्लस्टर विकास

निस्बड ने समूह कलाकारों (कारीगरों/उद्यमियों) की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने और सक्षम बनाने के लिए भारत सरकार की विभिन्न स्कीमों के तहत विभिन्न समूहों का सहयोग किया है। संस्थान वर्तमान में बिजनौर में पॉटरी क्लस्टर के विकास में लगा हुआ है। संस्थान द्वारा पॉटरी क्लस्टर के जन सुविधा केंद्र में मशीनरी लगाई गई है।

4. मेंटरिंग और हैंडहोल्डिंग

निस्बड ने विविध और दूरस्थ स्थानों से इच्छुक और मौजूदा उद्यमियों की हैंडहोल्डिंग और मार्गदर्शन करने के लिए एक ऑनलाइन ई–परामर्श मंच "उद्यमदिशा" विकसित किया है। उद्यमशीलता इकोसिस्टम को विकसित करने और मजबूत करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण के आधार पर मंच की एक बहुत ही आवश्यक पहल के रूप में कल्पना की गई है।

मंच का उद्देश्य ऑनलाइन सलाह सेवाओं की सुविधा प्रदान करना है। मेंटर्स का मंच किसी उद्यम की स्थापना या विस्तार के लिए आवश्यक सभी सहयोग और सूचनाओं का वन–स्टाप समाधान प्रदान करता है। मेंटर प्लेटफॉर्म उद्यमशीलता से जुड़ी

सरकारी स्कीमों, वित्तीय संस्थानों, निवेशकों, दानदाताओं आदि के बारे में विभिन्न जानकारी प्रदान करता है और संभावित और मौजूदा उद्यमियों को इस क्षेत्र में सलाहकारों से जुड़ने में मदद करता है। पोर्टल पर कुल 112 मेंटर्स पंजीकृत किए गए हैं। 264 मेंटर्स ने मंच पर पंजीकरण कराया है।

5. सहयोग

- संस्थान को ग्रामीण विकास मंत्रालय के स्टार्ट–अप ग्राम उद्यमशीलता कार्यक्रम (एसवीईपी) तथा स्कीम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) का सहयोग करने के लिए एक राष्ट्रीय संसाधन संगठन (एनआरओ) के रूप में मान्यता दी गई है।
- निस्बड ने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (आईएसबी) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं, जो युवाओं, रोजगार इच्छुक और नवोदित उद्यमियों के लिए लक्षित संयुक्त कार्यक्रमों की पेशकश करने के लिए एक शीर्ष रैंक वाला वैश्विक बिजनेस स्कूल है।
- निस्बड ने शिक्षा और अनुसंधान में संस्थागत सहयोग के लिए झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। जिसका प्राथमिक उद्देश्य यात्राओं और आदान–प्रदान कार्यक्रमों के माध्यम से दोनों संस्थानों के संकाय, कर्मचारियों और छात्रों के बीच आपसी बातचीत और सहयोग को बढ़ावा देना है और पारस्परिक आधार पर संयुक्त शैक्षणिक और अनुसंधान कार्यक्रम, डॉक्टरेट और परास्नातक छात्रों का संयुक्त पर्यवेक्षण करना है।

4.7 भारतीय उद्यमशीलता संस्थान (आईआईई), गुवाहाटी

4.7.1 प्रस्तावना

भारतीय उद्यमशीलता संस्थान (आईआईई) आईएसओ 9001: 2015 प्रमाणित स्वायत्त संगठन है जो लालमाटी, बशिष्ठचरियाली, राष्ट्रीय राजमार्ग–37, बाईपास, गुवाहाटी में स्थित है और इसकी अवसंरचना लगभग 77000 वर्गफुट है। यह गुवाहाटी, असम में अपने मुख्यालय से प्रशिक्षण, अनुसंधान और परामर्श सेवाओं के माध्यम से उद्यमशीलता विकास के लिए राष्ट्रीय सर्वोच्च निकाय के रूप में कार्य कर रहा है। आईआईई ने 1 अप्रैल 1994 से स्वतंत्र संस्थान के रूप में कार्य करना शुरू किया, जिसे तत्कालीन उद्योग मंत्रालय, एसएसआई और एआरआई विभाग, भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। बाद में यह 2007 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) के तहत आया और वर्तमान में कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) के अधीन है।

4.7.2 प्रशिक्षण कार्यक्रम

संस्थान भावी उद्यमियों, छात्रों, शिक्षकों, विकास कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। इन कार्यक्रमों को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है: उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम (ईडीपी); उद्यमशीलता सह कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी); प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी) और अन्य कार्यक्रम जिनमें उद्यमशीलता अभिविन्यास कार्यक्रम (ईओपी), प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी), संकाय विकास कार्यक्रम (एफडीपी), व्यवसाय पोषक प्रशिक्षण आदि शामिल हैं। वित्त वर्ष 2022–23 (दिसंबर, 2022 तक) के दौरान 783 कार्यक्रम चलाए गए, जिससे 23703 प्रतिभागी लाभान्वित हुए।

तालिका 9: माह 01 अप्रैल 2022 से 31 दिसंबर, 2022 तक (संचयी) आयोजित प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षित प्रशिक्षणार्थियों के विवरण

क्र. सं.	कार्यक्रम के लक्ष्य	उपलब्धि	प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या							
			एससी	एसटी	महिला	दिव्यांगजन	अल्पसंख्यक	ओबीसी	अन्य	कुल
1	ईडीपी	32	10	64	228	1	18	198	84	356
2	एसडीपी / ईएसडीपी	718	886	19118	14463	65	66	982	854	21840
4	अन्य	33	218	528	1160	3	86	477	284	1507
	कुल	783	1114	19710	15851	69	170	1657	1222	23703

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान प्रमुख कार्यकलाप

1. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी)

आईआईई ने पीएम–दक्ष (प्रधानमंत्री दक्ष और कुशलता संपन्न हिताग्रही) स्कीम के तहत पिछड़े वर्ग के युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम के तत्वावधान में प्रशिक्षण का कार्यान्वयन किया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के कार्यान्वयन का उद्देश्य पिछड़े वर्ग के युवाओं का उत्थान करना है ताकि वे कुशल हो सकें और स्थायी आजीविका कमा सकें तथा आत्मनिर्भर बन सकें। दिसंबर 2022 तक, 11 अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से 300 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया और सात ईडीपी के माध्यम से 255 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

2. डिजी बुनाई कार्यक्रम

इस परियोजना को डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन द्वारा प्रायोजित किया गया है। वस्त्र क्षेत्र कौशल परिषद और आईआईई क्रमशः कार्यान्वयन एजेंसी और प्रशिक्षण प्रदाता हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य डिजी बुनाई टीएम सीएडी सॉफ्टवेयर का उपयोग करके डिजिटल रूप से डिजाइन बनाने और डिजाइन करने के लिए कारीगरों/बुनकरों/डिजाइनरों को प्रशिक्षित करना और वस्त्रों के नमूनों पर डिजाइन की बुनाई के लिए डिजिटल आउटपुट का उपयोग करना है। प्रशिक्षण मौजूदा पारंपरिक जकार्ड बुनकरों को कंप्यूटर ज्ञान और बुनाई कौशल के एकीकरण के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से उत्पन्न कंप्यूटर जकार्ड डिज़ाइन बनाने और बुनकरों को अपने उत्पादन को बढ़ाने और बाजार के अवसरों और ग्राहक की मांग के लिए डिजाइन में सुधार करने के लिए सशक्त बनाने के उद्देश्य से प्रदान किया जाता है। दिसंबर, 2022 तक छह डिजी बुनाई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें असम और त्रिपुरा राज्यों में 180 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया।

3. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम (एनएसएफडीसी)

आईआईई ने पीएम–दक्ष (प्रधानमंत्री दक्ष और कुशलता संपन्न हितग्राही) स्कीम के तहत अनुसूचित जाति के युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के तत्वावधान में अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यान्वित किया है। विशेषज्ञ प्रशिक्षक और समर्पित लैब रूम सुविधा के माध्यम से अल्पावधि कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के कार्यान्वयन का उद्देश्य अनुसूचित जाति के युवाओं का उत्थान करना है ताकि वे कुशल हो सकें और स्थायी आजीविका कमा सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। दिसंबर, 2022 तक, 120 लाभार्थियों के साथ चार अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम (एसटीटी) आयोजित किए गए।

4. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एनएसकेएफडीसी)

आईआईई ने पीएम–दक्ष (प्रधानमंत्री दक्ष और कुशलता संपन्न हितग्रही) स्कीम के तहत सफाई कर्मचारियों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एनएसकेएफडीसी) के तत्वावधान में अल्पावधि प्रशिक्षण का कार्यान्वयन किया है। विशेषज्ञ प्रशिक्षक और समर्पित लैब रूम सुविधा के माध्यम से अल्पावधि कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम को कार्यान्वित करने का उद्देश्य सफाईकर्मियों का उत्थान करना है ताकि वे कुशल हो सकें और स्थायी आजीविका कमा सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। कौशलीकरण से लक्षित समूह के लिए समृद्धि के द्वार खुलेंगे और वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकेंगे और अपने लिए एक आरामदायक जीवन का निर्माण कर सकेंगे। दिसंबर, 2022 तक 60 लाभार्थियों के साथ दो एसटीटी कार्यक्रम पूर्ण किए जा चुके हैं।

5. पेड बेकरी प्रमाणन कार्यक्रम

आईआईई ने अपने परिसर में पेड मॉडल के तहत बेकरी प्रमाणन कार्यक्रम का आयोजन किया है और इसे बहुत सराहना मिली है। कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों के विभिन्न आयु वर्ग के 35 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यक्रम विशेष रूप से महिला उद्यमियों को तैयार करने और उन्हें बेकरी बाजार में प्रवेश करके आजीविका कमाने के कौशल के साथ सशक्त बनाने पर केंद्रित था।

6. अपार्ट स्कीम के तहत आवासीय उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम

असम कृषि व्यवसाय और ग्रामीण परिवर्तन परियोजना (अपार्ट) स्कीम के तहत उद्योग और वाणिज्य विभाग, असम सरकार ने उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) के तहत 330 लाभार्थियों को प्रशिक्षित करने का कार्य संस्थान को आबंटित किया। यह आवासीय कार्यक्रम है और कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागी उद्योग संघ के सदस्य हैं। कार्यक्रम मौजूदा उद्यमियों के लिए कार्यान्वित किया गया है ताकि वे अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए विशिष्ट क्षेत्र पर मार्गदर्शन, सूचना और अपडेट प्राप्त कर सकें। दिसंबर, 2022 तक 117 लाभार्थियों के साथ चार ईडीपी आयोजित किए गए।

7. जीवन कौशल कार्यक्रम के लिए महिला समाज कल्याण और सामाजिक शिक्षा वित्त पोषित स्कीम के तहत किया गया आकलन

संस्थान को 240 प्रतिभागियों का आकलन करने का अवसर मिला, जिन्हें समाज कल्याण और सामाजिक शिक्षा वित्त पोषित स्कीम के तहत प्रशिक्षित किया गया था। कार्यक्रम जीवन कौशल जॉब रोल्स पर आधारित था और लक्षित समूह वंचित महिलाएं थीं। कार्यक्रम को कौशल विकास निदेशालय, त्रिपुरा द्वारा प्रायोजित किया गया था और आईआईई आकलन भागीदार है। दिसंबर, 2022 तक कुल 210 प्रतिभागियों का आकलन किया गया था।

8. तेल जीविका

तेल जीविका ऑयल इंडिया लिमिटेड (दुलियाजन) की प्रमुख आजीविका पहल है। इसको कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व भारतीय उद्यमशीलता संस्थान, गुवाहाटी को सौंपा गया है। यह सामुदायिक क्लस्टर आधारित स्थायी ग्रामीण आजीविका संवर्धन परियोजना है, जिसका उद्देश्य अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग और नमसाई जिले के अंतर्गत दियुन के पांच गांवों में 400 ग्रामीणों की आजीविका को बढ़ाना है। प्राथमिक उद्देश्य लक्षित परिवारों को मधुमक्खी पालन और शहद प्रसंस्करण और सरसों, अनाज और स्थानीय दलहन प्रसंस्करण पर कौशल विकास और उन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करना है और साथ ही आय

के वैकल्पिक स्रोत और स्वपोषण– आजीविका समूहों का गठन करके उन्हें सहायता प्रदान करना है।

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान निम्नलिखित प्रमुख कार्यकलाप किए गए –

- सीएफबीआईसी में लाभार्थियों के लिए मशीने लगाने, प्रदर्शन और इन पर प्रशिक्षण का कार्य 13.04.2022 को पूर्ण हो गया।
- सीएफबीआईसी की ब्रांडिंग 18.06.2022 को (ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा पूर्ण की गई
- 20.06.2022 को सामान्य सुविधा और व्यवसाय सूचना केंद्र (सीएफबीआईसी) के निर्माण कार्य का उद्घाटन किया गया।

9. स्टार्ट अप ग्राम उद्यमशीलता कार्यक्रम (एसवीईपी)

स्टार्ट–अप ग्राम उद्यमशीलता कार्यक्रम (एसवीईपी), दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान (डीएवाई–एनआरएलएम) कार्यक्रम के तहत उप–योजना स्व–सहायता समूह (एसएचजी) और उनके परिवार के सदस्यों को गैर–कृषि क्षेत्र के छोटे उद्यम स्थापित करने में सहायता करती है।

एसवीईपी ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यम विकास के लिए इको–सिस्टम विकसित करता है जिसमें उद्यम वित्तपोषण के लिए सामुदायिक उद्यम निधि (सीईएफ), व्यवसाय की तैयारी सहित व्यवसाय सहायता सेवाएं प्रदान करने के लिए सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों–उद्यम संवर्धन (सीआरपी–ईपी) स्कीमों, प्रशिक्षण, बाजार से जुड़ाव आदि, उद्यमियों को सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए समर्पित ब्लॉक संसाधन केंद्र (बीआरसी) का संवर्ग शामिल है।

ब्लॉक एक कार्यान्वयन इकाई है। राज्यों को परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करने होते हैं। एक बार अनुमोदित होने के बाद, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जाती है, जिसमें चार वर्ष की परियोजना अवधि में विभिन्न क्षेत्रों आदि में आरंभ होने वाले उद्यमों की संख्या और प्रकार को इंगित किया जाता है।

आईआईई ने 24 मार्च 2022 को एसवीईपी के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। एसवीईपी परियोजना के लिए आईआईई को राष्ट्रीय संसाधन संगठन (एनआरओ) के रूप में चिन्हित गया है। एनआरओ के रूप में आईआईई से चयनित ब्लॉकों में एसवीईपी का कार्यान्वयन और कार्यक्रम के विस्तार की भूमिका, दोनो आयामी भूमिकाएं निभाने की अपेक्षा की जाती है।

वित्त वर्ष 2022–23 (दिसंबर, 2022) के दौरान निम्नलिखित प्रमुख कार्यकलाप किए गए:

- आठ राज्यों (अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, मणिपुर, मिजोरम, नगालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा) के 32 प्रतिभागियों के साथ आईआईई में एसवीईपी–बीपीएम प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्ण किया गया।
- पश्चिम बंगाल राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (डब्ल्यूबीएसआरएलएम) के चार पूर्ण एसवीईपी ब्लॉकों का अंतिम अवधि मूल्यांकन अध्ययन पूरा किया गया।
- डब्ल्यूबीएसआरएलएम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद 24/11/2022 को चार नए ब्लॉकों के लिए परामर्श सहायता को अंतिम रूप दिया गया।
- राजीविका (आरजीएवीपी) से साझेदारी प्रस्ताव प्राप्त हुआ। एसवीईपी के लिए अतिरिक्त दस ब्लॉक प्रस्तावित किए गए हैं।

10. जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) और पूर्वोत्तर क्षेत्र के समूह कारीगरों के लाभार्थियों को क्षमता–निर्माण और सहायता के माध्यम से उद्यमशीलता प्रोत्साहन

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा "जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) और पूर्वोत्तर क्षेत्र के समूह कारीगरों के लाभार्थियों को क्षमता–निर्माण और हैंडहोल्डिंग सहायता के माध्यम से उद्यमशीलता प्रोत्साहन" पर परियोजना को 12 मार्च, 2020 को मंजूरी दी गई थी। पूर्वोत्तर क्षेत्र में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए अनुमानित अंतराल और आवश्यकताओं के अनुसार, आईआईई ने कुल 67 क्षमता–निर्माण प्रशिक्षण जैसे प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी), उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम (ईडीपी), वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम (एफएलपी) और 1934 लाभार्थियों को शामिल करने वाले जन शिक्षण संस्थान और पूर्वोत्तर क्षेत्र के समूह कारीगरों के लाभार्थियों के लिए हैंडहोल्डिंग और व्ययसाय सुविधा सहायता कार्यक्रम आयोजित किए हैं। परियोजना स्थल असम, मणिपुर, मेघालय, नगालैंड और त्रिपुरा हैं।

दिसंबर, 2022 तक आईआईई ने पूर्वोत्तर के समूह कारीगरों के लिए एक ईडीपी और पूर्वोत्तर के 596 जेएसएस लाभार्थियों और समूह कारीगरों को शामिल करते हुए उद्यम उन्नलयन और विकास के लिए हैंडहोल्डिंग सहायता कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

11. हाई–टेक मिनी प्लग नर्सरी जैव–उद्यम के लिए असम, अरुणाचल प्रदेश और नगालैंड में जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) परियोजना

इस बहु–संस्थागत परियोजना को 1 अक्तूबर, 2021 को "हाई टेक मिनी प्लग नर्सरी और पारंपरिक साधनों और जैव–उद्यम का संवर्धन" के माध्यम से उपजी स्वदेशी और वाणिज्यिक सब्जियों के गुणवत्ता वाले बीज और अंकुर का प्रावधान करके आजीविका सुरक्षा के लिए असम, अरुणाचल प्रदेश और नगालैंड में उत्प्रेरक पूरक ओलेरीकल्चर" शीर्षक से स्वीकृत किया गया था। इस परियोजना का प्रायोजक जैव प्रौद्योगिकी विभाग (पूर्वोत्तर–बीपीएमसी), विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार है। भारत की जैव उद्यमशीलता आधारित बीज गतिविधि पर ईडीपी/एमडीपी/ईएसडीपी के लिए प्रशिक्षण नियमावली तैयार करने के साथ–साथ बीज श्रृंखला आधारित जैव–उद्यमशीलता कार्यकलापों की मांग और आपूर्ति की स्थिति तक पहुंच के लिए बाजार स्कैनिंग प्रक्रियाधीन है।

12. किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और संवर्धन

10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन और प्रचार के लिए केंद्रीय क्षेत्र स्कीम के तहत 6 जुलाई, 2021 को एफपीओ परियोजना के आरंभ और प्रचार को लघु किसान कृषि व्यवसाय संघ (एसएफएसी), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया था। एसएफएसी ने हमें असम राज्य में दस एफपीओ स्थापित करने के लिए आबंटित किए हैं, जहां सभी किसान उत्पादक कंपनियां (एफपीसी) कंपनी अधिनियम के भाग प्प्ए के तहत पंजीकृत हैं। इस परियोजना के तहत जागरूकता कार्यक्रम, बुनियादी सर्वेक्षण, किसान जुटाव, शेयरधारक चयन, शेयर निधि संग्रह और व्यवसाय योजना तैयार करने से संबंधित कार्य चल रहे हैं।

13. एससी–एसटी हब परियोजना (तीसरा चरण)

एससी–एसटी हब अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के लिए सहायक ईकोसिस्टम विकसित करने की दिशा में लक्षित भारत सरकार की एक पहल है। आईआईई सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई), भारत सरकार की राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हब (एनएसएसएच) स्कीम के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के इच्छुक/नवोदित उद्यमियों के विकास के लिए व्यापक आवासीय क्षमता–निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम की श्रृंखला आयोजित कर रहा है। परियोजना को 5 जुलाई, 2022 को मंजूरी दी गई थी और एनएसएसएच ने 125 एससी–एसटी उद्यमियों को शामिल करते हुए पांच ऑफलाइन बैच (बैच आकार –25) आयोजित करने की मंजूरी दे दी है। दिसंबर, 2022 तक लाभार्थियों को शामिल करते हुए तीन बैच (सेरीकल्चरिस्ट, जकार्ड वीवर–हैंडलूम और मधुमक्खी पालन) सफलतापूर्वक आयोजित किए गए हैं।

14. पवित्र नगरों (बोधगया, कोल्लूर और पुरी) में उद्यमशीलता विकास पर प्रायोगिक परियोजना

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार बोधगया, हरिद्वार, कोल्लूर, पंढरपुर, पुरी और वाराणसी जैसे छह मंदिर नगरों में उद्यमशीलता संवर्धन और सूक्ष्म और लघु व्यवसायों की सलाह पर प्रायोगिक परियोजना का कार्यान्वयन कर रहा है। आईआईई इस परियोजना को तीन पवित्र नगरों यानी बोध गया, कोल्लूर और पुरी में कार्यान्वित कर रहा है।

परियोजना का उद्देश्य मौजूदा आजीविका कार्यकलापों को फिर से शुरू करने और/या मौजूदा उद्यम को बढ़ाने के लिए सहयोग देकर चुनिंदा नगरों के सूक्ष्म और लघु व्यवसायों/उद्यमों के उद्यमशीलता कार्यों, उद्यमशीलता संवर्धन और परामर्श को बढ़ाना है।

इस परियोजना के तहत दिसंबर, 2022 तक किए गए कार्यकलाप

1. **जागरूकता कार्यक्रमः**
   - बोधगया में 16 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए और इसमें लगभग 468 लाभार्थी शामिल हुए।
   - कोल्लूर में नौ जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए और इसमें लगभग 400 लाभार्थी शामिल हुए।
   - पुरी में 27 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए और लगभग 648 लाभार्थी शामिल हुए।
2. **उद्यमशीलता सह कौशल विकास कार्यक्रमः**
   - बोधगया में, इस परियोजना के तहत 437 लाभार्थियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया, जिनमें से 309 महिला लाभार्थी हैं (35 ईडीपी और 5 ईएसडीपी आयोजित किए गए)।

- कोल्लूर में, इस परियोजना के तहत 125 लाभार्थियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया, जिनमें से 117 महिला लाभार्थी हैं (9 ईएसडीपी आयोजित किए गए)।
- पुरी में इस परियोजना के तहत 1002 लाभार्थियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया, जिनमें से 402 महिला लाभार्थी हैं (42 ईडीपी और 8 ईएसडीपी आयोजित किए गए)।

3. **ऋण सहयोगः**

- बोधगया में 214 लाभार्थियों को ऋण सहयोग मिला है और 186 स्व–वित्तपोषित उद्यम विकसित किए गए हैं।
- कोल्लूर में, 94 लाभार्थियों ने ऋण सहयोग प्राप्त किया और 22 स्व–वित्तपोषित उद्यम विकसित किए गए हैं।
- पुरी में, 452 लाभार्थियों को ऋण सहयोग प्राप्त हुआ और 158 स्व–वित्तपोषित उद्यम विकसित किए गए हैं।

15. सूक्ष्म लघु उद्यम – समूह विकास कार्यक्रम (एमएसई–सीडीपी)

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई), भारत सरकार (जीओआई) के तहत सूक्ष्म लघु उद्यम – समूह विकास कार्यक्रम (एमएसई–सीडीपी) समूह इकाइयों, क्षमता–निर्माण, उद्यमों के प्रौद्योगिकी उन्नयन, बेहतर ऋण प्रदेयता और उनके समूहों के परामर्श से किए गए नैदानिक अध्ययन के आधार पर विपणन सहायता, जन सुविधा केंद्र (सीएफसी) आदि की स्थापना के उपायों की परिकल्पना करता है। आईआईई, गुवाहाटी विकास आयुक्त सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (डीसीएमएसएमई), भारत सरकार के तत्वावधान में आईआईई के क्षेत्रीय संसाधन केंद्र (आरआरसी) के माध्यम से पूरे पूर्वोत्तर में वुड कारपेंटरी क्लस्टर, चुराचांदपुर, मणिपुर, ग्रेटर इंफाल ज्वेलरी क्लस्टर, मणिपुर, काजू नट प्रोसेसिंग क्लस्टर, वेस्ट गारो हिल्स, मेघालय, ओखरे कार्पेट मेकिंग क्लस्टर, वेस्ट सिक्किम, सिक्किम, बक्तौंग वुड कारपेंट्री क्लस्टर, मिजोरम, काकोपाथर बांस की अगरबत्ती बनाने वाला क्लस्टर, तिनसुकिया, असम में विभिन्न क्लस्टर विकास कार्यकलापों का कार्यान्वयन कर रहा है। वर्तमान में आईआईई पूर्वोत्तर क्षेत्र में एमएसई–सीडीपी स्कीम के तहत छह क्ललस्टकरों को कार्यान्वित कर रहा है। सभी क्लकस्टमर जन सुविधा केंद्र (सीएफसी) के निर्माण के चरण में हैं, जिनमें से तीन सीएफसी पूर्ण हो चुके हैं।

16. केयर गिविंग प्रोजेक्ट

केयर गिविंग प्रोजेक्ट पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) द्वारा प्रायोजित है और वयोवृद्ध स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए भारतीय उद्यमशीलता संस्थान (आईआईई) गुवाहाटी द्वारा मानीटरिंग की जाती है। एनईसी ऐसा ईकोसिस्टम तैयार करना चाहती है जहां सभी लोग सहजता से वयोवृद्ध हो सकें और गरिघ्मामय जीवनयापन कर सकें। यह बुजुर्गों के कल्याण, सुरक्षा और देखभाल प्रदान करने को प्रतिबद्ध है। इस परियोजना का उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) पर विशेष ध्यान देने के साथ देश की वयोवृद्ध आबादी को गुणवत्तापूर्ण देखभाल सेवाओं प्रदान करने में औपचारिक संस्थागत स्वास्थ्य प्रणाली और अनौपचारिक देखभाल के बीच की खाई को पाटना है। इस स्कीम को पूर्वोत्तर में बढ़ती उम्र वाली आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए उपयुक्त विशेषज्ञता रखने वाली देखभाल सुविधा प्रदान करने वाली एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।

असम, मेघालय, मिजोरम और नगालैंड के चार देखभाल प्रदाता केंद्रों ने अपने क्षेत्र के पहले बैच के लिए प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया है। इन चार केंद्रों के कुल 110 से अधिक उम्मीदवारों को इस परियोजना के पाठ्यक्रम और इसके अलावा गृह स्वास्थ्य देखभाल और जराचिकित्सा देखभाल के क्षेत्र में उद्योग के विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए गए विशेष विषयों के तहत भी प्रशिक्षित किया गया, जिसे एनएसक्यूएफ के पाठ्यक्रम के अनुसार तैयार किया गया था। बुजुर्ग स्वास्थ्य देखभाल मानकों के अनुसार और परियोजना परामर्शदाता द्वारा तैयार की गई प्रश्नावली के आधार पर केंद्र में वास्तविक रूप से आकलन किया गया था। अन्य चार केंद्र जनवरी, 2023 में अपना दूसरा बैच पूर्ण करने के अंतिम चरण में हैं।

17. प्रधानमंत्री वन धन योजना (पीएमवीडीवाई)

प्रधान मंत्री वन धन योजना (पीएमवीडीवाई जनजातीय कार्य मंत्रालय मंत्रालय, भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका 5 नवंबर, 2019 को असम में शुभारंभ किया गया था और राज्य में नोडल एजेंसी के रूप में जनजातीय कार्य विभाग और भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड) प्रायोजक एजेंसी के साथ मिलकर असम प्लेन ट्राइब्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एपीटीडीसी) द्वारा कार्यान्वयन किया जा रहा है। कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा राज्य में स्कीम का प्रभावी और कुशल कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए संसाधन एजेंसी के रूप भारतीय उद्यमशीलता संस्थान (आईआईई) का चयन किया गया है।

इस स्कीम का उद्देश्य लघु वन उपज (एमएफपी) के मूल्यवर्धन के माध्यम से और उत्पादों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) प्रदान करके स्थायी आजीविका के लिए सक्षम बनाकर राज्य के जनजातीय समुदायों की आजीविका का उत्थान करना है। इस उद्देश्य के लिए, स्व–सहायता समूहों (एसएचजी) से संबंधित जनजातीय लाभार्थियों की पहचान बेसलाइन–सर्वेक्षण के माध्यम से की जाती है और निकटवर्ती क्षेत्रों में एसएचजी को वन धन विकास केंद्र क्लस्टर (वीडीवीकेसी) बनाने के लिए पंजीकृत किया जाता है, जिसमें कुल मिलाकर लगभग 300 लाभार्थी होते हैं।

विभिन्न वीडीवीकेसी से क्रय किए गए मूल्य वर्धित उत्पादों को विशेष ब्रांड–नाम "त्रिसम" के तहत बेचा जाता है। इस ब्रांड के तहत कुल 190 से अधिक मूल्य वर्धित उत्पादों का विपणन और बिक्री की जाती है।

18. कोहिमा, नगालैंड में उद्यमशीलता विकास केंद्र (ईडीसी) की स्थापना

भारतीय उद्यमशीलता संस्थान (आईआईई) ने नगालैंड में एक उद्यमशीलता विकास केंद्र (ईडीसी) स्थापित करने की परियोजना के लिए जनवरी, 2022 में नगालैंड सरकार के रोजगार कौशल विकास और उद्यमशीलता निदेशालय (डीईएसडीई) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। ईडीसी 18 अक्तूबर 2022 से पूर्ण और कार्यात्मक हो गया है। नगालैंड में दो जागरूकता और आउटरीच कार्यक्रमों के अलावा हितधारकों की बैठक आयोजित की गई थी। 19 लाभार्थियों के लिए आईआईई परिसर में प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया।

19. पारंपरिक उद्योगों के पुनः उत्थान के लिए कोष स्कीम (स्फूर्ति)

आईआईई गुवाहाटी स्फूर्ती के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में काम कर रहा है, जो एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक केंद्रीय क्षेत्र की प्रमुख स्कीम है। अब तक 60 क्लस्टर स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से सात क्लस्टर बांस शिल्प में कार्यरत हैं, एक पीतल धातु आधारित है, एक शहद के लिए, तीन क्लस्टर खादी के लिए, 24 क्लस्टर मुख्य रूप से खाद्य पदार्थ, फल, मसाले और कृषि प्रसंस्करण कार्यों और 24 क्लस्टरों में हथकरघा और हस्तशिल्प दोनों ही कार्यकलाप हैं। ये 60 क्लस्टर भारत के उत्तरी, पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्र में फैले हुए हैं। 60 क्लस्टरों में से नौ क्लस्टरों को पहले ही अंतरराष्ट्रीय खरीदार पूछताछ सहित निर्यात ऑर्डर मिल चुके हैं।

20. युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा प्रायोजित पूर्वोत्तर क्षेत्र के एनएसएस कार्यक्रम अधिकारियों के लिए अभिविन्यास पाठ्यक्रम

एक सूचीबद्ध संस्थान के रूप में, आईआईई ने 4 अगस्त, 2022 से 28 सितंबर, 2022 के बीच पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न संस्थानों के 243 एनएसएस कार्यक्रम अधिकारियों के लिए सात उन्मुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक आयोजन किया है। मुख्य ध्यान संबंधित एनएसएस अधिकारियों को समाज के उत्थान के लिए समाज सेवा के महत्व पर जागरूकता लाने, नेतृत्व गुणों और लोकतांत्रिक दृष्टिकोण को प्राप्त करने में सहायता करने पर था।

अभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम में एनएसएस, जीवन कौशल, भागीदारीपूर्ण ग्रामीण मूल्यांकन, युवाओं को समझने, गांव गोद लेने की प्रक्रिया, अपशिष्ट प्रबंधन, उच्च शिक्षा परिदृश्य के संदर्भ में आवश्यकता आधारित कौशल शिक्षा, योग आदि के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया, जिसमें गांव का एक दिन का क्षेत्र दौरा भी शामिल है। इन सत्रों को चलाने के लिए अनुभवी और विशेषज्ञ संसाधन व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया था।

21. सहभागिता

- पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में उद्यमशीलता ईकोसिस्टम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, भारतीय उद्यमशीलता संस्थान (आईआईई), गुवाहाटी ने पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में उद्यमशीलता ईकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग (आईआईएमएस) के पोषक और उद्यम सहायता केंद्र के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।
- भारतीय उद्यमशीलता संस्थान (आईआईई) ने 1 सितंबर, 2022 को इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (आईएसबी) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए, जो शीर्ष क्रम का वैश्विक बिजनेस स्कूल है, जो युवाओं,

नौकरी चाहने वालों और नवोदित उद्यमियों के लिए लक्षित उद्यमशीलता कार्यक्रमों के माध्यम से विश्व स्तर की प्रबंधन शिक्षा प्रदान करता है।

- पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में सौंदर्य और कल्याण उद्योग में कौशल विकसित करने और कौशल प्रदान करने के लिए उद्यमशीलता ईकोसिस्टम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय उद्यमशीलता संस्थान (आईआईई), गुवाहाटी में "उत्कृष्टता केंद्र" विकसित करने के लिए सौंदर्य और कल्याण क्षेत्र कौशल परिषद (बी एंड डब्ल्यूएसएससी) के साथ 07 अक्तूबर, 2022 को एक समझौता ज्ञापन एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

4.8 राष्ट्रीय अनुदेशात्मक मीडिया संस्थान (निमी)

4.8.1 प्रस्तावना

राष्ट्रीय अनुदेशात्मक मीडिया संस्थान (निमी) जिसे पहले केंद्रीय अनुदेशात्मक मीडिया संस्थान (सिमी) के रूप में जाना जाता था, की स्थापना निष्पादन एजेंसी के रूप में जर्मन संघीय गणराज्य जीटीजेड (तकनीकी सहयोग के लिए जर्मन एजेंसी) के माध्यम से, दिसंबर 1986 में भारत सरकार द्वारा रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीई एवं टी), श्रम और रोजगार मंत्रालय की सहायता से अधीनस्थ कार्यालय के रूप में की गई थी। 1 अप्रैल 1999 को अपनी स्वायत्त स्थिति प्राप्त करने के बाद, निमी, प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी), कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई), भारत सरकार, नई दिल्ली के तहत स्वायत्त संस्थान के रूप में कार्यरत है। यह संस्थानों की विस्तृत श्रृंखला विशेष रूप से आईटीआई और अनेक कौशल विकास संस्थानों के लिए व्यावसायिक इकोसिस्टम के लिए सामग्री/अनुदेशात्मक सामग्री प्रदान करने वाले प्रमुख संस्थानों में से एक है। इसके अलावा, अगम्य लोगों तक पहुँचने के लिए, निमी कुशल भारत पोर्टल के माध्यम से अपनी ई–सामग्री भी प्रदान करता है, जो प्रशिक्षु को निःशुल्क डाउनलोड के प्रावधान से आसानी से उपलब्ध कराई जाती है। निमी विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए आकलन के लिए डिजिटल सामग्री, प्रश्न बैंकों सहित अनुदेशात्मक मीडिया पैकेज (आईएमजी) के विकास के लिए नोडल संगठन है। प्रशिक्षुओं की आवश्यकता और समझ के स्तर के गहन मूल्यांकन के आधार पर, निमी डीजीटी द्वारा प्रदान किए गए पाठ्यक्रम के आधार पर व्यावसायिक अर्हता के लिए अपनी सामग्री तैयार करता है।

निमी दीर्घ और अल्पावधि के पाठ्यक्रमों के लिए अनुदेशात्मक मीडिया को डिजाइन, विकसित, उत्पादन और प्रसार करने के लिए सुविधाओं, अवसंरचना और दक्षताओं से संबंधित सेवाएं भी प्रदान करता है। अभ्यास में आसानी के लिए, निमी द्वारा निष्पादन आकलन विश्लेषण सहित मॉक टेस्ट एप्लिकेशन तैयार किया गया था और इसके प्रमुख कार्यकलापों में से एक पर विचार किया जा सकता है। अनुदेशात्मक मीडिया पैकेज (आईएमपी) के विकास के अलावा, निमी को प्रश्न बैंक (क्यूबी), हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में सामग्री/क्यूबी का अनुवाद तैयार करने और आधुनिक शिक्षार्थियों की सुविधा के लिए तेजी से

बढ़ती तकनीक के साथ गति से जनता तक पहुंचने के लिए ई–सामग्री तैयार करने और इसकी वृद्धि करने के लिए भी अनिवार्य किया गया है।

4.8.2 विजन

निमी का विजन डिजिटल सामग्री सहित अनुदेशात्मक मीडिया पैकेजों के लिए एक नोडल संगठन के रूप में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण में वैश्विक बेंचमार्क को स्केल करने और हमारे देश के संपूर्ण कौशल इकोसिस्टम के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करने और वैश्विक फुटप्रिंट तैयार करना है। निमी प्रशिक्षुओं के लिए अनुभवात्मक शिक्षा का माहौल बनाने के लिए विभिन्न ट्रेडों के लिए वीआर और एआर आधारित सामग्री तैयार करने के लिए भी प्रयास कर रहा है।

जनसांख्यिकीय लाभांश का उपयोग करने की देश की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए निमी ज्ञान प्रसार, उद्योग 4.0 के लिए प्रासंगिक सामग्री के लिए नवीन तकनीकों में प्रवेश कर रहा है, निमी अपने सामग्री विकास में मिश्रित शिक्षण तकनीकों को शामिल करके प्रशिक्षुओं और प्रशिक्षकों के लिए ई–लर्निंग सामग्री और नियमित सामग्री ढांचे में क्यूआर, (2डी और 3डी मॉडल) को शामिल करके कौशल इकोसिस्टम के तहत प्रशिक्षण तंत्र को सुधारने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। विविध जन समुदाय की मांग को समझकर और देश के दूर–दराज के क्षेत्रों से कौशल–आधारित आवश्यकता को पूरा करने के लिए, निमी प्रशिक्षुओं की बेहतर समझ और ज्ञान प्रसार के लिए हिंदी के अलावा विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में भी अपनी सामग्री तैयार करता है।

4.8.3 प्रमुख कार्यकलाप

निमी का प्रमुख कार्य 13 क्षेत्रीय भाषाओं में शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस) और शिल्प प्रशिक्षक प्रशिक्षण स्कीम (सीआईटीएस) के परिशोधित पाठ्यक्रम के लिए पुस्तकें तैयार करना है।

निमी अंग्रेजी भाषा में 76 ट्रेडों के लिए अनुदेशात्मक सामग्री पैकेज (आईएमपी) तैयार कर रहा है और भारत कुशल पोर्टल में सॉफ्ट कॉपी में लगभग 152 पुस्तकें प्रकाशित हो रही हैं। इंजीनियरिंग ड्रॉइंग, कर्म शाला साइंस और कैलकुलेशन एवं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल बुक्स जैसे संबद्ध विषयों को भी लगभग 102 पुस्तकों के रूप में अंग्रेजी और तमिल में विभिन्न समूहों के लिए तैयार किया गया है।

उपरोक्त सभी ट्रेड की पुस्तकें अनेक भारतीय भाषाओं जैसे हिंदी, तमिल, मराठी, गुजराती, उड़िया, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, पंजाबी, बंगाली, उर्दू और असमिया में अनुदित हैं।

4.8.4 नॉन–कोर कार्यकलाप

मुख्य कार्यकलापों के अलावा, निमी ने कौशलीकरण इकोसिस्टम को बढ़ाने वाले विभिन्न कार्यकलापों में भाग लिया।

- आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अर्जन और ज्ञान जागरूकता (संकल्प) और महात्मा गांधी राष्ट्रीय अध्येता (एमजीएनएफ) कार्यक्रम–
- कार्यान्वयन निकाय के रूप में राष्ट्रीय अनुदेशात्मक मीडिया संस्थान (निमी) एमएसडीई और शैक्षणिक भागीदार के परामर्श से अध्येता कार्यक्रम के उचित कार्यान्वयन के लिए एमजीएनएफ अध्येता के यात्रा और अन्य वित्त सहित मानव संसाधन दायित्व संभाल रहा है, मासिक उपस्थिति के आधार पर अध्येताओं को भुगतान का प्रबंधन करता है और यात्रा व्यवस्था के लिए शैक्षणिक संस्थान के साथ समन्वय के लिए भी उत्तरदायी है और अध्येता के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक आपूर्ति और प्रशासनिक सहायता और किसी भी अन्य कार्य/कार्यों के प्रावधान की सुविधा प्रदान करता है। नई दिल्ली और चेन्नई स्थित एमएसडीई के तहत संकल्प परियोजना के तहत पीएमयू दल अध्येता की शिकायतों का निवारण करेगा और अध्येतावृत्ति के दौरान अध्येता के सम्मुख आए किसी भी मामले पर परामर्श प्रदान करेगा।
- औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढ़ीकरण (स्ट्राइव)– निमी को 05 लोकप्रिय ट्रेडों के लिए डिजिटल सामग्री तैयार करने का कार्य सौंपा गया है और तदनुसार कार्य प्रगति पर है।
- शिक्षुता प्रशिक्षण कार्यान्वयन– एमएसडीई ने नियोजित कार्यशालाओं के लिए सभी भुगतानों के निपटान के लिए

निमी को नोडल एजेंसी के रूप में निर्धारित किया है। निमी के समन्वय में कार्यक्रम के अनुसार पाँच कार्यशालाएँ/सेमिनार आयोजित किए गए हैं। उपरोक्त कार्यशालाओं के अनुरूप, शिक्षुता के तहत देश भर में पहुँच और पक्षपोषण कार्यकलापों के रूप में 250 और कार्यशालाएँ आयोजित करने का प्रस्ताव है। ये कार्यशालाएं जिला स्तर पर आरडीएसडीई और राज्य द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की जाएंगी।

- आईटीआई संबद्धता, प्रशिक्षक प्रवेश, अल्पावधि पाठ्यक्रम के लिए वेब पोर्टल।
- मॉक टेस्ट, ऑनलाइन परीक्षा, संबद्धता के लिए मोबाइल एप्लीकेशन
- विभिन्न कार्यकलापों के लिए डीजीटी को सभी प्रकार की सहायता प्रदान करना
- विभिन्न अर्हताओं पर सामग्री तैयार करने के लिए एसएससी, इग्नू, सीएफटीआई, एनटीटीएफ और अन्य के साथ सहकार्यता का पता लगाना
- डीजीटी और निजी संगठनों के लिए कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी)।

4.9 केंद्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (सीएसटीएआरआई), कोलकाता

केंद्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (सीएसटीएआरआई) की स्थापना वर्ष 1968 में भारत सरकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय, डीजीई एवं टी, द्वारा जर्मन संघीय गणराज्य सरकार के सहयोग से की गई थी। सीएसटीएआरआई देश के पूर्वी भाग के सबसे बड़े आईटी केंद्र, साल्ट लेक, कोलकाता में स्थित विशाल परिसर वाला प्रमुख संस्थान है। अप्रैल 2015 से सीएसटीएआरआई प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी), कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) के अधीन है।

विभिन्न परिचालन कार्यकलापों को दो अलग–अलग विंगों– अर्थात् अनुसंधान और प्रशिक्षण और शिल्पकार प्रशिक्षण, शिल्प प्रशिक्षक प्रशिक्षण और अल्पावधि प्रशिक्षण तक विस्तरित, द्वारा निष्पादित किया जाता है।

अनुसंधान विंग के कार्यकलाप हैं:

- वर्तमान और भावी व्यवसायों/ट्रेड़ों के लिए, जिनमें प्रशिक्षण दिया जा सकता है व्यावसायिक प्रोफाइल की पहचान करने के उद्देश्य से कौशल विश्लेषण और पूर्वानुमान आयोजित करना।
- इस तरह के विश्लेषण के आधार पर,
  i. विभिन्न ट्रेडों के लिए ट्रेड पाठ्यक्रम को डिजाइन और तैयार करना,
  ii. संस्थानों/उद्योगों में उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
- व्यावसायिक प्रशिक्षण से संबंधित उपयुक्त विधियां, तकनीकें, प्रक्रियाएं और प्रणालियां विकसित करने के लिए अध्ययन और विश्लेषण करना।
- परिणाम–आधारित प्रारूप के अनुसार पाठ्यक्रम तैयार करना और डीजीटी की विभिन्न प्रमुख स्कीमों यानी सीटीएस, एटीएस और सीआईटीएस के लिए इसे राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के अनुसार श्रेणीबद्ध करना और इसे निरंतर परिशोधित करना।

प्रशिक्षण विंग के कार्यकलाप हैं:

- कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के कार्य में कार्यरत हितधारकों की क्षमता का निर्माण करना।
- आईटीआई और अन्य व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षकों के लिए शिक्षाशास्त्र पर प्रशिक्षण आयोजित करना।
- परिणाम आधारित पाठ्यक्रम के बेहतर कार्यान्वयन के लिए एनएसक्यूएफ से संबंधित प्रशिक्षण आयोजित करना। सीएसटीएआरआई के प्रशिक्षण विंग को देश भर में एनएसटीआई के मास्टर प्रशिक्षकों के लिए एनएसक्यूएफ प्रशिक्षण और भारतीय इंजीनियरिंग सेवाओं के माध्यम से भर्ती किए गए नवनियुक्त भारतीय कौशल विकास सेवा (आईएसडीएस) संवर्ग के अधिकारियों के लिए "प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम" आयोजित करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

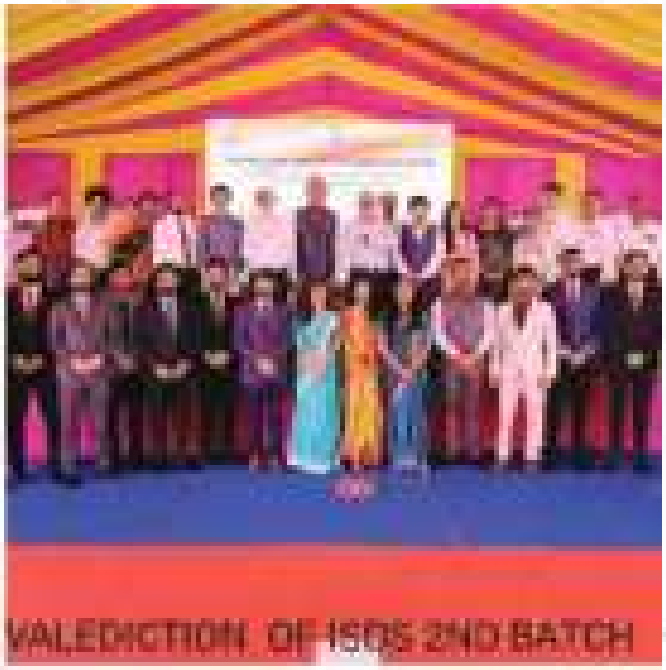

आकृति 18, 19, 20, और 21: सीएसटीएआरआई, कोलकाता में श्री अतुल कुमार तिवारी, सचिव, कौशल विकास और उद्यमशीलता (एमएसडीई) द्वारा संबोधित बैठकें और प्रशिक्षण सत्र

किए गए कार्यकलाप

अनुसंधान/पाठ्यचर्या तैयार करना:–

तालिका 10: अनुसंधान अनुभाग द्वारा निम्नलिखित कार्यकलाप किए गए:

क्र. सं.	स्कीम / कार्यकलाप	मुख्यालय को प्रस्तुत	अभ्युक्तियां
1	नया सीटीएस पाठ्यक्रम तैयार किया गया	02+04	04 एनएसक्युसी द्वारा अनुमोदित
2	नया सीआईटीएस पाठ्यक्रम तैयार किया गया	01	एनएसक्युसी द्वारा अनुमोदित
3	नया एटीएस पाठ्यक्रम तैयार किया गया	01	एनएसक्युसी द्वारा अनुमोदित
4	सीटीएस (लचीले समझौता ज्ञापन) पाठ्यक्रम सत्यापित	11	एनएसक्युसी द्वारा अनुमोदित
5	एसटीसी तैयार किया गया	03	02 एनएसक्युसी द्वारा अनुमोदित
6	रोजगार कौशल परिशोधित पाठ्यक्रम का समन्वय	01	120 घंटे
7	सीटीएस पाठ्यक्रम का नवीनीकरण 1600 से 1200 घंटे तक / वर्ष	150	
8	शेष के लिए एनओएस तैयार करना 150 सीटीएस पाठ्यक्रम के एलओ	696	
9	सीआईटीएस पाठ्यक्रम का नवीनीकरण 1600 से 1200 घंटे तक	54	
10	सीटीएस–एटीएस ट्रेडों की मैपिंग		109 सीटीएस ट्रेड मैप किए गए
11	सीटीएस–सीआईटीएस ट्रेडों की मैपिंग		54 सीआईटीएस को 80 सीटीएस ट्रेडों में मैप किया गया
12	एटीएस सेक्शन मुख्यालय में एटीएस ट्रेडों के नवीनीकरण में भागीदारी		
13	150 सीटीएस और 54 सीआईटीएस पाठ्यक्रम हिंदी में अनुदित।		
14	ग्रामीण जल आपूर्ति प्रणाली के प्रबंधन के लिए जल जीवन अभियान की प्रगति पाठ्यक्रम तैयार किए		जारी

प्रशिक्षण विंग द्वारा किए गए कार्यकलाप:–

- नव नियुक्त आईएसडीएस अधिकारियों, 16 सहायक निदेशकों के लिए 18 सप्ताह के बुनियादी पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया।
- कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न इनहाउस प्रशिक्षण आयोजित किए और प्रशिक्षण पद्धतियों, टीओटी, प्रबंधकीय और पर्यवेक्षी विकास कार्यक्रमों पर संकाय और प्राचार्यों के अनुरोध के आधार पर परिसर से बाहर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।
- सीएसटीएआरआई ने मास्टर प्रशिक्षकों के लिए विभिन्न स्तरों के लिए परिशोधित पाठ्यक्रम पर रोजगार कौशल प्रशिक्षण, एनएसटीआई, एनएसटीआई (डब्ल्यू), आईटीओटी और आईटीआई को शामिल करने वाले प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी) का आयोजन किया।
- प्रशिक्षित प्रतिभागियों की कुल संख्या 635 है।

आकृति 22: आईएसडीएस अधिकारियों के फाउंडेशन प्रशिक्षण के समापन समारोह में श्री अतुल कुमार तिवारी, सचिव, कौशल विकास और उद्यमशीलता को संबोधित किया गया

की गई नई पहलें:–

- नव नियुक्त आईएसडीएस अधिकारियों, सहायक निदेशकों के लिए 18 सप्ताह के बुनियादी पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया।
- छात्रावास का नवीनीकरण।
- इनडोर और आउटडोर खेल जैसे जिम, वॉलीबॉल कोर्ट, स्नूकर बोर्ड, टेबल टेनिस, साइकिल आदि सुविधाओं का विकास।
- कक्षा कक्षों का उन्नयन।
- सीएसटीएआरआई में ई ऑफिस का कार्यान्वयन।
- 100 केवीए डीजी सेट के साथ सबस्टेशन का उन्नयन।
- प्रशिक्षण अनुभाग के लिए कैफेटेरिया का विकास।

आकृति 23, 24, 25 और 26: श्री अतुल कुमार तिवारी, सचिव, कौशल विकास और उद्यमिता सीएसटीएआरआई, कोलकाता में प्रशिक्षकों/प्रतिभागियों के लिए बनाई गई सुविधाओं का निरीक्षण करते हुए

4.10 जन शिक्षण संस्थान निदेशालय

4.10.1 परिचय

शिक्षा मंत्रालय (पूर्ववर्ती एमएचआरडी) ने पत्र संख्या एफ.8–23/2017–एनएलएम.3 (भाग 1) दिनांक 11.07.2018 के माध्यम से जन शिक्षण संस्थान स्कीम को 13 स्टाफ सदस्यों के साथ प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय और जन शिक्षण संस्थान, आरके पुरम से कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय को अंतरित कर दिया गया था।

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने जन शिक्षण संस्थान स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए आदेश संख्या ए–36017/2/2017–स्था. दिनांक 21 अगस्त, 2018 के द्वारा एमएसडीई के अधीनस्थ कार्यालय के रूप में जन शिक्षण संस्थान निदेशालय की स्थापना की।

जन शिक्षण संस्थान निदेशालय को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए थेः

- जन शिक्षण संस्थान की स्कीम की निगरानी और मूल्यांकन और कार्यक्रम पदाधिकारियों का प्रशिक्षण।
- नीति निर्माण के लिए तकनीकी जानकारी के साथ–साथ इसके कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय की और से कार्यपालक दिशानिर्देश देना।
- डीजेएसएस को आवंटित विषयों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर सहित संसद के मामले।
- अन्य सभी मामले जो अन्यथा एमएसडीई को नहीं सौंपे गए हैं।

जन शिक्षण संस्थान निदेशालय के उत्तरदायित्व

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने कार्यालय आदेश संख्या एफ़.3/1/2019–जेएसएस (एमएसडीई) दिनांक 10 जुलाई 2019 द्वारा डीजेएसएस को निम्नलिखित उत्तरदायित्व सौंपेः

- ✓ जेएसएस की वार्षिक कार्य योजना का अनुमोदन
- ✓ जेएसएस को अनुदान जारी करने की सिफारिश
- ✓ जेएसएस को तकनीकी संसाधन सहायता सेवाओं की सुविधा और समन्वय करना
- ✓ समय–समय पर यात्राओं के माध्यम से जेएसएस की प्रगति का पर्यवेक्षण और निगरानी
- ✓ जेएसएस के कार्यक्रम/प्रशासनिक कर्मचारियों का प्रशिक्षण और उन्मुखीकरण
- ✓ मास्टर ट्रेनर्स का पूल बनाना
- ✓ समाशोधन गृह सेवाएं
- ✓ प्रबंधन बोर्ड/कार्यकारी समिति के सदस्यों और कार्यक्रम/प्रशासनिक कर्मचारियों को मार्गदर्शन प्रदान करना
- ✓ अर्धवार्षिक/वार्षिक समीक्षा बैठकें आयोजित करना
- ✓ पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या तैयार करना
- ✓ जेएसएस के आजीविका प्रकोष्ठों की निगरानी
- ✓ कौशल विकास के क्षेत्र में अन्य हितधारकों के साथ सहयोग और समन्वय करना
- ✓ नए जेएसएस का संचालन
- ✓ जेएसएस पोर्टल से संबंधित मामले, अर्थात इसका आवधिक अद्यतनीकरण, रखरखाव, आदि।
- ✓ प्रचार और मीडिया

- ✓ राष्ट्रीय स्तर की बैठकों/कार्यशालाओं/संगोष्ठियों का आयोजन
- ✓ स्कीम के उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कार्यकलाप
- ✓ जेएसएस के प्रबंधन बोर्ड के प्रस्तावों का सूक्ष्म परीक्षण
- ✓ जन शिकायत पोर्टल पर शिकायतें
- ✓ कार्यात्मक मामलों पर जेएसएस के संबंध में आरटीआई मामले
- ✓ जेएसएस के कार्यात्मक मामलों पर अदालती मामलों पर इनपुट प्रदान करना
- ✓ जेएसएस स्कीम के प्रचार/कार्यान्वयन या उससे संबंधित मामले के लिए निदेशालय को सौंपा गया कोई अन्य कार्य।

I. जनवरी 2022 से मार्च 2022 तक किए गए कार्यकलाप

1. कौशल केंद्र पहल की हैंड होल्डिंग और मॉनिटरिंग – जेएसएस

पीएमकेवीवाई के तहत कौशल केंद्र पहल (एसएचआई) का उद्देश्य साझा बुनियादी ढांचे का निर्माण करना, स्थानीय अर्थव्यवस्था की जरूरतों के अनुसार कार्यनीतिक संतुलन और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए सभी लक्षित क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करना है। कौशल केंद्र पहल के प्रायोगिक चरण में, देश भर में 50 जन शिक्षण संस्थानों की पहचान की गई और उन्हें अतिरिक्त कौशल लक्ष्य प्रदान किया गया।

कौशल केंद्र पहल के तहत 50 चयनित जेएसएस के तकनीकी पहलुओं और मामलों का समाधान करने के लिए जेएसएस और एनएसडीसी निदेशालय द्वारा अनेक हैंडहोल्डिंग बैठकें आयोजित की गईं। दिनांक 5.7.2022 तक, 47 जन शिक्षण संस्थानों ने 154 बैचों में 4,615 लाभार्थियों का नामांकन किया गया। जेएसएस ने कौशल केंद्र पहल के प्रयोगिक चरण को सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया गया।

आकृति 27 और 28: प्रशिक्षण सत्र

2. जेएसएस द्वारा राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन

प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है ताकि भारत में बालिकाओं के साथ होने वाली असमानताओं, बालिकाओं के मौलिक अधिकारों और महिला पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके।

आजादी के अमृत महोत्सव के तहत, जन शिक्षण संस्थान ने 24 जनवरी, 2022 को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया। इसमें देश भर की लगभग 25,000 महिलाओं ने भाग लिया। जेएसएस ने इस अवसर पर रंगोली बनाना, सेल्फी विद डॉटर, प्रमाण–पत्र वितरण, सांस्कृतिक और जागरूकता कार्यकलापों आदि जैसे विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया।

Selfie with daughter

जन शिक्षण संस्थान ने गांव जलमाना में मनाया बालिका दिवस

3. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस

8 मार्च, 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एमएसडीई द्वारा एक वेबिनार आयोजित किया गया। जेएसएस की तीन महिला लाभार्थियों ने भी वेबिनार में भाग लिया। इस अवसर को महिलाओं और उनकी प्रेरक कहानियों, उपलब्धियों और महिलाओं द्वारा निभाई गई भूमिकाओं में उत्कृष्टता का उत्सव मनाने के लिए "ब्रेक द बायस" अभियान के साथ चिह्नित किया गया था। जेएसएस की निम्नलिखित तीन महिला लाभार्थियों ने कार्यक्रम में भाग लिया:

1. सुश्री रानी केवट, विद्युत तकनीशियन, जेएसएस सरगुजा, छत्तीसगढ़
2. सुश्री सबा बानो जावेद खान पठान, टैक्सी ड्राइवर, जेएसएस धुले, महाराष्ट्र
3. श्रीमती शैलजा अय्यप्पन, प्लंबर, जेएसएस त्रिशूर, केरल

श्रीमती शैलजा अय्यपन की "ब्रेक द बायस" कहानी, जिन्होंने जेएसएस त्रिशूर से प्लंबिंग ट्रेड में प्रशिक्षण प्राप्त किया और सफलतापूर्वक "प्लंबर" (एक पुरुष प्रधान क्षेत्र) के रूप में काम करने को कौशल इकोसिस्टम की अन्य कहानियों के साथ कार्यक्रम में वेबकास्ट किया गया।

जेएसएस स्तर पर आयोजित कार्यक्रम

इसके अलावा, जन शिक्षण संस्थानों ने महिलाओं के योगदान को स्वीकार करने के लिए देश भर में प्रक्रिया से संबंधित अपने क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया। जेएसएस द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में माननीय संसद सदस्य, स्थानीय विधायक और जिला प्रशासन के अधिकारी मुख्य अतिथि थे। कुछ जेएसएस ने अपने जिलों के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के सहयोग से महिला दिवस मनाया। अखिल भारतीय कार्यक्रम में 20,000 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया।

महिला दिवस पर आयोजित प्रमुख कार्यकलाप:

1. महिला लाभार्थियों का अभिनंदन
2. जेएसएस द्वारा तैयार उत्पादों की प्रदर्शनी
3. प्रमाण–पत्र वितरण
4. रंगोली प्रतियोगिताएं
5. महिला सशक्तिकरण पर व्याख्यान और वार्ताएं

जेएसएस के कार्यक्रमों को स्थानीय समाचार पत्रों, टीवी चैनलों और सोशल मीडिया ने प्रसारित किया।

4. डिजिटल प्रौद्योगिकी सभा पुरस्कार 2022

जेएसएस के एमआईएस पोर्टल को 22.02.2022 को 'एंटरप्राइज एप्लीकेशन' श्रेणी के तहत एक्सप्रेस ग्रुप द्वारा 'डिजिटल प्रौद्योगिकी सभा पुरस्कार 2022' से सम्मानित किया गया।

5. वर्ष 2021–22 के दौरान जेएसएस द्वारा प्रशिक्षित लाभार्थी

(i) शामिल लाभार्थी

वर्ष	लक्ष्य	नामांकित	प्रशिक्षित	आकलित	प्रमाणित
2021–22	4,76,180	4,62,059	4,61,996	4,57,649	4,54,696

(ii) जेंडर–वार कवरेज

नामांकित				आकलित			
पुरुष	महिला	ट्रांस जेंडर	योग	पुरुष	महिला	ट्रांस जेंडर	योग
76,573	3,85,287	199	4,62,059	75,393	3,82,057	199	4,57,649

(iii) प्रशिक्षित लाभार्थियों की सामाजिक स्थिति

एससी	एसटी	ओबीसी	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
1,22,294	61,265	1,63,429	44,283	70,725	4,61,996
26.47%	13.26%	35.37%	9.59%	15.31%	

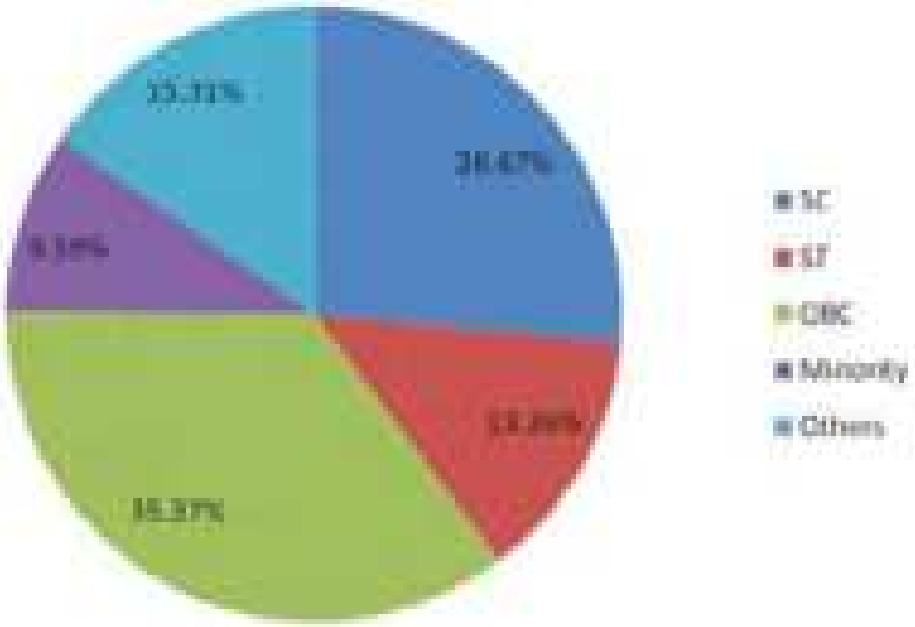

ii. अप्रैल 2022 से दिसंबर 2022 तक किए गए कार्यकलाप

1. जेएसएस स्कीम के लिए अर्हता पैक का विकास

जेएसएस स्कीम के लिए अलग एनएसक्यूएफ अनुरूप जॉब रोल विकसित करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार, जन शिक्षण संस्थान निदेशालय ने जेएसएस के चयनित निदेशकों और संसाधन व्यक्तियों के साथ बैठकों की एक श्रृंखला आयोजित करके जेएसएस स्कीम के लिए उपयुक्त जॉब रोलों की पहचान की है।

जन शिक्षण संस्थान निदेशालय, एमएसडीई, भारत सरकार ने 25–27 अप्रैल, 2022 को नई दिल्ली में जेएसएस के चयनित निदेशकों और संसाधन व्यक्तियों के लिए 'एनएसक्यूएफ अर्हता फाइलें/जेएसएस स्कीम के लिए आदर्श पाठ्यक्रम' तैयार करने के लिए 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की। 18–20 मई, 2022 को नई दिल्ली में दिल्ली के जेएसएस के निदेशकों, आईटीआई के सेवानिवृत्त प्रधानाचार्यों और पाठ्यक्रम के विकास के क्षेत्र में विशेषज्ञों के साथ एक अन्य कार्यशाला भी आयोजित की गई।

राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) की राष्ट्रीय कौशल अर्हता समिति (एनएसक्यूसी) ने 28 अप्रैल और 30 जून 2022 को आयोजित बैठकों में जेएसएस निदेशालय द्वारा विकसित 15 क्यूपी को मंजूरी दी। वित्त वर्ष 2022–23 से इन जॉब रोलों के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

2. जेएसएस निदेशालय को आकलन एजेंसी (एए) और अवार्डिंग निकाय (एबी) के रूप में मान्यता देना

जेएसएस निदेशालय को जून–2022 में एनसीवीईटी द्वारा जेएसएस स्कीम के लिए दोहरी श्रेणी के तहत आकलन एजेंसी और अवार्डिंग निकाय के रूप में सिद्धांत रूप में मान्यता दी गई है। जेएसएस लाभार्थियों का आकलन डीजेएसएस द्वारा आकलनकर्ताओं के पूल के माध्यम से किया जाएगा।

3. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस–2022 का आयोजनः

21 जून को पूरे देश में जन शिक्षण संस्थानों (जेएसएस) द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस – 2022 मनाया गया और जेएसएस द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में 20,000 से अधिक लाभार्थियों ने भाग लिया।

जन शिक्षण संस्थान निदेशालय, एमएसडीई, भारत सरकार ने भी अपने कार्यालय, जामनगर हाउस, नई दिल्ली में योग दिवस मनाया।

4. नई शिक्षा नीति (एनईपी 2020) की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर प्रदर्शनी

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 की दूसरी वर्षगांठ 29 जुलाई, 2022 को अम्बेडकर भवन, नई दिल्ली में मनाई गई। माननीय गृह मंत्री और माननीय शिक्षा एवं कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री ने इस अवसर की शोभा बढ़ाई।

कार्यक्रम के दौरान एमएसडीई इकोसिस्टम की सभी स्कीमों ने अपनी उपलब्धियों को प्रदर्शित किया। दिल्ली के जन शिक्षण संस्थानों ने अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया और जेएसएस के लाभार्थियों ने उनके द्वारा तैयार उत्पादों का साक्षात प्रदर्शन किया।

5. 2022–23 के लिए जेएसएस की वार्षिक कार्य योजना का अनुमोदन

जेएसएस पोर्टल में 286 जन शिक्षण संस्थानों की वार्षिक कार्य योजनाओं को मंजूरी दी गई।

6. स्वच्छता पखवाड़ा–2022

भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों को उनके अधिकार क्षेत्र में शामिल स्वच्छता मामलों और प्रथाओं पर गहन ध्यान देने के उद्देश्य से अप्रैल 2016 में स्वच्छता पखवाड़ा मनाने की प्रथा शुरू की गई थी। स्वच्छता से संबंधित कार्यकलापों में भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को शामिल करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत "स्वच्छता पखवाड़ा" एक महत्वपूर्ण पहल है, जिससे स्वच्छता को "हर कोई व्यवसाय" बना सके।

पिछले वर्षों की तरह, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) ने फील्ड संस्थानों सहित एमएसडीई के नियंत्रण वाले सभी संगठनों द्वारा 16–31 जुलाई, 2022 तक स्वच्छता पखवाड़ा–2022 मनाने का निर्णय लिया है। तदनुसार, जन शिक्षण संस्थान निदेशालय ने सभी जन शिक्षण संस्थानों को स्वच्छता पखवाड़ा–2022 का पालन करने के निर्देश जारी किए।

जन शिक्षण संस्थानों ने 16–31 जुलाई, 2022 तक अपने परिचालन क्षेत्रों में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया। जन शिक्षण संस्थानों द्वारा पखवाड़ा के दौरान निम्नलिखित मुख्य कार्यकलाप किए गए:

- स्वच्छता शपथ लेना
- स्वच्छता पर रैली
- स्वच्छता अभियान
- वृक्षारोपण
- श्रमदान
- पुराने अभिलेखों की छंटाई
- स्वास्थ्य और स्वच्छता पर जागरूकता
- कौशल प्रतियोगिताएं

पखवाड़ा के संबंध में जन शिक्षण संस्थानों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में स्थानीय समुदाय के नेताओं, कस्तूरबा गांधी विद्यालयों के छात्रों और शिक्षकों, राज्य/जिला प्रशासन के अधिकारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

जन शिक्षण संस्थानों से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार देश में 16–31 जुलाई, 2022 तक जेएसएस द्वारा मनाए गए स्वच्छता पखवाड़ा–2022 में 1.70 लाख से अधिक लाभार्थियों ने भाग लिया। जेएसएस द्वारा आयोजित कार्यक्रमों को स्थानीय मीडिया, समाचार पत्रों आदि द्वारा प्रचारित किया गया था। कार्यक्रमों को प्रचारित करने के लिए फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब आदि जैसे मीडिया प्लेटफॉर्म का भी लाभ उठाया गया।

स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान जेएसएस द्वारा संचालित गतिविधियां

जागरूकता शिविर एवं स्वच्छता पखवाड़े के समर्थन में हस्ताक्षर कार्यक्रम आयोजित

सभी वर्ग सफाई के प्रति सजग रहना चाहिए: शिप्रा

स्वच्छता पखवाड़े में जे एस एस चित्रकूट ने किया विविध जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन

शहरों कस्बों में फूलदार एवं फलदार पौधों का करें रोपण - अभय महाजन

7. हर घर तिरंगा

आजादी का अमृत महोत्सव (एकेएएम) के अंतर्गत, देश भर में 200 से अधिक जन शिक्षण संस्थानों ने अपने कार्य क्षेत्रों में हर घर तिरंगा अभियान को बढ़ावा देने के लिए 13–15 अगस्त, 2022 तक कार्यक्रम आयोजित किए। जेएसएस ने रैलियां आयोजित कीं, झंडे बांटे, तिरंगे के साथ सेल्फी ली और स्थानीय समुदाय को राष्ट्रीय ध्वज के महत्व के बारे में जागरूक किया। आयोजनों में एक लाख से अधिक व्यक्तियों को जुटाया गया/भाग लिया गया।

हर घर तिरंगा अभियान में जेएसएस निदेशालय के कर्मचारियों ने भी भाग लिया।

8. विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस

जेएसएस ने 14.08.2022 को एकेएएम के तहत "विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस" पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया। इस सामूहिक प्रयास के माध्यम से जेएसएस ने विभाजन की दुखद यादों को याद किया और उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाई थी। जेएसएस से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, अखिल भारतीय कार्यक्रम में इकतीस हजार से अधिक व्यक्तियों ने भाग लिया।

9. कौशल दीक्षांत समारोह (पहला दीक्षांत समारोह) – 17 सितंबर 2022

विश्वकर्मा जयंती के शुभ अवसर पर कौशल दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 50 लाख छात्रों को संबोधित किया, ताकि उन्हें एक आत्मनिर्भर भारत बनाने के लक्ष्य की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित किया जा सके। साथ ही पूरे कौशल इकोसिस्टम में छात्रों की भावना को बढ़ाने के लिए 17 सितंबर, 2022 को नई दिल्ली में, केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान और राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर, एमएसडीई ने कौशल इकोसिस्टम से चुने गए 100 टॉपर्स को दीक्षांत समारोह का प्रमाण–पत्र प्रदान किया और सम्मानित किया।

इस अवसर पर जन शिक्षण संस्थानों के छह लाभार्थियों सहित कौशलीकरण के सभी इकोसिस्टम के शिक्षुओं को प्रमाण–पत्र प्रदान किए गए। वे इस प्रकार हैं:

क्र.सं.	राज्य	जेएसएस	जॉब रोल	प्रशिक्षणार्थी के नाम
1	महाराष्ट्र	वर्ली मुंबई	क्राफ्ट बेकर	सुश्री अर्चना कुकडे
2	तेलंगाना	आदिलाबाद	टैक्सी चालक	सुश्री सीएच सविता
3	चंडीगढ़	चंडीगढ़	सामान्य कार्य सहायक	अमन कुमार
4	महाराष्ट्र	औरंगाबाद	पटसन उत्पाद तैयारकर्ता	सुश्री समीक्षा दिनेश कापकर
5	उत्तरप्रदेश	शाहजहाँपुर	कारपेट बुनकर	मो. इमरान खान
6	उड़ीशा	कटक	स्वनियोजित दर्जी	सुश्री शीला चतर

राष्ट्रीय कार्यक्रम के अलावा, 250 से अधिक जन शिक्षण संस्थानों ने अपने कार्य क्षेत्रों में दीक्षांत समारोह (प्रथम कौशल दीक्षांत समारोह) का भी आयोजन किया। अखिल भारतीय कार्यक्रम में 1.15 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया और पास–आउट लाभार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए।

कौशल दीक्षांत समारोह में जन शिक्षण संस्थान ने माननीय संसद सदस्यों, माननीय विधायकगण, जिला कलेक्टरों, कुलपतियों एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। स्थानीय मीडिया में इस कार्यक्रम की व्यापक कवरेज की गई।

10. विशेष अभियान 2.0

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के अधीन एक अधीनस्थ कार्यालय जन शिक्षण संस्थान निदेशालय ने विशेष अभियान 2.0 में दोनों चरणों 14 सितंबर, 2022 से 30 सितंबर, 2022 तक प्रारंभिक चरण और 2 अक्तूबर, 2022 से 31 अक्तूबर 2022 तक कार्यान्वयन चरण में भाग लिया। स्वच्छता अभियान का विशेष फोकस पुरानी फाइलों और रिकॉर्ड को हटाकर जगह बनाने पर था. देश में जन शिक्षण संस्थानों के बाहरी अभियान स्थलों के रूप में पहचान की गई और जेएसएस द्वारा स्वच्छता अभियान चलाए गए।

स्वच्छता के लिए विशेष अभियान 2.0 के एक भाग के रूप में, 19 अक्तूबर 2022 को देश भर में जन शिक्षण संस्थानों (जेएसएस) द्वारा अपने कार्य क्षेत्रों में मेगा वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया गया था। जेएसएस ने इस जिम्मेदारी को उत्साह से लिया है और 250 से अधिक जन शिक्षण संस्थानों द्वारा वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ वातावरण तैयार करने के लिए 50,000 से अधिक पौधे लगाए गए हैं। जेएसएस निदेशालय, एमएसडीई ने भी मेगा ड्राइव में भाग लिया और जामनगर हाउस, नई दिल्ली में डीजेएसएस कार्यालय में पौधे लगाए।

11. राष्ट्रीय एकता दिवस

सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती मनाने के लिए प्रत्येक वर्ष, 31 अक्तूबर को भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस या राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। एकता दिवस का उद्देश्य देश की एकता का उत्थान और वल्लभभाई पटेल के योगदान के बारे में जागरूकता फैलाना है। यह दिन देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को कायम रखते हुए, राष्ट्र की ताकत की पुनः पुष्टि करने का अवसर प्रदान करता है।

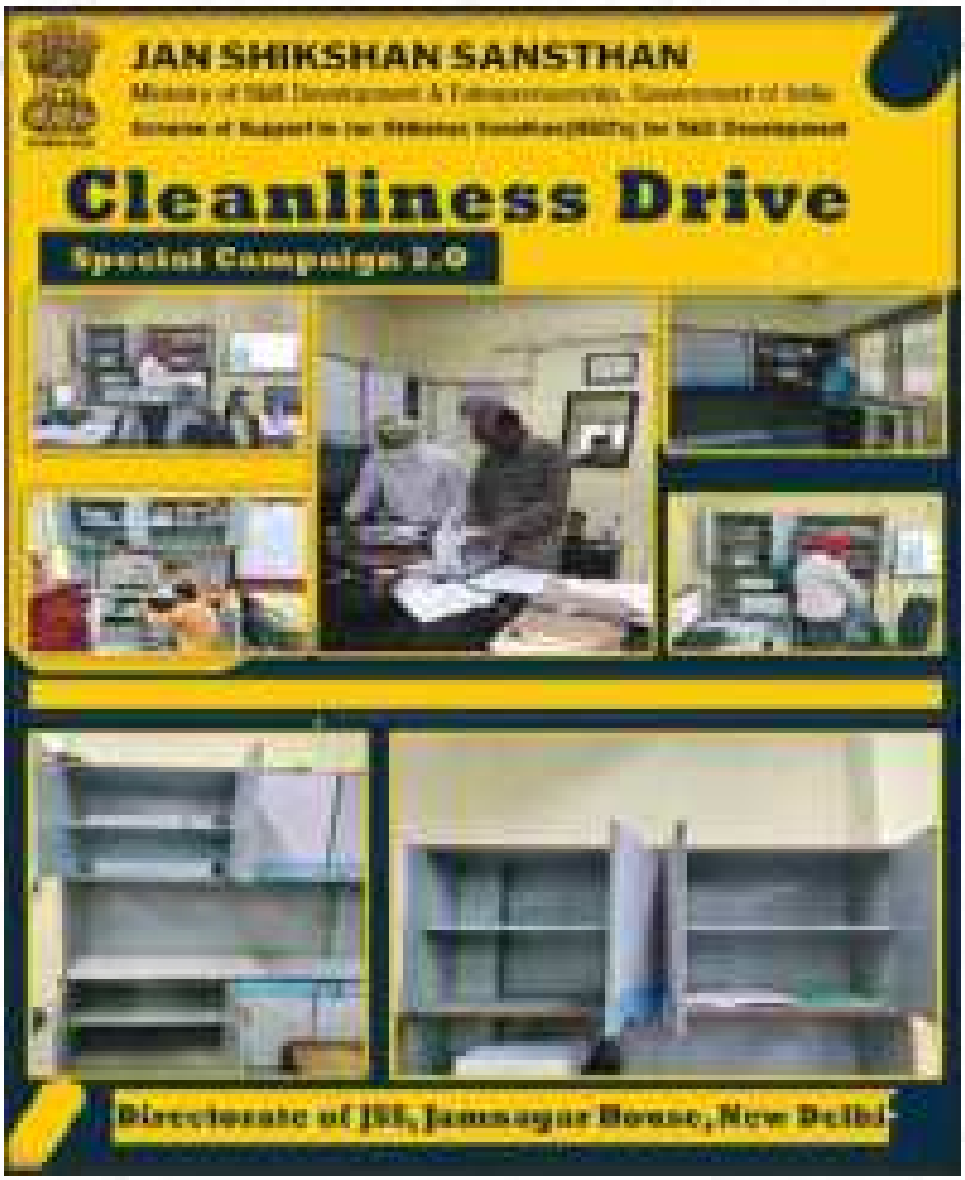

पिछले वर्षों की तरह, जन शिक्षण संस्थानों (जेएसएस) ने 31 अक्तूबर 2022 को पूरे देश में बड़े जोश और उत्साह के साथ राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर, जेएसएस ने एकता दौड़, रैलियों का आयोजन किया और एकता की शपथ ली। जेएसएस द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में लगभग 41,600 व्यक्तियों ने भाग लिया।

12. जनजातीय गौरव दिवस

देश भर में 15 नवंबर 2022 को लगभग 250 जन शिक्षण संस्थानों द्वारा जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया, जिसमें 32,000 से अधिक लाभार्थियों ने भाग लिया। यह दिन सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और राष्ट्रीय गौरव, वीरता और आतिथ्य के भारतीय मूल्यों को बढ़ावा देने में जनजातियों के प्रयासों को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। इस कार्यक्रम को स्थानीय प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी कवर किया था।

13. संविधान दिवस

देश भर के जन शिक्षण संस्थानों ने सक्रिय रूप से भाग लिया और 26.11.2022 को संविधान दिवस मनाया, जिसमें 36,000 से अधिक लोगों ने शपथ ली।

14. जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) स्कीम में उद्यमशीलता का माहौल बनाना

राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निस्बड) के माध्यम से जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) स्कीम में उद्यमशीलता का माहौल बनाने के लिए एक परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। परियोजना का उद्देश्य जेएसएस कर्मचारियों और प्रशिक्षकों की क्षमता–निर्माण, सलाह और सहायता के माध्यम से जन शिक्षण संस्थानों में उद्यमशीलता की भावना को सुदृढ़ करना और बढ़ावा देना है।

दिल्ली और एनसीआर के जेएसएस कर्मचारियों और प्रशिक्षकों के लिए रोजगार, उद्यमशीलता और जीवन कौशल पर प्रशिक्षक कार्यक्रम के पहले बैच का वर्चुअली उद्घाटन श्री अतुल कुमार तिवारी, सचिव, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार ने 14 नवंबर 2022 को किया था।

दिल्ली–एनसीआर, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, चंडीगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और ओडिशा जेएसएस के कर्मचारियों और प्रशिक्षकों के लिए नवंबर–दिसंबर 2022 के दौरान रोजगार, उद्यमशीलता और जीवन कौशल पर टीओटी कार्यक्रम के पैंतालीस बैचों का आयोजन किया गया था। जेएसएस के कुल 1,103 स्टाफ सदस्यों और संसाधन व्यक्तियों ने इन कार्यक्रमों में भाग लिया।

15. राष्ट्रीय ऋण ढांचे (एनसीआरएफ़) पर जागरूकता कार्यशालाएं और जन शिक्षण संस्थानों की समीक्षा बैठकें

जन शिक्षण संस्थान निदेशालय ने माह दिसंबर, 2022 में राष्ट्रीय ऋण ढांचे (एनसीआरएफ) और जन शिक्षण संस्थानों की समीक्षा बैठकों पर जागरूकता कार्यशालाओं का आयोजन किया। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य जेएसएस के प्रभारी निदेशक/निदेशक को राष्ट्रीय स्तर पर संचेतना पैदा करना था। ऋण ढांचे और चालू वर्ष अर्थात 2022–23 के दौरान जेएसएस द्वारा की गई प्रगति की समीक्षा करना।

एनसीवीईटी के अधिकारी ने प्रतिभागियों को एनसीआरएफ के बारे में जानकारी दी। प्रगति की समीक्षा के अलावा, पीएफएमएस, जेएसएस पोर्टल आदि के कार्यान्वयन में जेएसएस के सामने आने वाली अन्य समस्याओं का भी समाधान किया गया।

तालिका 11: जागरूकता कार्यशाला–सह–समीक्षा बैठक का बैच–वार कार्यक्रम नीचे दिया गया है:

बैच	अवधि	स्थान	भाग लेने वाले जेएसएस
1.	दिसम्बर 13–14, 2022	लखनऊ उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जेएसएस के प्रभारी निदेशक/निदेशक
2.	दिसम्बर 16–17, 2022	मुंबई महाराष्ट्र	दादर नगर हवेली दमन और दीव, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के जेएसएस के प्रभारी निदेशक/निदेशक
3.	दिसम्बर 29–30, 2022	रायपुर छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के जेएसएस के प्रभारी निदेशक/निदेशक

16. वर्चुअल बैठकें

जेएसएस निदेशालय के कार्यों में से एक जेएसएस स्कीम के बेहतर कार्यान्वयन के लिए जेएसएस को समय–समय पर सहायता प्रदान करना है। इसी सिलसिले में विभिन्न पहलुओं पर वर्ष भर वर्चुअल बैठकें आयोजित की गईं। आयोजित वर्चुअल बैठकों के संक्षिप्त विवरण नीचे दिए गए हैं:

i. 11.1.2022 और 12.1.2022 को जेएसएस के ग्रेडिंग मॉड्यूल पर उनके जिले में कोविड की स्थिति और उन्मुखीकरण पर चर्चा करने के लिए 234 जेएसएस के निदेशकों के साथ 5 बैचों में वर्चुअल बैठकें।

ii. संकल्प परियोजना के तहत 30 मॉडल जेएसएस केंद्रों की स्थापना के लिए चयनित जेएसएस के साथ परिचयात्मक बैठक 19.1.2022 को आयोजित की गई थी।

iii. 70 नए स्वीकृत जेएसएस के प्रभारी निदेशक के साथ आवंटित लक्ष्य के लिए जेएसएस द्वारा की गई प्रगति, प्रबंधन बोर्ड का गठन, गैर–आवर्ती अनुदान के संबंध में यूसी जमा करना, पोर्टल से संबंधित जेएसएस के सामने आने वाले मामले आदि की समीक्षा के लिए 19.02.2022 को 2 बैचों में वर्चुअल बैठकें।

iv. 8 मार्च, 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उत्सव के संबंध में 24 फरवरी 2022 को "पूर्वाग्रह को तोड़ें" विषय पर उनकी कहानियों के आधार पर चयनित जेएसएस के साथ एक वर्चुअल बैठक आयोजित की गई।

v. संकल्प परियोजना के तहत "मॉडल लैब" की स्थापना हेतु 30 चयनित जेएसएस के साथ जॉब रोल–वार क्रय सूची को अंतिम रूप देने के लिए 14.03.2022 को वर्चुअल बैठक आयोजित की गई थी।

vi. 16.3.2022 को उनकी प्रगति और अन्य मामलों की समीक्षा करने के लिए कौशल केंद्र पहल के तहत 50 चयनित जेएसएस के साथ जेएसएस निदेशालय द्वारा वर्चुअल हैंडहोल्डिंग बैठक आयोजित की गई थी।

vii. 21.04.2022 को उनकी प्रगति और अन्य मुद्दों की समीक्षा करने के लिए कौशल केंद्र पहल के तहत 50 चयनित जेएसएस और एनएसडीसी के साथ जेएसएस निदेशालय द्वारा वर्चुअल हैंडहोल्डिंग बैठक आयोजित की गई थी।

viii. गैर–आवर्ती अनुदान के उपयोग की स्थिति, प्रबंधन बोर्ड के गठन और नियमित निदेशक की नियुक्ति की समीक्षा के लिए डीजेएसएस द्वारा दिनांक 31.05.2022 को नव स्वीकृत जन शिक्षण संस्थानों के तीन बैचों में वर्चुअल बैठक आयोजित की गई।

ix. जेएसएस स्कीम के लिए 15 अनुमोदित अर्हता पर हैंडबुक तैयार करने के लिए चयनित जेएसएस के निदेशकों के साथ 8.7.2022, 22.7.2022 और 25.7.2022 को ऑनलाइन बैठकें आयोजित की गईं।

x. अगस्त, 2022 से कौशल प्रशिक्षण शुरू करने पर जेएसएस को संवेदनशील बनाने, आधार आधारित नामांकन, बायोमेट्रिक उपस्थिति और तृतीय पक्ष आकलन प्रणाली पर चर्चा करने के लिए जेएसएस निदेशालय ने 30.7.2022 को तीन बैचों में 300 जेएसएस की ऑनलाइन बैठकें आयोजित कीं।

xi. कार्ययोजना 2022–23 के क्रियान्वयन की स्थिति जानने के लिए दिनांक 18.08.2022 को तीन बैचों में जेएसएस के साथ ऑनलाइन बैठकें आयोजित की गईं।

xii. जेएसएस स्कीम में आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति के कार्यान्वयन के संबंध में एनआईसी और जेएसएस पोर्टल डेवलपर के साथ अनेक बैठकें आयोजित की गईं।

5

स्कीमें और पहलें

क. एनएसडीसी द्वारा संचालित स्कीमें और पहलें

5.1 प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

1. पृष्ठभूमि

1.1. प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) को 2015 में प्रायोगिक योजना के रूप में शुरू किया गया था ताकि देश में कौशल विकास को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए निःशुल्क अल्पावधि कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किया जा सके और युवाओं को कौशल प्रमाणन प्राप्त करने के लिए नकद पुरस्कार प्रदान करके इसे प्रोत्साहित किया जा सके। इसके प्रायोगिक चरण के दौरान, देश भर में लगभग 19.86 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित/उन्मुख किया गया है।

1.2. इसके कार्यान्वयन के पहले वर्ष के सफल होने के कारण, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएमकेवीवाई 2.0 (2016–20) के तहत 12,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ देश के 1 करोड़ युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए स्कीम को और चार वर्षों के लिए मंजूरी दे दी थी। 31.12.2022 तक, देश भर में लगभग 110 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित/उन्मुख किया गया है।

1.3. प्रमुख स्कीम–प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (यानी पीएमकेवीवाई 3.0) का तीसरा चरण जनवरी 2021 में शुरू किया गया था। पीएमकेवीवाई 1.0 और पीएमकेवीवाई 2.0 के अनुभवों को शामिल करते हुए, पीएमकेवीवाई 3.0 का शुभारंभ किया गया था, जिसमें जिला स्तर पर कौशल अंतराल को दूर करने और मांग का आकलन करने के लिए जिला कौशल समितियां (डीएससी) की बढ़ी हुई भूमिका के दिशा–निर्देशों का सुदृढ़ सेट था। 31.12.2022 तक, देश भर में 7.37 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित/उन्मुख किया गया है।

2. प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (1, 2, 3) – एक सिंहावलोकन

- प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) की एक प्रमुख स्कीम है, जिसका उद्देश्य 1.32 करोड़ भावी युवाओं को अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी), पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल) और देश भर में विशेष परियोजनाएं के तहत प्रशिक्षित करना है।

  निम्नलिखित विवरण के अनुसार पीएमकेवीवाई के दो घटक हैं–

  - **राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी)** द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा केंद्र प्रायोजित केंद्र प्रबंधित (सीएससीएम) या 'केंद्रीय घटक'
  - **राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के राज्य कौशल विकास मिशनों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा केंद्र प्रायोजित राज्य प्रबंधित (सीएसएसएम)** या राज्य घटक

- स्कीम का पहला चरण केवल केंद्रीय घटक के तहत कार्यान्वित किया गया था, जबकि बाद के दो चरण (यानी पीएमकेवीवाई 2.0 और पीएमकेवीवाई 3.0) दोनों घटकों के तहत कार्यान्वित किए गए थे।

- पीएमकेवीवाई के सभी तीन चरणों (यानी पीएमकेवीवाई 1.0, 2.0 और 3.0) के तहत देश भर में कुल 1.37 करोड़ उम्मीदवारों को प्रशिक्षित/उन्मुख किया गया है और 1.10 करोड़ को प्रमाणित किया गया है। 31 दिसंबर 2022 तक स्किल इंडिया पोर्टल पर विवरण के अनुसार कुल नियोजन रिपोर्ट (एसटीटी और विशेष परियोजनाओं के तहत) 24.36 लाख है। स्कीम के तहत वास्तविक प्रगति का सारांश निम्नानुसार सारणीबद्ध किया गया है–

तालिका 12: सारांश: कौशल विकास कार्यक्रम की उपलब्धियां:

स्कीम	घटक	प्रशिक्षित				कुल प्रमाणित	कुल नियोजन रिपोर्ट
		एसटीटी	आरपीएल	विशेष परियोजनाएं	कुल प्रशिक्षित		
स्टार	–	14,00,844	0 (स्टार में कोई आरपील नहीं)	0 (स्टार में कोई विशेष परियोजना नहीं)	14,00,844	8,68,880	लागु नहीं'
पीएमकेवीवाई कुल	सीएससीएम+ सीएसएसएम	68,01,833	65,86,385	3,35,978	1,37,24,196	1,10,89,025	24,36,040
पीएमकेवीवाई 1.0	सीएससीएम	18,04,206	1,81,810	0 (पीएमकेवीवाई में कोई विशेष परियोजना नहीं)	19,86,016	14,51,636	2,53,296'
पीएमकेवीवाई 2.0	सीएससीएम	38,11,857	61,41,870	2,13,844	1,01,67,571	84,96,472	19,11,182
	सीएसएसएम	8,26,350	N/A	6,787	8,33,137	6,56,881	2,30,393
पीएमकेवीवाई 3.0	सीएससीएम	2,94,873	1,76,491	1,08,702	5,80,066	3,79,421	30,951
	सीएसएसएम	64,547	86,214	6,645	1,57,406	1,04,615	10,218
कुल योग		**82,02,677**	**65,86,385**	**3,35,978**	**1,51,25,040**	**1,19,57,905**	**24,36,040**

*नियोजन ट्रैकिंग अनिवार्य नहीं थी

**एसटीटी और एसपी के तहत उम्मीदवारों के लिए नियोजन के आंकड़े लागू होते हैं (क्योंकि आरपीएल पूर्व शिक्षण के अनुभव या कौशल वाले उम्मीदवारों को उन्मुख करता है, इसलिए नियोजन अनिवार्य नहीं है।)।

3. प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना 1.0 (पीएमकेवीवाई) (2015–16)

इस स्कीम को कौशल प्रमाणन और पुरस्कार स्कीम के रूप में डिजाइन किया गया था, जिसका उद्देश्य भारतीय युवाओं को बड़ी संख्या में कौशल प्रशिक्षण लेने और स्थायी आजीविका रोजगार योग्य बनाने के लिए सक्षम बनाना था। स्कीम के तहत, सफलतापूर्वक प्रशिक्षित उम्मीदवारों को नकद पुरस्कार प्रदान किया गया। स्कीम को प्रारंभ में वित्त वर्ष 2015–16 के लिए ही स्वीकृत किया गया था। यह स्कीम एमएसडीई द्वारा राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, क्षेत्र कौशल परिषदों और प्रशिक्षण प्रदाताओं के माध्यम से कार्यान्वित की गई थी। पीएमकेवीवाई 1.0 के तहत 19.86 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया और 14.51 लाख उम्मीदवारों को प्रमाणित किया गया।

तालिका 13: पीएमकेवीवाई 1.0 के तहत उपलब्धियों का सारांश इस प्रकार है:

घटक	प्रशिक्षण प्रणाली	नामांकित	प्रशिक्षित	आकलित	प्रमाणित	नियोजन रिपोर्ट
सीएससीएम	आरपीएल	1,81,810	1,81,810	1,77,988	1,19,157	–
	एसटीटी	18,04,206	18,04,206	17,73,499	13,32,479	2,53,296
कुल		**19,86,016**	**19,86,016**	**19,51,487**	**14,51,636**	**2,53,296**

तालिका 14: पीएमकेवीवाई 1.0 (2015–16) के राज्य–वार प्रशिक्षण विवरण:

राज्य का नाम	नामांकित	प्रशिक्षित	आकलित	प्रमाणित	नियोजित
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	194	194	164	20	–
आंध्र प्रदेश	1,36,635	1,36,635	1,34,154	1,08,651	18,629
अरुणाचल प्रदेश	1,017	1,017	881	611	88
असम	33,408	33,408	32,395	19,668	3,694
बिहार	92,047	92,047	90,492	60,655	12,047
चंडीगढ़	5,052	5,052	4,996	3,975	396
छत्तीसगढ	37,302	37,302	36,730	26,110	1,351
दिल्ली	1,05,772	1,05,772	1,04,724	70,882	5,244
गोवा	499	499	499	284	213
गुजरात	43,999	43,999	43,313	31,092	3,152
हरियाणा	86,446	86,446	83,472	63,104	8,278
हिमाचल प्रदेश	22,891	22,891	22,377	17,966	2,158
जम्मू और कश्मीर	18,102	18,102	17,958	12,904	274
झारखंड	28,773	28,773	28,722	21,454	1,855
कर्नाटक	77,051	77,051	75,742	55,979	13,877
केरल	15,339	15,339	15,098	11,572	1,487
लद्दाख	75	75	75	–	–
मध्य प्रदेश	1,68,898	1,68,898	1,66,685	1,25,348	22,709
महाराष्ट्र	1,09,435	1,09,435	1,07,479	77,605	10,844
मणिपुर	1,603	1,603	1,577	1,195	499
मेघालय	1,899	1,899	1,554	480	110
मिजोरम	1,030	1,030	1,030	694	93
नगालैंड	1,271	1,271	1,271	838	77
ओडिशा	61,357	61,357	59,940	40,811	10,430
पुदुचेरी	7,301	7,301	7,221	6,288	904
पंजाब	84,620	84,620	83,172	63,220	10,630
राजस्थान	1,33,587	1,33,587	1,32,538	1,03,646	13,224

सिक्किम	886	886	856	409	13
तमिलनाडु	1,69,214	1,69,214	1,65,039	1,29,083	44,752
तेलंगाना	1,08,931	1,08,931	1,07,219	86,252	20,923
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	488	488	488	343	207
त्रिपुरा	15,140	15,140	14,930	10,664	5,235
उत्तर प्रदेश	2,72,373	2,72,373	2,67,625	2,01,421	24,403
उत्तराखंड	14,301	14,301	14,108	9,985	1,180
पश्चिम बंगाल	1,29,080	1,29,080	1,26,963	88,427	14,320
कुल योग	19,86,016	19,86,016	19,51,487	14,51,636	2,53,296

4. प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना 2.0 (2016–2020):

पीएमकेवीवाई 2.0 (2016–2020) अनुदान आधारित स्कीम है, जो युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए निःशुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण और कौशल प्रमाणन प्रदान करती है। यह स्कीम 2 अक्तूबर 2016 को निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ शुरू की गई थी:

i. स्कूल की पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले, कॉलेज की पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले और बेरोजगार युवाओं को 200–500 घंटे के अल्प पाठ्यक्रम के माध्यम से नए सिरे से कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना।

ii. कौशल प्रमाणन के माध्यम से वर्तमान कार्य बल के उपलब्ध कौशल को मान्यता।

iii. राज्यों की क्षमता–विकास के लिए अग्रणी स्कीम के कार्यान्वयन में राज्यों को शामिल करना।

iv. उद्योग की जरूरतों अनुसार प्रशिक्षण अनुरूप प्रशिक्षण अवसंरचना की बेहतर गुणवत्ता।

v. प्रमाणन प्रक्रिया में मानकीकरण को प्रोत्साहित करना और कौशल रजिस्ट्री प्रक्रिया शुरू करना।

पीएमकेवीवाई 2.0 के तहत, कुल 110 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है और 91.53 लाख उम्मीदवारों को प्रमाणित किया गया है। घटक और प्रशिक्षण–प्रणाली के अनुसार वास्तविक प्रगति का संक्षिप्त सारांश नीचे दिया गया है–

तालिका 15: घटक और प्रशिक्षण प्रकार–वार वास्तविक प्रगति संबंधी संक्षिप्त सार

घटक	प्रशिक्षण का प्रकार	नामांकित	प्रशिक्षित	आकलित	प्रमाणित	नियोजित
सीएससीएम	पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल)	62,72,669	61,41,870	54,08,281	51,21,000	–
	अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी)	41,08,732	38,11,857	35,87,435	32,18,379	18,26,858
	विशेष परियोजनाएं (एसपीएल)	2,32,554	2,13,844	1,82,741	1,57,093	84,324
	सीएससीएम कुल	1,06,13,955	1,01,67,571	91,78,457	84,96,472	19,11,182
सीएसएसएम	अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी)	8,63,887	8,26,350	7,36,045	6,51,841	2,27,548
	विशेष परियोजनाएं (एसपीएल)	6,882	6,787	6,079	5,040	2,845
	सीएससीएम कुल	8,70,769	8,33,137	7,42,124	6,56,881	2,30,393
	कुल (सीएससीएम+ सीएसएसएम)	**1,14,84,724**	**1,10,00,708**	**99,20,581**	**91,53,353**	**21,41,575**

तालिका 16: पीएमकेवीवाई 2.0 (केंद्रीय और राज्य घटक) के राज्य–वार प्रशिक्षण विवरण:

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी) (विशेष परियोजनाओं सहित (एसपी)			पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल)		कुल योग	
	प्रशिक्षित	प्रमाणित	नियोजित	उन्मुख	प्रमाणित	कुल प्रशिक्षित/उन्मुख	कुल प्रमाणित
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	2,741	1,975	124	56	52	2,797	2,027
आंध्र प्रदेश	1,66,273	1,42,313	91,589	1,34,337	1,15,180	3,00,610	2,57,493
अरुणाचल प्रदेश	32,536	26,669	13,288	40,652	33,115	73,188	59,784
असम	1,50,425	1,20,537	60,808	5,04,185	3,72,642	6,54,610	4,93,179
बिहार	2,67,042	2,17,355	1,12,993	2,34,463	1,98,110	5,01,505	4,15,465
चंडीगढ़	13,488	10,956	5,813	6,972	5,957	20,460	16,913
छत्तीसगढ	85,363	64,709	25,812	47,838	33,352	1,33,201	98,061
दिल्ली	1,72,365	1,45,931	72,455	2,05,076	1,69,892	3,77,441	3,15,823
गोवा	3,248	2,223	891	5,538	4,664	8,786	6,887
गुजरात	1,44,793	1,18,762	65,373	1,88,026	1,59,248	3,32,819	2,78,010
हरियाणा	3,04,181	2,58,328	1,49,424	2,34,511	1,98,494	5,38,692	4,56,822
हिमाचल प्रदेश	68,161	57,266	24,076	44,972	38,122	1,13,133	95,388
जम्मू और कश्मीर	1,19,517	1,03,988	51,309	1,43,927	1,24,525	2,63,444	2,28,513
झारखंड	85,092	64,618	26,748	1,45,941	1,26,528	2,31,033	1,91,146
कर्नाटक	1,45,325	1,21,993	58,960	2,60,821	2,15,603	4,06,146	3,37,596
केरल	74,248	58,218	24,099	1,46,505	1,18,037	2,20,753	1,76,255
लद्दाख	2,174	1,671	944	93	74	2,267	1,745
लक्षद्वीप	150	79	–	–	–	150	79
मध्य प्रदेश	4,06,824	3,38,682	1,94,858	2,76,212	2,23,377	6,83,036	5,62,059
महाराष्ट्र	2,38,270	1,84,157	69,061	8,14,879	6,71,992	10,53,149	8,56,149
मणिपुर	43,247	36,354	15,383	37,252	31,801	80,499	68,155
मेघालय	28,163	22,810	13,246	13,192	11,939	41,355	34,749
मिजोरम	22,012	17,720	9,291	3,430	3,115	25,442	20,835
नगालैंड	22,014	16,986	5,968	12,966	11,234	34,980	28,220
ओडिशा	1,38,974	1,14,664	59,736	3,26,992	2,61,082	4,65,966	3,75,746

पुदुचेरी	14,719	13,091	9,292	5,304	4,399	20,023	17,490
पंजाब	2,32,493	2,02,966	1,16,041	89,328	71,906	3,21,821	2,74,872
राजस्थान	3,52,403	3,07,127	1,69,875	5,65,219	5,17,387	9,17,622	8,24,514
सिक्किम	9,395	7,821	3,502	1,704	1,482	11,099	9,303
तमिलनाडु	2,33,195	1,94,232	1,23,880	3,18,056	2,71,980	5,51,251	4,66,212
तेलंगाना	1,65,436	1,41,834	90,315	1,26,177	1,05,052	2,91,613	2,46,886
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	5,074	4,163	2,578	4,289	3,903	9,363	8,066
त्रिपुरा	39,008	32,045	12,984	79,505	57,022	1,18,513	89,067
उत्तर प्रदेश	7,27,709	6,02,482	3,11,015	8,64,959	7,37,207	15,92,668	13,39,689
उत्तराखंड	1,15,439	93,259	50,655	59,323	48,140	1,74,762	1,41,399
पश्चिम बंगाल	2,27,341	1,84,369	99,189	1,99,170	1,74,387	4,26,511	3,58,756
कुल	**48,58,838**	**40,32,353**	**21,41,575**	**61,41,870**	**51,21,000**	**1,10,00,708**	**91,53,353**

4.1 दृष्टिकोणः पीएमकेवीवाई 2.0 को राज्यों के साथ केंद्र द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

4.1.1 केंद्र प्रायोजित केंद्र प्रबंधित (सीएससीएम) (केंद्रीय घटक): यह घटक राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के माध्यम से केंद्रीय रूप से कार्यान्वित किया जाता है। इसके निम्नलिखित घटक हैः

i. **अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी)** – पीएमकेवीवाई से संबद्ध और मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण केंद्रों में स्कूल/कॉलेज बी पढाई बीच में छोड़ने वालों या बेरोजगारों के लिए 200 से 500 घंटे के कौशल–उन्मुख प्रशिक्षण, कोर और सॉफ्ट दोनों का प्रावधान

ii. **पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल)**– उम्मीदवारों को प्रमाण–पत्र के प्रावधान द्वारा 12 से 80 घंटे के उन्मुखीकरण सह ब्रिज कोर्स के बाद मौजूदा कौशल को मान्यता

iii. **विशेष परियोजनाएं (एसपी)** – विशेष परियोजना पीएमकेवीवाई का एक घटक है जिसमें एनएसक्यूसी द्वारा अनुमोदित जॉब रोल्स में उम्मीदवारों को अल्प/नए सिरे से प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। विशेष परियोजनाएं पीएमकेवीवाई के अल्पावधि प्रशिक्षण घटक से भिन्न हैं क्योंकि यह अनुपालन के मामले में अधिक लचीलेपन के साथ परियोजना/ आवश्यकता आधारित है, जो दूरदराज के क्षेत्रों में लक्षित लाभार्थियों के सफल प्रशिक्षण के लिए कठिन हैं।

तालिका 17: सीएससीएम घटक के तहत प्रगति नीचे दी गई है (31.12.2022 तक):

घटक	क्षेत्र	जॉब रोल'	नामांकित	प्रशिक्षित	आकलित	प्रमाणित	नियोजित
एसटीटी	37	280	41,08,732	38,11,857	35,87,435	32,18,379	18,26,858
आरपीएल	39	826	62,72,669	61,41,870	54,08,281	51,21,000	छ।''
एसपी	34	183	2,32,554	2,13,844	1,82,741	1,57,093	84,324
कुल			**1,06,13,955**	**1,01,67,571**	**91,78,457**	**84,96,472**	**19,11,182**

नोटः मान वे आधार हैं जहां एसडीएमएस और एसआईपी पर नामांकन किया गया है

*कुल जॉब रोल्स जिनमें पीएमकेवीवाई के तहत नामांकन हुआ है

**चूंकि आरपीएल उम्मीदवारों को पूर्व शिक्षण अनुभव या कौशल की ओर उन्मुख करता है, इसलिए नियोजन अनिवार्य नहीं है

तालिका 18: सीएससीएम – पीएमकेवीवाई 2.0 के तहत राज्य–वार प्रगति (31.12.2022 तक):

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी) (विशेष परियोजनाओं सहित (एसपी)			पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल)		कुल योग	
	प्रशिक्षित	प्रमाणित	नियोजित	उन्मुख	प्रमाणित	कुल प्रशिक्षित/उन्मुख	कुल प्रमाणित
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1,500	1,405	124	56	52	1,556	1,457
आंध्र प्रदेश	1,23,106	1,07,532	70,761	1,34,337	1,15,180	2,57,443	2,22,712
अरुणाचल प्रदेश	18,235	15,212	6,829	40,652	33,115	58,887	48,327
असम	1,18,628	94,658	47,163	5,04,185	3,72,642	6,22,813	4,67,300
बिहार	2,59,162	2,13,550	1,12,776	2,34,463	1,98,110	4,93,625	4,11,660
चंडीगढ़	7,345	6,039	2,669	6,972	5,957	14,317	11,996
छत्तीसगढ	72,083	56,840	22,179	47,838	33,352	1,19,921	90,192
दिल्ली	1,49,995	1,27,008	68,242	2,05,076	1,69,892	3,55,071	2,96,900
गोवा	1,515	1,015	815	5,538	4,664	7,053	5,679
गुजरात	96,114	81,028	48,199	1,88,026	1,59,248	2,84,140	2,40,276
हरियाणा	2,70,716	2,33,151	1,42,166	2,34,511	1,98,494	5,05,227	4,31,645
हिमाचल प्रदेश	52,339	45,064	21,982	44,972	38,122	97,311	83,186
जम्मू और कश्मीर	99,037	85,575	46,992	1,43,927	1,24,525	2,42,964	2,10,100
झारखंड	63,164	48,789	23,777	1,45,941	1,26,528	2,09,105	1,75,317
कर्नाटक	1,28,502	1,08,068	57,567	2,60,821	2,15,603	3,89,323	3,23,671
केरल	49,886	40,382	19,204	1,46,505	1,18,037	1,96,391	1,58,419
लद्दाख	2,174	1,671	944	93	74	2,267	1,745
मध्य प्रदेश	3,72,884	3,14,950	1,87,258	2,76,212	2,23,377	6,49,096	5,38,327
महाराष्ट्र	1,70,451	1,26,214	61,023	8,14,879	6,71,992	9,85,330	7,98,206
मणिपुर	21,799	17,677	5,600	37,252	31,801	59,051	49,478
मेघालय	14,109	12,062	5,910	13,192	11,939	27,301	24,001
मिजोरम	9,537	7,960	2,751	3,430	3,115	12,967	11,075
नगालैंड	7,970	5,811	2,122	12,966	11,234	20,936	17,045

ओडिशा	1,30,772	1,08,589	59,128	3,26,992	2,61,082	4,57,764	3,69,671
पुदुचेरी	7,424	6,485	4,607	5,304	4,399	12,728	10,884
पंजाब	1,86,917	1,64,731	91,847	89,328	71,906	2,76,245	2,36,637
राजस्थान	3,23,167	2,86,154	1,69,712	5,65,219	5,17,387	8,88,386	8,03,541
सिक्किम	5,962	5,155	2,602	1,704	1,482	7,666	6,637
तमिलनाडु	1,88,790	1,57,518	1,06,986	3,18,056	2,71,980	5,06,846	4,29,498
तेलंगाना	1,42,210	1,23,858	81,589	1,26,177	1,05,052	2,68,387	2,28,910
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	2,817	2,441	1,808	4,289	3,903	7,106	6,344
त्रिपुरा	22,514	18,689	9,822	79,505	57,022	1,02,019	75,711
उत्तर प्रदेश	6,41,898	5,35,730	2,98,229	8,64,959	7,37,207	15,06,857	12,72,937
उत्तराखंड	67,384	53,773	32,862	59,323	48,140	1,26,707	1,01,913
पश्चिम बंगाल	1,95,595	1,60,688	94,937	1,99,170	1,74,387	3,94,765	3,35,075
कुल	**40,25,701**	**33,75,472**	**19,11,182**	**61,41,870**	**51,21,000**	**1,01,67,571**	**84,96,472**

4.1.2 केंद्र प्रायोजित राज्य प्रबंधित (सीएसएसएम) (राज्य घटक): पीएमकेवीवाई का सीएसएसएम घटक 09.11.2016 को राज्य योगदान दिशानिर्देशों को जारी करने के साथ शुरू किया गया था। यह घटक राज्य कौशल विकास मिशनों/राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इस घटक के तहत, 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों के मूल्यांकन के बाद, मंत्रालय ने 20.18 लाख उम्मीदवारों के कुल लक्ष्य और इसी के अनुरूप वित्त वर्ष 2016–20 के लिए 3050 करोड़ रुपए के वित्तीय आबंटन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। हालांकि, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के धीमे निष्पादन के कारण और यह ध्यान में रखते हुए कि यह स्कीम मार्च 2020 तक समाप्त होने जा रही है, वित्तीय आबंटन को युक्तिसंगत बनाकर 12.71 लाख के वास्तविक लक्ष्य के साथ 2,419 करोड़ रुपए (लगभग) कर दिया गया था। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के रोल में शामिल हैं;

- सहयोग और मानीटरिंग से इन पहलों की प्रभावशीलता और दक्षता में बहुत सुधार होने की उम्मीद है
- राज्य विशिष्ट आर्थिक कार्यकलापों के लिए कौशल आवश्यकताओं को स्पष्ट करने के लिए राज्य बेहतर स्थिति में हैं। उनकी भागीदारी विशिष्ट कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने में सक्षम होगी क्योंकि वह स्थानीय मांग और आकांक्षाओं को पूरा करती है
- यह मौजूदा राष्ट्रव्यापी कौशल विकास प्रणाली की क्षमता और सामर्थ्य को बढ़ाएगी और इस प्रकार सभी के लिए समान पहुंच के लिए सहयोग करेगी
- यह राज्य विशिष्ट पारंपरिक कौशल के लिए प्रशिक्षण और क्षमता–निर्माण पहल का सहयोग करेगी

सीएसएसएम घटक के तहत प्रगति नीचे दी गई है (31.12.2022 तक):

घटक	क्षेत्र	जॉब रोल*	लक्ष्य	नामांकित	प्रशिक्षित	आकलित	प्रमाणित	नियोजित
एसटीटी (एसपी सहित)	36	293	12,71,662	8,70,769	8,33,137	7,42,124	6,56,881	2,30,393

* मूल्य वे आधार हैं जहां एसडीएमएस पर नामांकन किया गया है

लक्ष्यों और निधियों का राज्यवार विवरण नीचे दिया गया है।

तालिका 19: सीएसएसएम–पीएमकेवीवाई 2.0 के अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी) घटक के तहत राज्य–वार प्रगति (31.12.2022 तक):

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	नामांकित	प्रशिक्षित	आकलित	प्रमाणित	नियोजित
अंडमान व निघ्कोबार द्वीप समूह	1,259	1,241	779	570	–
आंध्र प्रदेश	49,207	43,167	39,937	34,781	20,828
अरुणाचल प्रदेश	14,361	14,301	12,917	11,457	6,459
असम	32,766	31,797	29,434	25,879	13,645
बिहार	8,239	7,880	4,456	3,805	217
चंडीगढ़	6,924	6,143	5,677	4,917	3,144
छत्तीसगढ	13,972	13,280	10,837	7,869	3,633
दिल्ली	24,270	22,370	20,770	18,923	4,213
गोवा	2,139	1,733	1,490	1,208	76
गुजरात	52,721	48,679	41,955	37,734	17,174
हरियाणा	36,175	33,465	28,860	25,177	7,258
हिमाचल प्रदेश	17,012	15,822	13,556	12,202	2,094
जम्मू और कश्मीर	20,611	20,480	19,902	18,413	4,317
झारखंड	22,944	21,928	17,960	15,829	2,971
कर्नाटक	17,011	16,823	15,913	13,925	1,393
केरल	25,159	24,362	20,111	17,836	4,895
लक्षद्वीप	150	150	124	79	–
मध्य प्रदेश	34,729	33,940	28,639	23,732	7,600
महाराष्ट्र	69,511	67,819	64,376	57,943	8,038
मणिपुर	21,457	21,448	20,067	18,677	9,783
मेघालय	14,147	14,054	12,724	10,748	7,336
मिजोरम	12,496	12,475	10,785	9,760	6,540
नगालैंड	14,100	14,044	12,422	11,175	3,846
ओडिशा	8,791	8,202	6,841	6,075	608
पुदुचेरी	7,467	7,295	7,033	6,606	4,685
पंजाब	47,255	45,576	43,157	38,235	24,194
राजस्थान	30,191	29,236	23,219	20,973	163

सिक्किम	3,456	3,433	3,086	2,666	900
तमिलनाडु	47,770	44,405	40,662	36,714	16,894
तेलंगाना	26,457	23,226	20,543	17,976	8,726
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	2,334	2,257	2,095	1,722	770
त्रिपुरा	16,793	16,494	14,949	13,356	3,162
उत्तर प्रदेश	88,081	85,811	75,891	66,752	12,786
उत्तराखंड	48,509	48,055	44,394	39,486	17,793
पश्चिम बंगाल	32,305	31,746	26,563	23,681	4,252
कुल	**8,70,769**	**8,33,137**	**7,42,124**	**6,56,881**	**2,30,393**

नोट– पीएमकेवीवाई 2.0–सीएसएसएम के तहत आरपीएल के लिए कोई लक्ष्य आबंटन नहीं था

तालिका 20: सीएसएसएम–पीएमकेवीवाई 2.0 के तहत लक्ष्य आबंटन और निधि संवितरण के राज्य–वार विवरण:

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मूल वास्तविक लक्ष्य	परिशोधित वास्तविक लक्ष्य	आबंटित निधि	परिशोधित आबंटन	जारी कुल निधि
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	4,108	2,583	6,32,51,698	5,27,12,315	2,10,94,164
आंध्र प्रदेश	64,610	54,166	94,74,11,712	79,55,58,784	54,92,66,464
अरुणाचल प्रदेश	29,510	14,434	43,27,34,640	32,45,50,980	32,34,36,387
असम	47,258	31,193	72,76,40,878	63,81,13,859	54,85,32,800
बिहार	89,665	34,000	1,38,05,74,540	1,12,88,53,416	36,81,62,449
चंडीगढ़	10,288	6,522	15,84,06,394	13,30,93,397	10,16,47,441
छत्तीसगढ	48,532	15,980	71,16,73,248	53,37,54,936	35,57,76,000
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	8,000	6,140	12,31,77,600	11,16,29,700	4,11,10,524
दिल्ली	81,657	58,000	1,24,71,73,200	97,38,72,900	33,69,72,000
गोवा	46,951	30,942	72,29,13,937	56,89,41,937	10,70,25,937
गुजरात	77,825	64,205	1,19,82,71,693	98,85,77,226	46,94,93,826
हरियाणा	56,038	38,560	86,27,97,499	70,11,26,899	36,56,99,375
हिमाचल प्रदेश	49,499	40,012	76,21,46,003	63,51,19,103	21,55,60,800
जम्मू और कश्मीर	47,302	23,240	72,83,18,354	59,89,66,477	33,05,07,280
झारखंड	57,670	40,000	88,79,25,730	73,99,35,542	29,59,64,978

कर्नाटक	94,164	54,000	1,38,08,20,896	1,03,34,34,463	21,43,95,135
केरल	71,456	35,611	1,10,01,29,940	88,01,03,952	32,55,25,988
लक्षद्वीप	4,018	1,800	3,69,53,280	3,69,53,280	1,23,17,760
मध्य प्रदेश	84,058	54,065	1,23,26,26,512	92,44,69,884	34,04,80,576
महाराष्ट्र	1,67,127	1,28,747	2,57,32,87,845	2,14,44,06,538	97,27,62,615
मणिपुर	32,472	22,763	49,99,77,879	43,74,80,644	41,59,88,939
मेघालय	33,642	14,673	51,79,92,602	43,79,27,162	23,41,96,760
मिजोरम	36,671	9,444	56,46,30,721	44,91,51,721	22,12,73,161
नगालैंड	33,021	13,928	50,84,30,941	42,36,92,451	42,36,76,980
ओडिशा	58,046	46,954	89,37,45,871	74,74,72,471	27,71,49,600
पुदुचेरी	10,619	7,703	15,57,17,016	11,67,84,096	11,34,51,280
पंजाब	55,029	47,256	80,69,30,592	67,49,54,592	62,39,52,000
राजस्थान	64,526	41,000	94,62,15,130	70,96,61,348	26,19,35,789
सिक्किम	34,348	3,598	7,54,46,280	6,15,88,800	5,27,81,358
तमिलनाडु	1,40,881	67,000	2,06,58,64,320	1,54,93,98,240	68,86,21,440
तेलंगाना	59,611	44,383	91,78,42,489	71,13,27,544	31,54,64,472
त्रिपुरा	37,062	20,869	54,07,35,000	40,84,10,730	24,82,06,870
उत्तर प्रदेश	1,42,550	90,809	2,09,04,00,000	1,56,78,06,552	1,06,84,00,000
उत्तराखंड	48,238	32,000	74,26,99,339	61,99,06,669	61,98,78,040
पश्चिम बंगाल	1,23,550	75,082	1,90,23,24,060	1,33,16,26,842	38,04,64,812
कुल	20,50,000	12,71,662	30,50,71,87,839	24,19,13,65,449	12,24,11,74,000

5. प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना 3.0 (2020–21)

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) ने जनवरी 2021 में अपनी प्रमुख स्कीम– प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई 3.0) के तीसरे चरण की शुरुआत की है। पीएमकेवीवाई 3.0 उद्योग की जरूरतों को पूरा करने, बाजार की मांगों को पूरा करने, सेवाओं में कौशल प्रदान करने और नए युग के जॉब रोल्स में कौशल विकास को प्रोत्साहित करेगी और बढ़ावा देगी, जो महामारी के बाद के युग में महत्वपूर्ण हो गए हैं।

5.1 पीएमकेवीवाई 3.0 के मुख्य उद्देश्यः

क) युवाओं के लिए कौशल विकास के उपलब्ध विकल्पों पर सूचना विकल्प बनाने के लिए एक इकोसिस्टम तैयार करना।

ख) कौशल प्रशिक्षण और प्रमाणन के लिए युवाओं को सहायता प्रदान करना।

ग) निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी के लिए स्थायी कौशल केंद्रों को बढ़ावा देना।

घ) देश भर के 8 लाख युवाओं को लाभन्वित करना।

5.2 पीएमकेवीवाई 3.0 की कुछ प्रमुख विशेषताएं:

- पीएमकेवीवाई 3.0 का लक्ष्य 15–45 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं को लक्षित करते हुए 948.90 करोड़ के बजट के साथ 8 लाख से अधिक उम्मीदवारों को लाभान्वित करना है।
- नीचे से आयोजना बनाना, जिला स्तर की योजनाओं के मूलभूत साधन के रूप में जिला स्तर पर जिला कौशल समितियां (डीएससी) राज्यों के कौशल विकास मिशनों (एसएसडीएम) के मार्गदर्शन में कार्यान्वयन के लिए केंद्र बिंदु होंगी। हालाँकि, एमएसडीई द्वारा नीतिगत, कार्यनीतिक और वित्त पोषण सहयोग बढ़ाया जाएगा।
- जिला कौशल समितियों को आयोजना, जुटाव और परामर्श, कौशल स्कीमों के एकत्रीकरण, मानीटरिंग और प्रशिक्षण के बाद के रोजगार/स्वरोजगार, सत्यापन में सहायता करके स्कीम की संपूर्ण कार्यान्वयन प्रक्रिया में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की भूमिका को बढ़ाना।
- यह स्कीम सामान्य लागत मानदंड और राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के अनुरूप है
- स्कीम के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) कुशल भारत पोर्टल (एसआईपी) और अन्य के साथ संकेन्द्र ण के संबंध में आईटी और तकनीकी सहायता प्रदान करेगा।
- एकीकृत नियामक ढांचे राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) की शुरुआत से आकलन और प्रमाणन में मानकीकरण और आवश्यक सुधार किए जाएंगे।
- पीएमकेवीवाई 3.0 के तहत, कुल 7.37 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें से 4.84 लाख उम्मीदवारों का प्रमाणन हुआ है। पीएमकेवीवाई 3.0 के तहत घटक और प्रशिक्षण प्रणाली–वार (31.12.2022 तक) वास्तविक प्रगति सारांश नीचे दिया गया है:

तालिका 21: पीएमकेवीवाई 3.0 के अंतर्गत घटक और प्रशिक्षण प्रकार–वार वास्तविक प्रगति संबंधी सारांश नीचे दिया गया है (31.12.2022 तक)

घटक	प्रशिक्षण प्रणाली	नामांकित	प्रशिक्षित	आकलित	प्रमाणित	नियोजित
सीएससीएम	अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी)	3,39,167	2,94,873	2,14,249	1,78,308	21,734
	विशेष परियोजनाएं (एसपी)	1,14,839	1,08,702	97,177	72,499	9,217
	पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल)	1,77,931	1,76,491	1,41,866	1,28,614	लागू नहीं
	उप योग– सीएससीएम	**6,31,937**	**5,80,066**	**4,53,292**	**3,79,421**	**30,951**
सीएसएसएम	अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी)	68,304	64,547	50,834	45,143	10,043
	विशेष परियोजनाएं (एसपी)	6,870	6,645	5,495	3,431	175
	पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल)	87,800	86,214	63,396	56,041	लागू नहीं
	उप योग– सीएसएसएम	**1,62,974**	**1,57,406**	**1,19,725**	**1,04,615**	**10,218**
	कुल योग (सीएससीएम+सीएसएसएम)	**7,94,911**	**7,37,472**	**5,73,017**	**4,84,036**	**41,169**

नोट: पीएमकेवीवाई 3.0 के तहत, वर्तमान में कोई बैच नहीं चल रहा है

तालिका 22: पीएमकेवीवाई 3.0 (2020–21) (केंद्र और राज्य घटक) के राज्य–वार समग्र प्रशिक्षण विवरण (31.12.2022 तक)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी) (विशेष परियोजनाओं सहित (एसपी)			पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल)		कुल योग	
	प्रशिक्षित	प्रमाणित	नियोजित	उन्मुख	प्रमाणित	कुल प्रशिक्षित/उन्मुख	कुल प्रमाणित
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	319	150	–	604	404	923	554
आंध्र प्रदेश	14,305	9,310	1,379	6,012	4,575	20,317	13,885
अरुणाचल प्रदेश	4,477	2,837	550	5,144	3,170	9,621	6,007
असम	24,428	13,974	2,728	8,294	5,507	32,722	19,481
बिहार	32,302	20,977	2,408	7,363	4,755	39,665	25,732
चंडीगढ़	862	443	152	566	439	1,428	882
छत्तीसगढ	8,383	4,536	947	479	289	8,862	4,825
दिल्ली	8,332	5,502	646	11,030	7,917	19,362	13,419
गोवा	444	275	1	336	247	780	522
गुजरात	13,330	9,190	684	21,247	17,296	34,577	26,486
हरियाणा	14,463	8,380	1,279	11,894	7,834	26,357	16,214
हिमाचल प्रदेश	7,807	5,487	951	4,910	3,500	12,717	8,987
जम्मू और कश्मीर	22,534	15,714	1,992	7,197	5,535	29,731	21,249
झारखंड	10,786	5,974	852	3,623	2,019	14,409	7,993
कर्नाटक	18,395	11,199	1,388	15,646	11,202	34,041	22,401
केरल	13,403	9,026	760	5,079	3,443	18,482	12,469
लद्दाख	977	436	119			977	436
लक्षद्वीप	120	50	–			120	50
मध्य प्रदेश	45,884	27,007	4,153	10,256	7,406	56,140	34,413
महाराष्ट्र	32,346	18,968	946	22,358	16,230	54,704	35,198
मणिपुर	4,726	2,701	177	3,559	2,250	8,285	4,951
मेघालय	2,504	1,246	239	2,197	1,627	4,701	2,873
मिजोरम	3,523	1,571	298	2,271	1,086	5,794	2,657
नगालैंड	2,152	1,084	135	3,939	2,743	6,091	3,827
ओडिशा	17,984	9,336	900	7,910	5,135	25,894	14,471

पुदुचेरी	1,688	1,394	240	1,315	1,084	3,003	2,478
पंजाब	15,683	10,723	2,241	13,017	6,748	28,700	17,471
राजस्थान	24,697	17,519	2,502	18,262	14,222	42,959	31,741
सिक्किम	1,622	1,069	427	196	175	1,818	1,244
तमिलनाडु	22,471	16,013	3,666	16,730	12,635	39,201	28,648
तेलंगाना	15,608	10,343	1,729	6,504	4,498	22,112	14,841
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	281	158	32	2	2	283	160
त्रिपुरा	3,748	2,361	447	2,330	1,579	6,078	3,940
उत्तर प्रदेश	50,861	33,236	3,237	31,454	21,713	82,315	54,949
उत्तराखंड	9,384	6,018	762	4,457	3,312	13,841	9,330
पश्चिम बंगाल	23,938	15,174	2,202	6,524	4,078	30,462	19,252
कुल	**4,74,767**	**2,99,381**	**41,169**	**2,62,705**	**1,84,655**	**7,37,472**	**4,84,036**

तालिका 23: पीएमकेवीवाई 3.0 – केंद्र प्रायोजित केंद्र प्रबंधित (सीएससीएम) (31.12.2022 तक)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी) (विशेष परियोजनाओं सहित (एसपी)			पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल)		कुल योग	
	प्रशिक्षित	प्रमाणित	नियोजित	उन्मुख	प्रमाणित	कुल प्रशिक्षित/उन्मुख	कुल प्रमाणित
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	172	62	–	4	4	176	66
आंध्र प्रदेश	10,884	7,248	964	3,683	2,840	14,567	10,088
अरुणाचल प्रदेश	3,282	1,996	328	439	315	3,721	2,311
असम	21,176	11,762	1,789	3,664	2,087	24,840	13,849
बिहार	29,693	20,069	2,327	5,774	3,949	35,467	24,018
चंडीगढ़	670	286	79	366	264	1,036	550
छत्तीसगढ	7,134	3,766	429	429	289	7,563	4,055
दिल्ली	6,497	3,957	439	9,511	6,857	16,008	10,814
गोवा	204	98	–	116	90	320	188
गुजरात	9,813	6,453	194	14,647	12,469	24,460	18,922
हरियाणा	12,089	6,885	1,105	7,849	6,581	19,938	13,466

हिमाचल प्रदेश	7,248	5,019	951	3,270	2,285	10,518	7,304
जम्मू और कश्मीर	21,825	15,352	1,992	7,197	5,535	29,022	20,887
झारखंड	10,030	5,464	678	1,358	776	11,388	6,240
कर्नाटक	13,739	8,129	1,051	10,074	7,875	23,813	16,004
केरल	11,065	7,246	149	2,424	1,664	13,489	8,910
लद्दाख	977	436	119			977	436
मध्य प्रदेश	42,920	24,849	3,291	8,214	6,162	51,134	31,011
महाराष्ट्र	24,998	14,511	815	15,352	11,588	40,350	26,099
मणिपुर	4,049	2,165	—	988	276	5,037	2,441
मेघालय	1,975	892	46	62	60	2,037	952
मिजोरम	3,106	1,320	170	363	140	3,469	1,460
नगालैंड	1,912	920	114	3,939	2,743	5,851	3,663
ओडिशा	15,623	7,881	685	4,745	3,193	20,368	11,074
पुदुचेरी	1,402	1,189	80	515	357	1,917	1,546
पंजाब	13,629	9,023	1,052	8,625	3,360	22,254	12,383
राजस्थान	20,560	14,228	2,502	11,879	10,012	32,439	24,240
सिक्किम	1,240	854	245	196	175	1,436	1,029
तमिलनाडु	16,596	11,281	1,924	9,360	7,161	25,956	18,442
तेलंगाना	12,894	8,383	1,449	5,293	3,762	18,187	12,145
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	31	—	—	2	2	33	2
त्रिपुरा	2,967	1,723	243	627	562	3,594	2,285
उत्तर प्रदेश	43,884	28,473	2,981	25,981	18,584	69,865	47,057
उत्तराखंड	8,668	5,589	691	3,021	2,519	11,689	8,108
पश्चिम बंगाल	20,623	13,298	2,069	6,524	4,078	27,147	17,376
कुल	**4,03,575**	**2,50,807**	**30,951**	**1,76,491**	**1,28,614**	**5,80,066**	**3,79,421**

तालिका 24: पीएमकेवीवाई 3.0 – केंद्र प्रायोजित राज्य प्रबंधित (सीएसएसएम) (31.12.2022 तक)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी) (विशेष परियोजनाओं सहित (एसपी)			पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल)		कुल योग	
	प्रशिक्षित	प्रमाणित	नियोजित	उन्मुख	प्रमाणित	कुल प्रशिक्षित/उन्मुख	कुल प्रमाणित
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	147	88	–	600	400	747	488
आंध्र प्रदेश	3,421	2,062	415	2,329	1,735	5,750	3,797
अरुणाचल प्रदेश	1,195	841	222	4,705	2,855	5,900	3,696
असम	3,252	2,212	939	4,630	3,420	7,882	5,632
बिहार	2,609	908	81	1,589	806	4,198	1,714
चंडीगढ़	192	157	73	200	175	392	332
छत्तीसगढ	1,249	770	518	50	–	1,299	770
दिल्ली	1,835	1,545	207	1,519	1,060	3,354	2,605
गोवा	240	177	1	220	157	460	334
गुजरात	3,517	2,737	490	6,600	4,827	10,117	7,564
हरियाणा	2,374	1,495	174	4,045	1,253	6,419	2,748
हिमाचल प्रदेश	559	468	–	1,640	1,215	2,199	1,683
जम्मू और कश्मीर	709	362	–			709	362
झारखंड	756	510	174	2,265	1,243	3,021	1,753
कर्नाटक	4,656	3,070	337	5,572	3,327	10,228	6,397
केरल	2,338	1,780	611	2,655	1,779	4,993	3,559
लद्दाख	120	50	–			120	50
मध्य प्रदेश	2,964	2,158	862	2,042	1,244	5,006	3,402
महाराष्ट्र	7,348	4,457	131	7,006	4,642	14,354	9,099
मणिपुर	677	536	177	2,571	1,974	3,248	2,510
मेघालय	529	354	193	2,135	1,567	2,664	1,921
मिजोरम	417	251	128	1,908	946	2,325	1,197
नगालैंड	240	164	21			240	164
ओडिशा	2,361	1,455	215	3,165	1,942	5,526	3,397

पुदुचेरी	286	205	160	800	727	1,086	932
पंजाब	2,054	1,700	1,189	4,392	3,388	6,446	5,088
राजस्थान	4,137	3,291	—	6,383	4,210	10,520	7,501
सिक्किम	382	215	182			382	215
तमिलनाडु	5,875	4,732	1,742	7,370	5,474	13,245	10,206
तेलंगाना	2,714	1,960	280	1,211	736	3,925	2,696
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	250	158	32			250	158
त्रिपुरा	781	638	204	1,703	1,017	2,484	1,655
उत्तर प्रदेश	6,977	4,763	256	5,473	3,129	12,450	7,892
उत्तराखंड	716	429	71	1,436	793	2,152	1,222
पश्चिम बंगाल	3,315	1,876	133			3,315	1,876
कुल	**71,192**	**48,574**	**10,218**	**86,214**	**56,041**	**1,57,406**	**1,04,615**

तालिका 25: पीएमकेवीवाई 3.0 की जारी की गई निधि के अनुसार राज्य–वार स्थिति

राज्य	स्वीकृत मूल निधि	जारी निधि
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	56,31,731	0
आंध्र प्रदेश	8,21,48,593	2,46,44,578
अरुणाचल प्रदेश	2,77,30,276	83,19,083
असम	12,50,38,625	3,75,11,588
बिहार	15,76,84,638	0
चंडीगढ़	56,27,207	33,76,000
छत्तीसगढ	4,86,20,767	0
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	83,37,718	0
दिल्ली	5,39,56,705	1,61,87,000
गोवा	77,21,598	0
गुजरात	11,34,12,903	1,91,15,611
हरियाणा	6,56,69,946	1,97,01,000
हिमाचल प्रदेश	2,12,24,041	0
जम्मू और कश्मीर	3,05,87,814	0

झारखंड	5,94,60,722	0
कर्नाटक	11,06,12,436	3,31,80,000
केरल	6,75,05,953	2,02,52,000
लक्षद्वीप	36,47,828	0
मध्य प्रदेश	11,86,79,938	3,56,03,981
महाराष्ट्र	20,04,99,852	6,01,50,000
मणिपुर	2,74,71,892	82,41,568
मेघालय	2,16,35,194	64,90,558
मिजोरम	1,75,01,047	1,22,50,462
नगालैंड	2,28,37,855	68,51,357
ओडिशा	7,82,65,870	0
पुदुचेरी	77,26,122	23,18,000
पंजाब	6,06,08,748	6,48,92,187
राजस्थान	12,19,31,751	0
सिक्किम	1,21,35,878	36,40,763
तमिलनाडु	13,98,30,379	0
तेलंगाना	8,57,76,758	2,57,33,000
त्रिपुरा	2,53,49,140	92,00,000
उत्तर प्रदेश	27,91,24,328	8,37,37,298
उत्तराखंड	2,92,81,625	87,85,000
पश्चिम बंगाल	12,77,72,103	0
लद्दाख	12,82,351	0
कुल	**2,37,23,30,332**	**51,01,81,034**

6. पीएमकेवीवाई की मानीटरिंग

समग्र उद्देश्य समग्र पीएमकेवीवाई लक्ष्यों और उद्देश्यों की उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख संकेतकों और प्रक्रियाओं के संबंध में सभी हितधारकों, विशेष रूप से टीसी के निष्पादन/अनुपालन को ट्रैक करना है।

6.1 पीएमकेवीवाई के तहत मानीटरिंग के लिए पैरामीटर्स:

विभिन्न मानीटरिंग उपकरणों का उपयोग करके निम्नलिखित पैरामीटर्स की जाँच की जाती है:

- **अवसंरचना** – इसके लिए भवन के प्रकार, कक्षाओं की संख्या, प्रयोगशालाओं और अन्य सुविधाओं जैसी जानकारी को मान्यता के दौरान केंद्रों द्वारा प्रस्तुत विवरण के साथ सत्यापन किया जाता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अवसंरचना के संदर्भ में उम्मीदवारों को गुणवत्ता उपलब्ध कराई जाए
- **प्रशिक्षकों की गुणवत्ता** – प्रशिक्षकों को एसएससी प्रमाणित होना चाहिए और उम्मीदवारों को उद्यमशीलता संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए प्रत्येक केंद्र में कम से कम 1 प्रशिक्षक निस्बड प्रमाणित होना चाहिए.
- **प्रशिक्षण की नियमितता** – औचक निरीक्षण करने से हमें जमीनी हकीकत का पता चलता है और इसलिए प्रशिक्षित किए जा रहे बैचों की संख्या, प्रशिक्षण के माहौल आदि की नियमितता को निरीक्षक द्वारा सत्यापित किया जाता है।
- **सुविधाओं की उपलब्धता** – सीएएएफ में उल्लिखित कंप्यूटर लैब, नियोजन प्रकोष्ठ, अग्निशमन उपकरण, प्राथमिक चिकित्सा और अन्य सुविधाओं जैसी आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सत्यापित हो।
- **एईबीएएस की उपलब्धता** – पीएमकेवीवाई के तहत, सभी केंद्रों को आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली पर उम्मीदवारों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है।
- **प्रयोगशाला उपकरणों की उपलब्धता** – प्रत्येक जॉब रोल के लिए जिसके लिए केंद्र को लक्ष्य आबंटित किया गया है, सत्यापन किया जाता है कि उम्मीदवारों के लिए एसएससी द्वारा निर्दिष्ट आवश्यक उपकरण उपलब्ध हैं या नहीं।
- **दस्तावेज़ सत्यापन** – सभी प्रासंगिक दस्तावेज़ जैसे नामांकन प्रपत्र, प्रशिक्षु फ़ीडबैक फ़ॉर्म, उपस्थिति रजिस्टर आदि का निरीक्षक द्वारा सत्यापन किया जाता है।
- **प्रशिक्षण सामग्री की उपलब्धता** – सभी उम्मीदवारों को बैच की शुरुआत में अपनी प्रवेशन किट और प्रशिक्षण सामग्री प्राप्त करनी चाहिए।
- **पीएमकेवीवाई की ब्रांडिंग** – प्रत्येक केंद्र को पीएमकेवीवाई के ब्रांडिंग दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।

6.2 प्रयुक्त मानीटरिंग उपकरण:

निम्नलिखित मानीटरिंग उपकरणों का उपयोग करके प्रशिक्षण केंद्रों और उम्मीदवार कौशल प्रक्रिया प्रगति की समवर्ती मानीटरिंग:

- **उम्मीदवार सत्यापन:** स्कीम के तहत नामांकित उम्मीदवारों को सत्यापित करने के लिए प्रदान किए गए मोबाइल नंबर पर उम्मीदवार को स्वचालित/मैन्युअल कॉल किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, कॉल सत्यापन भी अनेक प्रणालियों जैसे कि सार्वजनिक शिकायत, अन्य हितधारकों से शिकायत आदि के माध्यम से प्राप्त मामलों की जांच करने में सहायता करता है।

- **केंद्र का औचक दौरा:** एनएसडीसी/एसएससी स्टाफ के सदस्यों द्वारा स्कीम अनुपालन मापदंडों की सारणी की जांच करने के लिए वास्तविक समय में अचानक दौरा किया जाता है। प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और परिवर्तन समय को कम करने के लिए, औचक निरीक्षण के लिए मानीटरिंग एप्लिकेशन का उपयोग किया जाता है। यह उनकी जियो टैगिंग के साथ–साथ केंद्र की छवियों को एकत्रित करने की सुविधाएँ प्रदान करता है, इस प्रकार पूरी प्रक्रिया की दक्षता बढ़ जाती है।
- **वर्चुअल सत्यापन:** यह प्रशिक्षण केंद्र स्तर पर पीएमकेवीवाई अनुपालन की वर्चुअल मानीटरिंग और सत्यापन के लिए प्रौद्योगिकी संचालित मानीटरिग तंत्र है। मांगे जाने पर प्रशिक्षण केंद्र को मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से जिओटैग्ड और टाइम स्टैम्प्ड इमेज के साथ आवश्यक जानकारी प्रदान करनी होती है।
- **आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (एईबीएएस) के माध्यम से दैनिक उम्मीदवार उपस्थिति की मानीटरिंग:** प्रशिक्षण अवधि के दौरान उम्मीदवारों पर नज़र रखने के लिए प्रशिक्षण केंद्रों को अब्बास मशीन स्थापित करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, प्रशिक्षण केन्द्रों को भुगतान को उपस्थिति से जोड़ा गया है।

7. नीचे दी गई तालिका पीएमकेवीवाई 3.0 (2020–2021) के पिछले संस्करणों के विकास को दर्शाती है:

तालिका 26: पीएमकेवीवाई 3.0 (2020–2021) के पिछले संस्करणों का विकास

पैरामीटर	पीएमकेवीवाई 1.0 (2015–2016)	पीएमकेवीवाई 2.0 (2016–2020)	पीएमकेवीवाई 3.0 (2020–2021)
लक्ष्य	24 लाख लाभार्थी	1 करोड़ लाभार्थी	8 लाख लाभार्थी
केंद्र सत्यापन	क्षेत्र कौशल परिषद द्वारा किया गया	तृतीय पक्ष द्वारा किया गया	तृतीय पक्ष द्वारा किया गया
नियोजन	स्कीम के दूसरे भाग में नियोजन ट्रैकिंग और प्रोत्साहन की शुरुआत की गई	टीपी को भुगतान की तीसरी किस्त (कुल भुगतान का 20%) नियोजन सत्यापन से जुड़ी है	भुगतान की तीसरी किस्त (कुल भुगतान का 30%) नियोजन सत्यापन से जुड़ी है
संवितरण	सफल उम्मीदवारों को उनके बैंक खातों में पुरस्कार राशि प्राप्त हुई	प्रमाणित उम्मीदवार के बैंक खातों में 500 रुपए के नकद पुरस्कार के साथ सामान्य मानदंडों के अनुसार टीपी को संवितरण	प्रमाणित उम्मीदवारों के बैंक खातों में 500 रुपए के नकद पुरस्कार के साथ सामान्य मानदंडों के अनुसार टीपी को संवितरण
जॉब रोल्स	स्तर 1 से स्तर 5 तक के समस्त जॉब रोल	केवल स्तर 3 और स्तर 4 के जॉब रोल में एनएस क्यूएफ अनुमोदित प्रशिक्षण	वर्तमान चरण में स्तर 3, 4 और 5 के समस्त एनएसक्यूएफ अनुमोदित जॉब रोल्स।
लक्ष्य आबंटन	क्षेत्रवार, निर्वाचन क्षेत्रवार और केंद्रवार	लक्ष्य आयु वर्ग (15 से 35 वर्ष) में, राज्य की जनसंख्या, मानव विकास सूचकांक, बेरोजगारी प्रतिशत और कौशल अंतराल पर आधारित था। प्रशिक्षण केन्द्र स्तर पर जॉब	जनसंख्या, उद्योग मांग और श्रम आपूर्ति के आधार पर जिलेवार लक्ष्य। 2 चरणों में किया जाने वाला लक्ष्य आबंटन: चरण 1: प्रत्येक पीएमकेके को अधिकतम 3 जॉब रोल्स और न्यूनतम 2 जॉब रोल्स के लिए 120 लक्ष्य।

		रोलवार था। प्रधान मंत्री कौशल केंद्र (पीएमकेके), प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी), दिव्यांगजनों के लिए कौशल परिषद (एससीपीडब्ल्यूडी), नियोक्ता आधारित मॉडल, पुर्नआबंटन और अन्य जैसी विभिन्न आबंटन प्रणालियों के माध्यम से लक्ष्य आबंटन। एसटीटी के विपरीत परियोजना के आधार पर स्वीकृत आरपीएल और एसपी के लिए लक्ष्य जिसमें आर एफपी प्रणाली के माध्यम से लक्ष्य आबंटित किए गए थे।	चरण 2: डीएससी द्वारा जॉब रोल चयन पर वर्तमान पीएमकेके केंद्रों को लक्ष्य आबंटन। इसके अलावा उद्योग के कर्मचारियों और ऑनलाइन प्रमाणन के लिए एसएससी का आबंटन एसपी के लिए – प्रस्ताव आरएफपी सीधे उद्योग/उच्च शैक्षणिक संस्थान/सरकारी संस्थानों को प्रस्तुत करना। कोविड केयर के क्रैश कोर्स प्रोग्राम के लिए अधिकांश लक्ष्य ए एवं ए केंद्रों, अस्पतालों और राज्यों को आबंटित किए गए
प्रशिक्षु पुस्तिका	कोई मानक प्रशिक्षु पुस्तिका नहीं	सभी उम्मीदवारों को मानक प्रशिक्षु पुस्तिका प्रदान की जा रही है	सभी उम्मीदवारों को मानक प्रशिक्षु पुस्तिका प्रदान की जा रही है
प्रमाणन	तृतीय पक्ष एकीकरण के माध्यम प्रमाण–पत्र और कौशल कार्ड जनरेट करना	क्यूआर कोड सक्षम अंक तालिका और जनरेट किया गया प्रमाण–पत्र एसडीएमएस पर पीडीएफ प्रारूप में टीपी और एसएससी के लिए डाउनलोड हेतु उपलब्ध है। प्रमाणपत्रों और अंकपत्रों के भंडारण के लिए भारत सरकार के डिजी लॉकर के साथ एकीकरण कौशल बीमा के तहत प्रमाणित उम्मीदवार का कवरेज – दुर्घटना में मृत्यु और 3 वर्ष की अवधि के लिए 2 लाख रुपए की स्थायी दिव्यांगता कवरेज	एसआईपी पोर्टल के माध्यम से क्यूआर कोड प्रमाण–पत्र ऑनलाइन जनरेट करने की सुविधा टीपी और एसएससी के अलावा उम्मीदवार लॉगिन के माध्यम से प्रमाण–पत्र डाउनलोड के लिए उपलब्ध। कौशल बीमा के तहत प्रमाणित उम्मीदवार का कवरेज – दुर्घटना में मृत्यु और 3 वर्ष की अवधि के लिए 2 लाख रुपए की स्थायी दिव्यांगता कवरेज
उपस्थिति	केवल प्रशिक्षणार्थियों की प्रशिक्षण केन्द्रों पर कागज आधारित उपस्थिति	प्रशिक्षुओं और आकलन कर्ताओं की आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति हालांकि प्रोत्साहित किया गया लेकिन जम्मू–कश्मीर और पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रशिक्षण केंद्रों के लिए अनिवार्य नहीं है	आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (एईबीएएस) के माध्यम से प्रशिक्षुओं और आकलनकर्ताओं की आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति एईबीएएस फ़िलहाल पूर्वोत्तर, जम्मू–कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप और अंडमान के राज्यों के लिए अनिवार्य नहीं है।

आरपीएल के तहत निष्पादन प्रणाली	प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से प्रशिक्षण भागीदार (लक्ष्य आबंटनः एनएसडीसी– एसएससी – टीपी)	विभिन्न आरपीएल प्रणालियों के माध्यम से परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से किया गयाः टाइप 1. आरपीएल कैंप टाइप 2. आरपीएल नियोक्ता के परिसर में टाइप 3. आरपीएल केंद्र प्रकार 4. सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के नियोक्ता	नीचे आरपीएल 3.0 के तहत टाइपवार निष्पादन प्रणाली दी गई हैः टाइप 1: शिविरों में आरपीएल– परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (सरकार, कंपनी, गैर–सरकारी संगठन आदि संभावित) के माध्यम से टाइप 2: नियोक्ता परिसर में आरपीएल– परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (सरकार, कंपनी आदि संभावित) के माध्यम से टाइप 3: मांग के माध्यम से आरपीएल– पीएमकेके द्वारा आबंटित लक्ष्य के माध्यम से, मांग डीएससी और मांग एकत्रीकरण पोर्टल के माध्यम से आएगी टाइप 4: आरपीएल बीआईसीई–एसएससी के माध्यम से टाइप 5: ऑनलाइन आरपीएल– एसएससी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से
आरपीएल प्रक्रिया	3 चरण की प्रक्रिया	5 चरण की प्रक्रिया	5 चरण की प्रक्रिया
	जुटाव और परामर्श, आकलन और प्रमाणन, भुगतान	जुटाव, परामर्श और प्री–स्क्रीनिंग, ओरिएंटेशन (ब्रिज कोर्स विकल्प), अंतिम आकलन, प्रमाणन और भुगतान	जुटाव और पूर्व–आकलन स्क्रीनिंग और परामर्श अभिविन्यास (3 प्रकार में) अंतिम आकलन प्रमाणीकरण
आकलन एवं प्रमाणन	पास होने के प्रतिशत में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों के समक्ष प्रमाणन (क्यू पर 50–70%)	"कोर एनओएस" और "नॉन–कोर एनओएस" में क्यूपी	भारित औसत स्कोरिंग तंत्र के साथ "कोर एनओएस" और "नॉन–कोर एनओएस" में क्यूपी
		भारित औसत के रूप में गणना की गई कुल अंकों में 50% हासिल करने वाले उम्मीदवारों के समक्ष प्रमाणन	आकलन एनसीवीईटी द्वारा अनुमोदित अवार्डिंग निकायों द्वारा किया जाएगा। जहां तक संभव हो, सामान्य आकलन केंद्रों (सीएसी) में आकलन करने के लिए प्रयास किए जाएं।
		(कोर एनओएस से 70% स्कोर + नॉन–कोर एनओएस में 30% स्कोर)	सिद्धांत और प्रयोग (जहां भी संभव हो) के लिए ऑनलाइन/प्रबंधकर्ता आकलन को प्राथमिकता दी जाएगी
		सभी(उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण) उम्मीदवारों को अंक तालिका दी गई	पुर्नआकलन शुल्क का वित्त पोषण सरकार द्वारा किया जाएगा।
मानीटरिंग	एनएसडीसी में मानीटरिंग दल ने मानीटरिंग का कार्य किया। प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण केंद्रों	सीएससीएम घटक के तहत, एनएसडीसी में मानीटरिंग दल द्वारा वास्तविक निरीक्षण करने में राज्य के अधिकारियों और अन्य हितधारकों के सहयोग से मानीटरिंग की जाती है।	गुणवत्ता परिणाम सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर मानीटरिंग और पर्यवेक्षण किया जाएगा। स्कीम की समवर्ती और निरंतर मानीटरिंग और पर्यवेक्षण के लिए एसएसडीएम और डीएससी को एनएसडीसी के साथ जोड़ा जाएगा। सीएसएसएम के तहत, एसएसडीएम से राज्य स्तर पर कार्यक्रम की मानीटरिंग और पर्यवेक्षण

	का औचक निरीक्षण किया गया।	स्कीम अद्यतन डैशबोर्ड पीएमकेवीवाई की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सीएससीएम घटक के तहत मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से औचक निरीक्षण किया गया। सीएससीएम घटक के तहत, गैर–अनुपालन वाले मामलों पर विचार–विमर्श करने और उचित कार्रवाई करने के लिए मानीटरिंग समिति का गठन किया जाता है।	के लिए संबंधित संरचना के साथ समर्पित मानीटरिंग दल अपेक्षित है। जिला स्तर पर गठित डीएससी स्कीम दिशा–निर्देशों के अनुसार अपने संबंधित जिलों में प्रशिक्षण केंद्रों/स्थलों पर पीएमकेवीवाई 3.0 के निष्पादन की मानीटरिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। डीएससी के पास अपने संबंधित जिलों में प्रशिक्षण केंद्रों की मानीटरिंग के लिए एक नामित व्यक्ति या दल होगा। प्रौद्योगिकी संचालित सहयोग के साथ–साथ पारदर्शिता और मापनीयता के लिए वास्तविक निरीक्षणों के माध्यम से मानीटरिंग की जाएगी। उदाहरण के लिए, सीएससीएम घटक के तहत, ऐप के माध्यम से वर्चुअल सत्यापन, उम्मीदवार सत्यापन और आउट बाउंड डायलिंग (ओबीडी)/मैन्युअल कॉलिंग के माध्यम से प्रतिक्रिया, मोबाइल ऐप के माध्यम से औचक वास्तविक निरीक्षण कोविड क्रैश कोर्स कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से ट्रैक करने के लिए कार्यक्रम कार्यान्वयन की अधिक मानीटरिंग की जाती है • चेहरे से पहचान तकनीक/एईबीएएस के माध्यम से प्रशिक्षण के दौरान उम्मीदवारों की उपस्थिति जो भी लागू हो • प्रशिक्षण सामग्री, टीसी सुविधाओं और अवसंरचना की उपलब्धता • बैच संख्या सहित प्रशिक्षण की नियमितता • प्रशिक्षक अर्हता और टीओटी प्रमाणीकरण • गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित कोविड दिशा–निर्देशों को वास्तविक और वर्चुअल सत्यापन ऐप्स की मानीटरिंग में शामिल किया गया है। उपरोक्त निम्न अनुसार प्राप्त किया जाता है • सभी बैचों का 100% वर्चुअल सत्यापन जहां विसंगति पाई जाए वहां वास्तविक निरीक्षण के साथ जुड़ाव। • मैन्युअल कॉल के माध्यम से 100% उम्मीदवार सत्यापन • चल रहे प्रशिक्षण के साक्ष्य के रूप में 100% टीसी/टीपी को मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से दैनिक जियो टैग्ड टाइम स्टैम्प्ड फोटोग्राफ/वीडियो, दस्तावेज अपलोड करना आवश्यक है।

5.2 प्रधान मंत्री कौशल केंद्र (पीएमकेके)

"कुशल भारत मिशन" को आगे बढ़ाने के लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) ने सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों (पीसी) को शामिल करना सुनिश्चित करने के लिए भारत के प्रत्येक जिले में अत्याधुनिक, दृश्यमान और आकांक्षी मॉडल प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की पहल की है। इन मॉडल प्रशिक्षण केंद्रों को "प्रधान मंत्री कौशल केंद्र" (पीएमकेके) कहा जाता है।

- इस परियोजना के तहत, आरएफपी के माध्यम से चयनित निजी प्रशिक्षण भागीदार, प्रयोगशालाओं, प्रशिक्षण संबंधित मशीनरी, प्रशिक्षण सहायता आदि के क्रय और स्थापना के लिए रियायती ब्याज दर पर प्रति पीएमकेके 70 लाख रुपए तक का सुरक्षित ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
- जब तक स्कीम मौजूद है, पीएमकेके केंद्रों को पीएमकेवीवाई स्कीम के तहत तीन वर्ष के लिए समर्पित प्रशिक्षण अधिदेश भी दिया जाएगा।
- 31 दिसंबर 2022 तक, 707 जिलों को शामिल करते हुए 818 पीएमकेके आबंटित किए गए हैं। 818 आबंटित पीएमकेके में से 721 पीएमकेके स्थापित किए जा चुके हैं।

तालिका 27: पीएमकेके केंद्र सारांश:

श्रेणियां	उपलब्धि
जिलों की संख्या'	763'
आबंटित पीएमकेके वाले जिलों की वर्तमान संख्या	707
अब तक आबंटित पीएमकेके की संख्या	818
31.12.2022 तक स्थापित पीएमकेके की संख्या	721

'जो जिले नवगठित हैं, उन्हें भी मैप किया गया है और भारत में जिलों की अद्यतन संख्या को "763" तक ले जाने के लिए जोड़ा गया है

तालिका 28: पीएमकेके केंद्र प्रशिक्षण (अल्पावधि प्रशिक्षण) सारांश (31.12.2022 तक):

स्कीम	नामांकित	प्रशिक्षित	आकलित	प्रमाणित	नियोजित
पीएमकेवीवाई 2.0	16,52,348	14,82,794	13,65,847	11,90,208	7,17,118
पीएमकेवीवाई 3.0	2,94,681	2,58,553	2,09,532	1,75,993	24,441
कुल योग	19,47,029	17,41,347	15,75,379	13,66,201	7,41,559

तालिका 29: पीएमकेके के राज्य–वार विवरण (31.12.2022 तक):

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जिलों की संख्या'	आज तक आबंटित पीएमके के वाले जिलों की संख्या	अब तक आबंटित पीएमके के की संख्या	31.12.2022 तक स्थापित पीएमके ककी संख्या
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	3	2	2	0
अरुणाचल प्रदेश	25	20	20	10
आंध्र प्रदेश26	13	25	24	
असम	35	33	33	28
बिहार	38	38	49	48
चंडीगढ़	1	1	1	1

छत्तीसगढ 33	27	27	22	
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	3	2	2	0
दिल्ली	11	11	11	8
गोवा	2	2	2	1
गुजरात	33	33	35	28
हरियाणा	22	21	25	24
हिमाचल प्रदेश	12	12	12	11
जम्मू कश्मीर	20	19	20	18
लद्दाख	2	2	2	2
झारखंड	24	24	24	20
कर्नाटक	31	30	37	35
केरल	14	14	20	20
लक्षद्वीप	1	1	1	0
मध्य प्रदेश	52	51	52	52
महाराष्ट्र	36	36	50	43
मणिपुर	16	16	16	15
मेघालय	12	8	8	6
मिजोरम	11	6	6	3
नगालैंड	14	11	11	3
ओडिशा	30	29	30	26
पुदुचेरी	4	4	4	4
पंजाब	23	22	24	24
राजस्थान	33	33	35	34
सिक्किम	6	4	4	3
तमिलनाडु	38	33	40	35
तेलंगाना	33	31	33	29
त्रिपुरा	8	8	8	4
उत्तर प्रदेश	75	75	89	86
उत्तराखंड	13	13	13	13
पश्चिम बंगाल	23	22	47	41
कुल	**763****	**707**	**818**	**721**

*जो जिले नवगठित हैं, उन्हें भी मैप किया गया है और भारत में जिलों की अद्यतन संख्या को "763" तक ले जाने के लिए जोड़ा गया है

5.3 पीएमकेवीवाई स्कीम के तहत अन्य कौशलीकरण पहलें

i. पीएमकेवीवाई 2.0 के तहत वापस लौटे प्रवासियों का कौशलीकरण: गरीब कल्याण रोजगार अभियान (जीकेआरए) को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वापस लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों और इसी तरह से प्रभावित ग्रामीण आबादी के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के मिशन के साथ शुरू किया गया था। संकटग्रस्त लोगों को तत्काल रोजगार और आजीविका के अवसर प्रदान करने की बहु–आयामी कार्यनीति के माध्यम से, जीकेआरए का उद्देश्य सार्वजनिक अवसंरचना से गांवों को संतृप्त करना, आजीविका संपत्ति बनाना, आय सृजन कार्यकलापों को बढ़ावा देना और दीर्घावधि आजीविका के अवसरों को बढ़ाना है।

जीकेआरए को सहयोग देने के लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) ने अपनी प्रमुख स्कीम पीएमकेवीवाई के तहत कोविड–19 से प्रभावित रिवर्स श्रमिक (प्रवासी) के प्रशिक्षण के लिए विशेष कार्यक्रम कार्यान्वित किया है। इस घटक में 6 राज्यों अर्थात् असम, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 116 जिले शामिल हैं।

एसटीटी के तहत नए प्रशिक्षण और आरपीएल के तहत उन्मुखीकरण के लिए जॉब रोल्स का चयन करते समय, निम्नलिखित कारकों पर विचार किया गया:

- स्थानीय/जिला स्तर पर नियुक्ति/नौकरी के अवसर
- स्वरोजगार सहयोग के लिए बैंक ऋण की सुविधा
- स्थानीय प्रशिक्षण केंद्रों (टीसी) पर उपलब्ध मौजूदा जॉब रोल्स का मिलान और पीएमकेवीवाई 2016–20 के तहत स्वीकृत जॉब रोल की सूची
- कम से कम 1 वर्ष के लिए जिले में रहने के इच्छुक उपयुक्त लाभार्थियों का चयन।

राज्य–वार लक्ष्य आबंटन और प्रशिक्षण अद्यतन:

तालिका 30 और 31:

क) अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी):

राज्य	जिलों की संख्या	अनुमोदित लक्ष्य	आबंटित लक्ष्य	नामांकित	प्रमाणित	नियोजित
असम	2	2,000	2,000	1,105	921	526
बिहार	31	52,824	50,340	32,436	24,595	11,554
मध्य प्रदेश	23	23,902	23,100	16,463	13,889	6,589
ओडिशा	4	4,888	4,830	1,911	1,526	530
राजस्थान	22	26,964	26,180	16,670	14,580	8,960
उत्तर प्रदेश	31	39,545	35,997	22,245	17,807	7,466
कुल	**113**	**1,50,123**	**1,42,447**	**90,830**	**73,318**	**35,625**

ख) पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल):

राज्य	जिलों की संख्या	आबंटित लक्ष्य	नामांकित	प्रमाणित
असम	2	2,000	504	271
बिहार	26	48,320	20,728	16,306
मध्य प्रदेश	11	13,494	3,194	2,399
ओडिशा	2	4,450	892	450
राजस्थान	8	12,247	3,651	2,948
उत्तर प्रदेश	14	18,261	9,221	7,818
कुल	63	98,772	38,190	30,192

ii. प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना 3.0 के तहत कोविड योद्धाओं के लिए विशिष्टल रूप से तैयार क्रैश कोर्स कार्यक्रम (सीडब्ल्यू के लिए सीसीसीपी)

- कार्यक्रम का उद्देश्य संभार क्षेत्र से कुशल स्वास्थ्य व्यवसायियों और संबद्ध व्यवसायियों की बढ़ती मांग को पूरा करना, मौजूदा स्वास्थ्य देखभाल व्यवसायियों के बोझ को कम करना और देश के प्रत्येक क्षेत्र में समय पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है।
- कार्यक्रम में निम्नलिखित तीन घटक शामिल हैं, जिन्हें पीएमकेवीवाई के सीएससीएम घटक के तहत कार्यान्वित किया जाना है।
    - o घटक 1: 6 (छह) स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के जॉब रोल्स में (विशेष परियोजनाओं के तहत) उम्मीदवारों का नवीन कौशलीकरण। प्रशिक्षण की अवधि लगभग 21 दिनों की सिद्धांत–आधारित, कक्षा प्रशिक्षण के बाद लगभग 90 दिनों की ऑन–द–जॉब ट्रेनिंग (ओजेटी) जैसे कि स्वास्थ्य सुविधा जैसे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, नैदानिक सुविधा, नमूना संग्रह केंद्र, आदि होगी।
    - o घटक 2: पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल) के तहत पूर्व अनुभव/पूर्व शिक्षा वाले उम्मीदवारों के लिए कौशलीकरण। इस घटक के तहत प्रशिक्षण मूल 6 जॉब रोल्स पर ब्रिज कोर्स के रूप में लगभग एक सप्ताह की अवधि का होगा।
    - o घटक 3: तरल चिकित्सीय ऑक्सीजन (एलएमओ) की संभाल और परिवहन में ड्राइवरों का प्रशिक्षण। प्रशिक्षण की अवधि लगभग 27 दिवस की होगी। खतरनाक रसायनों के साथ–साथ एलएमओ के परिवहन में एचएमवी लाइसेंस धारक ड्राइवरों का विशेष प्रशिक्षण, साथ ही एलएमओ का परिवहन करते समय 'रक्षात्मक ड्राइविंग' पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 18 जून 2021 को 26 राज्यों के 100 जिलों में 111 प्रधान मंत्री कौशल केंद्रों (पीएमकेके) और अन्य संबद्ध प्रशिक्षण केंद्रों (टीसी) में प्रशिक्षण शुरू करने के साथ कार्यक्रम शुरू किया गया था।

तालिका 32: सीडब्ल्यू के लिए सीसीसीपी के लिए विशिष्टं रूप से तैयार जॉब रोल्सः

क्र. सं.	क्रैश कोर्स	क्यूपी जिस पर मैप किया गया	अनुमानित घंटे
1	कोविड फ्रंटलाइन वर्कर (बेसिक केयर सपोर्ट)	सामान्य ड्यूटी सहायक (जीडीए)	195 घंटे
2	कोविड फ्रंटलाइन वर्कर (होम केयर सपोर्ट)	गृह स्वास्थ्य सहयोगी (एचएचए)	195 घंटे
3	कोविड फ्रंटलाइन वर्कर (उन्नत देखभाल सहायता)	जीडीए उन्नत – क्रिटिकल केयर (जीडीएए)	210 घंटे
4	कोविड फ्रंटलाइन वर्कर (नमूना संग्रह सहायता)	फ्लेबोटोमिस्ट	211 घंटे
5	कोविड फ्रंटलाइन वर्कर (आपातकालीन देखभाल सहायता)	आपातकालीन चिकित्सा तकनीशियन बेसिक – (ईएमटीबी)	144 घंटे
6	कोविड फ्रंटलाइन वर्कर (चिकित्सा उपकरण सहायता)	चिकित्सा उपकरण प्रौद्योगिकी सहायक (मेटा)	312 घंटे

अद्यतन प्रगति (31.12.2022 तक):

प्रशिक्षण प्रणाली	नामांकित	कक्षा में प्रशिक्षण	आकलित	ओजेटी प्रशिक्षित	ओजेटी आकलित	प्रमाणित
नव कौशलीकरण (विशेष परियोजनाएं)	1,16,569	1,10,422	98,030	91,047	77,196	71,542
कौशलीकरण (आरपीएल)	10,253	9,905	8,531	–	–	7,954
कुल	**1,26,822**	**1,20,327**	**1,06,561**	**91,047**	**77,196**	**79,496**

सीडब्ल्यू के लिए सीसीसीपी की मानीटरिंग

कोविड क्रैश कोर्स कार्यक्रम के लिए, कार्यक्रम कार्यान्वयन की मानीटरिंग विशेष रूप से ट्रैक करने के लिए की जाती हैः

- चेहरे की पहचान प्रौद्योगिकी/एईबीएएस, जो भी लागू हो, के माध्यम से प्रशिक्षण के दौरान उम्मीदवारों की उपस्थिति
- प्रशिक्षण सामग्री, टीसी सुविधाओं और अवसंरचना की उपलब्धता
- बैच संख्या सहित प्रशिक्षण की नियमितता
- प्रशिक्षक अर्हता और टीओटी प्रमाणीकरण
- गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित कोविड दिशा–निर्देशों को वास्तविक और वर्चुअल सत्यापन ऐप्स की मानीटरिंग में शामिल किया गया है।

उपरोक्त पैरामीटर की मानीटरिंग निम्न माध्यमों से की जाती हैः

- विसंगति की स्थिति में, वास्तविक निरीक्षण से जोड़कर सभी बैचों का 100% वर्चुअल सत्यापन।
- मैन्युअल कॉल के माध्यम से 100% उम्मीदवार सत्यापन
- चल रहे प्रशिक्षण के साक्ष्य के रूप में 100% टीसी/टीपी को मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से दैनिक जियो टैग्ड टाइम स्टैम्प्ड फोटोग्राफ/वीडियो, दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता होती है

iii. कौशल केंद्र पहल (एसएचआई)–कौशल केंद्र के माध्यम से एकीकृत कौशलीकरण

- छात्र, समुदाय और अर्थव्यवस्था के स्तर पर समग्र लाभ के लिए देश की शिक्षा–कौशल प्रणाली में सामान्य शिक्षा के साथ व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण और मुख्य धारा की पहचान प्रमुख सुधार के रूप में की गई है। 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति' (एनईपी) 2020 में गुणवत्तापूर्ण समग्र शिक्षा की परिकल्पना की गई है – जिसमें व्यावसायिक शिक्षा भी शामिल है, ताकि छात्र अध्ययन और जीवन की योजना के अपने मार्ग स्वयं डिजाइन कर सकें। यह विषयों के चयन में लचीलेपन पर बल देता है और शिक्षण के विभिन्न क्षेत्रों के बीच हानिकारक पदानुक्रम और साइलो को समाप्त करने के लिए व्यावसायिक और शैक्षणिक स्ट्रीम्सन आदि के बीच कठोर अलगाव की सिफारिश नहीं करता है।

- व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा में लाने के लिए, छात्रों को उनके चुने हुए शैक्षणिक–व्यावसायिक कार्यकलापों को जारी रखने के लिए अवसंरचना को साझा करने और अच्छी तरह से परिभाषित प्रणालियों को विकसित करने में सक्षम बनाने के लिए, शिक्षा और कौशल ईकोसिस्टम में कौशल केंद्र के निर्माण की स्कीम प्रस्तावित की गई है, ताकि इसके लक्ष्य को साकार किया जा सके। जमीन पर एनईपी। पहल के कार्यान्वयन से चरणबद्ध प्रणाली से औपचारिक शिक्षा के साथ व्यावसायिक शिक्षा का व्यापक–आधारित अभिसरण सुनिश्चित होगा। यह प्रयास ' राष्ट्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता नीति' (एनएसडीपी), 2015 के उद्देश्यों को भी पूरा करेगा।

- सतत कौशल प्रशिक्षण केंद्रों का निर्माण, शिक्षा मंत्रालय (एमओई) के समन्वय से स्कूली पाठ्यक्रम में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की चरणबद्ध शुरुआत की भी परिकल्पना की गई है। यह विश्वविद्यालयों/कॉलेजों/औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (यह हैं)/पॉलिटेक्निक/स्कूलों से उपलब्ध अवसंरचना के अधिक से अधिक उपयोग और जिला कौशल समितियों (डीएससी), राज्य कौशल विकास मिशनों (एसएसडीएम)/हैंडहोल्डिग, कार्यनीतिक और वित्त पोषण सहायता से तकनीकी शिक्षा निदेशालय की तकनीकी सहायता से. राज्य को और सुदृढ़ करने के माध्यम से पूरा किया जा सकता है।

- पीएमकेवीवाई 3.0 स्कीलम के तहत 'कौशल केंद्र पहल' शिक्षा इकोसिस्टम में कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों की शुरूआत पर केंद्रित है। यह पहल एनईपी 2020 में परिकल्पना के अनुसार सामान्य शिक्षा के साथ व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण पर नीतिगत स्तर के तालमेल पर विचार करेगी।

- कौशल केंद्र नोडल कौशल केंद्र हैं, जिनकी पहचान कक्षा 6–8वीं (उन्मुखीकरण, उद्योग भ्रमण, बैग–लेस डेज़ के माध्यम से वर्ल्ड–ऑफ–वर्क को लागू करके+6), कक्षा 9वीं से 12वीं (कक्षा 9वीं से 12वीं) तक छात्रों को कौशल विकास अवसर दिलाने के उद्देश्य से), स्कूल की पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले, और शिक्षा से बाहर (अकादमिक ऋण के लिए लक्षित, शिक्षा को मुख्यधारा में वापस लाने और या शिक्षुता और रोजगार संपर्क लक्षित जनसंख्या वर्गों को कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करने के लिए की गई है। समय के साथ, ये कौशल केंद्र किसी जिले या आस–पास के जिलों के समूह से सटे शिक्षा और स्किलिंग संस्थानों (स्पोक्स) से जुड़ेंगे, ताकि केंद्र या स्पोक स्थल पर कौशल विकास प्रशिक्षण तक पहुंच प्रदान की जा सके। स्किल हब के आसपास के ऐसे आस–पास के संस्थान अपने विद्यालय के, ड्रॉप–आउट और आउट–ऑफ–एजुकेशन उम्मीदवारों के लिए संबंधित केंद्र में उपलब्ध अवसंरचना और संसाधनों का लाभ उठा सकते हैं।

- पीएमकेवीवाई 3.0 के तहत 'कौशल केंद्र पहल' का उद्देश्य साझा अवसंरचना का निर्माण करना है, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था की जरूरतों के अनुरूप है, जो सभी लक्षित क्षेत्रों की व्यावसायिक प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करता है। यह भी उम्मीद की जाती है कि शिक्षा और कौशल प्रणाली में मौजूदा संसाधनों को सामान्य कामकाजी घंटों के अतिरिक्त और सप्ताहांत के दौरान कौशल विकास के लिए उपयोग करके इष्टतम उपयोग में लाया जा सकता है। अपने पूर्ण कार्यकाल में, इस स्कीम का उद्देश्य निम्नलिखित है:

  क. कौशल विकास के लिए स्थायी व्यावसायिक अवसंरचना और संसाधनों का प्रावधान

  ख. उम्मीदवारों की आसानी के लिए कौशल केंद्रों की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करना

ग. उम्मीदवारों को अपने चुने हुए व्यवसायों के साथ जारी रखने के लिए अनेक अच्छी तरह से परिभाषित मार्गों के साथ प्रारंभिक चरण में व्यावसायिक शिक्षा को कार्यान्वित करना

घ. इन–स्कूल, ड्रॉप–आउट और आउट–ऑफ–एजुकेशन उम्मीदवारों सहित लक्षित क्षेत्रों के लिए व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना

ङ. समग्र आर्थिक और स्थानीय अर्थव्यवस्था की जरूरतों के साथ सभी स्तरों पर व्यावसायिक पेशकशों को संरेखित करना

प्रशिक्षण प्रणाली	लक्ष्य	नामांकित	प्रशिक्षित	आकलित	प्रमाणित
अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी)	3,49,800	2,28,302	1,97,958	1,36,013	1,13,192

iv. **<u>प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना 3.0 (पीएमकेवीवाई 3.0) के तहत विशेष परियोजनाएं</u>**– एमएसडीई ने अपनी प्रमुख स्कीम पीएमकेवीवाई 3.0 के तहत निम्नलिखित परियोजनाएं शुरू की हैं:

क. **नगालैंड और कश्मीर में पारंपरिक शिल्प में बुनकरों और कारीगरों के लिए कौशल उन्नयन**– नगालैंड और जम्मू और कश्मीर के पारंपरिक शिल्पों पर बुनकरों और कारीगरों का कौशल उन्नयन, पीएमकेवीवाई 3.0 के तहत एक आरपीएल (पूर्व शिक्षण मान्यता) परियोजना को उद्यमशीलता विकास और डिजाइन (ब्रिज मॉड्यूल के साथ आरपीएल टाइप 1) जैसी मूल्य वर्धित सेवाओं के साथ कार्यान्वित किया जा रहा है। परियोजना का उद्देश्य पहले से मौजूद कारीगरों और बुनकरों की दक्षताओं को उनके कौशल अर्जन को मुख्यधारा में लाना है और ऐसे कुशल कारीगरों और बुनकरों द्वारा उत्पादित हस्तनिर्मित उत्पादों की उत्पादकता में सुधार करना है जो बदले में क्षेत्र में वंचित कारीगरों और बुनकरों के लिए स्थायी आजीविका सुनिश्चित करके कमाई की क्षमता को बढ़ाते हैं।

ख. **जम्मू और कश्मीर की विरासत नमदा शिल्प के पुनरुद्धार पर विशेष परियोजना**– इस परियोजना का उद्देश्य, मुख्यतः कश्मीर में उपलब्ध नमदा शिल्प की कौशल विकास जरूरतों को वास्तविक, दृश्यमान वितरित करने के लिए एक उचित पैमाने (24 माह में 2250 लाभार्थी उम्मीदवार) और समग्र लाभ से पूरा करना है। विशेष परियोजना के अंतर्गत वास्तविक प्रगति का विवरण नीचे दिया गया है–

नामांकित	प्रशिक्षित	आंकलित	प्रमाणित	नियोजन रिपोर्ट
2,243	2,243	2,223	2,119	14

ग. **पूर्वी दिल्ली नगर निगम में रेहड़ी पटरी वालों (ई–कार्ट लाइसेंस के लिए) के लिए अपस्किलिंग**– 2500 रेहड़ी पटरी वालों के लिए आरपीएल, जो ई–कार्ट लाइसेंस के लिए आवेदन करते हैं, उनका उन्नयन करने के लिए और उन्हें स्वच्छता, सुरक्षा, ग्राहक केंद्रित, डिजिटल लेनदेन तथा उद्यमशीलता कौशल में पारंगत बनाते हैं। परियोजना के तहत कुल 1558 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया और 1030 को प्रमाणित किया गया। वास्तविक प्रगति से संबंधित अन्य प्रमुख विवरण निम्नानुसार हैं–

नामांकित	प्रशिक्षित	आंकलित	प्रमाणित
2,317	1,558	1,087	1,030

ये परियोजनाएं सार्वजनिक–निजी भागीदारी मॉडल के तहत उद्योग जगत की सक्रिय भागीदारी से चलाई जा रही हैं।

v. **<u>उत्तहर–पूर्व में ब्रू जनजाति का कौशल प्रशिक्षण (1,435 उम्मीदवार प्रशिक्षित):</u>** ब्रू जनजाति से संबंधित लाभार्थियों को प्रशिक्षित करने और प्रमाणित करने के लिए विशेष परियोजना कार्यान्वित की गई है। यह परियोजना मुख्य रूप से त्रिपुरा में शिविरों में कार्यान्वित की गई है, जहां लगभग 1,435 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है और लगभग 1,335 प्रमाणित किए गए हैं। परियोजना में क्राफ्ट बेकर, स्वरोजगार दर्जी, मेसन

जनरल, हैंड एम्ब्रोइडर, टू शाफ़्ट हैंडलूम वीवर, सिलाई मशीन ऑपरेटर आदि जैसे अनेक जॉब रोल शामिल थे। इन लाभार्थियों को इंफाल पश्चिम, धलाई, गोमती, खोवाई, उत्तर त्रिपुरा, पूर्व और पश्चिम त्रिपुरा जिले में प्रशिक्षित किया गया है।

vi. प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना 3.0 पर क्षेत्रीय कार्यशालाः प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना 3.0 (पीएमकेवीवाई 3.0) पर पहली क्षेत्रीय कार्यशाला गंगटोक, सिक्किम में आयोजित की गई थी। अपनी तरह की यह पहली क्षेत्रीय कार्यशाला गंगटोक, सिक्किम में 8 अप्रैल, 2021 को आयोजित की गई थी। यह कार्यशाला सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड और त्रिपुरा सभी आठ राज्यों में राज्य कौशल विकास मिशनों (एसएसडीएम) और जिला कौशल समितियों (डीएससी) के प्रमुख कर्मियों की सक्रिय भागीदारी के साथ आयोजित की गई थी। दिन भर चली कार्यशाला के दौरान संपूर्ण कौशल इकोसिस्टम पर व्यापक चर्चा हुई। स्कीम के अगले चरण की कार्यनीति पर राज्यों से सुझाव भी मांगे गए।

III. कौशल प्रबंधन सूचना प्रणालीः असीम

यह सुनिश्चित करने के लिए है कि कुशल कार्यबल की मांग उपलब्धता आपूर्ति के साथ पूरी की जाती है अतः बाजार में मौजूद मांग और आपूर्ति के अंतर को काम करना है। ऐसी ही हाल की पहलों में से एक है – कौशल प्रबंधन सूचना प्रणाली जिसका नाम असीम (आत्मनिर्भर कुशल कर्मचारी नियोजक मैपिंग) है। असीम उद्योग की मांग, आपूर्ति और विश्लेषण पर जानकारी प्रदान करता है जो रुझान दिखाता है और साथ ही परिणाम प्राप्त करता है। इसे बाजार के भीतर सूचना प्रवाह में सुधार के लिए कार्यबल बाजार नीति साधन के रूप में तैयार किया गया है। यह पोर्टल एक कुशल कार्यबल के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण सटीक, उद्देश्यपूर्ण, प्रासंगिक, समय पर और सुलभ कार्यबल जानकारी प्रदान कर सकता है जो बाजार की मांग और अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से एक समान करने को बढ़ावा देता है।

5.4 स्कूली शिक्षा / पहलें

एनईपी 2020 के शुभारंभ ने व्यावसायिक शिक्षा पर विशेष ध्यान देने पर बाल दिया है। एनईपी 2020 से सामान्य शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के बीच का अंतर कम हुआ है। शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण के लिए केंद्र प्रायोजित स्कीम; व्यक्तिगत रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए शैक्षिक अवसरों के विविधीकरण, कुशल जनशक्ति की मांग और आपूर्ति के बीच बेमेल को कम करने और उच्च शिक्षा प्राप्त करने वालों के लिए एक विकल्प प्रदान करता है। व्यावसायिक शिक्षा 6वीं से 8वीं तक सामान्य शिक्षा के साथ एकीकरण के साथ दी जा रही है, उसके बाद 9वीं से 12वीं कक्षा तक लागू की जा रही है। एनएसडीसी अपनी स्थापना के समय से ही राज्य सरकारों के लिए स्कीम के कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान कर रहा है। अधिकांश राज्यों ने एनएसडीसी–अनुमोदित प्रशिक्षण भागीदारों (टीपी) को संपूर्ण प्रशिक्षण वितरण (कक्षा व्याख्यान, व्यावहारिक प्रशिक्षण, अतिथि व्याख्यान, उद्योग का दौरा, नौकरी प्रशिक्षण आदि सहित) सौंपा है, क्योंकि इन टीपी के पास कौशल विकास पहलों को लागू करने के लिए विशेषज्ञता और आवश्यक उद्योग–कनेक्ट मौजूद है। अब तक, एनएसडीसी–अनुमोदित 71 टीपी 32 राज्यों में काम कर रहे हैं, इस स्कीम के तहत 125 जॉब रोलों में व्यावसायिक प्रशिक्षण संचालित किया जा रहा है।

5.5. उच्चतर शिक्षा

एनएसडीसी उन विश्वविद्यालयों की सहायता कर रहा है जो बी.वोक पाठ्यक्रम कार्यान्वित कर रहे हैं। बी.वोक पाठ्यक्रम विभिन्न स्तरों पर छात्र के बहु–प्रवेश और निकास को सक्षम बना रहा है। एक वर्षीय डिप्लोमा कार्यक्रम करने पर एनएसक्यूएफ स्तर 5 प्रमाण–पत्र प्राप्त होता है, दो वर्षीय अग्रिम डिप्लोमा कार्यक्रम करने पर एनएसक्यूएफ स्तर 6 प्रमाण–पत्र प्राप्त होता है और तीन वर्षीय बी.वोक डिग्री कार्यक्रम करने पर एनएसक्यूएफ स्तर 7 प्रमाण–पत्र प्राप्त होता है। बी.वोक पाठ्यक्रम को भी किसी अन्य स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम के समकक्ष माना जाता है।

भारत सरकार ने देश में सामान्य डिग्री पाठ्यक्रमों अर्थात बी.ए., बी.एससी. और बी.कॉम उत्तीर्ण होने वाले बड़ी संख्या में छात्रों की रोजगार क्षमता को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी पहल शुरू की है। सरकार का मिशन शिक्षा के साथ उद्योग शिक्षुता के व्यवस्थित एकीकरण के माध्यम से शिक्षुता अधिनियम और एनएपीएस स्कीम के साथ, डिग्री पाठ्यक्रमों से उत्तीर्ण स्नातकों

को विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों के साथ शिक्षुता के अवसर प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है। यूजीसी ने जुलाई 2020 में डिग्री शिक्षुता कार्यक्रम के लिए दिशा–निर्देश जारी की हैं।

एक डिग्री शिक्षु किसी पाठ्यक्रम करने वाला एक प्रशिक्षु होता है ताकि वह किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय द्वारा दी गई डिग्री प्राप्त कर सके, जबकि वह एक ही समय में पाठ्यक्रम के एक एकीकृत घटक के रूप में शिक्षुता प्रशिक्षण ले रहा हो। दूसरे शब्दों में, यह एक शिक्षुता एम्बेडेड डिग्री कार्यक्रम है जिसके तीन घटक होते हैं: सामान्य शिक्षा (अकादमिक), कौशल घटक (कक्षा/प्रयोगशाला) और नौकरी पर प्रशिक्षण (शिक्षुता)।

5.6 भारत अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र (आईआईएससी)

आईआईएससी कार्यक्रम की कल्पना सबसे पहले वर्ष 2016 में एमएसडीई और एनएसडीसी द्वारा विदेशों में काम करने के इच्छुक भारतीयों को कौशल प्रशिक्षण और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बैंचमार्कड प्रमाण–पत्र प्रदान करने के लिए की गई थी। प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रायोगिक चरण वर्ष 2018 में सफलतापूर्वक पूरा किया गया। प्रायोगिक चरण के अनुभवों के आधार पर, एनएसडीसी ने एक शुल्क आधारित, बाजार संचालित मॉडल शुरू किया है जिसे भारत अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र (आईआईएससी) नेटवर्क कहा जाता है। यह नेटवर्क भारत को विश्व की कौशल राजधानी बनाने हेतु भारत सरकार के विजन के केंद्र में होगा। इसमें आईआईएससी के रूप में संदर्भित अनेक निश्चित केंद्रों के माध्यम से संचालित होने वाले सदस्य संगठन शामिल हैं। इसके अलावा, वृद्धिशील कौशल प्रशिक्षण, अंतर्राष्ट्रीय कौशल परीक्षण और प्रमाणन, पूर्व–प्रस्थान उन्मुखीकरण और देशों की आवश्यकताओं के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय भाषा प्रशिक्षण, आईआईएससी परामर्श और मार्गदर्शन के माध्यम से क्लस्टरों में उम्मीदवारों की नियुक्ति की सुविधा प्रदान करेगा।

ख. डीजीटी के माध्यम से स्कीमें और पहलें

5.7 शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस)

5.7.1. प्रस्तावना

शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) भारत सरकार द्वारा वर्ष 1950 में घरेलू उद्योग के लिए विभिन्न व्यवसायों में कुशल श्रमिकों के निरंतर प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए, व्यवस्थित प्रशिक्षण द्वारा औद्योगिक उत्पादन को मात्रात्मक और गुणात्मक रूप से बढ़ाने हेतु, शिक्षित युवाओं को रोजगार योग्य कौशल प्रदान करके बेरोजगारी को कम करने के लिए,युवा पीढ़ी के मन में तकनीकी और औद्योगिक दृष्टिकोण को विकसित और पोषित करने के लिए शुरू की गई थी। यह योजना व्यावसायिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण होने के कारण देश के विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में फैले आईटीआइज के विशाल नेटवर्क के माध्यम से मौजूदा और भविष्य की जनशक्ति की आवश्यकता को पूरा करने के लिए शिल्पकारों को तैयार कर रही है। शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के तहत आईटीआइज के दैनंदिन के प्रशासन को वर्ष 1956 से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन में स्थानांतरित कर दिया गया था। 1 अप्रैल, 1969 से राज्य तथा साथ ही साथ संघ राज्य क्षेत्र में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का वित्तीय नियंत्रण भी संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्थानांतरित किया गया।

5.7.2 योजना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

- कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से जीवनपर्यंत आजीविका (कैरियर) प्रदान करना।
- अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकता के अनुसार उपयुक्त कौशल/बहु कौशल से कार्यबल को लैस करना।
- वेतन और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए रोजगार योग्य कौशल प्रदान करके युवाओं को उपयोगी बनाना।
- उच्च गुणवत्ता के शिल्पकार तैयार करना।
- औद्योगिक/सेवा क्षेत्रों में कुशल कामगारों का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करना।
- संभावित कामगारों के व्यवस्थित प्रशिक्षण द्वारा औद्योगिक उत्पादन की गुणवत्ता और मात्रा में वृद्धि करना।

5.7.3 योजना की मुख्य विशेषताएं:

- 14 वर्ष और उससे अधिक आयु के अभ्यर्थी सरकारी और निजी आईटीआइज में प्रवेश लेने के पात्र हैं। सरकारी और निजी आईटीआइज में प्रवेश हर साल अगस्त के महीने में किया जाता है।
- आईटीआइज में शिक्षण शुल्क संबंधित राज्य सरकार द्वारा संबंधित राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद की सिफारिश के आधार पर तय किया जाता है। प्रशिक्षणार्थियों को पुस्तकालय, खेल और चिकित्सा सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं।

- संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित हैं। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 4% सीटें और महिला अभ्यर्थियों के लिए 30% सीटें आरक्षित करने के लिए दिशा निर्देश राज्य सरकारों को जारी किए गए हैं और इन्हें प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सामान्य आरक्षण नीति के आधार पर भरा जा सकता है और कुल आरक्षण 50% तक सीमित है। सेना कर्मियों के बच्चों के लिए भी सीटें आरक्षित हैं। ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए भी सीटें संबंधित राज्यों में सरकारी सेवाओं में उनके लिए आरक्षित सीटों के अनुपात में आरक्षित की गई हैं।

- बुनियादी सुविधाओं के इष्टतम उपयोग के लिए सरकारी और निजी आईटीआइज में अलग–अलग समय पर दूसरी और तीसरी पाली का प्रावधान है। उन्हें एक अतिरिक्त व्यवसाय अनुदेशक नियुक्त करके और प्रशिक्षणार्थियों के लिए अतिरिक्त प्रशिक्षणार्थियों किट प्रदान करके दूसरी पाली शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
- प्रत्येक सरकारी और निजी आईटीआइज में एक "प्लेसमेंट सेल" स्थापित किया गया है ताकि स्नातकों को विभिन्न उद्योगों में प्लेसमेंट दिलाने में सुविधा मिल सके।
- उद्योग और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआइज) के बीच सहयोग में सुधार लाने के लिए शीर्ष उद्योग निकायों के परामर्श से आईटीआइज के लिए संस्थान प्रबंधन समिति (आईएमसी) का गठन किया गया है।
- आईटीआइज के सभी डेटा एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर https://ncvtmis.gov.in/Pages/Home.aspx लिंक पर कैप्चर किए गए हैं।

5.7.4 प्रशिक्षण कार्यक्रम की संरचना

- योजना के तहत 152 एनएसक्यूएफ अनुपालन व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया जाता है। शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के तहत 152 व्यवसायों (84 इंजीनियरिंग, 63 गैर–इंजीनियरिंग, 05 दिव्यांगों के लिए और 05 नए आरंभ किए गए व्यवसाय) की सूची अनुबंध–III में दी गई है। विभिन्न व्यवसायों के लिए प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष और दो वर्ष है। व्यवसायों के आधार पर प्रवेश योग्यता 8वीं कक्षा पास से लेकर 12वीं कक्षा पास तक भिन्न–भिन्न होती है।
- पाठ्यक्रमों को इस प्रकार डिज़ाइन किया गया है कि व्यवसायों में कौशल और ज्ञान 70% से 80% प्रदान किया जाए ताकि प्रशिक्षणार्थी को अर्ध–कुशल कामगार के रूप में या स्व–रोजगार के लिए तैयार किया जा सके।
- चूंकि प्रशिक्षण अवधि का 70% से 80% व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए आवंटित किया जाता है और शेष व्यवसाय सिद्धांत, कार्यशाला गणना और विज्ञान, इंजीनियरिंग ड्राइंग से संबंधित विषयों के लिए आवंटित किया जाता है, इस तरह से कौशल निर्माण पर जोर दिया जाता है।
- प्रशिक्षणार्थियों के समग्र व्यक्तित्व विकास के लिए, सीटीएस के तहत सभी व्यवसायों हेतु "रोजगारपरक कौशल" पर मॉड्यूल आरंभ किया गया है। इस मॉड्यूल में रोजगारपरक कौशल, संवैधानिक मूल्यों– नागरिकता, बुनियादी अंग्रेजी कौशल, संचार कौशल, विविधता और समावेश, वित्तीय और विधि साक्षरता, आवश्यक डिजिटल कौशल, ग्राहक सेवा, 21 वीं सदी में एक पेशेवर बनना और उद्यमशीलता तथा रोजगार हेतु तैयारी जैसे विषयों को शामिल किया गया है।

5.7.5 देश भर में सीटीएस के सुचारू कार्यान्वयन के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की जिम्मेदारी

केंद्र सरकार:

- कौशल विकास के लिए समग्र नीतियां, मानदंड और मानक तैयार करना।
- युवाओं के कौशल विकास के लिए नई प्रशिक्षण योजनाओं का तैयार।
- प्रशिक्षण के बुनियादी ढांचे का विस्तार।
- पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या का विकास/संशोधन।
- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की संबद्धता।
- व्यवसाय परीक्षण और प्रमाणन।
- आईटीआइज के सेवारत और संभावित अनुदेशकों के लिए अनुदेशक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित करना।
- विशिष्ट/नए क्षेत्रों में अनुदेशक के कौशल उन्नयन के लिए पाठ्यक्रम संचालित करना।
- महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
- पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू एवं कश्मीर तथा वामपंथी अतिवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित राज्यों के लिए विशेष योजनाओं का कार्यान्वयन।
- औद्योगिक मूल्य संवर्धन हेतु कौशल सुदृढ़ीकरण (स्ट्राइव) – विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित एक नई परियोजना।
- प्रशिक्षण को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में द्विपक्षीय समझौते और सहयोग।

राज्य सरकार:

- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का दैनंदिन प्रशासन।
- आईटीआइज में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करना।
- नए संस्थानों की स्थापना, स्थानीय उद्योगों की आवश्यकता के अनुसार मौजूदा संस्थान में व्यवसाय इकाइयों को जोड़ना।
- व्यवसाय परीक्षा का वास्तविक संचालन और सफल प्रशिक्षार्थियों को प्रमाण–पत्रों का वितरण।
- आईटीआइज के उन्नयन के लिए केन्द्रीय योजनाओं का कार्यान्वयन।
- डीजीटी संस्थानों में प्रशिक्षण के लिए अनुदेशकों की प्रतिनियुक्ति।

5.7.6 आईटीआई की गुणवत्ता में सुधार के लिए पहल

- **आईटीआइज की ग्रेडिंग:**

  आईटीआइज की ग्रेडिंग का उद्देश्य भारत में सरकारी और निजी दोनों आईटीआइज के लिए गुणवत्ता आश्वासन तंत्र स्थापित करना था। ग्रेडिंग परिणाम का उद्देश्य हितधारकों (प्रशिक्षणार्थी, नियोक्ता, माता–पिता आदि) को संस्थानों के बारे में सुविज्ञ विकल्प बनाने में मदद करना है। डीजीटी ने 2 चरणों में ग्रेडिंग का आयोजन किया और यह देश में सभी एनसीवीटी से संबद्ध आईटीआइज के लिए अनिवार्य था।

  आईटीआई ग्रेडिंग का पहला चरण जनवरी 2017 में शुरू किया गया था और 4811 आईटीआइज को ग्रेड दिया गया था। इसके अलावा, ग्रेडिंग के मापदंडों को चरण प्प के लिए संशोधित किया गया था और आईटीआइज, राज्य निदेशालयों, उद्योग भागीदारों और कोर ग्रेडिंग समिति के सदस्यों से प्रतिक्रिया को शामिल करके ग्रेडिंग को और अधिक केंद्रित बनाने के लिए 43 से घटाकर 27 कर दिया गया था। ग्रेडिंग प्रक्रिया में एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर आईटीआइज द्वारा ऑनलाइन स्व–ग्रेडिंग शामिल है, जिसके बाद एक बाहरी एजेंसी द्वारा सत्यापन

किया जाता है और बाद में कोर ग्रेडिंग समिति द्वारा फाइनल ग्रेड दिया जाता है।

चरण II में आईटीआइज ग्रेडिंग प्रक्रिया में आईटीआइज की शिकायत, यदि कोई हो, को दूर करने के लिए शिकायत निवारण तंत्र भी था। इसके अतिरिक्त, ग्रेडिंग के चरण–I में शामिल सभी आईटीआइज को भी चरण–II के तहत अपनी मौजूदा ग्रेडिंग में सुधार करने का मौका दिया जाता है। ग्रेडिंग परिणाम 2022–23 के शैक्षणिक सत्र तक मान्य रहेगा। आईटीआई ग्रेडिंग के चरण 2 में, भारत भर में 12,352 आईटीआइज (सरकारी और निजी) का वास्तविक रूप से दौरा किया गया और ग्रेडिंग की गई। ग्रेड पद्धति तथा दिए गए ग्रेड के संबंध में ब्यौरा https://dgt.gov.in/Grading&ITI पर उपलब्ध है।

द्वितीय चरण के उपरान्त आईटीआइज को प्रदान किए गए ग्रेड का सारांशः

Grade (on a scale of 5)	<=1.5	>1.5-2	>2-3	>3-4	>4	Grand Total
Total ITIs	8,971	2,190	1,979	324	16	13,480

- **प्रत्यायन तथा संबद्धता स्थायी समिति (एससीएए) का गठनः** कार्य करने में आसानी के लिए, एमएसडीई के तहत विभिन्न समितियों को समाप्त/कम की गई है। संशोधित टीओआर के साथ गठित प्रत्यायन और संबद्धता स्थायी समिति इस प्रकार हैः

  क) विभिन्न राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के निदेशालयों से प्राप्त संबद्धता/असंबद्धता प्रदान करने के प्रस्ताव की जॉच करना।

  ख) संबद्धता मानदंडों को पूरा करने वाले आईटीआइज को संबद्धता प्रदान करना।

  ग) संबद्धता मानदंडों का अनुपालन करने में असफल आईटीआइज की असंबद्धता

  घ) संबद्धता मानदंडों को पूरा करने वाले आईटीआइज का पुनः संबद्धता

  ङ) संबद्धता/पुनः संबद्धता मानदंडों की समीक्षा

- **राज्य कौशल विकास और उद्यमशीलता समिति का गठनः** शक्ति का विकेंद्रीकरण एमएसडीई के कार्यवृत में हमेशा उच्च रहा है। एमएसडीई द्वारा राज्य कौशल विकास और उद्यमशीलता समिति (एसएसडीईसी) की स्थापना आईटीआईज की संबद्धता, असंबद्धता, प्रवेश, अल्पकालिक पाठ्यक्रमों की शुरूआत आदि से संबंधित राज्य की विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर निर्णय लेने के उद्देश्य से की गई थी।

- **स्कूल आईटीआइजः**

  ब्लॉक में, आईटीआइज मौजूद नहीं होने पर, प्रशिक्षणार्थियों को नए कौशल प्राप्त करने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। इन क्षेत्रों के प्रशिक्षणार्थियों को होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए, डीजीटी ने स्कूल आईटीआइज का एक प्रावधान पेश किया है, जिसके अनुसार अब सरकारी हाई स्कूल भी स्कूल के बुनियादी ढांचे का उपयोग करके अपने परिसरों में सीटीएस पाठ्यक्रम चला सकते हैं।

- **पॉलिटेक्निक आईटीआइजः** न्यूनतम निवेश के साथ प्रशिक्षण की क्षमता बढ़ाने और साथ ही संसाधनों के इष्टतम उपयोग की बढ़ोतरी हेतु, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने यह निर्णय लिया कि पॉलिटेक्निक में मौजूदा अवसंरचना, सुविधाओं का उपयोग करके व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकता है।

  एआईसीटीई के पत्र 2–2/डी–एनएसक्यूएफ/यू–एस इन्फ्रा/2016 दिनांक 5 दिसम्बर 2018 के संदर्भ में और जवाब में डीजीटी ने एमएसडीई–07/11/2015–सीडी दिनांक 7 अगस्त 2018 के पत्र द्वारा पॉलिटेक्निक के अतिरिक्त क्षमता (स्थान) में शैक्षणिक सत्र 2019 से पॉलिटेक्निक को सीटीएस पाठ्यक्रम चलाने की अनुमति दी है।

पॉलिटेक्निक/इंजीनियरिंग कॉलेजों की अतिरिक्त क्षमता (स्थान) में संचालित करने हेतु कुल 32 आईटीआइज को संबद्धता प्रदान की गई है।

- **आईटीआइज में ड्रोन से संबंधित पाठ्यक्रम शुरू करना:** आने वाले समय में बड़ी संख्या में नौकरी के अवसर प्रदान करने के लिए ड्रोन उद्योग की क्षमता को देखते हुए, डीजीटी ने आईटीआइज को आईटीआइज में सत्र 2022 से ड्रोन से संबंधित पाठ्यचर्या चलाने की अनुमति दी है और अल्पावधि में 116 आईटीआइज को ड्रोन पाठ्यक्रम पर संबद्धता दी गई है।

5.7.7 उद्योग संबंध

(क) सीटीएस के तहत फ्लेक्सी एमओयू

यह योजना उद्योगों को उनके कौशल की आवश्यकताओं के अनुसार अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित करने की अनुमति देती है तथा प्रशिक्षणार्थियों को बाजार की मांग और प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु नवीनतम प्रौद्योगिकीय के साथ उद्योग परिवेश प्रदान करती है। इसे उद्योग के साथ–साथ प्रशिक्षणार्थियों, दोनों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है। योजना एक नियोक्ता स्किल मॉडल के रूप में प्रशिक्षित संकाय (फैकल्टी) को अपने कार्यबल में उद्योग हेतु तैयार प्रशिक्षणार्थियों को युक्त करने के लिए संभावित कार्मिकों के इन हाउस कौशल संचालन करने के साथ–साथ स्थापित अवसंरचना, मजबूत प्रशिक्षण सुविधाओं सहित भावी नियोक्ता (उद्योग) की परिकल्पना की गई है।

यह योजना उद्योग को उनके अनुरूप तथा अनुकूलित पाठ्यक्रमों हेतु फ्लेक्सीबीलिटी (लचीलापन) प्रदान करती है, जिसमें बाजार की प्रासंगिक सामग्री होती है जो उद्योग की जरूरतों को पूरा करती है। आईटीपी द्वारा विकसित इन पाठ्यक्रमों का उद्देश्य औद्योगिक प्रशिक्षण के प्रति अधिक महत्व प्रदान करना है तथा उच्च रोजगार क्षमता आईटी/आईटीईएस और इसी तरह के क्षेत्रों के लिए पूर्ण रूप से ऑनलाइन पाठ्यक्रम विकसित किए जा सकते हैं। कक्षा तथा उद्योग पाठ्यक्रम सहित प्रशिक्षण की अवधि 6 महीने से लेकर 24 महीने (2 वर्ष) तक है। प्रशिक्षण की संपूर्ण जिम्मेदारी आईटीपी की है जबकि आईटीपी तथा डीजीटी द्वारा संयुक्त रूप से मूल्यांकन किया जाता है। उद्योग प्रशिक्षित कुल सफल प्रशिक्षणार्थियों के कम से कम 50 नियोजन (प्लेसमेंट) सुनिश्चित करने के साथ प्रयोगात्मक तथा रचनात्मक मूल्यांकन करता है।

भागीदार संस्थाओं को एक औद्योगिक प्रशिक्षण भागीदार (आईटीपी) के रूप में डीजीटी के साथ समझौता अथवा समझौता ज्ञापन करने की आवश्यकता है। आईटीपी उद्योग/संगठन, उद्योग समूह/संघ, कौशल विश्वविद्यालय हो सकता है। आईटीपी निर्धारित मानदंडों के अतिरिक्त प्रशिक्षणार्थियों को उनके अनुसार चयन करने में लोचशील है। प्रवेश समय तथा प्रशिक्षण चक्र को लचीला रखा गया है। उच्च रोजगार क्षमता वाले उद्योग प्रासंगिक पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण, अनुभवी उद्योग विशेषज्ञ/पेशेवरों के साथ परस्पर चर्चा तथा उद्योग की वर्कशॉप परिवेश और नवीनतम उपकरणों के संपर्क में आने से प्रशिक्षणार्थियों को उस क्षेत्र के कई उद्योगों में बढ़े हुए रोजगार के अवसर मिलते हैं। उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थी सर्वोतम अभ्यासों, नवीनतम मशीनों, उपकरणों तथा उपस्करों की पहुंच के साथ उद्योग के लिए तैयार हैं।

फरवरी, 2019 में जारी संशोधित दिशा निर्देश योजना के तहत निम्नलिखित समझौता–ज्ञापनों (एमओयूज) पर हस्ताक्षर किए गए:

1. मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, गुरुग्राम
2. सेंचुरियन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, ओडिशा
3. सुजुकी मोटर्स, गुजरात
4. एनएमडीसी, छत्तीसगढ़
5. कौशल्या कामेश्वर,झारखंड
6. जीटीटीसी, बेंगलुरु
7. नवगुरुकुल, बेंगलुरु

8. आयुध निर्माणी बोर्ड, कोलकाता, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार
9. लावा इंटरनेशनल लिमिटेड, नोएडा
10. पेटीएम फ्लेक्सी समझौता ज्ञापन
11. टोयोटा किर्लोस्कर मोटर प्राइवेट लिमिटेड
12. मेधावी कौशल विश्वविद्यालय, सिक्किम
13. बीएसए कार्पोरेशन लिमिटेड
14. भारतीय थल सेना
15. भारतीय नौ सेना
16. भारतीय वायु सेना

क्रम संख्या 14,15 तथा 16 पर वर्णित, प्रशिक्षण तथा अनुभवात्मक शिक्षा के दौरान अग्निवीर द्वारा अर्जित कौशल को मान्यता देकर अग्निपथ योजना के तहत शामिल होने वाले अग्निवीरों को राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण–पत्र प्रदान करने के लिए सशस्त्र बलों के साथ एमओयूज पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

इसके अलावा, औद्योगिक प्रशिक्षण के लिए अत्यधिक महत्व प्रदान करने हेतु तथा जिनमें उच्च रोजगार दक्षता हो के लिए उपरोक्त आईटीपी के सहयोग से 26 एनएसक्यूएफ अनुपालन पाठ्यक्रम विकसित किए गए है। अनुबंध–प्ट के रूप में पाठ्यक्रमों की सूची संलग्न है।

फ्लेक्सी–एमओयू योजना के तहत मूल्यांकन और प्रमाणनः

- सेंचुरियन प्रौद्योगिकी और प्रबंधन विश्वविद्यालय (सीयूटीएम) 1900 प्रशिक्षणार्थियों का मूल्यांकन और उन्हें प्रमाणित किया गया।
- मारूति सुजुकी इंडिया लिमिटेडः 3705 प्रशिक्षणार्थियों का मूल्यांकन किया गया और 3061 को प्रमाणित किया गया
- टोयोटा किर्लोस्कर मोटर प्रा. लिमिटेडः 202 प्रशिक्षणार्थियों का मूल्यांकन और प्रमाणित किया गया।

(ख) दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली

डीएसटी योजना का उद्देश्य उद्योगों और प्रतिष्ठानों को उच्च रोजगार योग्यता पाठ्यक्रमों के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए सरकारी और निजी आईटीआइज के साथ भागीदारी करने में सक्षम बनाना है ताकि उनकी कुशल जनशक्ति आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। डीएसटी आईटीआइज के माध्यम से दिए जाने वाले सैद्धांतिक प्रशिक्षण और उद्योग के माध्यम से दिए जाने वाले व्यावहारिक प्रशिक्षण का मिश्रण है। डीएसटी उद्योग संबंधों को सक्षम करने में मदद करता है और उद्योगों की नवीनता/अद्यतन तकनीकों पर प्रशिक्षणार्थियों को व्यावहारिक अनुभव प्रदान करता है।

डीएसटी योजना के तहत, उद्योग के कुशल कार्यबल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ताकि प्रशिक्षण पूरा होने के बाद, प्रशिक्षुणार्थियों जिन्हें उद्योग में रोजगार के अवसर तथा नियोजनियता के संबंध में नियमित आईटीआई पास आउट को योजना के तहत राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणत्र (एनटीसी) से सम्मानित किया जाता है। उद्योग संबंधों को मजबूत करने और उद्योग में उपयोग की जाने वाली नवीनतम तकनीकों के साथ आईटीआइज में प्रशिक्षणार्थियों को परिचित कराने की दृष्टि से, डीजीटी आईटीआइज प्रशिक्षणार्थियों को डीएसटी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है ताकि ये आईटीआई प्रशिक्षणार्थी उद्योग के लिए तैयार हों।

डीएसटी योजना के तहत, उद्योग के कुशल कार्यबल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उद्योग के माहौल में ऑन द जॉब प्रशिक्षण (ओजेटी) आयोजित की जाती है, जबकि सैद्धांतिक संघटक आईटीआई में ही शामिल है।

सभी संबद्ध आईटीआइज (सरकारी तथा निजी) अपने संबंधित मान्यता प्राप्त व्यवसाय(यों) में डीएसटी के तहत प्रशिक्षण संचालित कर सकते है।

दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली का विस्तार सेवा क्षेत्र के व्यवसायों और नए तथा उभरते क्षेत्रों के व्यवसायों सहित सभी व्यवसायों में किया गया है। यह सभी पाठ्यक्रम एनएसक्यूएफ के अनुरूप होंगें।

प्रशिक्षण की अवधि

1. नीचे तालिका में वर्णित के अनुसार औद्योगिक प्रशिक्षण की अवधिः

क्र.सं.	पाठ्यक्रम/व्यवसाय की अवधि	औद्योगिक प्रदर्शन/प्रशिक्षण की अवधि (संशोधित दिशानिदेशों के अनुसार)
1	6 माह	1–3 माह
2	1 वर्ष	3–6 माह
3	2 वर्ष	6–12 माह

2. इस सीमा के भीतर संपूर्ण अवधि में उद्योग प्रशिक्षण और आईटीआई ब्लॉकों की अवधि तय करने में उद्योग/आईटीआई के पास लोचशीलता है।

उद्योगों के लिए पात्रता मानदंड

अधिक से अधिक उद्योगों को डीएसटी के अंतर्गत लाने के लिए, इंजीनियरिंग तथा गैर–इंजीनियरिंग दोनों व्यवसायों के लिए सहभागिता वाले उद्योग द्वारा न्यूनतम 200 कर्मचारियों नियोजित करने की शर्त को संशोधित किया गया है। इन दिशा निदेशों को अब नीचे दिए गए अनुसार संशोधित किया गया हैः

क्र.सं.	पैरामीटर	योग्यता मानदंड	
		इंजीनियरिंग व्यवसाय	गैर–इंजीनियरिंग व्यवसाय
1	उद्योग में न्यूनतम कर्मचारियों की संख्या	40	6
2	उद्योग के न्यूनतम टर्नओवर (रू में)	1 करोड़ / वर्ष (विगत 3 वर्षों के लिए)	10 लाख / वर्ष (विगत 2 वर्षों के लिए)

प्रशिक्षणार्थी शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के तहत नियमित परीक्षा में शामिल होते हैं और अन्य आईटीआई छात्रों की तरह सीटीएस के तहत ई–प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाता है। डीएसटी सभी संबद्ध आईटीआइज में लागू है और सीटीएस के तहत प्रदान किए गए सभी मौजूदा व्यवसायों को शामिल करता है। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद, योजना के तहत ई–राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण–पत्र (ई–एनटीसी) धारक प्रशिक्षणार्थियों की नियोजनीयता तथा उद्योग में रोजगार के अवसरों के दृष्टिगत नियमित आईटीआई उत्तीर्ण की तुलना में अधिक है।

1 दिसंबर, 2022 तक, राज्य निदेशालयों के तहत आईटीआइज, डीजीटी के तहत एनएसटीआइज और स्ट्राइव योजना के तहत औद्योगिक समूहों द्वारा डीएसटी योजना के तहत कुल 3,823 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। विवरण नीचे दिया गया हैः

क्र. सं.	डीएसटी के तहत समझौता ज्ञापनों की श्रेणी	हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापनों की संख्या
1.	डीजीटी के तहत राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों और उद्योग संगठनों के बीच	337
2.	राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के सरकारी और निजी आईटीआइज और उद्योग संगठनों के बीच	3268
3.	उद्योग समूहों और आईटीआई के बीच (स्ट्राइव योजना के तहत)	32
4.	पहले डीएसटी के मौजूदा समझौता ज्ञापनों को अब संशोधित योजना के तहत परिशोधित किए गए हैं	186
	कुल	**3823**

डीएसटी के तहत प्रशिक्षण में वृद्धि:

5.7.8 सीटीएस उत्प्रेरक

(क) देश में आईटीआइज का विकास

आईटीआइज उद्योग को कुशल जनशक्ति प्रदान करने के मामले में देश की जीडीपी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) देश के औद्योगिक विकास के लिए कुशल जनशक्ति की आवश्यकता को पूरा करने हेतु विभिन्न व्यावसायिक व्यवसायों में कौशल प्रदान करने के लिए लगभग 50 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआइज) की स्थापना करके 1950 में शुरू की गई थी। कई नए निजी आईटीआइज 1980 के दशक में दक्षिणी राज्यों में ज्यादातर केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में स्थापित किए गए, जहां से प्रशिक्षित शिल्पकारों को खाड़ी देशों में रोजगार मिला। वर्ष 1980 में, 831 आईटीआइज थे और वर्ष 2022 में प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या बढ़कर 14,953 हो गई।

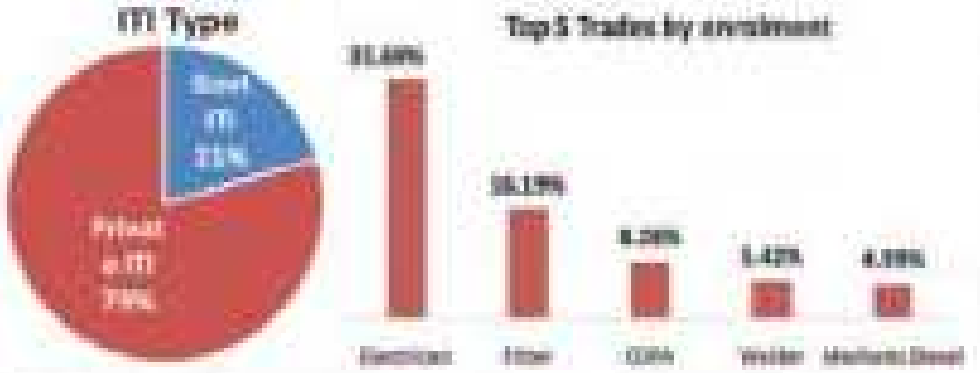

ITI Density

ITI Seats per lakh **population as on date basis NCVTMIS portal**

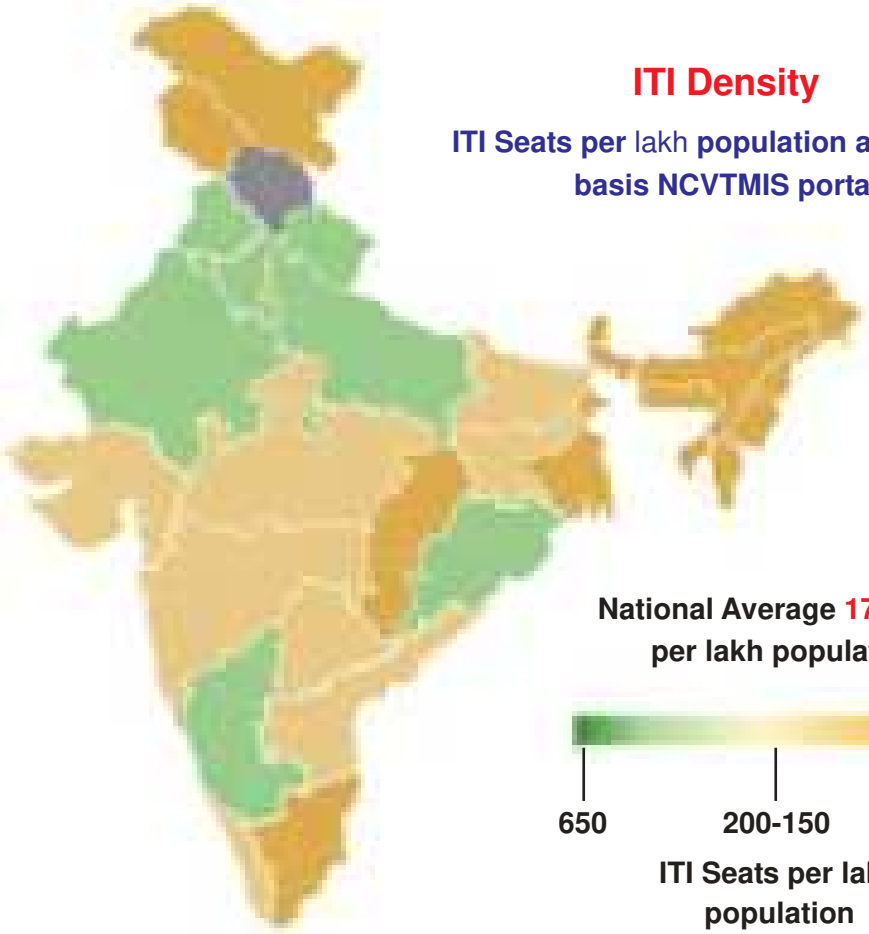

National Average 175 seats per lakh population

650 200-150 150-5

ITI Seats per lakh population

5.7.9 नई पहल

(क) न्यू एज पाठ्यक्रम

वर्तमान में, शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के तहत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरे देश में स्थित 14956 आईटीआइज (सरकारी 3248 + निजी 11708) के नेटवर्क के माध्यम से प्रदान किए जा रहे हैं, सत्र 2022 (1 वर्ष और 2 वर्ष की अवधि के व्यवसायों में) में पर कुल सीट क्षमता 26.03 लाख है, इसका उद्देश्य सीटीएस के तहत 152 एनएसक्यूएफ अनुपालन व्यवसायों में उद्योगों को कुशल कार्यबल प्रदान करना है। उद्योगों से बढ़ती मागों को पूरा करने हेतु सीटीएस के तहत आईटीआइज में 4.0 उद्योग के अनुसार निम्नलिखित 14 न्यू एज व्यवसायों को आरंभ किया गया है:

- एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तकनीशियन (3डी प्रिंटिंग)
- ऐरोनोटिकल स्ट्रक्चर एंड इक्विपमेंट फिटर
- ड्रोन तकनीशियन
- इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन
- फाइबर टू होम तकनीशियन
- जियो इन्फोर्मेटिक्स असिस्टेंट
- इंटरनेट ऑफ थिंग्स (स्मार्ट एग्रीकल्चर)
- इंटरनेट ऑफ थिंग्स (स्मार्ट सिटी)
- इंटरनेट ऑफ थिंग्स (स्मार्ट हेल्थकेयर)
- रिमोटली पाइलटेड एयरक्राफ्ट (आरपीए)/ड्रोन पायलट
- स्मार्टफोन तकनीशियन सह ऐप टैस्टर
- सोलर तकनीशियन (इलेक्ट्रिकल)
- तकनीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एंड रिपेयर
- तकनीशियन मेकाट्रॉनिक्स

डीजीटी ने हाल ही में अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) पाठ्यक्रम प्रारंभ किए हैं और तदनुसार अगस्त, 2021–22 से प्रारंभ होने वाले सत्र से मुख्य रूप से बड़ी संख्या में ब्लू–कॉलर श्रमिकों/आईटीआई उत्तीर्ण छात्रों को शामिल करने के उद्देश्य से बदलते प्रौद्योगिकी परिवेश, उपलब्ध श्रमशक्ति में कौशल अंतराल और इसके लिए अल्पकालिक अपस्किलिंग और रीस्किलिंग पाठ्यक्रम प्रारंभ करते हुए उद्योग की निरंतर मांग को पूरा करने के लिए 14 नए अल्पकालिक पाठ्यक्रम प्रारंभ किए हैं। एसटीटी पाठ्यक्रमों की सूची निम्नानुसार है:

क्र. सं.	व्यवसाय का नाम	क्षेत्र का नाम	अवधि (घंटे)	एनएसक्यूएफ स्तर
1	2डी एनीमेटर	मीडिया तथा मनोरंजन	600	4
2	आरी तथा जरदोसी एम्ब्रायडरी	परिधान	320	4
3	उन्नत सीएनसी मशीनिस्ट 5–एक्सिस	कार्यनीतिक विनिर्माण	960	5
4	ऑटोमोटिव इंजन इलेक्ट्रॉनिक्स डायग्नोस्टिक तकनीशियन (पैट्रोल)	ऑटोमोटिव	240	5
5	वस्त्र कारीगर	परिधान	480	4
6	सीएनसी मशीनिंग और वुड ऑपरेटर	फर्नीचर और फिटिंग	480	5
7	सीएनसी मशीनिस्ट 3–एक्सिस	कार्यनीतिक विनिर्माण	640	5
8	डीजल इंजन इलेक्ट्रॉनिक्स डायग्नोस्टिक तकनीशियन	ऑटोमोटिव	240	5
9	डिजिटल फैशन पोर्टफोलियो डिजाइनिंग	परिधान	720	5

10	पीएसए ऑक्सीजन प्लांट संचालन एवं रखरखाव	पूंजीगत सामग्री तथा विनिर्माण	180	4
11	श्वसन उपकरण संचालन एवं रखरखाव	इलेक्ट्रॉनिक्स व हार्डवेयर	190	3
12	पेशेवर मेकअप आर्टिस्ट और हेयर स्टाइलिस्ट	सौंदर्य एवं स्वास्थ्य	480	5
13	वरिष्ठ नेल तकनीशियन	सौंदर्य एवं स्वास्थ्य	320	5
14	वरिष्ठ स्पा थेरेपिस्ट	सौंदर्य एवं स्वास्थ्य	480	5

आईटीआइज में ड्रोन संबंधित पाठ्यक्रमों की शुरुआतः डीजीटी ने सत्र 2022 से आईटीआइज में ड्रोन संबंधित पाठ्यक्रमों को संचालित करने हेतु आईटीआइज को अनुमति दी है। आईटीआइज को सत्र 2022 से अल्पावधि ड्रोन पाठ्यक्रम चलाने हेतु संबद्धता प्रदान की गई है। अब तक निम्निलिखित दो पाठ्यक्रमों में 116 संबद्धता प्रदान की जा चुकी हैः

क्र.सं.	व्यवसाय का नाम	क्षेत्र का नाम	अवधि (घंटे)	एनएसक्यूएफ स्तर
1	ड्रोन विनिर्माण तथा एसेम्बली	इलेक्ट्रॉनिक्स तथा हार्डवेयर	390	4
2	ड्रोन सेवा तकनीशियन	इलेक्ट्रॉनिक्स तथा हार्डवेयर	400	4

सत्र 2022 से संबद्धता प्रदान किए गए आईटीआइज की राज्यवार स्थिति निम्नानुसार हैः

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संबद्ध आईटीआइज की संख्या
1	आन्ध्र प्रदेश	10
2	अरुणाचल प्रदेश	5
3	असम	2
4	बिहार	30
5	चंडीगढ़	1
6	गुजरात	20
7	हिमाचल प्रदेश	9
8	महाराष्ट्र	12
9	मणिपुर	1
10	पंजाब	5
11	उत्तर प्रदेश	15
12	उत्तराखंड	6
	सकल योग	116

5.7.10 पाठ्यचर्या में सुधारः

प्रौद्योगिकी में उन्नत्तता तथा बाजार की मांग को ध्यान में रखते हुए, डीजीटी नियमित रूप से पाठ्यचर्या को अद्यतन करता है। नए व्यवसाय शुरू किए जाते हैं और अप्रचलित व्यवसायों को योजना से हटा दिया जाता है। ये कार्यकलाप व्यवसाय समितियों की एक सुस्थापित प्रणाली के माध्यम से की जाती हैं। व्यवसाय समितियां पाठ्यचर्या, उपकरणों की आवश्यकता, अवधि, शिक्षाशास्त्र (पेडागोजी), मूल्यांकन प्रणाली दूरस्थ शिक्षा, प्रौद्योगिकी सक्षम प्रशिक्षण और बुनियादी ढांचे में सुधार आदि सहित प्रशिक्षण के आधुनिक तरीके में बदलाव का सुझाव देती हैं; व्यवसाय समितियों में उद्योग, डीजीटी के क्षेत्रीय संस्थानों, राज्य सरकारों से प्रतिनिधित्व होता है।

एनईपी 2020 के दृष्टिगत, प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) ने स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा प्रणाली के अनुरूप शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के तहत सभी योग्यताओं को पुनर्गठित कर 1600 घंटे को 1200 घंटे की लर्निंग के लिए युक्तिसंगत बनाया गया है, जिसमें रोजगारपरक कौशल (एक साल के पाठ्यक्रम/दो वर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में रोजगारपरक कौशल के 120 घंटे तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष में 60 घंटे के का उन्नत रोजगारपरक कौशल) और रोजगार की तैयारी के लिए बेहतर उद्योग संरेखण हेतु ऑन द जॉब प्रशिक्षण (ओजेटी) के 150 घंटे शामिल हैं। वे वैकल्पिक के रूप में 240 घंटे (आईटीआई प्रमाणन अथवा 240 घंटे तक के जोड़े हुए अल्पावधि पाठ्यक्रम के साथ 10 वीं/12 वीं कक्षा के प्रमाणन हेतु एनआईओएस के माध्यम से एक भाषा पाठ्यक्रम) का विकल्प भी चुन सकते हैं।

डीजीटी ने वर्कशॉप कैलकुलेशन तथा साइंस (डब्ल्यूसीएस) और इंजीनियरिंग ड्रॉइंग (ईडी) के पाठ्यक्रम को सहज बनाया है जिसमें प्रत्येक का अधिकतम 40 घंटे का है और सभी इंजीनियरिंग व्यवसायों हेतु व्यवसाय थ्योरी विषय के साथ विलय कर दिया गया है।

120 घंटे और 60 घंटे के साथ रोजगारपरक कौशल पर राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों (एनओएसज) को विकसित किया गया है और 30 जून, 2022 को आईटीआइज में सत्र 2022–23 से कार्यान्वयन के लिए एनएसक्यूसी की 20 वीं बैठक में अनुमोदित किया गया है, जिसमें निम्नलिखित मॉड्यूल शामिल हैः

तालिका– रोजगारपरक कौशल के मॉड्यूल

क्र.सं.	रोजगारपरक कौशल के मॉड्यूल
1.	रोजगारपरक कौशल का परिचय
2.	संवैधानिक मूल्य – नागरिकता
3.	21वीं सदी में एक पेशेवर बनना
4.	बुनियादी अंग्रेजी कौशल
5.	आजीविका विकास और लक्ष्य निर्धारण
6.	संचार कौशल
7.	विविधता और समावेशन
8.	वित्तीय और कानूनी साक्षरता
9.	आवश्यक डिजिटल कौशल
10.	उद्यमशीलता
11.	ग्राहक सेवा
12.	शिक्षुता और रोजगार के लिए तैयार होना

डीजीटी ने वर्कशॉप कैलकुलेशन तथा साइंस (डब्ल्यूसीएस) और इंजीनियरिंग ड्रॉइंग (ईडी) के पाठ्यक्रम को सहज बनाया है जिसमें प्रत्येक का अधिकतम 40 घंटे का है और सभी इंजीनियरिंग व्यवसायों हेतु व्यवसाय थ्योरी विषय के साथ विलय कर दिया गया है।

5.7.11 व्यावसायिक प्रशिक्षण के साथ शैक्षणिक शिक्षा का एकीकरणः

क) उच्च शिक्षा (एमएसडीई–ईग्नू एमओयू) हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षणार्थियों के लिए सुकर बनाना

उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आईटीआई प्रशिक्षणार्थियों की आकांक्षाओं को पूरा करने हेतु, एमएसडीई ने आईटीआई पास आउट को उच्च शिक्षा प्रदान करने में मदद करने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) के साथ समझौता–ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस प्रावधान के तहत 510 आईटीआई 34 एनएसटीआइज में एमएसडीई–इग्नू विस्तारण केंद्र के रूप में स्थापित हो चुके है इस एमओयू के अंतर्गत इग्नू से उच्च शिक्षा हेतु कुल 9,884 आईटीआई प्रशिक्षणार्थी पंजीकृत है।

इग्नू ने अपने स्नातकपूर्व कार्यक्रमों में सीधे प्रवेश के उद्देश्य से दो वर्षीय एनटीसी (10 वीं कक्षा के बाद) को चार विषयों को कवर करने के लिए 10 + 2 स्तर के समकक्ष मान्यता दी है।

ख) व्यावसायिक योग्यता हेतु शैक्षणिक समतुल्यता (डीजीटी–एनआईओएस–एमओयू):

स्कूली शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा/कौशल के बीच संबंधों के विकास के माध्यम से आईटीआई प्रशिक्षणार्थियों के हित के लिए 7 दिसंबर 2021 को शिक्षा मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) और कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) के तहत प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

समझौता ज्ञापन शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के तहत आईटीआई प्रशिक्षणार्थियों की सर्वांगिक विकास हेतु गतिशीलता के लिए मार्ग प्रशस्त करता है जिससे वे क्रेडिट हस्तांतरण सुविधा के माध्यम से एनआईओएस से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रमाण–पत्र प्राप्त कर सकते हैं।

समझौता ज्ञापन के अनुसार, 10वीं और 12वीं स्कूल प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के लिए एनटीसी के साथ 8वीं पास और 10वीं पास आईटीआई/एनएसटीआई से सीटीएस प्रशिक्षणार्थियों के लिए न्यूनतम आवश्यकता क्रमशः नीचे दी गई तालिका में संक्षेपित है–

तालिका– क्रेडिट ट्रांसफर के लिए मानदंड (टीओसी)

क्र. सं.	आईटीआई/एनएसटीआई प्रशिक्षणार्थियों हेतु आवश्यक मानदंड	आईटीआई/एनएसटीआई में सीखे गए विषयों अधिकतम संख्या क्रेडिट हस्तांतरण के लिए विचारणीय है: (क)	प्रशिक्षणार्थियों को न्यूनतम संख्या में आवश्यक विषय है (ख)	एनआईओएस से 8वीं पास के लिए 10वीं का प्रमाण–पत्र तथा 10वीं पास प्रशिक्षणार्थियों के लिए 12वीं का प्रमाण–पत्र प्राप्त करने का मानदंड
1.	2 साल का एन.टी.सी	4	एक (न्यू नतम एक भाषा)	(क) + (ख) प्रत्येक से 240 घंटे की न्यूनतम अवधि के 5 विषयों को पूरा करना
2.	1–वर्ष एनटीसी + 1–वर्ष एनएसी	4	एक (न्यूनतम एक भाषा)	
3.	1 वर्षीय एनटीसी	3	दो (न्यूनतम एक भाषा)	

इस प्रवधान के तहत, 1,032 सरकारी आईटीआइज/एनएसटीआइज को एनआईओएस अध्ययन केंद्र के रूप में मान्यता दी गई है और 71,992 प्रशिक्षणार्थियों ने पूर्व पंजीकरण किया है।

5.7.12 पीएमकेवीवाई 3.0 के तहत अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी) तथा स्किल हब पहल (एसएचआई)

2021 में स्ट्राइव के तहत लाभान्वित आईटीआइज में पीएमकेवीआई के तहत अल्पावधि प्रशिक्षण आरंभ किया गया था जिसे अन्य आईटीआइज तथा एनएसटीआइज में विस्तारित किया गया है। स्ट्राइव के तहत 406 आईटीआइज में कुल 9227 उम्मीदवारों को 87 रोजगार भूमिका (जॉब–रोल) के अंतर्गत प्रशिक्षित किया गया है। इसका विस्तार देशभर के अन्य आईटीआइज तथा एनएसटीआइज में किया गया है, 26,326 प्रशिक्षणार्थियों के साथ कुल 498 आईटीआइज तथा एनएसटीआइज हैं।

डीजीटी को आदेश संख्या एससीएच–11/17/2020–एसएनपी दिनांक 28 फरवरी, 2022 के द्वारा पीएमकेवीवाई 3.0 तथा स्किल हब पहल (एसएचआई) के तहत आईटीआइज तथा एनएसटीआइज आदि द्वारा चयन की गई एसटीटी रोजगार भूमिका (जॉब–रोल) हेतु आवर्डिंग निकाय तथा मूल्यांकन एजेंसी के रूप में कार्य करता है।

पीएमकेवीवाई 3.0 के तहत प्रशिक्षित प्रशिक्षणार्थियों का ब्यौरा इस प्रकार है:

पीएमकेवीवाई 3.0 के तहत उप योजना	बैचों की संख्या	कुल नामांकित प्रशिक्षणार्थी
स्किल हब पहल	583	15,571
आईटीआई द्वारा एसटीटी	464	10,755
सकल योग	1,047	26,326

5.7.13 संबद्धता प्रक्रिया में सुधार:

- आईटीआई पारिस्थितिक तंत्र (इको–सिस्टम) के कुशल और पारदर्शी प्रबंधन में बढ़ोतरी हेतु प्रत्यायन तथा संबद्धता के लिए आईटीआइज के ऑन–लाईन निरीक्षण हेतु दिशा–निदेश निर्धारित किए गए हैं, ऑन–लाईन निरीक्षण किए गए है।
- नया प्रवेश कलेंडर सत्र 2022 तैयार कर लिया गया है और 2022 से आईटीआइज के नियमित प्रवेश सत्र को बहाल करने का प्रयास किया गया है जो कोविड महामारी के कारण प्रभावित हुआ था।
- सत्र 2022 की उपलब्धियां

नए आईटीआइज प्रत्यायन	212
नई आईटीआइज संबद्धताएं	379
इकाइयों में कुल वृद्धि	2767
सीट की क्षमता में कुल वृद्धि	55340

5.8 शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण योजना (सीआईटीएस)

5.8.1 प्रस्तावना:

प्रशिक्षक का प्रशिक्षण (टीओटी) यानी शिल्प अनुदेशकों का प्रशिक्षण डीजीटी की अनिवार्य जिम्मेदारी है और यह शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) की स्थापना से ही चल रहा है। शिक्षण की पद्धति और व्यावहारिक कौशल की तकनीकों से परिचित कराने के लिए अनुदेशक प्रशिक्षणार्थियों को कौशल और प्रशिक्षण पद्धति दोनों में व्यापक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ताकि कौशल हस्तांतरित करने की तकनीक से परिचित कराया जा सके और उद्योग के लिए कुशल जनशक्ति तैयार की जा सके।

शैक्षणिक सत्र 2022 में प्रवेश के दौरान, यह मूल्यांकन किया गया था कि 26 लाख से अधिक सीटों की क्षमता वाले लगभग 15,000 आईटीआइज और कौशल पारिस्थितिकी तंत्र में 1,65,000 से अधिक अनुदेशक पद हैं। एनसीवीईटी ने अनिवार्य किया है कि आईटीआइज में सभी प्रशिक्षक सीआईटीएस प्रशिक्षित होने चाहिए। लेकिन, इनमें से वर्तमान में केवल 15% ही सीआईटीएस के तहत प्रशिक्षित हैं।

शैक्षणिक सत्र 2022–23 हेतु सीआईटीएस प्रशिक्षकों की कुल क्षमता 14,412 है। सीआईटीएस के तहत कुल 10,721 प्रशिक्षणार्थी नामांकित हैं। पिछले कुछ वर्षों की सीट क्षमता नीचे तालिकाबद्ध है:

क्र.सं.	वर्ष	कुल सीट
1	2016–17	12128
2	2017–18	12385
4	2018–19	12339
5	2019–20	11555
6	2020–21	12765
7	2021–22	12993
8	2022–23	14412

5.8.2 प्रशिक्षण योजना की संरचनाः

- देशभर मे आयोजित केंद्रीकृत प्रवेश परीक्षा (अखिल भारतीय सामान्य प्रवेश परीक्षा) के माध्यम से प्रवेश दिया जाता है।
- शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत पात्र योग्यता संबंधित व्यवसाय मे एनटीसी/ एनएसी/डिप्लोमा/डिग्री है। सीआईटीएस के अंतर्गत 22 इंजीनियरिंग व्यवसायों तथा 13 गैर–इंजीनियरिंग व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

क्र.सं.	सीआईटीएस व्यवसाय
1	आर्किटेक्चरल ड्राफ्टसमैन
2	कारपेंटर
3	कंप्यूटर एडेड कढ़ाई और डिजाइनिंग
4	कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग रखरखाव
5	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन
6	सौंदर्य प्रसाधन
7	ड्राफ्टसमैन सिविल
8	ड्राफ्टसमैन मैकेनिकल
9	ड्रेस मेकिंग
10	इलेक्ट्रीशियन
11	इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक
12	फैशन डिजाइन और प्रौद्योगिकी
13	फिटर
14	फाउंड्रीमैन
15	सूचना प्रौद्योगिकी
16	यंत्र मैकेनिक

17	इंटीरियर डिजाइन और सजावट
18	एडवांस मशीन टूल्स मशीनिस्ट और ऑपरेटर
19	ग्राइंडर मशीनिस्ट
20	डीजल मैकेनिक
21	मशीन उपकरण रखरखाव मैकेनिक
22	मोटर वाहन मैकेनिक
23	रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग मैकेनिक
24	ट्रैक्टर मैकेनिक
25	कार्यालय प्रबंधन
26	पैन्टिंग प्रौद्योगिकी
27	पलंबर
28	ड्राइंग और अर्थमेटिक रीडिंग
29	सेक्रेटेरियल प्रेक्टिस (हिंदी)
30	सिलाई प्रौद्योगिकी
31	शीट मेटल वर्कर
32	भूतल अलंकरण तकनीक
33	टूल एंड डाई मेकर
34	टर्नर
35	वेल्डर

- प्रशिक्षण कार्यक्रम की संरचना निम्नानुसार है:

  0 इंजीनियरिंग व्यवसायों के लिए, ड्राफ्ट्समैन ग्रुप को छोड़कर निम्नलिखित विषयों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है:

क्र.सं.	पाठ्यक्रम अव्यव
1	व्यवसाय तकनीक
	व्यावसायिक कौशल (व्यवसाय प्रैक्टिकल)
	व्यावसायिक कौशल (व्यवसाय थ्योरी)
2.	इंजीनियरिंग तकनीक
	वर्कशॉप गणना और विज्ञान
3	प्रशिक्षण पद्धति
	टीएम प्रैक्टिकल
	टीएम थ्योरी

0 ड्राफ्ट्समैन ग्रुप को छोड़कर इंजीनियरिंग व्यवसायों के लिए निम्नलिखित विषयों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है:

क्र.सं.	पाठ्यक्रम अव्यव
1	व्यवसाय तकनीक
	व्यावसायिक कौशल (व्यवसाय प्रैक्टिकल)
	व्यावसायिक कौशल (व्यवसाय थ्योरी)
2.	इंजीनियरिंग तकनीक
	वर्कशॉप गणना
	वर्कशॉप विज्ञान
3	प्रशिक्षण पद्धति
	टीएम प्रैक्टिकल
	टीएम थ्योरी

0 गैर–इंजीनियरिंग व्यवसायों के लिए निम्नलिखित विषयों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है:

क्र.सं.	पाठ्यक्रम अव्यव
1	व्यवसाय तकनीक
	व्यावसायिक कौशल (व्यवसाय प्रैक्टिकल)
	व्यावसायिक कौशल (व्यवसाय थ्योरी)
2.	सॉफ्ट कौशल
	प्रैक्टिकल
	थ्योरी
3	प्रशिक्षण पद्धति
	टीएम प्रैक्टिकल
	टीएम थ्योरी

सीआईटीएस के तहत पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले केंद्रीय संस्थानों की सूची:

क्र.सं.	राज्य	संस्थान
एनएसटीआई (डब्ल्यू)		
1	बिहार	एनएसटीआई (डब्ल्यू) पटना
2	गोवा	एनएसटीआई (डब्ल्यू) गोवा
3	गुजरात	एनएसटीआई (डब्ल्यू) वडोदरा
4	हरियाणा	एनएसटीआई (डब्ल्यू) पानीपत
5	हिमाचल प्रदेश	एनएसटीआई (डब्ल्यू) शिमला
6	जम्मू और कश्मीर	एनएसटीआई (डब्ल्यू) जम्मू

7	कर्नाटक	एनएसटीआई (डब्ल्यू) बेंगलुरु
8	केरल	एनएसटीआई (डब्ल्यू) त्रिवेंद्रम
9	मध्य प्रदेश	एनएसटीआई (डब्ल्यू) इंदौर
10	महाराष्ट्र	एनएसटीआई (डब्ल्यू) मुंबई
11	मेघालय	एनएसटीआई (डब्ल्यू) तुरा
12	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	एनएसटीआई (डब्ल्यू) नोएडा
13	पंजाब	एनएसटीआई (डब्ल्यू) मोहाली (राजपुरा)
14	राजस्थान	एनएसटीआई (डब्ल्यू) जयपुर
15	तमिलनाडु	एनएसटीआई (डब्ल्यू) त्रिची
16	तेलंगाना	एनएसटीआई (डब्ल्यू) हैदराबाद
17	त्रिपुरा	एनएसटीआई (डब्ल्यू) अगरतला
18	उत्तर प्रदेश	एनएसटीआई (डब्ल्यू) इलाहाबाद
19	पश्चिम बंगाल	एनएसटीआई (डब्ल्यू) कोलकाता
एनएसटीआई (सामान्य)		
20	झारखंड	एनएसटीआई जमशेदपुर
21	कर्नाटक	एनएसटीआई बेंगलुरु
22	केरल	एनएसटीआई कालीकट
23	महाराष्ट्र	एनएसटीआई मुंबई
24	ओडिशा	एनएसटीआई भुवनेश्वर
25	पंजाब	एनएसटीआई लुधियाना
26	राजस्थान	एनएसटीआई जोधपुर
27	तमिलनाडु	एनएसटीआई चेन्नई
28	तेलंगाना	एनएसटीआई हैदराबाद (रमनथापुर)
29	तेलंगाना	एनएसटीआई हैदराबाद (विद्यानगर)
30	उत्तर प्रदेश	एनएसटीआई कानपुर
31	उत्तराखंड	एनएसटीआई देहरादून
32	उत्तराखंड	एनएसटीआई हल्द्वानी
33	पश्चिम बंगाल	एनएसटीआई हावड़ा
एनएसटीआई विस्तार केंद्र		
34	तमिलनाडु	विस्तार केंद्र (पुदुचेरी)
35	जम्मू और कश्मीर	विस्तार केंद्र (श्रीनगर)
36	जम्मू और कश्मीर	विस्तार केंद्र (लेह)

सीआईटीएस के तहत निम्नलिखित सरकारी तथा निजी आईटीओटीज में भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है

प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु राज्य सरकारी संस्थान (आईटीओटीज): 2022 में नए 59 सरकारी आईटीओटीज बनाए गए हैं। पूरी सूची नीचे दी गई है:		
क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**संस्थान का नाम**
1	आंध्र प्रदेश	सरकार आईटीओटी न्यू गजुवाका, आंध्र प्रदेश
2	छत्तीसगढ़	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर
3	छत्तीसगढ़	सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एमएएनए
4	हरियाणा	सरकारी आईटीओटी हरियाणा
5	हिमाचल प्रदेश	सरकारी आईटीओटी शाहपुर, जिला कांगड़ा
6	हिमाचल प्रदेश	सरकारी आईटीओटी पपलॉग, जिला मंडी
7	हिमाचल प्रदेश	सरकारी मॉडल आईटीओटी नालागढ़, जिला सोलन
8	हिमाचल प्रदेश	सरकारी आईटीओटी मंडी, जिला मंडी
9	हिमाचल प्रदेश	सरकारी आईटीओटी शमशी, जिला कुल्लू
10	हिमाचल प्रदेश	सरकारी आईटीओटी डाडासिबा, जिला कांगड़ा
11	हिमाचल प्रदेश	सरकारी आईटीओटी बिलासपुर, जिला बिलासपुर
12	जम्मू और कश्मीर	सरकारी आईटीओटी जम्मू
13	जम्मू और कश्मीर	सरकारी आईटीओटी श्रीनगर
14	जम्मू और कश्मीर	सरकारी आईटीओटी अनंतनाग
15	जम्मू और कश्मीर	सरकारी आईटीओटी उधमपुर
16	कर्नाटक	सरकार आईटीओटी दावणगारे
17	कर्नाटक	सरकार आईटीओटी मलावल्ली
18	कर्नाटक	सरकारी मॉडल आईटीआई, होसुर रोड
19	कर्नाटक	सरकारी आईटीआई, होन्नावर
20	मध्य प्रदेश	सरकारी आईटीओटी, भोपाल
21	ओडिशा	बीजू पटनायक आईटीओटी, तलचर
22	पंजाब	सरकारी आईटीओटी, लालरू
23	राजस्थान	सरकारी आईटीओटी, अजमेर
24	राजस्थान	सरकारी आईटीओटी, अलवर
25	राजस्थान	सरकारी आईटीओटी, बांसवाड़ा
26	राजस्थान	सरकारी आईटीओटी, बारां

27	राजस्थान	गवर्नमेंट आईटीओटी, बाड़मेर
28	राजस्थान	सरकारी आईटीओटी, भरतपुर
29	राजस्थान	सरकारी आईटीओटी, भीलवाड़ा
30	राजस्थान	सरकारी आईटीओटी, बीकानेर
31	राजस्थान	सरकारी आईटीओटी, बूंदी
32	राजस्थान	सरकारी आईटीओटी, चित्तौड़गढ़
33	राजस्थान	सरकारी आईटीओटी, चूरू
34	राजस्थान	सरकारी आईटीओटी, दौसा
35	राजस्थान	सरकारी आईटीओटी, धौलपुर
36	राजस्थान	सरकारी आईटीओटी, डुंगरपुर
37	राजस्थान	सरकारी आईटीओटी, श्री गंगानगर
38	राजस्थान	सरकारी आईटीओटी, हनुमानगढ़
39	राजस्थान	सरकारी आईटीओटी, जयपुर
40	राजस्थान	सरकारी आईटीओटी, जैसलमेर
41	राजस्थान	सरकारी आईटीओटी, जालोर
42	राजस्थान	सरकारी आईटीओटी, झालावाड़
43	राजस्थान	सरकारी आईटीओटी, झुंझुनूं
44	राजस्थान	सरकारी आईटीओटी, जोधपुर
45	राजस्थान	सरकारी आईटीओटी, करौली
46	राजस्थान	सरकारी आईटीओटी, शहर
47	राजस्थान	सरकारी आईटीओटी, नागौर
48	राजस्थान	सरकारी आईटीओटी, पाली
49	राजस्थान	सरकारी आईटीओटी, राजसमंद
50	राजस्थान	सरकारी आईटीओटी, सवाई माधोपुर
51	राजस्थान	सरकारी आईटीओटी, सीकर
52	राजस्थान	सरकारी आईटीओटी, सिरोही
53	राजस्थान	सरकारी आईटीओटी, टोंक
54	राजस्थान	सरकारी आईटीओटी, उदयपुर
55	तेलंगाना	सरकारी आईटीओटी, शांतिनगर, मल्लेपल्ली
56	तेलंगाना	सरकारी आईटीओटी, मल्लेपल्ली, मल्लेपल्ली

57	तेलंगाना	सरकारी आईटीओटी ओल्ड सिटी, हैदराबाद
58	तेलंगाना	सरकारी आईटीओटी (लड़के), वारंगल
59	तेलंगाना	सरकारी आईटीओटी (लड़कियां), निजामाबाद
60	तेलंगाना	सरकारी आईटीओटी, मंचेरियल
61	त्रिपुरा	सरकारी आईटीओटी बिश्रामगंज, त्रिपुरा
62	त्रिपुरा	सरकारी आईटीओटी कमालपुर
63	त्रिपुरा	सरकारी आईटीओटी. खुमुलवंग
64	त्रिपुरा	सरकारी आईटीओटी एल.टी. वैली
65	उत्तर प्रदेश	राज्य कर्मचारी प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र, लखनऊ
प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए निजी संस्थान (आईटीओटी)		
क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**संस्थान का नाम**
1	हरियाणा	एसडीएम आईटीओटी, हिसार
2	हरियाणा	एसबीएस आईटीओटी, ओढ़न रोड, क्लांवाली, सिरसा
3	हरियाणा	एस. गीता राम आईटीओटी, मतलोडा, हिसार,
4	हरियाणा	एसआर आईटीओटी, अंबाला
5	हिमाचल प्रदेश	मॉडर्न प्राइवेट आईटीओटी, कांगड़ा
6	ओडिशा	सेंचुरियन आईटीओटी, जटनी, खुर्दा
7	पंजाब	जैन आईटीओटी, अबोहर–श्रीनगर रोड, फाजिल्का
8	पंजाब	सरस्वती आईटीओटी, बठिंडा
9	पंजाब	खाटूजी आईटीओटी, फाजिल्का
10	राजस्थान	बागर आईटीओटी, झुंझुनू
11	उत्तर प्रदेश	स्यादवाड़ आईटीओटी, बागपत

5.8.3 प्रशिक्षणार्थियों हेतु नई पहलः

5.8.3.1 उच्च शिक्षा (एमएसडी–ईग्नू एमओयू) हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षणार्थियों के लिए सुकर बनानाः

उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आईटीआई प्रशिक्षणार्थियों की आकांक्षाओं को पूरा करने हेतु, एमएसडीई ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) के साथ समझौता–ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन प्रावधानों के तहत कार्यकलापों का सारांश निम्नलिखित है:

क्र.सं.	कार्यकलाप	संख्या
1	ईग्नू अध्ययन केंद्रों के रूप में पंजीकृत एनएसटीआइज तथा विस्तारण केंद्रों की संख्या	35
2	एनआईओएस अध्ययन केंद्रों के रूप में पंजीकृत एनएसटीआइज तथा विस्तारण केंद्रों की संख्या	35

3	निस्बड अध्ययन केंद्रों के रूप में एनएसटीआइज की संख्या	20
4	स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (एसआईआईसी) के साथ एनएसटीआइज की संख्या	24
5	एसएचआई के तहत पीएमकेवीआई हेतु पंजीकृत एनएसटीआइज तथा विस्तारण केंद्रों की संख्या	35

5.8.3.2 पाठ्यचर्या सुधारः

सीआईटीएस पाठ्यक्रम को स्कूली शिक्षा तथा उच्च शिक्षा प्रणाली के अनुरुप 1600 नोशनल प्रशिक्षण घंटे से 1200 सीखने के घंटों के रुप में पुनर्गठित किया जा रहा है।

5.8.3.3 सीआईटीएस के तहत पूर्व सीखने की मान्यता (आरपीएल)

मौजूदा अनुदेशकों को उनके पूर्व ज्ञान के आधार पर सीआईटीएस मान्यता प्राप्त करने हेतु मंच प्रदान करने के लिए सीआईटीएस के तहत पूर्व सीखने की मान्यता हेतु संशोधित दिशा–निदेशों को तैयार किया गया था। अदिनांक आरपीएल के तहत 3531 उम्मीदवारों ने सफलतापूर्वक सीआईटीएस पूरा किया है। इसके अलावा, चालू वर्ष में आरपीएल के तहत सीआईटीएस के लिए निमी पोर्टल के माध्यम से 10,318 उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया है।

5.8.3.4 उद्योग संबंध

डीएसटी के तहत एनएसटीआइज द्वारा 150 नए एमओयूज पर हस्ताक्षर किए गए है।

5.8.3.5 उन्नत डिप्लोमा (व्यावसायिक)

उद्योगों के सहयोग से आईटीआई पास आउट को वर्टिकल मोबिलिटी देने के लिए 4 उन्नत डिप्लोमा (व्यावसायिक) पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं

- आईटी, नेटवर्किंग और क्लाउड कंप्यूटिंग में उन्नत डिप्लोमा (व्यावसायिक)
- ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकीय में उन्नत डिप्लोमा (व्यावसायिक)
- इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमेशन में उन्नत डिप्लोमा (व्यावसायिक)
- वेल्डिंग प्रौद्योगिकीय में उन्नत डिप्लोमा (व्यावसायिक)

प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी), कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) ने आईटी, नेटवर्किंग और क्लाउड कंप्यूटिंग' में उन्नत डिप्लोमा (व्यावसायिक) प्रदान करने के लिए फरवरी 2018 में मैसर्स आईबीएम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। पाठ्यक्रम की अवधि 2 वर्ष है और उन्नत डिप्लोमा पाठ्यक्रम का पहला बैच मार्च 2020 तक पूरा कर लिया जाएगा। वर्तमान में देश में 347 प्रशिक्षणार्थी (213 पुरुष और 134 महिला) 15 राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआइज) में प्रशिक्षण ले रहे हैं, जिसमें विशेष रूप से महिलाओं के लिए 5 (एनएसटीआई (डब्ल्यू)) शामिल हैं, जो सत्र 2022–24 के लिए उक्त पाठ्यक्रम प्रदान कर रहे हैं।

5.8.3.6 मूल्यांकन तथा प्रमाणीकरणः

- राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) ने अध्ययन–III के अधिकारों और परिषद के पैरा 16 (1) की शक्तियों के तहत प्रदत्त क्षमताओं के साथ, फा.सं. 32001/14/2020/एनसीवीईटी/234, दिनांक 10.06.2020 के द्वारा प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) को दीर्घकालिक प्रशिक्षण के लिए और आईटीआइज तथा एनएसटीआइज/ आईटीओटीज में प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु डीजीटी द्वारा निर्धारित सभी योग्यताओं के संबंध में और इस उद्देश्य के लिए एनसीवीईटी द्वारा अनुमोदित एक 'अवार्डिंग निकाय' तथा एक 'मूल्यांकन एजेंसी' के रूप में मान्यता प्राप्त है।
- डीजीटी द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं हेतु अखिल भारतीय व्यवसाय परीक्षा (एआईटीटी) आयोजित की जाती हैं। यह जिम्मेदारी डीजीटी के व्यवसाय परीक्षण सेल (टीटी सेल) को सौंपी गई है। इस परीक्षा में एनसीवीटी संबद्ध व्यवसायों/इकाइयों के प्रशिक्षणार्थी तथा योग्य निजी अभ्यर्थी शामिल होते हैं। प्रवेश–सत्र अगस्त, 2014 से एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल (https://ncvtmis.gov.in) के माध्यम से प्रवेश हॉल टिकट सृजन, परिणाम

घोषणा तथा परिणाम पत्र (मार्कशीट) और प्रमाण–पत्र जारी किया जाता है। आयोजित परीक्षाओं को निम्नानुसार तालिकाबद्ध किया गया है:

क्र. सं.	योजना/परीक्षा का नाम	वर्ष 2022	
		व्यवसाय	परीक्षा
1.	शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के तहत अखिल भारतीय शिल्पकार व्यवसाय परीक्षा	137	2
2.	शिल्प अनुदेशक व्यवसाय परीक्षा (सीआईटीएस) के लिए अखिल भारतीय व्यवसाय परीक्षा	39	2
3.	शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस दोहरी प्रणाली) के तहत अखिल भारतीय व्यवसाय परीक्षा	17	2
4.	शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (फ्लेक्सी एमओयू) के तहत अखिल भारतीय व्यवसाय परीक्षा	18	मांग आधारित
5.	"उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) (बीबीबीटी और एडवांस मॉड्यूल) योजना के तहत अखिल भारतीय शिल्पकार की व्यवसाय परीक्षा	08 सेक्टर	2
6	निर्दिष्ट व्यवसायों में शिक्षुता हेतु अखिल भारतीय व्यवसाय परीक्षा	266	2

- अखिल भारतीय व्यवसाय परीक्षा ऑनलाइन के साथ–साथ पारंपरिक पद्धति में आयोजित की जाती हैं। परीक्षा का सैद्धांतिक (थ्योरीटिकल) भाग कम्प्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) के माध्यम से आयोजित किया जाता है तथा प्रयोगात्मक (प्रेक्टिकल) और इंजीनियरिंग ड्राइंग पारंपरिक पद्धति में आयोजित की जाती है।
- सीटीएस के एआईटीटी के पास–आउट अभ्यर्थियों को राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण–पत्र (एनटीसी) प्रदान किए जाते हैं। राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण–पत्र (एनटीसीज) भारत में केंद्र/राज्य सरकार/निजी प्रतिष्ठानों में उपयुक्त पदों तथा सेवाओं पर भर्ती हेतु एक मान्यता प्राप्त योग्यता है।
- प्रणाली में तेजी लाने तथा प्रमाण–पत्र की विलंबता को दूर करने हेतु ई–प्रमाण–पत्र की शुरूआत की गई है। एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल के माध्यम से अब मार्कशीट/राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण–पत्र (एनटीसी)/राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण–पत्र (एनसीआईसी)/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण–पत्र (एनएसी) जारी किए जा रहे हैं। वर्ष 2022 में एनसीवीटी के तत्वावधान में आयोजित विभिन्न व्यवसाय परीक्षा का विवरण उपरोक्त तालिका में दिया गया है।
- डीजीटी सर्विस डेस्क (https://dgt.gov.in/servicedesk/users/index-php): प्रशिक्षणार्थियों/आईटीआइज की सहायता के लिए विशेष पोर्टल शुरू किया गया है जहां वे प्रवेश, परीक्षा, प्रमाणन, परिणाम घोषणा आदि से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
- हॉल टिकट (एचटी) से पहले प्रशिक्षणार्थी प्रोफाइल सत्यापनः– एक मॉड्यूल बनाया गया है जिसमें प्रशिक्षणार्थी अपने प्रोफाइल को सत्यापित करता है और अपना नाम, पिता/माता का नाम, जन्म तिथि और फोटोग्राफ की जांच करता है, वे एचटी जनरेशन से पहले अपनी प्रोफाइल से संबंधित शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इससे उन्हें परीक्षा से पहले सही एचटी प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
- लगभग 1250 केंद्रों पर राज्य निदेशालय और नियुक्त परीक्षा एजेंसी के सहयोग से सभी योजनाओं के तहत सीबीटी परीक्षा आयोजित की जा रही है। डीजीटी सीबीटी परीक्षा आयोजित करने के लिए आदर्श आईटीआइज के अवसंरचना ढांचे का भी उपयोग कर रहा है। परीक्षा एजेंसी की प्रतिदिन 1.2 लाख प्रशिक्षणार्थियों की सीबीटी आयोजित करने की क्षमता है।

5.8.3.7 परीक्षाओं की अड़चनें दूर हुईं

महामारी से प्रभावित परीक्षा प्रणाली को सुव्यवस्थित करने और सीबीटी प्रणाली पर स्विच–ओवर करने के प्रयास किए गए:

- महामारी के कारण उपस्थिति में एकबारगी छूट 80% से 40% दी गई है।
- हॉल टिकट सृजित करने हेतु सीवीटी परीक्षा शुल्क में छूट दी गई तथा शेष प्रशिक्षणार्थियों को बिना किसी और देरी के परीक्षा में बैठने मे सहायता करने हेतु परिणाम के समय सत्यापित किया जाएगा।
- वार्षिक पैटर्न के तहत नियमित और अनुपूरक परीक्षाओ के लिए व्यवसाय प्रैक्टिकल को छोडकर सभी विषयों में ग्रेस मार्क देकर एकबारगी की छूट दी गई है। लगभग 9.2 लाख प्रशिक्षणार्थियों को विषय–वार पास घोषित किया गया था और सिस्टम में प्रमुख गतिरोध को दूर किया गया था।
- अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण लगभग शेष 4.8 लाख प्रशिक्षणार्थियों (वार्षिक पैटर्न के तहत) के लिए विशेष सीबीटी परीक्षा आयोजित का गई।
- शेष 4.2 लाख प्रशिक्षणार्थियों के लिए विशेष प्रैक्टिकल परीक्षा आयोजित की गई।
- दो वर्षीय पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष हेतु सीबीटी परीक्षा से छूट दे कर 7.58 लाख प्रशिक्षणार्थियों को नोशनल अंक प्रदान किए गए।
- सभी अनुपूरक प्रशिक्षणार्थियों को उनके बैकलॉग को पूरा करने के लिए अतिरिक्त अवसर प्रदान किया गया है।

5.8.3.8 परीक्षा में सुधार

- परीक्षा पैटर्न में बदलावः पारंपरिक मोड (ओएमआर आधारित) परीक्षा मोड को कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) में बदल दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप परिणाम प्रसंस्करण समय कम हो गया है।
- पूर्व में दो व्यवसाय थ्योरी और दो प्रैक्टिकल परीक्षाओं के बजाय एक व्यवसाय थ्योरी परीक्षा (सीबीटी) और एक प्रैक्टिकल परीक्षा के साथ परीक्षा पैटर्न को सरल बनाकर प्रशिक्षणार्थियों में परीक्षा के डर को दूर किया।
- एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर परिणामों की घोषणा और पोर्टल पर संबंधित हितधारकों को अधिसूचित करना। इसके अतिरिक्त, योग्य उम्मीदवारों, उम्मीदवारों से संबंधित रिपोर्ट, और उम्मीदवारों को पास और अनुत्तीर्ण होने की जानकारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र निदेशालय लॉगिन आईडी पर उपलब्ध कराई जाती है।
- रिपोर्ट प्राप्ति में आसानी के माध्यम से और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए जैसे प्रशिक्षणार्थी भर्ती, परिणाम, टॉपर सूची, हॉल टिकट सृजन, मार्कशीट और प्रमाण पत्र आदि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा आईटीआइज के लिए अप–टू–डेट/डेटा एनालिटिक्स प्राप्त करने हेतु राज्य लॉगिन के माध्यम से डीजीटी एमआईएस पोर्टल पर उपलब्ध कराए गए हैं।
- प्रमाण पत्र बनने के बाद प्रोफाइल सुधार संबंधी शिकायतों को कम करने के लिए हॉल टिकट जनरेशन से पहले प्रशिक्षणार्थियों के प्रोफाइल सत्यापन के लिए एक नई प्रक्रिया लागू की गई।
- प्रायोगिक (प्रेक्टिकल) अंक अपलोड करने के लिए राज्यों के समय अंतराल को कम करने हेतु 48 घंटे के भीतर परीक्षक द्वारा सीधे प्रेक्टिकल अंक अपलोड करने के लिए पोर्टल में एक अतिरिक्त प्रक्रिया लागू की गई है और समय पर नोडल आईटीआई और राज्यों द्वारा अनुमोदित की गई है ताकि मार्क अपलोड में गलतियों से किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके।
- लीगेसी प्रमाणपत्रों (एनसीआईसी/एनटीसी/एनएसी/सीओई) के जेनरेशन और सुधार के लिए पोर्टल में प्रावधान किया गया है – कागजी प्रमाण पत्र हेतु डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित, क्यूआर कोड सक्षम ई–प्रमाण पत्र।
- डीजीटीएमआईएस पब्लिक पोर्टल से सीधे हॉल टिकट, मार्कशीट, समेकित मार्कशीट, प्रमाण पत्र आदि डाउनलोड करने की अनुमति देकर प्रशिक्षणार्थियों को सशक्त किया गया है।
- पारदर्शिता लाने और शिकायतों को कम करने के लिए डीजीटीएमआईएस पोर्टल पर प्रशिक्षणार्थी प्रोफाइल पेज

में प्रशिक्षणार्थियों की सीबीटी उत्तर पुस्तिकाएं, अनुपस्थित/उपस्थिति, सीबीटी परीक्षा केंद्रों को देखने का प्रावधान किया गया।

- मुद्दों के समय पर समाधान के लिए डीजीटी प्रणाली के भीतर विरासत (लीगेसी) प्रमाणपत्रों के लिए शिकायत निवारण प्रणाली, कॉल सेंटर और हेल्प डेस्क बनाया गया है।
- प्रयास किया गया है कि प्रशिक्षण कलैण्डर सत्र प्रारम्भ होने के पूर्व ही जारी कर दिया जाय तथा हाल टिकट परीक्षा प्रारम्भ होने के 10 दिन पूर्व जारी कर दिये जायें तथा परिणाम पूर्व में 30–45 दिन के स्थान पर 15 दिन में घोषित कर दिये जायेंगे।

सीटीएस के तहत सीबीटी परीक्षा

5.8.3.9 वर्ष 2022 में डीजीटी के तहत आयोजित परीक्षाओं का सारांशः

सीटीएस योजना

क) **दिसंबर 2021 से अप्रैल 2022** – इंजीनियरिंग ड्राइंग/प्रैक्टिकल के लिए परीक्षाएं पारंपरिक तरीकों से आयोजित की गईं। आईटीआई ईको–सिस्टम में उपलब्ध अवसंरचना का उपयोग करते हुए परीक्षा एजेंसी के माध्यम से सीबीटी परीक्षा आयोजित की गई थी। इसमें शामिल बैच के नियमित उम्मीदवार थेः

- 2019–2021 (2 वर्षीय व्यवसाय),
- 2020–2021 (1 वर्षीय व्यवसाय),
- 2020–2021 (6 माह के व्यवसाय) और 2020–2022 (2 वर्षीय व्यवसाय) का प्रथम वर्ष

इसके अतिरिक्त, प्रशिक्षणार्थियों को एकबारगी कोविड राहत उपाय के रूप में, दो साल के पाठ्यक्रम (2018 के बाद) के पहले वर्ष को प्रैक्टिकल/ईडी स्कोर के आधार पर पदोन्नत किया गया और उन्हें प्रैक्टिकल/ईडी अंक के आधार पर व्यवसाय थ्योरी (टीटी)/वर्कशॉप साइंस और कैलकुलेशन (डब्ल्यूसीएस)/रोजगार कौशल (ईएस) योग्यता में सांकेतिक (नोशनल) अंक दिए गए।

ख) **मार्च 2022**:– निम्नलिखित बैचों के लिए प्रैक्टिकल ईडी की अनुपूरक परीक्षा आयोजित की गई थी

- दो पाठ्यक्रमों (2018–20/2019–21) का प्रथम वर्ष
- दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (2019–21) के दूसरे वर्ष के शेष/कोर्ट केस प्रशिक्षणार्थी
- एक वर्षीय पाठ्यक्रमों (2021–22) के शेष/कोर्ट केस प्रशिक्षणार्थी

ग) **अप्रैल 2022**:– निम्नलिखित बैचों के बचे हुए प्रशिक्षणार्थियों की पूरक परीक्षा आयोजित की गई जो सीबीटी शुल्क का भुगतान न करने के कारण परीक्षा में बैठने में सक्षम नहीं थे।

- एआईटीटी 2020 और एआईटीटी 2021 के शेष प्रशिक्षणार्थी

घ) **नियमित एआईटीटी 2022**: – निम्नलिखित सत्र के लिए लगभग 14 लाख प्रशिक्षणार्थियों हेतु निम्न सत्र की नियमित परीक्षा आयोजित की गई।

- 2–वर्षीय पाठ्यक्रम (2021–23) का प्रथम वर्ष
- एक साल/6 महीने (2021–22)
- 2 वर्षीय पाठ्यक्रम (2020–22) का दूसरा वर्ष

इस वर्ष परिणाम प्रतिशत 89.13% (16.6 लाख परीक्षार्थियों में से लगभग 14.8 लाख उत्तीर्ण घोषित हुए) रहा है।

ङ) **अनुपूरक परीक्षा, दिसंबर 2022**:

सत्र 2014 से 2022 तक 5,53,118 प्रशिक्षणार्थियों के लिए पूरक सीबीटी परीक्षा आयोजित की गई और वर्ष 2023 में 10,63,795 उम्मीदवारों के लिए ईडी/प्रैक्टिकल परीक्षा आयोजित की गई है। एकबारगी की छूट के रूप में, सत्र 2014 से सभी उम्मीदवारों को अनुपूरक परीक्षा में शामिल होने का अतिरिक्त मौका दिया गया था।

सीआईटीएस योजना

6949 पात्र प्रशिक्षणार्थियों के लिए सत्र 2021–22 हेतु सीआईटीएस परीक्षा के लिए एआईटीटी 30 अगस्त, 2022 को सफलतापूर्वक आयोजित किया गया।

उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) योजना:

चार राज्यों अर्थात केरल, ओडिशा, तमिलनाडु और असम के प्रतिभागी निम्नलिखित परीक्षा में शामिल हुए:–

i) मार्च/अप्रैल–2022 माह में आयोजित परीक्षा में कुल 1287 प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया। परिणाम पहले ही घोषित किया जा चुका है और उत्तीर्ण कुल 1042 प्रशिक्षणार्थियों को ई–प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है।

ii) सितंबर–2022 के महीने में आयोजित परीक्षा में कुल 1014 में प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया। परिणाम पहले ही घोषित किया जा चुका है और 817 उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों के लिए ई–प्रमाणपत्र बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

5.8.3.10 डीजीटी में आईटी कार्यकलाप

डीजीटी मुख्यालय में एक आईटी सेल बनाया है जिसका उद्देश्य डीजीटी कौशल पारिस्थितिकी तंत्र (इको–सिस्टम) में व्यापक पारदर्शिता और दक्षता लाने तथा डिजिटल परिवर्तन को लागू करना है।

5.8.3.11 डिजिटल स्किलिंग पहल

भारतस्किल्स पोर्टल (https://bharatskills.gov.in)

भारतस्किल्स, आईटीआइज के लिए कौशल का एक डिजिटल भंडार, जो छात्रों और प्रशिक्षकों के लिए विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में एनएसक्यूएफ पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम सामग्री, वीडियो, प्रश्न बैंक और मॉक टेस्ट आदि प्रदान करता है तथा प्रशिक्षकों और प्रशिक्षणार्थियों को पुस्तकों, अभ्यास–पत्रों, लर्निंग वीडियो तक आसान पहुँच के साथ उन्हें कक्षा के बाहर अपने विषयों को सीखने में मदद करता है।

उपलब्ध विषय–सूची

क्र.सं.	स्कीम	ई–बुक	प्रश्न बैंक	ई–लर्निंग पाठ्यक्रम
1	शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस)'	42 ट्रेडों में 155	50 ट्रेडों में 161	79 लोकप्रिय ट्रेड
2	शिल्पकार अनुदेशक प्रशिक्षण स्कीम (सीआईटीएस)	36 ट्रेडों तथा पीओटी हेतु 160	32 ट्रेडों में 48	–
3	शिक्षुता प्रशिक्षण स्कीम (एसटीएस)	–	86 ट्रेडों में 88	–
4	आईटी, नेटवर्किंग और क्लानउड कंप्यूरटिंग में एडवांस डिप्लोमा (एडीआईटी)	83	8	–

*पुस्तकें 6 भाषाओं – अंग्रेजी, हिंदी, उड़िया, तमिल, मराठी और गुजराती में उपलब्ध हैं।

क्र.सं.	पोर्टल/एप्प.	सहभागियों की संख्याप
1	भारतस्किल्स – मोबाइल फ्रेंडली साइट	47,98,275 (यूनिक आईपी)
2	भारतस्किल्स – मोबाइल एप्प उपयोगकर्ता	14,59,919
3	भारतस्किल्स – सीटीएस के तहत 6 लोकप्रिय पाठ्यक्रमों इलेक्ट्रीशियन, फिटर, सीओपीए, वेल्डर, डीजल मैकेनिक, कॉस्मेटोलॉजी के लिए मिश्रित शिक्षण–सामग्री	1,73,917
4	निमी द्वारा एनएसटीआई ऑनलाइन कक्षाएं (अप्रैल 2020– मार्च 2021) – 3080 कक्षाएं	16,55,953
5	निमी ऑनलाइन मॉक टेस्ट	16,07,915 (1,18,38,491 प्रशिक्षणार्थिघ्यों का प्रयासः टेस्टो)
	योग	**96,95,979**

47.98 लाख यूनिक उपयोगकर्ताओं (25 दिसम्बर, 2022 तक) के साथ 2.01 करोड़ से अधिक हिट्स

भारतस्किल्स को ई–गवर्नेस योजना 2021–2022 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के "नागरिक केंद्रित वितरण प्रदान करने में उत्कृष्टता" श्रेणी के तहत रजत पुरस्कार (सिल्वर अवार्ड) से सम्मानित किया।

5.8.3.12 डीजीटी कार्यालय का डिजिटलीकरणः

आईटी सेल, डीजीटी ने जहां तक संभव हो पूरी तरह से कागज रहित तरीके से डीजीटी और इसके फील्ड संस्थानों से संबंधित मामलों को पूरा करने के लिए 57 स्थानों पर मुख्यालय और इसके अधीनस्थ कार्यालयों में कई ई–सेवाओं को लागू किया है। इससे न केवल बेहतर ट्रैकिंग और तेज सेवा सुनिश्चित हुई है बल्कि सिस्टम में पारदर्शिता का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है।

प्रशासनिक व्यवस्थाः

क्र.सं.	वेबसाइट / यूआरएल	विवरण	के द्वारा प्रबंधित
1	डीजीटी स्किल उपस्थिति https://cndgt.dgtskillattendance.ac.in/	राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान (एनएसटीआई) – 14, एनएसटीआई (डब्ल्यू) – 19 और प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण संस्थान (आईटीओटी) – 48 में सीआईटीएस और सीटीएस के तहत प्रशिक्षणार्थियों की नियमित उपस्थिति की निगरानी करना। वर्तमान में लगभग 15000 अभ्यर्थियों के साथ 85 एनएसटीआई / एनएसटीआई(डब्ल्यू) / आईटीओटी पोर्टल में पंजीकृत हैं।	डीजीटी का आईटी सेल एनआईसीएसआई द्वारा होस्टेड
2	डीजीटी बीएएस उपस्थिति पोर्टल https://cndgt.attendance.gov.in	डीजीटी पोर्टल 64 स्थानों पर सभी क्षेत्रीय संस्थानों / कार्यालयों सहित डीजीटी कार्मिकों (सरकारी और गैर–सरकारी) की उपस्थिति का प्रबंधन करता है।	डीजीटी का आईटी सेल एनआईसीएसआई द्वारा होस्टेड
3	स्पेरो https://sparrow-dgt.eoffice.gov.in	ऑनलाइन एपीएआर प्रक्रिया के लिए वीआई स्तर (590) तक के सभी कार्मिकों को स्पेरो पोर्टल पर शामिल किया गया है। साथ ही पिछले 10 वर्षों के सभी अधिकारियों के मैनुअल एपीएआर को स्पेरो पर अपलोड किया जा रहा है।	डीजीटी का आईटी सेल एनआईसीएसआई द्वारा होस्टेड
4	ई–ऑफिस https://msde-eoffice.gov.in	डीजीटी के 55 कार्यालयों के सभी कार्मिकों को ऑनलाइन कार्यालय से संबंधित कार्यों के लिए ई–ऑफिस पोर्टल पर जोड़ा गया है।	डीजीटी का आईटी सेल एनआईसीएसआई द्वारा होस्टेड
5	ई–प्रकाशन और ई–अधिप्राप्ति पोर्टल	डीजीटी से संबंधित सभी ईओआई / निविदाओं का प्रबंधन	डीजीटी का आईटी सेल एनआईसीएसआई द्वारा होस्टेड

डीजीटी आईटी सेल इन–हाउस विकास

क्र.सं.	वेबसाइट / यूआरएल	विवरण	के द्वारा प्रबंधित
1	डीजीटी वेबसाइट और कर्मचारी कॉर्नर https://dgt.gov.in	वेबसाइट डीजीटी, योजनाओं, नवीनतम आदेशों, प्रेस विज्ञप्ति आदि के बारे मंत पूरी जानकारी प्रदान करती है। डीजीटी के तहत कर्मचारी कार्नर में सभी कार्मिकों की प्रोफाइल है। सोशल मीडिया के लिए सभी कार्मिकों को उनके स्थानांतरण अनुरोध, शिकायतें, समाचार कार्यक्रम अपलोड करने आदि के लिए मंच भी प्रदान करता है।	डीजीटी का आईटी सेल एनआईसी क्लाउड पर होस्टेड
2	भारत स्किल्स https://bharatskills.gov.in	यह कौशल (लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम) के लिए एक केंद्रीय भंडार है जो सीआईटीएस, सीटीएस और शिक्षुता के तहत एनएसक्यूएफ पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम सामग्री, वीडियो, प्रश्न बैंक और मॉक टेस्ट, ई–लर्निंग पाठ्यक्रम आदि प्रदान करता है। यह आईबीएम स्किल्सबिल्ड, अमृता, क्वेस्ट एलायंस, एडोब आदि के एमओयू भागीदारों के विभिन्न लर्निंग पोर्टल्स के लिंक भी मुफ्त में प्रदान करता है।	डीजीटी का आईटी सेल एनआईसी क्लाउड पर होस्टेड

3	भारत स्किल्स फोरम https://bskillforum.bharatskills.gov.in	डीजीटी द्वारा विकसित भारतस्किल्स लर्निंग प्लेटफॉर्म में भारतस्किल फोरम नामक एक नई सुविधा जोड़ी गई है जो शिक्षार्थियों के लिए पुस्तकों, नोट्स, वीडियो, प्रश्न बैंक, आदि और कौशल से संबंधित अन्य प्रासंगिक सामग्री को साझा करने की अनुमति देता है। यह सुविधा हस्तलिखित प्रशिक्षकों या प्रशिक्षणार्थियों के नोट्स, पीडीएफ, स्कैन की गई प्रतियां या किसी भी भाषा में रिकॉर्ड किए गए वीडियो जैसे विभिन्न रूपों में सामग्री साझा करने की अनुमति देकर कौशलीकरण समुदाय के लिए एक डिजिटल वेयरहाउस (भंडारण) के रूप में कार्य करेगी।	डीजीटी का आईटी सेल एनआईसी क्लाउड पर होस्टेड
4	आयोजनों और सरकारी अभियानों आदि के संबंध में आईटीआइज से डेटा एकत्र करने के लिए विभिन्न वेबफॉर्म	पोर्टल परीक्षा पे चर्चा (पीसीसी)2022 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, हर घर तिरंगा और आईटीआई दीक्षांत समारोह जैसे विभिन्न आयोजनों के संबंध में पूरे भारत के आईटीआइज से विभिन्न डेटा एकत्र करता है।	डीजीटी का आईटी सेल एनआईसी क्लाउड पर होस्टेड
5	एनएसटीआई और आरडीएसडीई वेबसाइट्स	सभी 33 राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआइज) (सामान्य टेम्पलेट्स के साथ) और 22 आरडीएसडीई के लिए केंद्रीय प्रबंधन वेबसाइट। वर्तमान में, आईटी सेल इन वेबसाइट्स के नियमित रखरखाव का प्रबंधन करता है।	आईटी सेल–डीजीटी एनएसटीआई चेन्नई सर्वर पर होस्टेड
6	डीजीटी सेवा डेस्क https://dgt.gov.in/servicedesk/	पोर्टल सीटीएस प्रशिक्षणार्थियों की विभिन्न शिकायतों को ट्रैक और समाधान करने के लिए बनाया गया।	एनआईसी क्लाउड पर आईटी सेल–डीजीटी द्वारा होस्टेड

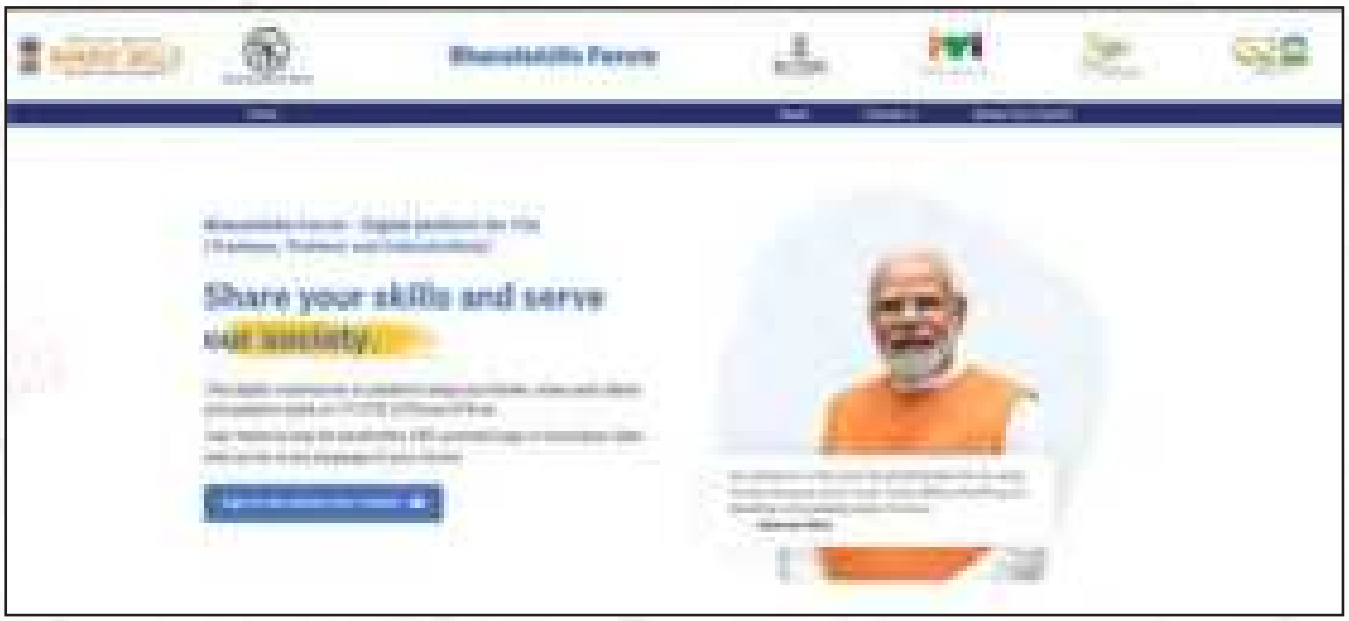

भारतस्किल्स फोरम (*https://bskillforum.bharatskills.gov.in*)

आईटीआई प्रबंधन प्रणाली के लिए ऑनलाइन पोर्टल का प्रबंधन

क्र.सं.	वेबसाइट / यूआरएल	विवरण	के द्वारा प्रबंधित
1.	राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीटी) https://ncvtmis.gov.in	यह पोर्टल राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीटी) के दायरे में आने वाले सभी संस्थानों और पाठ्यक्रमों के लिए सूचना का एक ही स्रोत है। पोर्टल सीटीएस के तहत आईटीआइज अभ्यर्थियों के पंजीकरण, प्रशिक्षण, परीक्षा और प्रमाणन का प्रबंधन करता है। वर्तमान में, लगभग 15000 आईटीआइज और 25 लाख प्रशिक्षणार्थी पोर्टल पर पंजीकृत हैं।	एनआईसी क्लाउड पर विप्रो / डीजीटी द्वारा होस्टेड
2.	शिक्षुता पोर्टल https://apprenticeshipindia.gov.in	पोर्टल नामित और वैकल्पिक व्यवसायों के लिए एनएपीएस के तहत शिक्षुता पंजीकरण, प्रशिक्षण, परीक्षा और प्रमाणन का प्रबंधन करता है।	आईबीएम–टीएनटी / डीजीटी –एनएसडीसी, एनएसडीसी द्वारा होस्टेड
3.	शिक्षुता मेला पोर्टल https://dgt.gov.in/appmela	पोर्टल शिक्षुता और प्रतिष्ठान पंजीकरण, मेला केंद्र स्थानों का प्रदर्शन, मेला केंद्र समन्वयकों का डिस्प्ले और नामित तथा वैकल्पिक व्यवसायों के लिए संस्थानों की रिक्तियों का प्रबंधन करता है।	एनआईसी क्लाउड पर आईटी सेल–डीजीटी द्वारा होस्टेड

5.8.3.13 बेहतर पारदर्शिता के लिए एनसीवीटीएमआईएस पोर्टल में किए गए नए बदलाव / संवर्द्धन

- सभी के सत्यापन के लिए क्यूआर कोड के साथ डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र।
- डीजीटीएमआईएस और राज्य निदेशालय के पोर्टल के बीच डेटा प्रवाह का स्वचालन, निमी, प्रवेश डेटा शुल्क भुगतान, हॉल टिकट निर्माण और परिणाम साझा करने के लिए परीक्षा एजेंसी, जिसने प्रोसेसिंग समय को काफी कम कर दिया है और सटीकता को बढ़ाया है। परिणाम प्रक्रिया को 30–45 दिनों से घटाकर 15 दिन कर दिया गया है।
- हितधारकों को वास्तविक समय में सूचना प्रसारित करने के लिए एसएमएस / ईमेल सुविधा को डीजीटीएमआईएस के साथ एकीकृत किया गया है।
- प्रशिक्षण केंद्रों, पाठ्यक्रमों, शिक्षकों और छात्रों सहित स्किलिंग इकोसिस्टम की पूरी जानकारी के साथ डीजीटी पब्लिक रजिस्ट्री।
- प्रशिक्षणार्थियों के परिणाम / हॉल टिकट उनकी ईमेल आईडी पर साझा करने का प्रावधान किया गया है।
- पारदर्शिता लाने और शिकायतों को कम करने के लिए डीजीटीएमआईएस पोर्टल पर प्रशिक्षणार्थी प्रोफाइल पेज में प्रशिक्षणार्थी के सीबीटी उत्तर पुस्तिकाओं, अनुपस्थित / उपस्थित स्थिति, सीबीटी परीक्षा केंद्रों को देखने का प्रावधान।
- समस्याओं के समय पर समाधान हेतु डीजीटी प्रणाली के तहत बनाए गए विरासत (लेग्सी) प्रमाण–पत्र, कॉल सेंटर और हेल्प डेस्क के लिए शिकायत निवारण प्रणाली बनाई गई है।
- प्रमाण–पत्र तैयार होने के बाद प्रोफाइल सुधार के संबंध में शिकायतों को कम करने के लिए हॉल टिकट निर्माण से पहले प्रशिक्षणार्थियों के प्रोफाइल सत्यापन हेतु एक नई प्रक्रिया लागू की गई।
- सभी प्रमाण पत्र डिजी लॉकर में रख दिए गए। सभी उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों के प्रमाण–पत्र उनके डिजी लॉकर में उपलब्ध हैं।

5.9 डीजीटी में आईटी कार्यकलाप

- वन क्लिक कार्यान्वयनः प्रशिक्षणार्थियों के लिए वन क्लिक कार्यान्वयन प्रक्रिया को शामिल किया गया है जहां वे राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) के तहत 12 वीं कक्षा के समकक्ष कार्यक्रमों इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) के तहत स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम और डीजीटीएमआईएस (htttps://ncvtmis.gov.in) में प्रशिक्षणार्थी प्रोफाइल से सिंगल क्लिक के साथ उद्योगों में शिक्षुता प्रशिक्षण के लिए पंजीकरण कर सकते हैं।
- एनआईसी के समन्वय से ई–ऑफिस के डोमेन और विभिन्न आईटी प्लेटफॉर्म में क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए प्रशिक्षण आयोजित करना।
- सीटीएस के तहत कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग सहायक (कोपा) पाठ्यचर्या को सीएसआर के अंतर्गत माइक्रोसॉफ्ट की सहायता से डिजिटल (मिश्रित मोड) में परिवर्तित करके नया रूप दिया गया है।
- डीजीटी के लिए सभी डोमेन और उप–डोमेन का प्रबंधन
- डीजीटी में ट्विटर, प्रेस विज्ञप्ति (पीआईबी) जैसे सोशल मीडिया
- एनएसटीआई चेन्नई सर्वर पर एएसएन नंबर का कार्यान्वयन। अब डीजीटी के पास अपनी वेबसाइट्स/पोर्टल कार्यकलापों के लिए 256 सार्वजनिक आईपी हैं।
- डीजीटी–ईएचआरएमएस का कार्यान्वयन। तत्काल सृजित एवं कार्मिकों के डेटा अपलोड की प्रक्रिया प्रगति पर है।
- छात्रों को कौशलीकरण संबंधी जानकारी हेतु भारतस्किल्स तथा एनसीवीटी एमआईएस हेतु एसएमएस गेटवे और टीसीसीसीपीआर 2018 के तहत टीआरएआई (ट्राई) के नए दिशानिर्देशों के अनुसार डीएलटी प्लेटफॉर्म पर इसका पंजीकरण। प्रेषक आईडी के लिए टीआरएआई (ट्राई) से 5 पैसे प्रति एसएमएस की छूट।
- डीजीटी में एनआईसी ईमेल सुरक्षित आधिकारिक संचार के लिए एमटीएस स्तर तक सभी कार्मिकों (लगभग 1200 कार्मिकों) के लिए बनाया गया है।
- वेब एपीआई के माध्यम से मंत्रालय के लिए दर्पण डैशबोर्ड को अद्यतन करना, https://msde.dashboard.nic.in/DashboardF-aspx

5.9.1 प्रौद्योगिकीय कंपनियों के साथ डिजिटल प्रौद्योगिकी क्षेत्र में डीजीटी की साझेदारी

डीजीटी ने प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण और प्रशिक्षणार्थियों को आईआर 4.0 के अनुसार उद्योग के लिए तैयार होने में सक्षम बनाने के लिए आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट, सिस्को, एडोब आदि जैसे कई आईटी फ्रंटलाइन के साथ सहयोग किया है। डीजीटी भारतस्किल से जुड़े औद्योगिक भागीदारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले न्यू एज कोर्स हैं। अब तक प्रशिक्षित प्रशिक्षणार्थियों का संक्षिप्त विवरणः 17 लाख

क्रम सं.	उद्योग भागीदार	प्रशिक्षित प्रशिक्षणार्थी
1	आईबीएम इंडिया	11,34,684
2	सिस्को	11,666
3	क्वेस्ट एलायंस	4,88,035
4	माइक्रोसॉफ्ट	39,222
5	एसएपी	1,110
6	एडोब	24,360
कुल	16,99,077	

I. आईबीएम के साथ पहल, एमओयू को 4 साल के लिए बढ़ाया – फरवरी 2024

क. **16 एनएसटीआइज में 2019–21 बैच में 370 प्रशिक्षणार्थियों ने आईटी, नेटवर्किंग और क्लाउड कंप्यूटिंग में दो वर्षीय उन्नत डिप्लोमा (व्यावसायिक)** (एनएसक्यूएफ स्तर– 6) प्रशिक्षण पूरा किया। सत्र 2022–24 में 366 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

बैच नं	आरंभ माह	एनएसटीआइज की संख्या	छात्रों की संख्या
प्रथम बैच	फरवरी 2018	1	19
द्वितीय बैच	सितंबर 2018	5	71
तृतीय बैच	नवंबर 2019	16	370
चतुर्थ बैच (जारी)	अप्रैल 2022	15	366

ख. **प्रशिक्षक प्रशिक्षण अभियान (बेसिक आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस)**

7 एनएसटीआई में – 900 से अधिक आईटीआइज से 10100 आईटीआई अनुदेशक

ग. **स्किल्सबिल्ड** – एक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म– जून, 2020 में रोजगार चाहने वाले और उद्यमियों के लिए स्किलबिल्ड रीग्नाइट और स्किलबिल्ड इनोवेशन कैंप का शुभारंभ किया। 12,39,842 शिक्षार्थी और 16,72,202 बैज के साथ पाठ्यक्रम पूरा हुआ। (नवंबर 2019 से 31 अगस्त 2022 तक और बढ़ रहा है)

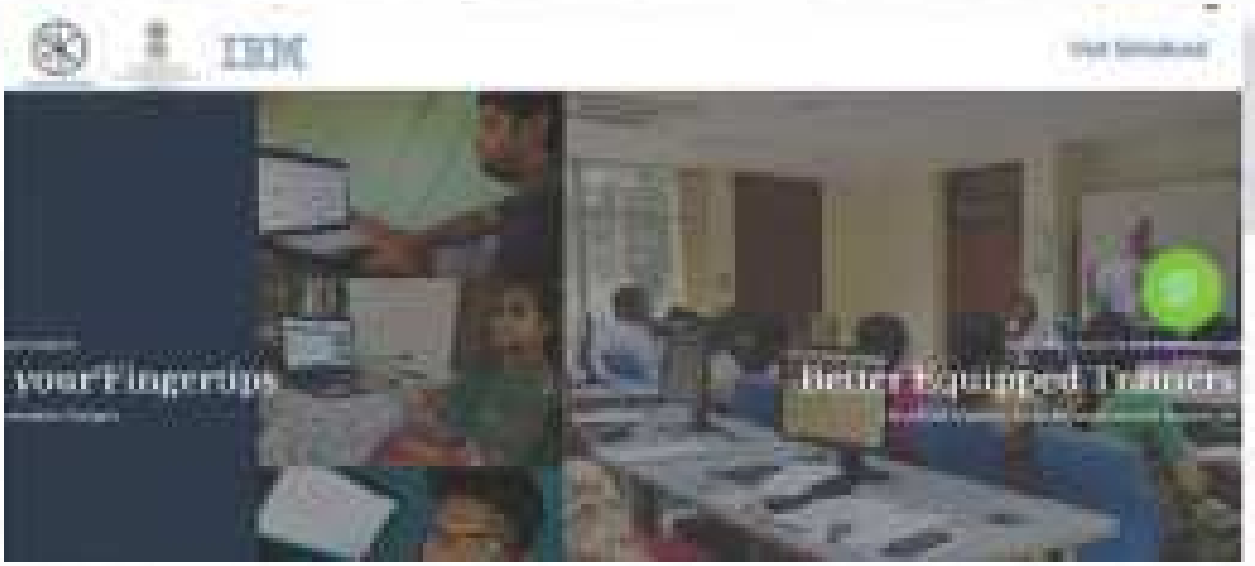

डीजीटी–आईबीएम स्किल्सबिल्ड फोरम

II. सिस्को के साथ पहल, एमओयू को 2 साल के लिए बढ़ाया–जून, 2022

- सभी आईटीआई अनुदेशकों के लिए बुनियादी आईटी कौशल–1 सप्ताह का वर्चुअल क्लास – सभी अनुदेशकों के लिए खुला
- सिस्को सर्टिफाइड एंट्री लेवल नेटवर्क एसोसिएट (सीसीएनए) – कक्षा 1 सप्ताह – 6 एनएसटीआइज
- सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट (सीसीएनए) (+300 मूल्य) – कक्षा 2 सप्ताह – 6 एनएसटीआइज
- चिन्हित किए गए 06 एनएसटीआइजः संपूर्ण नेटवर्किंग और कोलाब उपकरण के साथ सीसीएनए प्रयोगशालाएं स्थापित – 2.5 करोड़ की दर से सक्रिय वेबेक्स सेवाएं

- एनएसटीआइज से आईटी एसेन्सियल में प्रशिक्षित कुल 30 मास्टर प्रशिक्षक और सीसीएनए में 14 प्रशिक्षक
- सिस्को नेट अकादमी ऑनलाइन पाठ्यक्रम के माध्यम से डिजिटल कौशल– कुल 6171 प्रशिक्षणार्थियों ने न्यू एज कौशल जैसे पायथन, साइबर सुरक्षा, आईओटी आदि के तहत पाठ्यक्रम पूरा किया।

III. सिस्को, एक्सेंचर, क्वेस्ट एलायंस के साथ पहल, एमओयू को 4 साल बढ़ाया – जून 2024

डिजिटल एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स (''ईएस'')	20 राज्य, 729 नेटवर्क आईटीआइज, प्रशिक्षित प्रशिक्षणार्थीः 3,07,956 रोजगारपरक कौशल सामग्री डिजिटलीकरण – अंग्रेजी में 101/163 पाठ और हिंदी में 46/163 पाठ 29 में से 15 मूल्यांकन मॉड्यूल अंग्रेजी में पूरे किए गए	
प्रशिक्षक प्रशिक्षण – जारी	प्राचार्य उन्मुखी/प्रशिक्षण	934 उन्मुख
	प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण–ईएस	3164 प्रशिक्षित
	नियोजन अधिकारी प्रशिक्षण	478 प्रशिक्षित और 25,019 छात्र नियोजित
आधुनिक रोजगारपरक कौशल प्रयोगशाला	15 एनएसटीआइज पूर्ण और आगामीः 4 महिला आईटीआइज प्रशिक्षणार्थियों के लिए रोजगारपरक कौशल और आईटी साक्षरता के लिए अवसंरचनात्मक और फैकल्टी सहायता।	
मोबाइल फोन पुस्तकालय	ऑनलाइन कक्षाओं हेतु छात्राओं के लिए 22 पुस्तकालय (एनएसटीआइज + आईटीआइज) स्थापित किए गए हैं। उन प्रशिक्षणार्थियों के लिए उपयोगी, जो ऑनलाइन कक्षाओं और ऑनलाइन शिक्षण मॉड्यूल के लिए कंप्यूटर/स्मार्ट फोन का खर्च नहीं उठा सकते हैं।	

एनएसटीआई (डब्ल्यू) त्रिवेंद्रम में रोजगार कौशल प्रयोगशाला

IV. नेस्कॉम और माइक्रोसॉफ्ट के साथ पहल (डीजीटी, एमएस तथा नेस्कॉम फाउंडेशन के बीच त्रि–पक्षीय समझौता–ज्ञापन– सितंबर, 2021)– हाल में हस्ताक्षरित

- वर्तमान कोपा पाठ्यक्रम के लिए डिजिटल मिश्रित सामग्री तैयार की और सीएसआर के तहत इसे शुरू करने में मदद की।
- कोपा और एआई/डेटा एनालिटिक्स/सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आदि जैसे भावी कौशल विषयों पर मिश्रित मोड में नए पाठ्यक्रमों की प्रस्तुति के लिए सहयोग किया।

5.10. आईटीआइज के उन्नयन हेतु योजनाएं

5.10.1 पीपीपी के माध्यम से 1396 सरकारी आईटीआइज का उन्नयन

3067.50 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय के साथ 2007–08 में शुरू की गई, पीपीपी योजना का उद्देश्य देश में व्यावसायिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना था। इस योजना के तहत, आईटीआइज को उन्नयन/आधुनिकीकरण के लिए आईटीआई के अपने आईएमसी के माध्यम से 10 साल की मोहलत के साथ 2.5 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया गया था।

मुख्य विशेषताएं/उपलब्धियां

- ✓ उद्योग संपर्क बढ़ाने के लिए उद्योग भागीदारों की अध्यक्षता में आईएमसी प्रत्येक आईटीआई में गठित आईएमसी (सोसायटी के रूप में पंजीकृत)।
- ✓ 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के तहत आईएमसी को 3067.50 करोड़ रुपए जारी किए गए
- ✓ उपकरण और मशीनरी के लिए उद्योग योगदान से 10 राज्यों में 300 से अधिक आईटीआइज लाभान्वित हो रहे हैं

5.10.2 पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम में कौशल विकास अवसंरचना में वृद्धि

ईएसडीआई योजना 2011 में 420.24 करोड़ रुपए के नियोजित परिव्यय के साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में आईटीआइज का विस्तार और पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी।

योजना के घटक:

इस योजना में निम्नलिखित चार घटकों में राज्यों को केन्द्रीय सहायता का प्रावधान है:

- प्रति आईटीआई में तीन नए व्यवसाय शुरू करके 22 आईटीआइज का उन्नयन;
- नए छात्रावास, चारदीवारी का निर्माण करके और पुराने और अप्रचलित उपस्करों तथा उपकरणों के अनुपूरक द्वारा 28 आईटीआइज में असंरचनात्मक की कमियों को पूरा करना;
- केन्द्रीय और राज्य स्तर पर वित्तपोषण निगरानी प्रकोष्ठ तथा

मुख्य विशेषताएं / उपलब्धियां

- 22 आईटीआई में से प्रत्येक में प्रति आईटीआई में तीन नए ट्रेड शुरू करना।
- 28 आईटीआई में नए छात्रावास, चारदीवारी का निर्माण करके, पुराने और अप्रचलित औजारों और उपकरणों की पूर्ति करके बुनियादी ढांचे की कमी को पूरा करना
- एनईआर में 34 नए आईटीआई की स्थापना।
- योजना के तहत आवंटित निधि का 69% जारी किया गया है। इसके अलावा, योजना के तहत 10 नए आईटीआई (34 में से) का निर्माण पूरा हो गया है और 40 आईटीआई (45 में से) का उन्नयन किया गया है।
- केंद्र से राज्य का हिस्सा वित्त पोषण 90:10 है

8 राज्यों में 34 नए आईटीआइज की स्थापना।

इस योजना की अवधि 31 मार्च, 2024 तक है। अब तक असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और सिक्किम के आठ राज्यों को 386.88 करोड़ रुपए के कुल केंद्रीय आवंटन में से 265.14 करोड़ रुपए का केंद्रीय हिस्सा जारी किया गया है। इस योजना के अंतर्गत घटक–वार कवरेज नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	राज्य	उन्नयन के अंतर्गत शामिल आईटीआइज		अपूर्ण अवसंरचनाओं के अनूपूरक के तहत शामिल आईटीआइज		नए प्रतिष्ठानों के अंतर्गत शामिल आईटीआइज	
		सं.	स्थान	सं.	स्थान	सं.	स्थान
1	अरुणाचल प्रदेश	3	बालिनोंग, डिरांग, यूपिया	3	डिरांग, रोइंग, ताबारिजो	9	पूर्वी कामेंग, कुरुंगकुमे, कानुबरी, मनीपोलियांग, मिपांग, नामसाई न्यू सगली, तवांग, पश्चिम सियांग
2	असम	6	गुवाहाटी, जोरहाट, माजुली, नोगांव, सिलचर (डब्ल्यू) श्रीकोना	1	लखीमपुर	5	बोंगईगांव, नलबाड़ी, जोरहाट, तिनसुकिया, सोनितपुर
3	मणिपुर	3	फकनुंग, सेनापति, टकएल (डब्ल्यू)	8	चंदेल, कॉकचिंग, फकनुंग, निंगथौखोंग, साइकोट, सेनापति, टकएल (डब्ल्यू), तमेंगलग	4	कांगपोकपी, नोनी, फेरज़ावल, सेकमाई
4	मेघालय	4	नोंगपोह, नॉगस्टोइन, रेसुबेलपारा, सोहरा	4	नोंगपोह, नॉगस्टोइन, रेसुबेलपारा, सोहरा	3	अम्पाती, पूर्वी जयंतिया हिल्स, मौकिर्वाट
5	मिजोरम	3	आइजोल, लुंगलेई, सैहा	3	आइजोल, लुंगलेई, सैहा	3	चम्फाई, कोलासिब, सेरछिप
6	नागालैंड	2	दीमापुर, कोहिमा	5	कोहिमा, मोन, मोकोकचुंग, तुएनसुंग, जुहेनबोटो	4	दीमापुर, किफिर, लॉन्गलेंग, पेरेन
7	सिक्किम	0		3	ग्याशीलिंग, नामची, रंगपो	3	केवजिंग, सोकीथांग, पश्चिम सिक्किम
8	त्रिपुरा	1	इंदिरा नगर	1	बेलोनिया	3	गंडाचार्रा, कंचनपुर, शांतिरबाजार
	कुल	22		28		34	

मूल्यांकन अध्ययन में इस योजना के अंतर्गत निधियन के कारण आईटीआई अवसंरचना में सुधार दर्शाया गया है। इस योजना ने पूर्वोत्तर राज्यों के कौशल अवसंरचना में काफी अंतर किया है।

ईएसडीआई योजना के तहत आईटीआई सेकमाई, मणिपुर का निर्माण किया गया

ईएसडीआई योजना के तहत निर्मित आईटीआई सेकमाई, मणिपुर

ईएसडीआई योजना के तहत आईटीआई कांगपोकपी, मणिपुर का निर्माण किया गया

ईएसडीआई योजना के तहत आईटीआई मौकिर्वाट, मेघालय का निर्माण किया गया

5.11 वांम पक्ष उग्रवाद प्रभावित 48 जिलों में कौशल विकास

यह योजना 2011 में शुरू हुई थी। इस योजना का बजटीय परिव्यय 401.28 करोड़ रुपए है, जिसका उद्देश्य वांम पक्ष उग्रवाद प्रभावित जिलों में इन जिलों के युवाओं को उनके कौशल विकास के माध्यम से रोजगारपरक बनाए जाने हेतु आईटीआइज और कौशल विकास केंद्रों को (एसडीसी) स्थापित करना है।

उपर्युक्त उद्देश्य को निम्नलिखित मध्यवर्तनों द्वारा संबोधित किया जा रहा है:

- वांम पक्ष उग्रवाद प्रभावित 48 जिलों में नए आईटीआई के निर्माण हेतु प्रति आईटीआई 7.34 करोड़ रुपए बेहतर उद्योग संपर्क के लिए, प्रत्येक आईटीआइज को संचालन के लिए उद्योग के अध्यक्ष के साथ संस्थान प्रबंधन समिति (आईएमसी) का गठन किया जाएगा, तथा प्रत्येक आईएमसी को 100% केंद्रीय सहायता के साथ 1 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे।
- 68 कौशल विकास केंद्रों (एसडीसी) हेतु प्रति एसडीसी 50 लाख रुपए।

अब तक, इस योजना के तहत 10 राज्यों को 313.79 करोड़ रुपए के कुल केंद्रीय हिस्से के आवंटन में से 228.85 करोड़ रुपए का केंद्रीय हिस्सा जारी किया गया है। वांम पक्ष उग्रवाद प्रभावित 48 जिलों में कौशल विकास योजना के तहत शामिल जिलों का राज्यवार ब्यौरा नीचे तालिका में दिया गया है:

क्र. सं.	राज्य	आईटीआई की स्थापना हेतु शामिल जिले		एसडीसी की स्थापना हेतु शामिल जिले	
		संख्या	स्थान	संख्या	स्थान
1	आंध्र प्रदेश	1	विशाखापत्तनम		
2	बिहार	9	अरवल, औरंगाबाद, बांका, गया, जमुई, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, नवादा और रोहतास	6	अरवल, औरंगाबाद, गया, जमुई, जहानाबाद, रोहतास (केवल 1 एसडीसी शामिल)
3	छत्तीसगढ	9	बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, राजनंदगांव, सुकमा और सरगुजा	7	बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर, राजनंदगांव और सरगुजा
4	झारखंड	16	बोकारो, चतरा, दुमका, पश्चिमी सिंहभूम, गढ़वा, गुमला, गिरिडीह, हजारीबाग, खूंटी, पलामू, रांची, रामगढ़, लोहरदगा, लातेहार, सिमडेगा और	10	बोकारो, चतरा, पश्चिमी सिंहभूम, गढ़वा, गुमला, हजारीबाग, लातेहार, लोहरदगा, पलामू और पूर्वी सिंहभूम
5	मध्य प्रदेश	2	बालाघाट और मंडला	1	बालाघाट
6	महाराष्ट्र	2	गढ़चिरौली और गोंदिया		
7	ओडिशा	6	देवगढ़, गजपति, कोरापुट मल्कानगिरी, रायगड़ा, संबलपुर	5	देवगढ़, गजपति, मल्कानगिरी, रायगड़ा, संबलपुर
8	तेलंगाना	1	खम्मम	1	खम्मम
9	उत्तर प्रदेश	1	सोनभद्र	1	सोनभद्र
10	पश्चिम बंगाल	1	झारग्राम (पूर्ववत्ती – पश्चिम मिदनापुर (लालगढ़ क्षेत्र)		
	कुल	48		31	

मुख्य विशेषताएं / उपलब्धियां

- ✓ 28 आईटीआइज (48 में से) और 56 एसडीसीज (68 में से) का निर्माण पूरा हो गया है; और 13 आईटीआइज और 5 एसडीसीज का काम चल रहा है
- ✓ दिसंबर 2022 तक 401.28 करोड़ रुपए की कुल आवंटित निधि में से 298.38 करोड़ रुपए (राज्य हिस्सेदारी सहित) जारी किए गए हैं।
- ✓ केंद्र से राज्य का हिस्सा 75:25 निधियन है

योजना के मूल्यांकन के अनुसार, वांम पक्ष उग्रवाद प्रभावित जिलों के अल्पसेवित ब्लॉकों में विशिष्ट पहुँच से युवाओं पर कौशल प्रशिक्षण का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, और रोजगार पर अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन किया है तथा लाभार्थी प्रशिक्षणार्थियों की संतुष्टि स्तर को दर्शाया गया है।

एलडब्ल्यूई योजना के तहत आईटीआई गुमला, झारखंड का निर्माण किया गया

एलडब्ल्यूई योजना के तहत आईटीआई गजाबहल, ओडिशा का निर्माण

एलडब्ल्यूई योजना के तहत एसडीसी पलामू, झारखंड का निर्माण किया गया

एलडब्ल्यूई योजना के तहत आईटीआई नवादा, बिहार का निर्माण किया गया

5.12 सरकारी आईटीआइज का मॉडल आईटीआई में उन्नयन

यह योजना 2014 में हर राज्य में मौजूदा आईटीआई को मॉडल आईटीआई में उन्नयन करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इन आईटीआइज से स्थानीय उद्योग के साथ जुड़कर सर्वोत्तम अभ्यासों, कुशल और उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण वितरण तथा टिकाऊ और प्रभावी उद्योग संबंधों को प्रदर्शित करने वाली संस्था के रूप में विकसित होना अपेक्षित था। इस योजना का कुल बजटीय परिव्यय 238.08 करोड़ रुपए है। मॉडल आईटीआइज अपनी विशेषज्ञता और प्रशिक्षण में सर्वोत्तम प्रदर्शन के लिए एक मांग केंद्र बनने के लिए तैयार हैं।

मुख्य विशेषताएं/उपलब्धियां: मॉडल आईटीआइज

- ✓ कुशल कामकाज के लिए एक सशक्त संरचना के साथ इस योजना के लिए 29 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 35 आईटीआइज की पहचान की गई है
- ✓ इस योजना के तहत आवंटित निधियों का 71% जारी कर दिया गया है।
- ✓ 14 आईटीआइज में सिविल उन्नयन पूरा हो गया है और 7 आईटीआइज में मशीनरी उन्नयन किया गया है
- ✓ केंद्र से राज्यों का हिस्सा 75:25 और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90:10 निधियन है

योजना के मूल्यांकन के अनुसार यह देखा गया है कि मध्यवर्तनों से समग्र सीट उपयोग, उत्तीर्ण प्रतिशत और नियोजन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। योजना की समाप्ति तिथि 31 मार्च, 2024 है। वर्तमान में, 29 राज्यों के 35 मौजूदा सरकारी आईटीआइज इस योजना के तहत शामिल किए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत 35 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को मॉडल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में उन्नयन करने हेतु अब तक 29 राज्यों को 176.46 करोड़ रुपए (राज्य हिस्सा सहित) की राशि जारी की गई है।

मॉडल आईटीआई योजना के तहत आईटीआई गुरुग्राम का उन्नयन किया गया

मॉडल आईटीआई योजना के तहत आईटीआई नामची, सिक्किम का उन्नयन किया गया

इस योजना के तहत कवरेज नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आईटीआई का स्थान
1	आंध्र प्रदेश	आईटीआई गजुवाका
2	असम	आईटीआई जोरहाट
3	अरुणाचल प्रदेश	आईटीआई यूपिया
4	बिहार	आईटीआई मरहौरा
5	छत्तीसगढ़	आईटीआई भिलाई
6	चंडीगढ़	आईटीआई चंडीगढ़
7	दिल्ली	आईटीआई पूसा
8	गोवा	आईटीआई पणजी
9	गुजरात	आईटीआई दशरथ
10	हरियाणा	आईटीआई गुरुग्राम
11	हिमाचल प्रदेश	आईटीआई नालागढ़
12	झारखंड	आईटीआई रांची
13	जम्मू और कश्मीर	आईटीआई श्रीनगर
14	कर्नाटक	आईटीआई बैंगलोर
15		आईटीआई होन्नावर
16	केरल	आईटीआई कलामस्सेरी
17	लद्दाख	आईटीआई कारगिल
18	मध्य प्रदेश	आईटीआई भोपाल

19	महाराष्ट्र	आईटीआई नासिक
20	उड़ीसा	आईटीआई बारबिल
21	पंजाब	आईटीआई रूपनगर
22	पुदुचेरी	आईटीआई मेन, मेट्टुपालयम
23	राजस्थान	आईटीआई उदयपुर
24	सिक्किम	आईटीआई नामची
25	तमिलनाडु	आईटीआई कोयम्बटूर
26	त्रिपुरा	आईटीआई इंद्रानगर (डब्ल्यू)
27	तेलंगाना	आईटीआई मल्लेपल्ली
28	उत्तर प्रदेश	आईटीआई मेरठ
29		आईटीआई वाराणसी
30		आईटीआई अयोध्या
31		आईटीआई चंदौली
32		आईटीआई बस्ती
33		आईटीआई सिद्धार्थनगर
34	उत्तराखंड	आईटीआई जगजीतपुर, हरिद्वार
35	पश्चिम बंगाल	आईटीआई दुर्गापुर

5.13 औद्योगिक मूल्य संवर्धन हेतु कौशल सुदृढ़ीकरण (स्ट्राइव)

औद्योगिक मूल्य संवर्धन हेतु कौशल सुदृढ़ीकरण (स्ट्राइव) परियोजना औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआइज) तथा शिक्षुता के माध्यम से प्रदान किए जाने वाले कौशल प्रशिक्षण की प्रासंगिकता तथा दक्षता में सुधार करने के उद्देश्य के साथ विश्व बैंक सहय्यित– भारत सरकार की परियोजना है। 19 दिसंबर, 2017 को भारत सरकार तथा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक (आईबीआरडी) के बीच वित्तीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे तथा परियोजना की अंतिम तिथि मई, 2024 (18 महीने का पूर्व–विस्तारण) तक है।

स्ट्राइव व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण में इनपुट से परिणाम सरकार की कार्यान्वयन कार्यनीति में बदलाव को चिन्हित करने वाली एक परिणाम केंद्रित योजना है। इसका उद्देश्य संस्थागत सुधार तथा दीर्घकालिक व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण में कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बाजार प्रासंगिक और गुणवत्ता में सुधार करना है। यह आईटीआइज को एसएमइज, व्यवसाय संघ तथा उद्योग समूहों को शामिल करके शिक्षुता सहित समग्र कार्य–निष्पादन में सुधार करने हेतु प्रोत्साहित करेगा। इस परियोजना का उद्देश्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के तहत आईटीआइज और सीएसटीएआरआई, निमी, एनएसटीआइज का सुदृढ़ीकरण करके गुणवत्ता पूर्ण कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदायगी हेतु एक मजबूत तंत्र विकसित करना है।

स्ट्राइव निम्नलिखित 4 परिणाम क्षेत्रों को शामिल करता है:

- परिणाम क्षेत्र –1: आईटीआई के बेहतर प्रदर्शन।
- परिणाम क्षेत्र –2: आईटीआई और शिक्षुता प्रशिक्षण का समर्थन करने के लिए राज्य सरकारों की क्षमता में वृद्धि।

- परिणाम क्षेत्र –3: बउेहतर शिक्षण और सीखना।
- परिणाम क्षेत्र –4: बेहतर और विस्तृत शिक्षुता प्रशिक्षण।

वित्त वर्ष 2022–23 के लिए प्रमुख प्रदर्शन संकेतक

संकेतक	लक्ष्य	उपलब्धि
परिणाम क्षेत्र 1	(%)	
महिला प्रशिक्षणार्थी नामांकन	15%	20.05%
ऑन–जॉब प्रशिक्षण (ओजेटी)	25%	34.75%
परिणाम क्षेत्र 2	(एनओज)	
ट्रेसर अध्ययन (पायलट)	1	1
ट्रेसर अध्ययन (सामान्य)	15	4′
प्रशिक्षक रिक्ति में कमी (20 तक)	15	15
आजीविका प्रगति योजना – सीपीपी (राष्ट्रीय)	1	1
आजीविका प्रगति योजना–सीपीपी (राज्य)	15	5′′
परिणाम क्षेत्र 4	(%)	
उद्योग समूहों (आईसी) द्वारा नियुक्त महिला प्रशिक्षणार्थी	12%	23.25%

*ट्रेसर अध्ययन 01 राज्य में एसएससी अनुमोदन के लिए लंबित है और 12 राज्यों में प्रगति पर है। 05 राज्यों ने अध्ययन करने के लिए एक एजेंसी को नियुक्त करने के लिए निविदाएं जारी की हैं।

* सीपीपी अनुमोदन 02 राज्यों में लंबित है और 04 राज्यों में अंतिम रूप दिया जा रहा है।

परिणाम क्षेत्र 3 के तहत, 4 लोकप्रिय सीटीएस व्यवसायों– फिटर, इलेक्ट्रीशियन, डीजल मैकेनिक और वेल्डर के लिए निमी द्वारा मिश्रित मोड में पाठ्यचर्या तथा शिक्षण–सामग्री विकसित की जा रही है।

मुख्य उपलब्धियां:

The project continued to be rated Moderately Satisfactory by the World Bank in their latest review

DGT has successfully achieved disbursement linked results (DLRs) of USD 57.2 million and claimed the same from World Bank

As on date 424 ITIS and 33 Industry Clusters have been selected from 33 States/UT under STRIVE

76 new ITIs and 49 new Industrial Clusters have been selected in phase III to participate in STRIVE

निधि प्रवाह की स्थितिः

- स्ट्राइव परियोजना के कार्यन्वयन हेतु 32 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी की गई हैं
- 10 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (हिमाचल प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, जम्मू और कश्मीर, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, सिक्किम, नागालैंड, त्रिपुरा और मध्य प्रदेश) परियोजना के तहत निधि के उपयोग के संबंध में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के रूप में उभरे हैं।
- कोविड–19 के कारण, प्रभावित व्यय दर में वित्त वर्ष 2022–23 में 128% का उल्लेखनीय सुधार हुआ है।
- इसके बाद की किस्त 18 राज्यों (अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा, हिमाचल प्रदेश, केरल, नागालैंड, ओडिशा, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, मेघालय, जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र, मिजोरम और तेलंगाना) को सफलतापूर्वक जारी की गई है।

पर्यावरण और सामाजिक समावेशिता और स्ट्राइव आईटीआइज में इसका प्रभाव

- **आईटीआई प्रशिक्षणार्थियों के लिए बुनियादी सुविधाएं:** अधिकांश आईटीआइज में प्रशिक्षणार्थियों के लिए बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता है। आईटीआइज की संख्या और उन्हें प्रदान की गई सुविधाओं को नीचे दिए गए चार्ट में दर्शाया गया है:

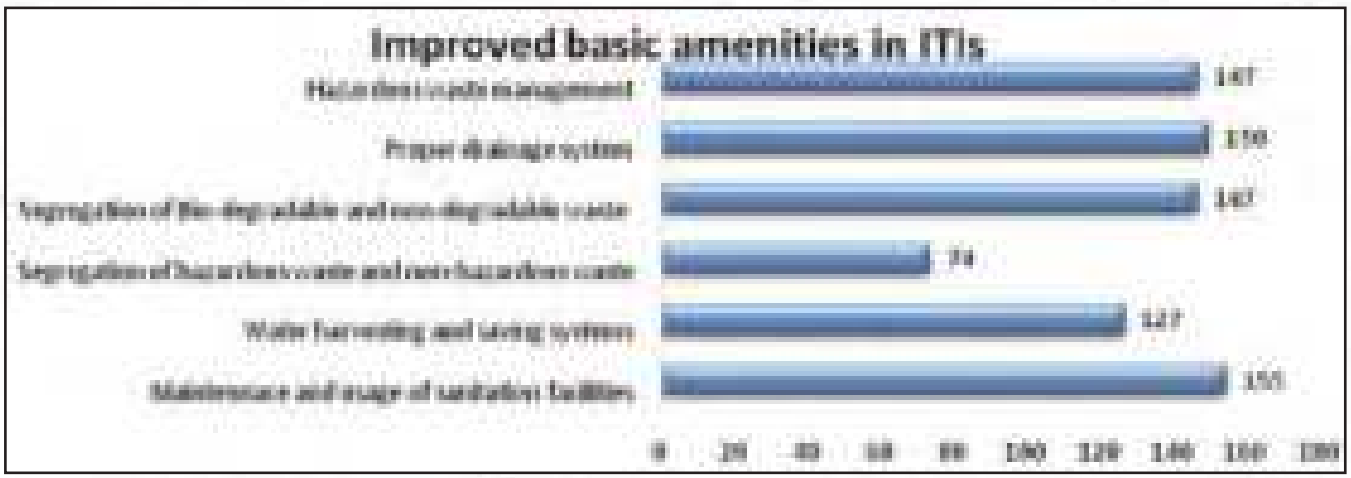

- **पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं:** अधिकांश आईटीआइज ने सुलभ शौचालयों, रैंप के साथ पीडब्ल्यूडी प्रशिक्षणार्थियों के लिए उपयुक्त अवसंरचना प्रदान किया है। उनके द्वारा प्रदान की गई सुविधाओं के साथ आईटीआइज की संख्या नीचे दिए गए चार्ट में प्रस्तुत की गई है:

- **महिलाओं और अन्य कमजोर समूहों से नामांकन बढ़ाने के लिए पहलः** आईटीआइज ने वृत्तिका और दोपहर का भोजन प्रदान कर आईटीआइज में महिला नामांकन को प्रोत्साहित करने के लिए पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। आईटीआइज की संख्या और उनके द्वारा की गई पहल नीचे दिए गए चार्ट में दर्शाए गए हैं:

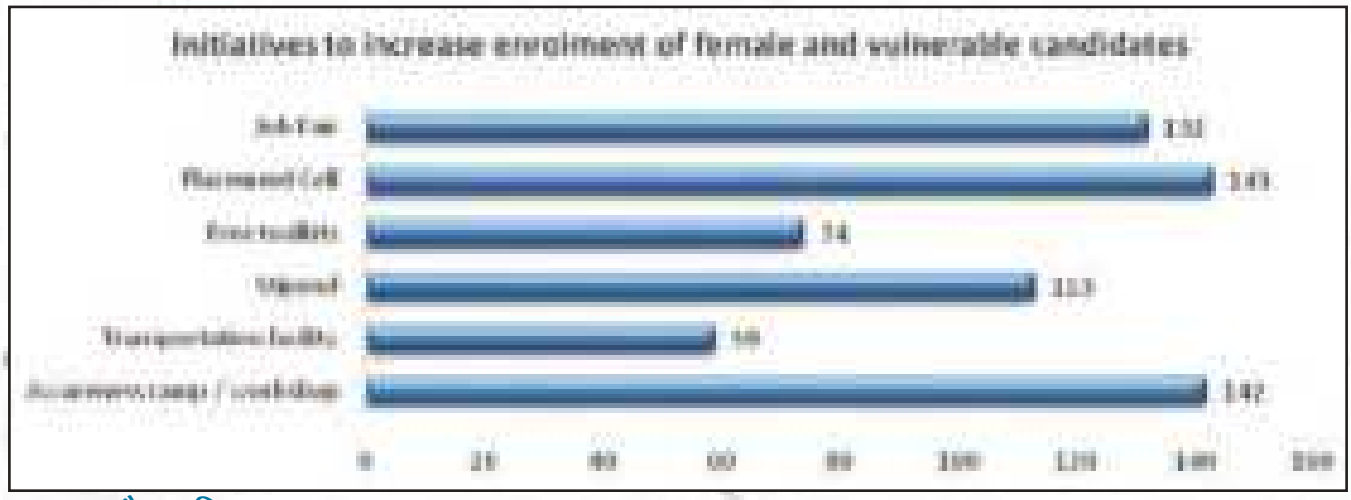

स्वच्छ और हरित वातावरण बनाए रखना

नोटः पर्यावरण और सामाजिक समावेशिता पर उपरोक्त चार्ट और तस्वीरें 321 आईटीआइज (424 आईटीआइज में से) के आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिन्होंने ई और एस संबंधित प्रश्नावली (जनवरी से जून 2022 की अवधि के लिए) का उत्तर दिया था।

स्ट्रीइव आईटीआइज में अपनाई जा रही सर्वोत्तम प्रथाएं

जिला रोजगार कार्यालय और अन्नामनाडा ग्राम पंचायत, केरल के सहयोग से आईटीआई माला में कैरियर मार्गदर्शन कक्षा

आईटीआई मंडी और एमटी ऑटो क्राफ्ट लिमिटेड परवाणू, हिमाचल प्रदेश के बीच समझौता ज्ञापन

हिमाचल प्रदेश में आईटीआई में मिश्रित सामग्री और एआर/वीआर का उपयोग

केरल में इंटरैक्टिव बोर्ड के साथ स्मार्ट क्लासरूम आईटीआई माला

5.14 पॉलिटेक्निक योजना

इस योजना का उद्देश्य देश भर में पॉलिटेक्निकों के मात्रात्मक विस्तार, महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि और देश में पॉलिटेक्निक शिक्षा की गुणवत्ता में निम्नलिखित मध्यवर्तनों के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है:

- **राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के असेवित और अल्पसेवित जिलों में नए पॉलिटेक्निक की स्थापना:** इस उप योजना के तहत, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को भारत सरकार द्वारा पॉलिटेक्निक की स्थापना की पूंजी लागत को पूरा करने के लिए 12.30 करोड़ रुपए तक की सीमित वित्तीय सहायता प्रदान कर असेवित और अल्पसेवित जिलों में नए पॉलिटेक्निक स्थापित किए जाते हैं।
- **राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के चयनित पॉलिटेक्निकों में महिला छात्रावासों का निर्माण:** उप–योजना में चयनित पॉलिटेक्निकों में महिला छात्रावासों के निर्माण के माध्यम से पॉलिटेक्निकों में महिला नामांकन बढ़ाने की परिकल्पना की गई है। उप योजना के अन्तर्गत महिला छात्रावास निर्माण हेतु प्रत्येक पॉलिटेक्निक को 1.00 करोड़ रु. तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- **राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के चयनित पॉलिटेक्निकों के अवसंरचनात्मक उन्नयन:** इस उप–योजना के तहत मौजूदा पॉलिटेक्निकों की बुनियादी सुविधाओं के उन्नयन के लिए भारत सरकार द्वारा प्रति पॉलिटेक्निक को 2.00 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

- **पॉलिटेक्निक के माध्यम से सामुदायिक विकास (सीडीटीपी):** इस उप–योजना में समाज के वंचित वर्ग के लिए पॉलिटेक्निक, एनएसटीआइज और आईटीआइज के माध्यम से गैर–औपचारिक, अल्पकालिक, रोजगारोन्मुखी कौशल विकास कार्यक्रम शुरू करने की परिकल्पना की गई है ताकि उन्हें लाभप्रद स्वरोजगार/वेतन रोजगार प्राप्त करने में हेतु सक्षम बनाया जा सके।

मुख्य विशेषताएं/उपलब्धियां:

- ✓ इस योजना के तहत 118 पॉलिटेक्निक का निर्माण किया गया है
- ✓ 351 महिला छात्रावासों का निर्माण किया गया है
- ✓ सामुदायिक विकास उप–घटक के तहत 14 लाख से अधिक लोगों को प्रशिक्षित किया गया है।

5.15 कार्यक्रम

5.15.1 कौशल दीक्षांत समारोह 2022

विश्वकर्मा जयंती के शुभ दिन– 17 सितंबर 2022, अब तक का पहला कौशल दीक्षांत समरोह"– कौशल दीक्षांत समारोह का उद्देश्य न केवल पूरे कौशल पारिस्थितिकी तंत्र (इको–सिस्टम) में छात्रों के मनोबल को बढ़ाना है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर भारत निर्माण की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करना भी है। कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर के साथ केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में कौशल पारिस्थितिकी तंत्र (इको–सिस्टम) से 100 चयनित टॉपर्स को दीक्षांत समारोह में प्रमाण पत्र से सम्मानित किए। सचिव, उच्च शिक्षा श्री के. संजय मूर्ति; सचिव, कौशल विकास श्री अतुल तिवारी; इस अवसर पर भारतीय फिल्म निर्देशक और निर्माता श्री रमेश सिप्पी, एआईसीटीई के अध्यक्ष श्री जगदीश कुमार और कौशल विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने सत्र 2021 के लिए सीआईटीएस के तहत अखिल भारतीय व्यवसाय परीक्षा (सीबीटी) पास करने वाले उम्मीदवारों के लिए 14000+ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में यह समारोह आयोजित किया। अखिल भारतीय व्यवसाय परीक्षा (एआईटीटी–2022) के परिणाम 7 सितंबर, 2022 को घोषित किए गए थे। इस वर्ष परिणाम प्रतिशत 89.13% रहा है (16.6 लाख में से लगभग 14.8 लाख प्रशिक्षणार्थी पास घोषित हुए)। इस दिन देश भर में 2020–22 दो वर्षीय पाठ्यक्रम और 2021–22 एक वर्षीय और 6 महीने के पाठ्यक्रम के लगभग 8.9 लाख प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाणित और सम्मानित किया गया।

5.15.2 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (21 जून, 2022)

5.15.3 स्वच्छता अभियान (16 जुलाई, से 31 जुलाई, 2022)

5.15.4 आजादी का अमृत महोत्सव (एकेएएम)

विभाजन विभीषिका दिवस (14 अगस्त, 2022)

हर घर तिरंगा

5.15.5 जन जातीय दिवस (15 नवंबर, 2022)

5.15.6 संविधान दिवस समारोह (26 नवंबर, 2022)

5.15.7 परीक्षा पर चर्चा 2023 (27 जनवरी, 2023)

5.15.8 ई–गवर्नेंस 2021–2022 के लिए 25वां राष्ट्रीय पुरस्कार

डीएआरएंडपीजी द्वारा प्रत्येक वर्ष ई–गवर्नेंस पहल के कार्यान्वयन में उत्कृष्टता को मान्यता और बढ़ावा देने के लिए ई–गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जाता हैं। इन पुरस्कारों के लिए सभी केंद्रीय मंत्रालय/विभाग, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें, जिले, स्थानीय निकाय, केंद्र और राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू), शैक्षणिक/अनुसंधान संस्थान (सरकारी और गैर–सरकारी) भाग लेते हैं।

भारतस्किल (https://bharatskills.gov.in) को ई–गवर्नेंस योजना 2021–2022 के लिए 25वें राष्ट्रीय पुरस्कारों में "नागरिक केंद्रित डिलीवरी प्रदान करने में उत्कृष्टता" श्रेणी के तहत रजत पुरस्कार (सिल्वर अवार्ड) से सम्मानित किया गया है।

ई–गवर्नेंस योजना 2021–2022 के लिए 25वां राष्ट्रीय पुरस्कार

5.16 कौशल विकास पहल (एसडीआई) स्कीम

मॉड्यूलर रोजगार योग्य कौशल (एमईएस) पर आधारित कौशल विकास पहल स्कीम (एसडीआईएस) वर्ष 2007 में तत्कालीन रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीई एंड टी) द्वारा शुरू की गई थी, जो मुख्य रूप से स्कूल की पढ़ाई बीच में छोड़ने वालों और बेरोजगार युवाओं को उनके कौशल में सुधार करने के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करती है। इस स्कीम के तहत, विभिन्न पंजीकृत व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं (वीटीपी) के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों के तहत विभिन्न मॉड्यूल में मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान किया गया। यह स्कीम एक समर्पित पोर्टल (एसडीआईएस पोर्टल) के माध्यम से डीजीटी (तत्कालीन डीजीई एंड टी) और राज्य सरकारों के साथ संयुक्त रूप से कार्यान्वित की गई थी। इस स्कीम को 31 मार्च, 2017 से बंद कर दिया गया था। इस स्कीम के तहत लगभग 42.84 उम्मीदवारों का आकलन प्रशिक्षण और प्रत्यक्ष उम्मीदवार मूल्यांकन (टीसीए और डीसीए) सहित किया गया था।

इस मंत्रालय के बजटीय प्रावधानों के तहत प्रशिक्षण के अलावा, एसडीआईएस पोर्टल की सुविधा अन्य केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकार द्वारा संचालित स्कीमों के लिए प्रत्यक्ष उम्मीदवार आकलन (डीसीए मोड) के रूप में दी गई थी।

डीसीए मोड के तहत एमईएस पाठ्यक्रम का मूल्यांकन और प्रमाणन 15 अगस्त, 2018 से एसडीआईएस पोर्टल से एनएसडीसी/एसडीएमएस पोर्टल में स्थानांतरित कर दिया गया है।

5.17 शिक्षु अधिनियम, 1961 तथा एनएपीएस के अंतर्गत शिक्षुता प्रशिक्षण

5.17.1 पृष्ठभूमि

शिक्षुता शिक्षा और ऑन–द–जॉब प्रशिक्षण का एक अनूठा संयोजन प्रदान करता है जो शिक्षा को कार्य परिवर्तन की दुनिया में मदद करता है। इसलिए, हाल के वर्षों में कौशल विकास के पसंदीदा मॉडल के रूप में शिक्षुता प्रशिक्षण पर सरकार का ध्यान कई गुना बढ़ गया है।

राष्ट्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता नीति (2015) भारत में कुशल जनशक्ति बनाने के लिए प्रमुख घटकों में से एक के रूप में शिक्षुता पर केंद्रित है। शिक्षुता प्रशिक्षण एक प्रमुख भूमिका निभा सकता है तथा युवा वास्तविक कार्य स्थल पर काम करके कौशल प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही खुद को आर्थिक रूप से सहयोग के लिए कुछ वृत्तिका भी अर्जित कर सकते हैं। विश्व स्तर पर भी शिक्षुता को सीखने के दौरान कौशल हासिल करने और कमाई के लिए सबसे अच्छा मॉडल माना जाता है।

माननीय प्रधान मंत्री के 'आत्म निर्भर भारत' के दृष्टिकोण के साथ सरकार ने शिक्षुता प्रशिक्षण में उच्च विकास दर को बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रशासनिक, आर्थिक और शासन सुधार किए हैं। बदलते बाजारों और बढ़ते डिजिटलीकरण के साथ, भारत उच्च कौशल तीव्रता और कुशल जनशक्ति की मांग को प्रदर्शित करता है। इस मोड़ पर, शिक्षुता उन सभी क्षेत्रों में उद्यमों के लिए एक व्यापक अवसर प्रदान करती है, जहाँ शिक्षुता की क्षमता से प्रशिक्षण, संलग्नता और लाभ के लिए वैश्विक प्रतिस्पर्धा हासिल की जानी है।

1. शिक्षुता प्रशिक्षण का कानूनी ढांचा

भारत में एक अच्छी तरह से स्थापित और विनियमित शिक्षुता प्रणाली है। व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उद्योगों में उपलब्ध सुविधाओं का पूर्ण उपयोग करने और इस प्रकार उद्योगों के लिए कुशल जनशक्ति विकसित करने के उद्देश्य से 'शिक्षु अधिनियम, 1961' को अधिनियमित किया गया था। शिक्षु अधिनियम, 1961 के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

क) उद्योग में शिक्षुता प्रशिक्षण को विनियमित करना और बढ़ावा देना।

ख) उद्योग के लिए कुशल जनशक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने की दृष्टि से ऑन–द–जॉब/व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उद्योग में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करना।

अधिनियम प्रशिक्षण के कार्यक्रम को नियंत्रित करता है जिसमें पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण की अवधि, परीक्षा और प्रमाणन और नौकरी प्रशिक्षण के दौरान संबंधित निर्देश शामिल हैं। केंद्रीय शिक्षुता परिषद (सीएसी), माननीय कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री की अध्यक्षता वाली समिति, शिक्षु अधिनियम, 1961 के तहत एक सर्वोच्च सांविधिक निकाय है और यह देश में शिक्षु अधिनियम, 1961 के कार्यान्वयन पर केंद्र सरकार को सलाह देता है।

517.2 शिक्षु अधिनियम, 1961 और शिक्षुता नियम 1992 के तहत अनुपालन

1. उपर्युक्त अधिनियम और नियम के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान/अनुपालन निम्नानुसार हैं:

1.1 धारा 2 (डी), शिक्षुता प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रतिष्ठानों पर केंद्र और राज्य सरकारों के नियंत्रण के अभ्यास के लिए "समुचित सरकार" को स्पष्ट रूप से परिभाषित करती है।

1.2 केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले प्रतिष्ठानों में निर्दिष्ट ट्रेडों के कार्यान्वयन की निगरानी की जिम्मेदारी प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) और उसके 22 क्षेत्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता निदेशालयों (आरडीएसडीई) को दी गई है और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) और क्षेत्र कौशल परिषदों (एसएससी) को वैकल्पिक ट्रेडों के कार्यान्वयन की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। तदनुसार, सभी एसएससी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) को संयुक्त शिक्षुता सलाहकार (जेएए) के रूप में नामित किया गया है।

1.3 राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी प्रतिष्ठानों के लिए, राज्य शिक्षुता सलाहकार (एसएए), राज्य कौशल विकास मिशन (एसएसडीएम) निर्दिष्ट और वैकल्पिक दोनों ट्रेडों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं।

1.4 शिक्षुता नियम, 1992 के नियम 7–बी के अनुसार, 30 या उससे अधिक जनशक्ति वाले उद्यमों के लिए यह अनिवार्य है कि वे अपनी कुल जनशक्ति शक्ति (संविदात्मक कर्मचारियों सहित) के 2.5: से 15: के बैंड में शिक्षुओं को नियुक्त करें। 4 से 29 कर्मचारियों की श्रमशक्ति वाले छोटे उद्यमों को भी 2.5: से 15: के बैंड में प्रशिक्षुओं को शामिल करने की अनुमति है, हालांकि यह प्रावधान उनके लिए स्वैच्छिक है। प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने से पहले प्रतिष्ठानों और शिक्षुओं के बीच शिक्षुता प्रशिक्षण का अनुबंध किया जा रहा है {7बी का उप–नियम (1)}।

1.5 शिक्षुता नियम, 1992 के नियम 11 के अनुसार, प्रतिष्ठान शिक्षुओं को वृत्तिका देने के लिए उत्तरदायी हैं, जो शिक्षुओं के पाठ्यक्रम और श्रेणी के आधार पर 5,000 से लेकर 9,000 रुपए प्रति माह है।

1.6 अधिनियम की धारा 30 (अपराध और दंड) के अनुसार, ऐसे सभी प्रतिष्ठानों को कारण बताओ नोटिस जारी करने का प्रावधान किया गया है जो उपर्युक्त अधिनियम और नियमों के प्रावधानों का पालन नहीं करते हैं। चूक करने वालों को पहले तीन महीनों के लिए प्रति माह प्रति शिक्षु 5,000 रुपए और उसके बाद पर्याप्त संख्या में सीटें भरने तक प्रति माह 1,000 रुपए देने का प्रावधान है।

2. कार्यान्वयन, निगरानी और संवर्धन के लिए जिम्मेदार एजेंसियों की भूमिकाएं और उत्तरदायी

2.1 कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई): एमएसडीई शिक्षु अधिनियम, 1961 का संरक्षक होने के नाते, पीएम–एनएपीएस के समग्र विनियमन, प्रबंधन और निगरानी के लिए जिम्मेदार होगा।

2.2 क्षेत्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता निदेशालय (आरडीएसडीई): केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र के तहत प्रतिष्ठानों और 4 राज्यों से अधिक क्षेत्रों में काम कर रहे प्रतिष्ठानों के लिए आरडीएसडीई अपने संबंधित राज्यों में पीएम–एनएपीएस के कार्यान्वयन के लिए कार्यान्वयन, निगरानी और प्रचार एजेंसी के रूप में कार्य करेंगे। आरडीएसडीई को नामित ट्रेडों के लिए आरडीएसडीई स्तर पर क्षमता–निर्माण, कार्यान्वयन और निगरानी के लिए जिम्मेदार होना चाहिए, उनके अधिकार क्षेत्र के तहत प्रतिष्ठानों के लिए कार्यशालाओं, सेमिनारों, पीएमएनएएम में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए।

2.3 राज्य शिक्षुता सलाहकार (एसएसए): शिक्षु अधिनियम, 1961 के अनुसार राज्य सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों और उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले निजी प्रतिष्ठानों के लिए सभी "निर्दिष्ट ट्रेडों" के साथ–साथ "वैकल्पिक ट्रेडों" के संबंध में एसएएअपने क्षेत्रों में कार्यान्वयन, निगरानी और प्रचार एजेंसियों का काम करेंगे। वे जिला स्तर पर स्कीम के कार्यान्वयन, निगरानी और प्रचार के लिए सहायक शिक्षुता सलाहकार (एएए) भी नियुक्त कर सकते हैं। वे "वैकल्पिक ट्रेडों" के संबंध में राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र के तहत सभी प्रतिष्ठानों के लिए कार्यान्वयन, निगरानी और प्रचार एजेंसियों के रूप में कार्य करने के लिए संबंधित राज्य कौशल विकास मिशन (एसएसडीएम) के मिशन निदेशकों की नियुक्ति भी कर सकते हैं।

2.4 राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी): एनएसडीसी अप्रेंटिसशिप पोर्टल के प्रबंधन, वैकल्पिक ट्रेडों के संबंध में स्कीम की निगरानी और डीबीटी के माध्यम से नामित और वैकल्पिक ट्रेडों के लिए शिक्षुओं को सरकार के हिस्से का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा। एनएसडीसी स्कीम के लिए सभी प्रचार कार्यकलापों का भी समर्थन करेगा।

2.5 क्षेत्र कौशल परिषदें (एसएससी): एनएसडीसी के तत्वावधान में एसएससी केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र के तहत प्रतिष्ठानों के लिए "वैकल्पिक ट्रेड" के संबंध में अपने क्षेत्रों में कार्यान्वयन, निगरानी और प्रचार एजेंसियां होंगी। क्षेत्र कौशल परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को शिक्षु अधिनियम के तहत कार्यालय आदेश संख्या एमएसडीई–6(1)/2018–एपीदिनांक 18 मई 2018 के माध्यम से संयुक्त शिक्षुता सलाहकार (जेएए) के रूप में नियुक्त किया गया है, ताकि पीएम–एनएपीएस सहित शिक्षुता प्रशिक्षण के तहत कार्यान्वयन, निगरानी और संवर्धन कार्यकलापों को कार्य रूप दिया जा सके।

2.6 राज्य सरकार: राज्य सरकारों से उनके अधिकार क्षेत्र के तहत प्रतिष्ठानों के लिए जागरूकता और क्षमता–निर्माण कार्यकलापों और पक्ष–पोषण की आशा है।

2.7 तृतीय पक्ष एग्रीगेटर्स (टीपीए): एमएसडीई द्वारा सूचीबद्ध टीपीए एमएसएमई और अन्य प्रतिष्ठानों को शिक्षुता कार्यक्रम की आद्योपांत सेवाएं प्रदान करके नियोक्ताओं को शिक्षुता प्रशिक्षण के लिए बड़ी संख्या में युवाओं को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सहायता करेंगे।

5.17.3 शिक्षुता प्रशिक्षण

5.17.3.1 शिक्षुता के लिए पात्रता मानदंड: उम्मीदवार की आयु 14 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए (जोखिमपूर्ण उद्योगों में ट्रेडों के लिए 18 वर्ष), शिक्षुता प्रशिक्षण में शामिल होने के लिए संबंधित ट्रेडों के लिए निर्धारित शैक्षिक और शारीरिक मानकों को पूरा करना चाहिए। संबंधित ट्रेड के पाठ्यक्रम में निर्धारित प्रासंगिक ट्रेडों के लिए प्रवेश स्तर की योग्यता आवश्यकता के आधार पर शैक्षिक योग्यता कक्षा 5 वीं पास से कक्षा 10 वीं पास तक अलग अलग होती है।

5.17.3.2 शिक्षुओं की श्रेणियाँ: वर्तमान में, दो केंद्रीय मंत्रालय अर्थात् उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय (एमओई) और कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय देश में शिक्षुता प्रशिक्षण लागू कर रहे हैं।

तालिका–1: शिक्षुओं की श्रेणियाँ

क्र.सं.	शिक्षुओं की श्रेणियां	शिक्षुता के लिए जिम्मेदार मंत्रालय
1.	नामित ट्रेड शिक्षु	कौशल विकास और उदयमशीलता मंत्रालय
2.	वैकल्पिक ट्रेड शिक्षु	
3.	नए शिक्षु	
4.	तकनीशियन (व्यावसायिक) शिक्षु	
5.	तकनीशियन शिक्षु	
6.	स्नातक शिक्षु	उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय
7.	डिप्लोमा शिक्षु	

उच्च शिक्षा विभाग (डीएचई), एमओई स्नातक या उससे ऊपर के समकक्ष शैक्षिक योग्यता के लिए शिक्षु कार्यक्रमों की पेशकश करेगा। एमएसडीई अन्य तकनीकी/कौशल योग्यता धारकों के लिए 5वीं कक्षा पास और उससे ऊपर की शैक्षिक योग्यता से शुरू होने वाले शिक्षुओं की शेष श्रेणियों के लिए शिक्षुता कार्यक्रम संचालित करेगा।

5.17.3.3 ट्रेडों के प्रकार: शिक्षुता के संबंध में, प्रशिक्षण मुख्य रूप से निर्दिष्ट ट्रेडों और वैकल्पिक ट्रेडों में दिया जाता है।

क) नामित ट्रेड का मतलब इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक नामित ट्रेड किसी भी ट्रेड या व्यवसाय या इंजीनियरिंग या गैर–इंजीनियरिंग) या प्रौद्योगिकी या किसी भी व्यावसायिक पाठ्यक्रम में कोई विषय क्षेत्र है, जिसे केंद्र सरकार, केंद्रीय शिक्षुता परिषद के परामर्श के बाद, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है।

ख) वैकल्पिक ट्रेड का अर्थ है कोई भी ट्रेड या व्यवसाय या इंजीनियरिंग या गैर–इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में कोई विषय क्षेत्र या कोई व्यावसायिक पाठ्यक्रम जैसा कि इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नियोक्ता द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

5.17.3.4 प्रशिक्षण की संरचना: शिक्षुता प्रशिक्षण में उद्योग में कार्यस्थल पर बुनियादी प्रशिक्षण और ऑन–द–जॉब–ट्रेनिंग (ओजेटी)/व्यावहारिक प्रशिक्षण शामिल है। बुनियादी प्रशिक्षण उन लोगों के लिए शिक्षुता प्रशिक्षण का एक अनिवार्य घटक है, जिन्होंने ऑन–द–जॉब–प्रशिक्षण/व्यावहारिक प्रशिक्षण लेने से पहले कोई संस्थागत प्रशिक्षण/कौशल प्रशिक्षण नहीं लिया है। बुनियादी प्रशिक्षण के अलावा, ऑन–द–जॉब प्रशिक्षण का एक घटक है जो प्रतिष्ठानों में निष्पादित किया जाता है और प्रतिष्ठानों द्वारा ही किया जाता है।

5.17.3.5 शिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि: शिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि व्यवसाय पर निर्भर करती है और यह 6 माह से 3 वर्ष तक होती है।

5.17.3.6 शिक्षुओं को वृत्तिका: विभिन्न श्रेणियों के शिक्षुओं को प्रति माह देय वृत्तिका की दरों को राजपत्र अधिसूचना दिनांक 25 सितंबर 2019 द्वारा संशोधित किया गया है। विभिन्न श्रेणियों के तहत प्रति माह वृत्तिका की न्यूनतम दर निम्नानुसार है:

सारणी–2 शिक्षुओं के लिए वृत्तिका–दर

क्र.सं.	श्रेणी	न्यूनतम वृत्तिका–दर (प्रतिमाह रुपए में)
1.	स्कूल पास–आउट (कक्षा 5वीं – कक्षा 9वीं)	5,000
2.	स्कूल पास–आउट (कक्षा 10वीं / कक्षा 12वीं)	6,000
3.	सैंडविच कोर्स (डिप्लोमा के छात्र संस्थान)	7,000
4.	तकनीशियन अपरेंटिस या किसी भी स्ट्रीम/सैंडविच कोर्स में डिप्लोमा धारक (छात्र डिग्री संस्थानों से)	8,000
5.	ग्रेजुएट शिक्षु/डिग्री शिक्षु/किसी भी स्ट्रीम में डिग्री	9,000

स्रोतः शिक्षुता नियम, 1992 दिनांक 25 सितंबर 2019

5.17.3.7 शिक्षुओं का आकलन और प्रमाणीकरणः शिक्षुता प्रशिक्षण पूरा होने के बाद, शिक्षु का डीजीटी/एसएससी/प्रतिष्ठान द्वारा आकलन होता है। सिद्धांत और व्यावहारिक परीक्षा में एक शिक्षु द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर शिक्षुओं को प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाता है। डीजीटी/ एसएससी परीक्षा के मामले में, शिक्षुओं को शामिल करने वाले प्रतिष्ठानों द्वारा व्यावहारिक आकलन किया जाएगा और डीजीटी/एसएससी द्वारा उनके द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार सिद्धांत पेपर आयोजित किया जाएगा।

5.17.3.8 शिक्षुता चक्र की जानकारी के लिए शिक्षुता पोर्टलः यह एक राष्ट्रीय पोर्टल (pprenticeshipindia.gov.in) है, जो शिक्षुता प्रशिक्षण के कार्यान्वयन को आसान बनाने के लिए विभिन्न हितधारकों के बीच सहज बातचीत की अनुमति देता है। प्रतिष्ठान और उम्मीदवार के पंजीकरण, प्रशिक्षुओं द्वारा प्रतिष्ठान का चयन और इसके विपरीत, सभी अनुमोदन प्रक्रियाओं, निगरानी, प्रमाणन और एनएपीएस के तहत प्रतिष्ठानों को निधि की ऑनलाइन प्रतिपूर्ति को कवर करने वाले शिक्षुता चक्र की सभी प्रक्रियाओं का प्रबंधन करने के लिए पोर्टल विकसित किया गया है।

पोर्टल प्रतिष्ठानों, उम्मीदवारों, राज्य सरकारों, आरडीएसडीई, राज्य शिक्षुता सलाहकारों (एसएऐ), सहायक शिक्षुता सलाहकारों (एएएस), राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी), क्षेत्र कौशल परिषदों (एसएससी), तृतीय–पक्ष एग्रीगेटर्स (टीपीए) और अन्य हितधारकों तक पहुँच का समर्थन करता है। शिक्षुता पोर्टल (www.apprenticeshipindia.gov.in) आयु–महिला–पुरुष, जाति, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, जिला, क्षेत्र, पाठ्यक्रम (जॉब रोल्स), प्रशिक्षण अवधि आदि के आधार पर डेटा प्राप्त करता है। शिक्षुओं और प्रतिष्ठानों के लिए शिक्षुता पोर्टल के लिए चरण–दर–चरण मार्गदर्शिका उपयोगकर्ता पुस्तिकाओं और अनुदेशात्मक वीडियो के रूप में शिक्षुता पोर्टल पर उपलब्ध है।

5.17.4 युवाओं के लिए शिक्षुता के अवसर बढ़ाने की पहल

5.17.4.1 नीति स्तर के सुधार

वर्ष 2014 में, भारत सरकार ने उद्योग और युवाओं दोनों के लिए शिक्षुता को अधिक आकर्षक बनाने के लिए शिक्षुता अधिनियम, 1961 में व्यापक संशोधन किए। अधिनियम में 2014 में किए गए प्रमुख संशोधन निम्नानुसार हैं:

i. आगामी और विकसित होने वाले जॉब रोलों को शामिल करने के लिए "वैकल्पिक ट्रेड" श्रेणी का परिचय, जिससे नियोक्ताओं को नए पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षुओं को शामिल करने की अनुमति मिलती है, जो पाठ्यक्रमों और पाठ्यक्रम के प्रकार पर सरकार के विनियमन के बजाय उनके संबंधित उद्योग की मांग पर आधारित होते हैं।

ii. अर्हता, शिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि, परीक्षण आयोजित करने, प्रमाणन प्रदान करने और वैकल्पिक ट्रेड श्रेणी में लगे शिक्षुओं से संबंधित अन्य शर्तों को निर्धारित करने के लिए नियोक्ताओं/प्रतिष्ठानों को शक्ति देना।

iii. ऐसे प्रतिष्ठानों द्वारा शिक्षुओं की नियुक्ति की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए 4 और अधिक राज्यों में संचालित प्रतिष्ठानों के अधिकार क्षेत्र को संबंधित राज्यों से केंद्र सरकार में बदलना क्योंकि इस सुधार ने उन्हें चार अलग–अलग राज्य सरकारों के बजाय एक सरकार के साथ काम करने की अनुमति दी।

iv. शिक्षुओं की नियुक्ति के लिए ट्रेड वार और यूनिट वार नियमन की पुरानी प्रणाली को प्रतिस्थापित करना, प्रतिष्ठान द्वारा उनकी पसंद और आवश्यकता के अनुसार किसी भी ट्रेड में नियुक्त किए जाने वाले अप्रेंटिस की निर्धारित संख्या को शुरू करना।

v. ऑफलाइन सिस्टम के स्थान पर ऑनलाइन सिस्टम शुरू करके प्रक्रिया और प्रक्रियाओं का सरलीकरण। प्रतिष्ठानों और प्रशिक्षुओं के पंजीकरण, अनुबंध अनुमोदन, प्रशिक्षण के निष्पादन, परीक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम के पूरा होने के बाद प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र प्रदान करने से शुरू होने वाले शिक्षुता प्रशिक्षण के कुल प्रबंधन के लिए समर्पित वेब–पोर्टल का परिचय।

vi. नियोक्ताओं/प्रतिष्ठानों को अन्य राज्यों से भी अपने प्रतिष्ठानों में शिक्षुओं को शामिल करने की अनुमति देना।

vii. शिक्षुओं की आवश्यकता पर नियोक्ताओं को अपनी नीतियां बनाने की अनुमति देना।

viii. केवल आर्थिक दंड द्वारा कारावास जैसी कठोर दंड धारा को हटाना।

ix. नए उम्मीदवारों को बुनियादी प्रशिक्षण आउटसोर्स करने के लिए उद्योगों को अनुमति देना, ताकि वे शिक्षुओं के लिए क्लास रूम प्रशिक्षण के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण के बोझ से मुक्त हों।

5.17.4.2 शिक्षुता नियम, 1992 में संशोधन

शिक्षुता नियम, 1992 में व्यापक संशोधन किए गए ताकि, शिक्षुता को संस्थानों और देश के युवाओं दोनों के लिए अधिक आकर्षक बनाया जा सके। नियमों में संशोधन 25 सितंबर, 2019 को भारत के असाधारण राजपत्र में सितंबर, 2019 में अधिसूचित किए गए थे। किए गए प्रमुख संशोधन इस प्रकार हैं:

i. शिक्षुता प्रशिक्षण के तहत शिक्षुओं की नियुक्ति प्रतिष्ठानों द्वारा शिक्षुओं की नियुक्ति के लिए बैंडविड्थ को 2.5% – 10% से 2.5% –15% तक बढ़ाना। इसके परिणामस्वरूप देश में युवाओं के एक बड़े प्रतिशत के लिए गुणवत्ता प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करने के लिए शिक्षुता सीटों की एक अतिरिक्त क्षमता का निर्माण हुआ है।

ii. शिक्षु अधिनियम 1961 (2014 तक संशोधित) के कार्यान्वयन के लिए अनिवार्य श्रेणी के तहत अतिरिक्त प्रतिष्ठानों को लाना, प्रतिष्ठानओं की जनशक्ति आकार सीमा को 40 से घटाकर 30 करना। पहले, यह शिक्षुओं को नियुक्त करने के लिए 40 और उससे अधिक जनशक्ति वाले प्रतिष्ठान के लिए अनिवार्य था। हालांकि, संशोधन के बाद, शिक्षुओं को नियुक्त करने के लिए प्रतिष्ठानों की कुल श्रम शक्ति को 40 से घटाकर 30 कर दिया गया था, यानी 30 से अधिक कर्मचारियों वाले किसी भी प्रतिष्ठान को कुल जनशक्ति के न्यूनतम 2.5% और अधिकतम 15% प्रशिक्षुओं को शामिल करना होगा।

iii. छोटे प्रतिष्ठानों द्वारा प्रशिक्षुओं की नियुक्ति को सुविधाजनक बनाने के लिए वैकल्पिक आधार पर शिक्षुओं को नियुक्त करने के इच्छुक प्रतिष्ठानों की आकार–सीमा को पिछले 6–40 से बदलकर 4–29 कर दिया गया है। इस प्रकार, छोटे प्रतिष्ठानों को शिक्षुता प्रशिक्षण का लाभ लेने की अनुमति देता है।

iv. शैक्षिक और तकनीकी योग्यता से जुड़ी वृत्तिका की निर्धारित दरों और न्यूनतम मजदूरी से जुड़ी वृत्तिका के स्थान पर शिक्षु की श्रेणी निर्धारित करके शिक्षुओं की विभिन्न श्रेणियों को देय वृत्तिका का युक्तिकरण, जिससे पूरे देश और क्षेत्रों में शिक्षु के वजीफे की दर में भारी अंतर होता है।

v. डिग्री पाठ्यक्रमों में शिक्षुता को जोड़ने के लिए डिग्री शिक्षु श्रेणी की शुरुआत और किसी भी डिग्री धारक के कौशलोन्नयन के लिए शिक्षुता प्रशिक्षण लेने की अनुमति देना।

5.17.4.3 शिक्षुता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस)

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) ने 19 अगस्त 2016 को शिक्षु अधिनियम, 1961 के तहत शिक्षुता कार्यक्रम चलाने वाले प्रतिष्ठानों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) की शुरुआत की।

प्रतिष्ठानों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करके शिक्षुता प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2016 में राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) शुरू की गई थी। स्कीम का मुख्य उद्देश्य शिक्षुता प्रशिक्षण को बढ़ावा देना और शिक्षुओं की संबद्धता को बढ़ाना है। इस स्कीम के निम्नलिखित दो घटक हैं:

क) नियोक्ताओं के साथ प्रति प्रशिक्षु प्रति माह निर्धारित वृत्तिका का 25% अधिकतम 1,500 रुपए के अधीन साझा करना।

ख) 20% शिक्षुओं के संबंध में बुनियादी प्रशिक्षण लागत को साझा करना जो बिना किसी औपचारिक ट्रेड प्रशिक्षण के सीधे शिक्षुता प्रशिक्षण में आते हैं। बुनियादी प्रशिक्षण लागत अधिकतम 500 घंटों के लिए 7,500 रुपए 15 रुपए प्रति घंटा (30 रुपए प्रति घंटे का 50%) तक सीमित होगी।

प्रतिष्ठान के बाद से एनएपीएस के तहत हुई प्रगतिः स्कीम की अवधि के दौरान, एनएपीएस शिक्षुता प्रशिक्षण के प्रति उद्योग और शिक्षुओं दोनों के हितों को उत्प्रेरित करने में सक्षम रहा है जैसा कि नीचे दी गई तालिका से देखा जा सकता है।

सारणी 3: एनएपीएस के प्रारंभ से अब तक की गई प्रगति

वर्ष	वर्ष के दौरान नामांकित नए शिक्षु (लाख में)	पोर्टल पर पंजीकृत प्रतिष्ठान
2016–17	1.11	17,608
2017–18	1.61	40,018
2018–19	2.00	60,590
2019–20	2.54	74,598
2020–21	2.90	1,26,054
2021–22	5.80	1,47,656
2022–23, दिस॰		
302022	6.01	1,61,122

स्रोतः apprenticeshipindia.gov.in

नामित ट्रेडों (डीटी) और वैकल्पिक ट्रेडों (ओटी) के तहत नामांकित शिक्षुओं की स्थितिः वैकल्पिक ट्रेडों की शुरूआत ने शिक्षुता के दायरे को बढ़ा दिया है और सेवा क्षेत्र में उच्च ऑफटेक को प्रोत्साहित किया है, जो पहले टैप नहीं किया गया था। वैकल्पिक ट्रेडों में शिक्षुओं की वृद्धि काफी अधिक रही है और अब वैकल्पिक ट्रेड शिक्षुओं की संख्या नामित ट्रेडों के तहत अधिक हो गई है। (आकृति 1)

आकृति 1: नामित ट्रेडों (डीटी) और वैकल्पिक ट्रेडों (ओटी) के तहत नामांकित शिक्षु

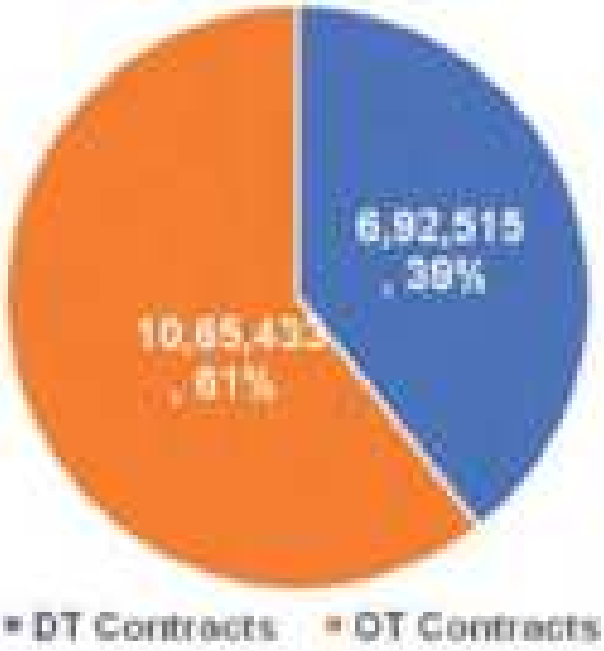

स्रोत: apprenticeshipindia.gov.in

यह देखा गया है कि विगत वर्षों में नामित ट्रेडों की तुलना में वैकल्पिक ट्रेडों के तहत शिक्षुओं की संलग्नता में काफी वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2018–19 में वैकल्पिक ट्रेड के तहत नामांकित शिक्षुओं की संख्या 14,207 से बढ़कर वित्त वर्ष 2022–23 में 4,40,611 हो गई है। इसलिए शिक्षुओं ने पिछले कुछ वर्षों में विनिर्माण संबंधी ट्रेडों की तुलना में सेवा क्षेत्र के ट्रेडों को वरीयता दी है।

आकृति 2: नामित ट्रेडों से वैकल्पित ट्रेडों को वरियता

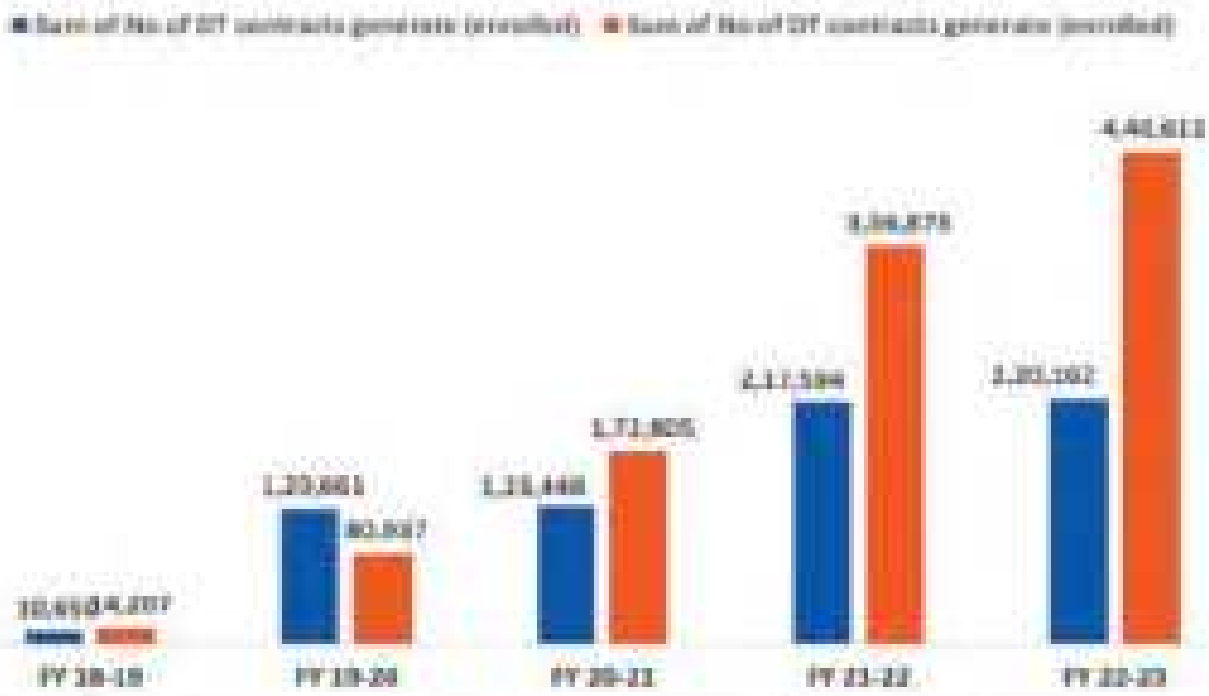

स्रोत: apprenticeshipindia.gov.in

5.17.4.4 2022 में एनएपीएस के कार्यान्वयन को कारगर बनाने के लिए सरलीकरण सुधार

शिक्षुता प्रशिक्षण के प्रबंधन और कार्यान्वयन में दक्षता लाने के प्रयासों के तहत एमएसडीई द्वारा चालू वित्त वर्ष के दौरान कई सुधार किए गए हैं। सुधारों का उद्देश्य एनएपीएस के वास्तविक कार्यान्वयन को प्रभावित करने वाली बाधाओं को दूर करना है, जिसमें वृत्तिका के लिए वास्तविक दावा प्रस्तुत करना और वृत्तिका के भुगतान में प्रक्रियागत देरी को कम करने के लिए शिक्षुता पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रक्रिया की अनुमति देना शामिल है; अखिल भारतीय परिचालन वाले उद्यम कई राज्यों के बजाय एकल राज्य–स्तरीय शिक्षुता/कौशल इकाई के साथ जुड़ने में सक्षम होंगे; और पाठ्यक्रम के युक्तिकरण, निरर्थक पाठ्यक्रमों को हटा दिया गया है और शिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि को वैकल्पिक ट्रेडों और निर्दिष्ट ट्रेडों में अधिक समान बना दिया गया है। इन उपायों ने प्रतिष्ठानों के लिए शिक्षुता के मूल्यवान बनाया है। एनएपीएस के कार्यान्वयन को कारगर बनाने के लिए किए गए प्रमुख सरलीकरण सुधार निम्नलिखित हैं:

5.17.4.5 वैकल्पिक ट्रेड के तहत शिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि का युक्तिकरण

शिक्षुता पोर्टल में प्रक्रिया के सरलीकरण पर प्रतिक्रिया एकत्र करने के लिए हितधारकों के साथ विभिन्न परामर्श बैठकें आयोजित की गईं, कार्यान्वयन प्रक्रिया और वैकल्पिक ट्रेड के तहत शिक्षुता की एनएपीएस दिशानिर्देशों की अवधि को युक्तिसंगत बनाया गया है। जिसके अनुसार वैकल्पिक ट्रेडों के लिए शिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि को युक्तिसंगत बनाकर छह माह, नौ माह और 12 माह कर दिया गया है। हालाँकि, कुछ मामलों में, एमएसडीईसे अनुमोदन के अधीन, अवधि एक वर्ष से अधिक हो सकती है।

5.17.4.6 थर्ड पार्टी एग्रीगेटर (टीपीए) के लिए संशोधित दिशानिर्देश

शिक्षुता इकोसिस्टम हितधारक के रूप में तृतीय पक्ष एग्रीगेटर (टीपीए) को एनएपीएस के तहत वर्ष 2018 में पेश किया गया था और वर्तमान में यह देखा गया है कि लगभग 60% शिक्षु अनुबंध टीपीएके माध्यम से होते हैं।

शिक्षुओं और शिक्षुता कार्यक्रम में भाग लेने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए प्रतिष्ठानों की मांग को पूरा करने की दिशा में टीपीए को प्रमुख भागीदारों और शिक्षुता इकोसिस्टम के सूत्रधार के रूप में देखा जाता है। वे इच्छुक शिक्षुओं को जुटाने और परामर्श देने, निर्धारित पाठ्यक्रम आवश्यकताओं और पाठ्यक्रम डिजाइन को पूरा करने, प्रतिष्ठानों की ओर से दावों और रिटर्न को संसाधित करने, अन्य महत्वपूर्ण भूमिकाओं के बीच आकलन करने और प्रमाणन जारी करने में सुविधा प्रदान करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

टीपीए के नेटवर्क के माध्यम से एनएपीएस की पहुंच को व्यापक बनाने के लिए, टीपीए के पैनल में शामिल होने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए टीपीए के लिए दिशानिर्देशों को सरल बनाया गया है। इससे एनएपीएस के तहत इच्छुक शिक्षुओं के लिए प्रतिष्ठानों के व्यापक नेटवर्क और उद्योगों में अवसरों तक पहुंच प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

5.17.4.7 शिक्षुता प्रशिक्षण बढ़ाने के लिए पीएसयू के साथ मिलकर काम करना

चूंकि सीपीएसयू की उनके द्वारा प्रभावित मूल्य श्रृंखला में प्रमाणित कौशल जनशक्ति को काम पर रखने को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका और जिम्मेदारी है, इसलिए सीपीएसयू/सीपीएसई से अनुरोध किया गया है कि वे अपने कार्यबल में शिक्षुओं की पैठ बढ़ाएं। इस संबंध में माननीय कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री और माननीय राज्यों के मंत्री की अध्यक्षता में सीपीएससी/सीपीएसयूके सीएमडी के साथ आपसी तालमेल बनाने और इसके लिए संयुक्त प्रयास करने के लिए कई वीसी आयोजित किए गए। इसके अलावा, मंत्रालय द्वारा सीपीएससी/सीपीएसयूके सीएमडी को एक एडवाइजरी जारी की गई थी, जिसमें पीएसयूके वर्कर्स को रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग (आरपीएल) और सीपीएसई/सीपीएसयूवर्कफोर्स के कौशल के सार्वभौमिकरण के जरिए मान्यता दी गई थी।

5.17.4.8 शिक्षुता प्रशिक्षण के लिए आउटरीच कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करना

जागरूकता कार्यशालाएँ: एमएसडीई ने देश भर में शिक्षुता प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न जागरूकता और एडवोकेसी (कार्यक्रम, कार्यशालाएँ, शिक्षुता पखवाडा आदि) किए हैं। इन कार्यशालाओं को अब देश भर में वर्षभर के कार्यक्रमों के रूप में संस्थागत रूप दे दिया गया है। अब तक तेलंगाना, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, पश्चिम बंगाल, दिल्ली (एनसीआर), अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, बिहार राज्यों में कार्यशालाएं आयोजित की जा चुकी हैं।

शिक्षुता प्रशिक्षण पर जागरूकता कार्यशाला

प्रधान मंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला (पीएमएनएएम)

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई), भारत सरकार प्रतिष्ठानों में देश के कुशल और अकुशल युवाओं को उपयुक्त प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए पूरे देश में शिक्षुता मेलों का आयोजन करती रही है। इस पहल के साथ सरकार निजी/औद्योगिक क्षेत्र में समानांतर विकास सुनिश्चित कर रही है। ऐसा ही एक मेला 21.04.2022 को देश भर में 700 से अधिक स्थानों पर आयोजित किया गया है। 21 अप्रैल 2022 को आयोजित शिक्षुता मेले के दौरान, माननीय मंत्री (एमएसडीई) ने घोषणा की कि मासिक कार्यक्रम के रूप में पीएम–राष्ट्रीय शिक्षुता मेला होगा, जो सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के 1/3 जिलों में महीने के प्रत्येक दूसरे सोमवार को आयोजित किया जाएगा। इस तरह के सात मेले चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में आयोजित किए गए हैं, जिससे चालू वित्त वर्ष के दौरान लगभग 2,95,862 नए शिक्षुता अनुबंधों में वृद्धि हुई है।

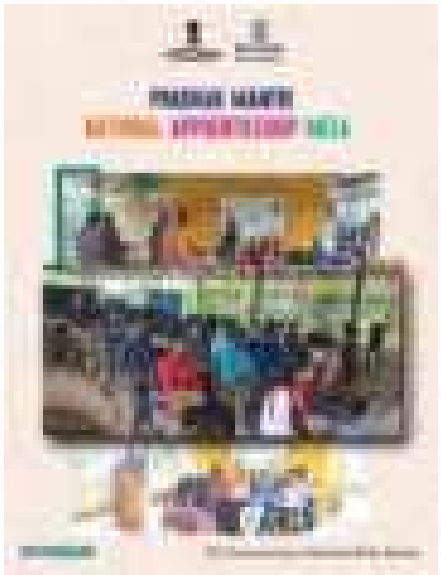

विभिन्न पीएमएनएएम की झलक

क. मेला केंद्रों की राज्यवार सूचीः सभी 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 765 जिलों में से प्रत्येक राज्य के एक तिहाई जिलों में मेला प्रस्तावित है। इससे राज्य को विभिन्न जिलों में प्रभावी ढंग से मेला आयोजित करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, यह उन आईटीआई को भी अनुमति देगा जो मेला केंद्र हैं, मेला दिवस से 7 से 10 दिन पहले मेला से संबंधित गतिविधियों को शुरू करने के लिए और 10–15 दिनों के लिए प्रतिष्ठानों और उम्मीदवारों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई के लिए शिक्षुता पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न अनुबंध प्राप्त करने के लिए। छोटे केंद्रशासित प्रदेशों को तीन महीने में एक बार मेला आयोजित करने की अनुमति दी जा सकती है। राज्यों को मेला केंद्रों के चयन का विकल्प दिया जाएगा।

तालिका संख्या 4: राज्य/संघ–राज्य क्षेत्र–वार मेला स्थानों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/ संघ–राज्य क्षेत्र	जिले	प्रत्येक माह में स्थानों की सं.
1	आंध्र प्रदेश	26	9
2	अरुणाचल प्रदेश	25	8
3	असम	34	11
4	बिहार	38	13
5	छत्तीसगढ	32	11
6	गोवा	2	1
7	गुजरात	33	11
8	हरियाणा	22	7
9	हिमाचल प्रदेश	12	4
10	झारखंड	24	8
11	कर्नाटक	31	10
12	केरल	14	5
13	मध्य प्रदेश	55	18
14	महाराष्ट्र	36	12
15	मणिपुर	16	5
16	मेघालय	12	4
17	मिजोरम	11	4
18	नगालैंड	15	5
19	ओडिशा	30	10
20	पंजाब	23	8
21	राजस्थान	33	11
22	सिक्किम	6	2
23	तमिलनाडु	38	13
24	तेलंगाना	33	11
25	त्रिपुरा	8	3
26	उत्तर प्रदेश	75	25
27	उत्तराखंड	13	4
28	पश्चिम बंगाल	23	8

29	अण्डमान और निकोबार	3	1
30	चंडीगढ़	1	1
31	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	3	1
32	दिल्ली	11	4
33	जम्मू और कश्मीर	20	6
34	लक्षद्वीप	1	1
35	लद्दाख	2	1
36	पुदुचेरी	4	1
	कुल	765	257

5.17.4.9 आईएलओ के साथ भारत में शिक्षुता पर इनोवेशन बूटकैंप

27–28 अप्रैल 2022 को इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) द्वारा "भारत में शिक्षुताः देश की कार्यनीति" पर दो दिवसीय नवाचार बूटकैंप का आयोजन किया गया था। तत्कालीन अतिरिक्त सचिव, एमएसडीई, श्री अतुल कुमार तिवारी द्वारा संचालित एक उच्च–स्तरीय पैनल चर्चा में बाधा–कारकों की पहचान करके और उनको दूर करने के लिए समाधानों पर चर्चा करके भारत 2030 में शिक्षुता की दृष्टि को प्राप्त करने की कार्यनीतियों पर चर्चा की गई। पैनल में सरकार, उद्योग संघ, ट्रेड यूनियन और अन्य प्रमुख कार्यान्वयनकर्ताओं के रूप में विशेषज्ञों सहित शिक्षुता में सामाजिक साझेदार और हितधारक शामिल थे।

आकृतिः नवोन्मेष बूट कैंप की झलक

शिक्षुता प्रशिक्षण द्वारा निर्मित प्रभाव

एमएसडीई द्वारा विभिन्न पहलों को लागू करने के बाद प्रशिक्षुओं की संख्या में निरंतर वृद्धि को नीचे दिए गए ग्राफ से दर्शाया जा सकता है (आकृति 3)। एनएपीएस के तहत लगे नए शिक्षु वित्त वर्ष 2016–17 में 1,11,425 शिक्षुओं से बढ़कर 31 जनवरी 2023 तक 6,61,179 शिक्षु हो गए हैं।

आकृति 3: पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के तहत लगे प्रशिक्षु

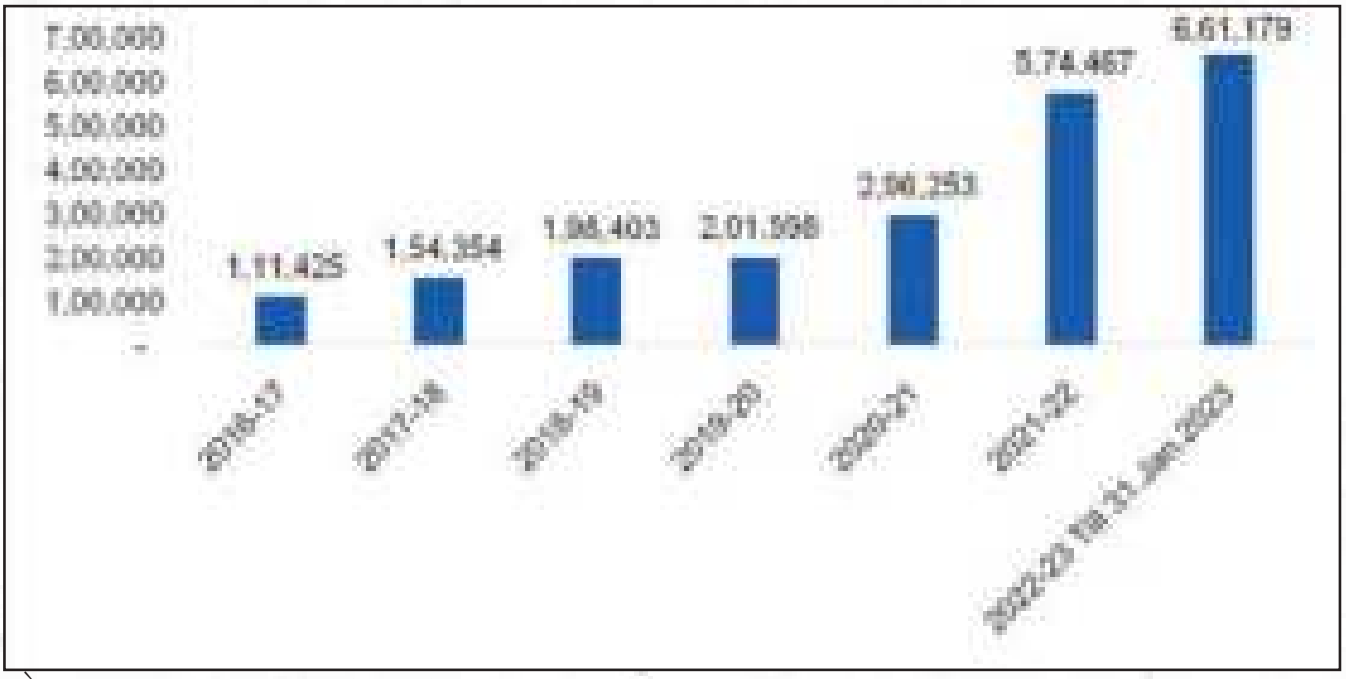

स्रोतः www.apprenticeshipindia.gov.in

चित्रः पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के तहत लगे प्रशिक्षु

5.17.4.10 शिक्षुता प्रशिक्षण में महिला उम्मीदवारों की वृद्धि

सरकार द्वारा किए गए सुधारों की श्रृंखला शिक्षुता प्रशिक्षण में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि में परिलक्षित होती है। शिक्षुता प्रशिक्षण के तहत महिला शिक्षुओं की भागीदारी जो वर्ष 2016–17 के दौरान 7.74% थी, वर्ष 2022–23 के दौरान बढ़कर 20.44% हो गई (आकृति 4)।

आकृति 4: शिक्षुता प्रशिक्षण में नामांकित महिला शिक्षुओं का प्रतिशत

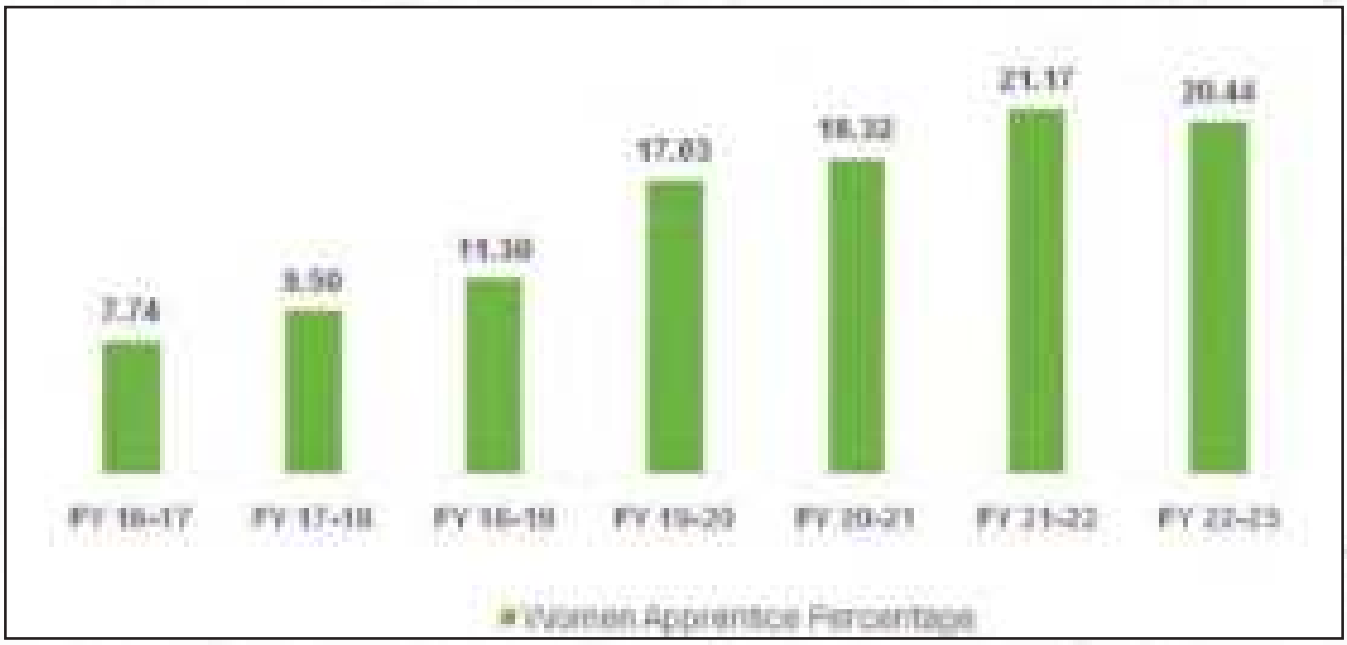

स्रोतः www.apprenticeshipindia.gov.in

चित्रः कार्यस्थल पर महिला प्रशिक्षु

5.17.4.11 शैक्षिक योग्यता द्वारा शिक्षुओं का वितरण

यह देखा गया है कि कक्षा 12वीं पास और उससे ऊपर (आईटीआई स्नातकों सहित) नामांकित कुल शिक्षुओं का 73.19% है, इसके बाद कक्षा 8वीं पास/कक्षा 10वीं पास लेकिन कक्षा 12वीं पास से कम वाले 24.50% शिक्षु हैं। लगभग 2.30% शिक्षु कक्षा 5वीं पास से लेकर कक्षा 8वीं पास तक हैं। इसलिए, यह देखा जा सकता है कि शिक्षुता प्रशिक्षण आईटीआई उत्तीर्ण उम्मीदवारों के लिए प्रगति का पसंदीदा विकल्प है (तालिका 5 और आकृति 5 देखें)।

सारणी 5: शिक्षा अर्हता के आधार पर शिक्षुओं का वितरण

शिक्षा समूह	नियोजित शिक्षुओं की संख्या	नियोजित शिक्षुओं का प्रतिशत
कक्षा 5 पास से कक्षा 8 पास तक	42,514	2.30%
कक्षा 8 पास/कक्षा 10 पास लेकिन कक्षा 12 पास से नीचे	4,51,973	24.50%
कक्षा 12 पास और उससे अधिक (आईटीआई उम्मीदवारों सहित)	13,50,171	73.19%
कुल	**18,44,658**	

स्रोत: www.apprenticeshipindia.gov.in

नोट: वित्तीय वर्ष 2018–19 से वित्तीय वर्ष 2022–23 का आंकलन (31–जनवरी–2023 तक)

आकृति 5: आईटीआई स्नातकों के लिए प्रगति के पसंदीदा विकल्प के रूप में शिक्षुता

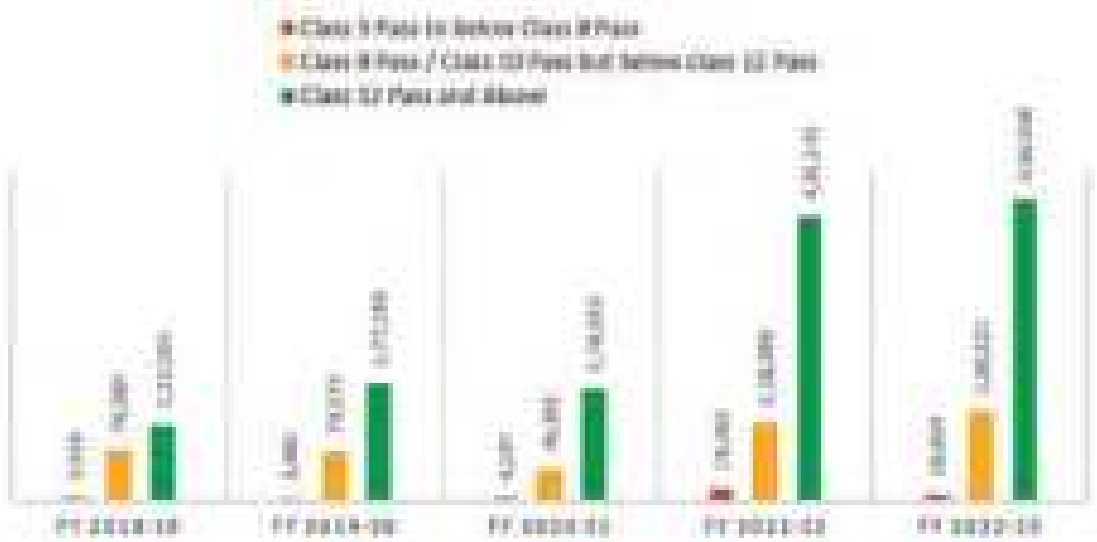

5.17.4.12 नामांकन के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य शिक्षुओं का वितरण

यह देखा गया है कि शिक्षुता प्रशिक्षण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणियों के उम्मीदवारों की भागीदारी में वृद्धि हुई है। शिक्षुता प्रशिक्षण समाज के सभी वर्गों के उम्मीदवारों के लिए उपयोगी रहा है। जैसा कि तालिका 6 से दर्शाया गया है, अनुसूचित जाति (एससी) से कुल 2,11,744 (12%) शिक्षु, अनुसूचित जनजाति (एसटी) से 77,985 (4%) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से 4,95,552 (28%) शिक्षु) 2018–19 से 31 दिसंबर 2022 तक शिक्षुता के तहत नामांकित।

तालिका 6: सामान्य,अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शिक्षुओं का वितरण

वित्तीय–वर्ष	सामान्य	ओबीसी	एससी	एसटी
2019–20	1,03,007	68,127	28,965	12,544
2020–21	1,72,298	95,815	42,010	15,364
2021–22	3,62,680	1,68,739	73,355	26,507
2022–23 (31दिसंबर 22 तक)	3,48,347	1,62,871	67,414	23,570
सकल योग	9,86,332	4,95,552	2,11,744	77,985
प्रतिशत	55.67%	27.97%	11.95%	4.40%

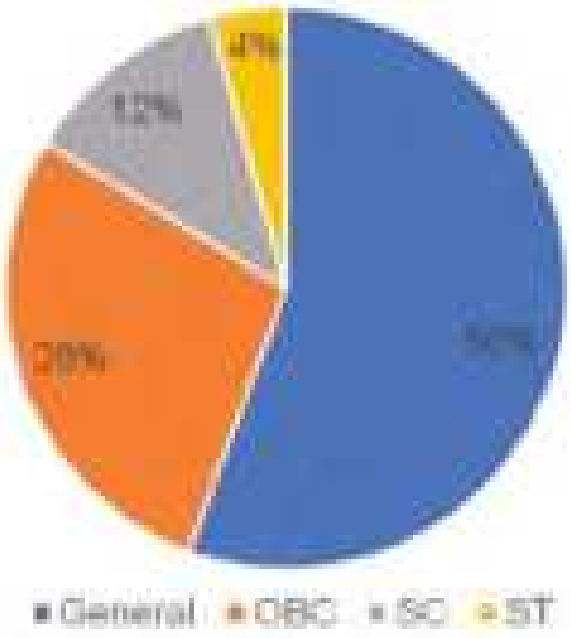

स्रोतः www.apprenticeshipindia.gov.in

5.17.4.13 एनएपीएस के तहत शीर्ष ट्रेड

शिक्षुओं की अधिकतम संख्या वाले ट्रेड फिटर (1,43,789) हैं, इसके बाद इलेक्ट्रीशियन (1,42,561), खुदरा शिक्षु सहयोगी (97,851), ऑटो कंपोनेंट असेंबली फिटर (56,595), कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (47,183) हैं। एनएपीएस के तहत शीर्ष दस ट्रेड,जिनमें अधिकतम संख्या में शिक्षु कार्यरत हैं, तालिका 7 में दिए गए हैं।

तालिका 7: शिक्षुता प्रशिक्षण में शीर्ष दस व्यवसाय

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	नियोजित प्रशिक्षु
1	फिटर	1,43,789
2	इलेक्ट्रीशियन	1,42,561
3	रिटेल ट्रेनी एसोसिएट	97,851
4	ऑटो कंपोनेंट असेंबली फिटर	56,595
5	कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग सहायक	47,183
6	घरेलू डाटा एंट्री ऑपरेटर वी	2.0 45,278
7	असेंबली लाइन ऑपरेटर	42,502
8	वेल्डर (गैस और इलेक्ट्रिक)	41,814
9	मैकेनिक डीजल	38,476
10	खुदरा प्रशिक्षु सहयोगी संस्करण	2.0 36,412
	कुल योग	6,92,461

(डेटा 2018–19 से 31 दिसंबर 2022 तक)

5.17.4.14 एनएपीएस के तहत भाग लेने वाले शीर्ष राज्य

शिक्षुओं को नियोजित करने में महाराष्ट्र राज्यों में पहले स्थान पर है। राज्य ने 4,31,175शिक्षुओं को नियोजित किया है। इसके पश्चात गुजरात (2,40,037), तमिलनाडु (1,56,127), हरियाणा (1,52,623), कर्नाटक (1,27,948), उत्तर प्रदेश (1,19,814) शिक्षुओं को नियुक्त किया है। तालिका 8 वित्त वर्ष 2016–17 से 31 दिसंबर 2022 तक शिक्षुओं को नियुक्त करने वाले शीर्ष दस राज्यों को दिखाती है।

तालिका 8: शिक्षुओं को शामिल करने वाले शीर्ष दस राज्य

क्र.सं.	राज्य	नियोजित
1	महाराष्ट्र	4,31,175
2	गुजरात	2,40,037
3	तमिलनाडु	1,56,127
4	हरियाणा	1,52,623
5	कर्नाटक	1,27,948
6	उतार प्रदेश	1,19,814
7	तेलंगाना	91,046
8	पश्चिम बंगाल	59,078
9	मध्य प्रदेश	56,074
10	दिल्ली	45,894
	सकल योग	14,79,816

एनएपीएस की प्रतिष्ठान के बाद से नामांकित राज्य–वार विस्तृत शिक्षु अनुबंध I में दिए गए हैं।

कार्यस्थल पर शिक्षुओं के फोटो

5.17.4.15 एनएपीएस में डीबीटी के साथ अधिक पारदर्शिता लाना

21 अप्रैल 2022 को, माननीय कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) के नए संस्करण के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) की शुरुआत की घोषणा की। इस निर्देश के अनुसार, प्रतिष्ठानों को छात्रवृत्ति का हिस्सा सीधे शिक्षु के बैंक खाते में स्थानांतरित करना होगा। इसके बाद भारत सरकार सीधे शिक्षुओं के बैंक खाते में एनएपीएस के तहत 1,500 रुपए प्रति शिक्षु प्रति माह तक के वज़ीफ़ा के 25% के अपने योगदान को सीधे स्थानांतरित कर देगी।

इस संदर्भ में, कार्यान्वयन मॉडल की प्रभावकारिता का परीक्षण करने के लिए चयनित प्रतिष्ठानों के साथ जुलाई 2022 में एक प्रयोग शुरू किया गया था और भारत सरकार ने शिक्षुओं के बैंक खातों में सीधे एनएपीएस शेयर सफलतापूर्वक जारी किया है।

प्रतिष्ठानों और शिक्षुओं को डीबीटी के बारे में जागरूक करने के लिए पायलट फॉर्म में प्रत्येक महीने एनएपीएस डीबीटी को बढ़ाया जाएगा। महीनेवार डीबीटी की स्थिति तालिका (9) में दी गई है।

तालिका 9: माह–वार डीबीटी स्थिति के लिए

माह	ट्रेड	राशि	उम्मीदवार	प्रतिष्ठान
जुलाई	ओटी	1,09,185.00	75	3
अगस्त	डीटी	77,85,873.38	5464	75
	ओटी	85,30,742.98	5878	44
सितंबर	डीटी	1,79,29,873.46	12640	231
	ओटी	1,65,24,070.69	11517	80
अक्टूबर	डीटी	2,14,46,363.06	15226	263
	ओटी	1,90,32,594.89	13052	104
नवंबर	डीटी	2,18,31,801.56	15541	288
	ओटी	2,79,45,814.33	19236	150
दिसंबर	डीटी	1,44,19,441.62	10183	231
	ओटी	2,93,58,147.14	20362	187
	कुल	**18,49,13,908.11**	**1,29,174.00**	

स्रोतः एनएसडीसी

इसके अलावा, सीसीईए के अनुमोदन के बाद एनएपीएस के लिए डीबीटी का एक अखिल भारतीय रोल–आउट लागू किया जाएगा। एनएपीएस के तहत हस्ताक्षरित सभी नए अनुबंध डीबीटी का सख्ती से पालन करेंगे। एनएपीएस 2.0 के अनुमोदन से, एनएपीएसके अंतर्गत सभी मौजूदा अनुबंध अनिवार्य रूप से डीबीटी में स्थानांतरित हो जाएंगे।

राज्य–वार शिक्षुओं का नामांकन

राज्य	वित्त–वर्ष 2016–17	वित्त–वर्ष 2017–18	वित्त–वर्ष 2018–19	वित्त–वर्ष 2019–20	वित्त–वर्ष 2020–21	वित्त–वर्ष 2021–22	वित्त–वर्ष 2022–23	सकल योग
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0	–	–	–	2	9	20	17
आंध्र प्रदेश	6028	6,076	5,986	3,830	4,297	15,180	13,774	55,171
अरुणाचल प्रदेश	4	1	2	–	2	18	29	56
असम	570	1,068	1,516	2,203	2,432	13,981	8479	30,249
बिहार	2663	6,074	5,923	1,161	1,217	6,348	4730	28,116
चंडीगढ़	48	130	129	340	272	787	466	2,172
छत्तीसगढ़	1142	934	1,895	5,628	1,642	2,634	4798	18,673
दादरा और नगर हवेली	55	101	86	29	509	942	651	2,373
दमन और दीव	13	20	16	69	75	308	179	680
दिल्ली	1073	1,410	2,057	4,167	7,667	17,371	14329	48,074
गोवा	199	246	334	1,672	1,968	3,295	3884	11,598
गुजरात	14431	16,623	47,571	44,031	54,366	67,271	56872	3,01,165
हरियाणा	5186	17,683	20,408	18,715	30,322	39,768	52918	1,85,000
हिमाचल प्रदेश	968	1,650	1,572	1,888	1,697	5,489	5416	18,680
जम्मू और कश्मीर	451	230	345	306	260	813	816	3,221
झारखंड	4371	4,593	5,405	2,135	4,796	8,175	7248	36,723
कर्नाटक	9097	10,447	9,575	13,247	16,670	41,432	48652	1,49,120
केरल	2687	4,315	4,309	3,879	6,355	8,875	7758	38,178
लददाख		–	–	–	6	18	27	51
लक्षद्वीप	5	–	–	–	18	4	7	34
मध्य प्रदेश	3857	5,019	6,691	6,867	8,762	16,292	18344	65,832
महाराष्ट्र	25174	35,139	35,249	36,087	69,494	1,43,188	149737	4,94,068
मणिपुर	8	5	39	15	10	90	17	184
मेघालय	3	–	3	50	105	116	143	420
मिजोरम	1	–	–	4	1	4	4	14
नगालैंड	24	4	4	14	1	27	17	91

ओडिशा	2938	3,890	4,024	3,391	3,613	7,963	8344	34,163
पुदुचेरी	266	328	378	480	296	1,071	1085	3,904
पंजाब	2423	1,754	2,046	2,382	4,271	11,468	14912	39,256
राजस्थान	1994	3,098	3,533	4,072	6,273	9,293	12336	40,599
सिक्किम	33	22	5	127	151	302	173	813
तमिलनाडु	5981	10,219	9,103	13,555	24,535	48,919	57709	1,70,021
तेलंगाना	5129	4,812	5,802	9,546	13,156	37,861	26410	1,02,716
त्रिपुरा	12	45	158	437	253	242	410	1,557
उत्तर प्रदेश	11784	14,269	18,846	12,551	19,454	36,879	45798	1,59,581
उत्तराखंड	1038	1,623	2,303	2,570	4,179	9,662	12635	34,010
पश्चिम बंगाल	1769	2,526	3,090	6,150	7,126	18,372	21869	60,902
सकल योग	1,11,425	1,54,354	1,98,403	2,01,598	2,96,253	5,74,467	6,00,996	21,37,496

5.18 उन्नत व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कीम (एवीटीएस)

सेवारत औद्योगिक श्रमिकों के कौशल को उन्नत और अद्यतन करने के लिए, एवीटीएस 1977 से परिचालन में है। यह स्कीम तत्कालीन डीजीई एंड टी, श्रम मंत्रालय और (अब प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी), कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय) द्वारा 1977 में डीजीईएंडटी के तहत तत्कालीन 6 उन्नत प्रशिक्षण संस्थानों (एटीआई) और 15 राज्य सरकारों के 16 आईटीआई में यूएनडीपी/आईएलओ के सहयोग से शुरू की गई थी। स्कीम के तहत चयनित कौशल क्षेत्रों में एक से छह सप्ताह की अवधि के अल्पावधि मॉड्यूलर पाठ्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। औद्योगिक प्रतिष्ठानों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुकूल तैयार किए गए पाठ्यक्रम भी प्रदान किए जाते हैं। सितंबर, 2007 से 3.5 लाख से अधिक औद्योगिक कामगारों/तकनीशियनों ने एनएसटीआई (पूर्ववर्ती एटीआई) में प्रशिक्षण सुविधाओं का उपयोग किया है। विश्व बैंक के वित्तीय सहायता से, एटीआई में अतिरिक्त क्षेत्रों में प्रशिक्षण सुविधाएं तैयार की गईं और मौजूदा प्रशिक्षण सुविधाओं को भी सुदृढ़ किया गया।

1974 में, एनएसटीआई (रामानंथपुरम) (पूर्ववर्ती एटीआई– ईपीआई), हैदराबाद की स्थापना स्वीडिश अंतर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण (एसआईडीए), आईएलओ की सहायता से की गई थी तथा दूसरा एनएसटीआई (पूर्ववर्ती एटीआई–ईपीआई), देहरादून की विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक तथा प्रोसेस इंस्ट्रुमेंट के क्षेत्र में लघु और दीर्घ दोनों पाठ्यक्रमों को उद्योगों/संगठनों के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता को पूरा करने हेतु स्थापित किया गया है।

ग. उद्यमशीलता विकास के लिए स्कीमें

5.19 उद्यमशीलता विकास संबंधी प्रायोगिक परियोजना

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने दस राज्यों और दो राज्य क्षेत्रों में पीएम–युवा स्कीम के अंतर्गत उद्यमशीलता विकास संबंधी एक प्रायोगिक परियोजना को क्रियान्वित किया। इस प्रायोगिक परियोजना का समग्र उद्देश्य कौशल इकोसिस्टम से छात्र/प्रशिक्षुओं और पूर्व छात्रों पर ध्यान देने के साथ उद्यमशीलता शिक्षा और प्रशिक्षण, एडवोकेसी और उद्यमशीलता नेटवर्क तक सुगमतापूर्वक उद्यमशीलता विकास के लिए एक सक्षम इकोसिस्टम बनाना था। निस्बड प्रधानमंत्री युवा योजना (युवा उद्यमिता विकास अभियान परियोजना) की एक कार्यान्वयन एजेंसी है। इस प्रायोगिक परियोजना का उद्देश्य एक वैकल्पिक कैरियर विकल्प के रूप में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना और कौशलीकरण इकोसिस्टम के जरिए प्रशिक्षुओं/ लाभार्थियों को उद्यमशीलता शिक्षा और परामर्श सहायता प्रदान करके संभावित और प्रारंभिक चरण के उद्यमियों को परामर्श सहायता प्रदान करना है।

यह प्रायोगिक परियोजना नवंबर, 2019 में शुरू की गई थी और मार्च, 2022 तक निष्पादित की गई थी। यह परियोजना असम, बिहार, दिल्ली, केरल, महाराष्ट्र, मेघालय, पुडुचेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल सहित दस राज्यों और दो संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित की गई थी।

इस परियोजना ने सामुदायिक पहुँच और लामबंदी कार्यक्रमों के दौरान उद्यमशीलता संबंधी जागरूकता फैलाकर उद्यमशीलता विकास पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की है और लाभार्थियों को उद्यम शुरू करने या बढ़ाने में सहायता प्रदान की है, जिसमें एसएचजी, जेएसएस, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई), पॉलिटेक्निक और प्रधान मंत्री कौशल केंद्र (पीएमकेके) के सदस्य शामिल हैं। इस परियोजना की प्रगति नीचे तालिका में दी गई है:–

	संस्थाओं की संख्या	आईटीआई	पीएमकेके	पोलिटेकनिक	जेएसएस
सूचीबद्ध संस्थाओं की संख्या	318	210	36	46	26
उद्यमशीलता जागरूकता और जुटाव					
कार्यप्रणाली			**लाभार्थियों की संख्या**		
प्राचार्यों का उन्मुखीकरण			396		
उद्यमशीलता जागरूकता कार्यक्रम (छात्र उन्मुखीकरण)			34760		
सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम			5003		
उद्यमशीलता शिक्षा					
कार्यप्रणाली			**लाभार्थियों की संख्या**		
योग			443		
संकाय परामर्श प्रशिक्षण			227		
ईडीपी छात्र पंजीकरण			17797		
मेंटरिंग और हैंडहोल्डिंग					
कार्यप्रणाली			**लाभार्थियों की संख्या**		
परामर्श शिविर			3951		
नई उद्यमिता सृजन			1045		
उद्यमिता संवर्धन			968		

5.20 छह पवित्र शहरों में उद्यमशीलता विकास

नवंबर, 2019 में, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने देश के छह पवित्र शहरों (बोधगया, हरिद्वार, कोल्लूर, पंढरपुर, पुरी और वाराणसी) में उद्यमशीलता विकास संबंधी परियोजना शुरू की है। इस परियोजना का उद्देश्य मौजूदा आजीविका कार्यकलापों को पुनः शुरू करने और/अथवा मौजूदा उद्यम अर्थात विनिर्माण, सेवा और व्यापार को बढ़ाने के लिए सहायता प्रदान करके चुनिंदा शहरों के सूक्ष्म और लघु व्यवसायों/उद्यमों की उद्यमशीलता की कार्यकलापों, उद्यमशीलता को बढ़ावा देना और परमार्श देना है। यह परियोजना भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई), गुवाहाटी द्वारा बोधगया, पुरी और कोल्लूर में और राष्ट्रीय उद्यमशीलता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निस्बड), नोएडा द्वारा योग्य ज्ञान भागीदारों के सहयोग से हरिद्वार, पंढरपुर और वाराणसी और संबंधित मंदिर कस्बों में स्थित स्थानीय कार्यान्वयन एजेंसियों में कार्यान्वित की जा रही है। इस परियोजना के अपेक्षित परिणाम निम्नलिखित हैं:

- संबंधित मंदिर कस्बों में आर्थिक कार्यकलापों का विकास

- स्थानीय निवासियों की आय और बचत में वृद्धि
- रोजगार के अवसरों में वृद्धि
- स्व–रोजगार की संख्या में वृद्धि
- बैंकों और माइक्रो–फाइनेंसिंग संस्थानों के कारोबार में वृद्धि
- उद्यमशीलता कार्यकलापों में केंद्रित अन्तःक्षेप के माध्यम से छोटे शहरों के आर्थिक कायाकल्प के लिए एक मान्य मॉडल का विकास।

दिसंबर, 2022 तक इस परियोजना के अंतर्गत उद्यमशीलता जागरूकता कार्यक्रम (ईएपी), उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) और उद्यमशीलता–सह कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी) के प्रतिभागियों की संख्या नीचे दी गई है:

संस्थान और शहरों का नाम	कार्यकलाप	प्रतिभागियों की कुल संख्या
निस्बड (हरिद्वार, पंढरपुर और वाराणसी)	उद्यमशीलता कार्यक्रम जागरूकता	3057
	उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम	2648
	उद्यमिता–सह कौशल विकास कार्यक्रम	668
आईआईई (बोधगया, कोल्लूर और पुरी)	उद्यमशीलता कार्यक्रम जागरूकता	1516
	उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम	1863
	उद्यमिता–सह कौशल विकास कार्यक्रम	1564

5.21 महिला उद्यमियों का आर्थिक सशक्तिकरण और महिलाओं द्वारा स्टार्ट–अप (डब्ल्यूईई)

'महिला उद्यमियों का आर्थिक सशक्तिकरण और महिलाओं द्वारा स्टार्ट–अप' (डब्ल्यूईई) भारत–जर्मन द्विपक्षीय विकास सहयोग के अंतर्गत एक तकनीकी सहयोग (टीसी) परियोजना है। आर्थिक सहयोग और विकास के लिए जर्मन संघीय मंत्रालय (बीएमज़ेड) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई), भारत सरकार के साथ सहयोग कर रहा है, जो परियोजना कार्यान्वयन में डाशे जेशल्शेफ्ट फॉर इंटरनेशनल जूसामेनरबीट (जीआईज़ेड) जीएमबीएच द्वारा समर्थित है। तकनीकी सहयोग परियोजना वर्ष 2018 से वर्ष 2023 तक चलेगी, जिसका उद्देश्य भारत में महिला–नीत उद्यमों के लिए रूपरेखा की स्थिति में सुधार करना है।

इस परियोजना के अंतर्गत 12 राज्यों में महिला–नीत सूक्ष्म उद्यमियों के लिए उद्यमशीलता सहायता कार्यक्रम कार्यान्वित किए गए हैं। इन सहायता कार्यक्रमों ने महिलाओं को अपना व्यवसाय (पोषण) शुरू करने और अपने मौजूदा व्यवसाय (त्वरण) को बढ़ाने में सहयोग की है। डब्ल्यूईई परियोजना में जनवरी, 2023 तक पोषण और त्वरण सहायता–प्राप्त कार्यक्रमों के एक भाग के रूप में महिला उद्यमियों की संख्या के लिए क्षेत्र–वार आंकड़ा नीचे देखा जा सकता है:

क्षेत्र	कार्यान्वयन भागीदार	कुल प्रति राज्य
उत्तर–पूर्व क्षेत्र – (अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा)	धृति–द करेज़ विदिन	233
महाराष्ट्र–3 जिला	मन देशी फाउंडेशन	120
राजस्थान – 9 जिला	स्टार्ट उप ओएसिस	105
तेलंगाना–26 जिला	वी हब	109
उत्तर प्रदेश –4 जिला	इम्पावर फाउंडेशन	341
योग		**908**

5.21.1 जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) के लाभार्थियों और उत्तर–पूर्वी क्षेत्र के क्लस्टर कारीगरों को क्षमता–निर्माण और सहायता के माध्यम से उद्यमशीलता प्रोत्साहन

वित्त–वर्ष 2020–21 में कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) द्वारा भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई), गुवाहाटी को "जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) और उत्तर–पूर्वी क्षेत्र के क्लस्टर कारीगरों के लाभार्थियों को क्षमता–निर्माण और हैंडहोल्डिंग सहयोग के माध्यम से उद्यमशीलता प्रोत्साहन" पर परियोजना को अनुमोदन दी गई थी। इस परियोजना के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- विलुप्त ज्ञान और क्षमता–निर्माण इकोसिस्टम को संबोधित करने के लिए क्षमता–निर्माण की पहल करना।
- उद्यम वृद्धि और विकास के लिए हैंडहोल्डिंग सहयोग हेतु लुप्त इकोसिस्टम को संबोधित करने के लिए व्यापार सुविधा और विकास प्रकोष्ठ के माध्यम से उद्यम संवर्धन और व्यवसाय विकास की सेवा को सुविधाजनक बनाना।
- क्लस्टर स्तर पर वित्त तक पहुंच के लुप्त इकोसिस्टम को संबोधित करने के लिए वित्तीय सेवाओं की सुविधा प्रदान करना।

उत्तर–पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए कथित अंतराल और आवश्यकताओं के अनुसार, आईआईई ने सड़सठ क्षमता–निर्माण प्रशिक्षण (उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम (ईडीपी), प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी), वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम (एफएलपी) और जन शिक्षण संस्थान के प्रमाणित लाभार्थियों और उत्तर–पूर्वी क्षेत्र के क्लस्टर कारीगरों के लिए हैंडहोल्डिंग और व्यवसाय सुविधा सहायता कार्यक्रम का आयोजन किया है। अब तक, 1934 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया और उद्यम पंजीकरण, बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थानों के साथ सम्बद्ध सहायता कार्यक्रमों के अंतर्गत चल रहा है। उद्यमशीलता कार्यक्रम संबंधी टीओटी के सफल उम्मीदवारों को उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम पर संसाधन व्यक्ति के रूप में अपना व्याख्यान प्रस्तुत करने के लिए बुलाया गया है जो उत्तर–पूर्वी क्षेत्र के प्रमाणित जेएसएस लाभार्थियों के लिए आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम का विवरण नीचे दिया गया है:

भागीदारों का राज्य–वार विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	भागीदारों की संख्या
1.	असम	1670
2.	मणिपुर	85
3.	मेघालय	88
4.	नगालैंड	45
5.	त्रिपुरा	46
	योग	1934

क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम	उपलबधियां	लाभार्थियों की संख्या
1.	जेएसएस लाभार्थियों के लिए ईडीपी	14	355
2.	क्लस्टर कामगाओ के लिए ईडीपी	15	394
3.	वित्तीय साक्षारता कार्यक्रम	10	125
4.	टीओटी उदयमशीलता	1	19
5.	टीओटी परामर्श	1	36
6.	हैंडहोल्डिंग और व्यवसाय सुविधा सहायता कार्यक्रम	26	1005
	योग	67	1934

घ. अन्य स्कीमें और पहलें:

5.22 कौशल ऋण स्कीम

माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 15.7.2015 को देश में कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल होने की इच्छा रखने वाले युवाओं की सहायता करने के लिए कौशल ऋण स्कीम शुरू की गई थी। इस कौशल ऋण स्कीम ने व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए पूर्व इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (आईबीए) मॉडल ऋण स्कीम का स्थान ले लिया। बैंक ऑफ इंडिया इस तरह की कौशल ऋण स्कीम अधिसूचित करने वाला पहला बैंक है। अन्य बातों के साथ–साथ इस स्कीम की महत्वपूर्ण विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- कोई भी भारतीय नागरिक जिसने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई), पॉलिटेक्निक या केंद्रीय या राज्य शिक्षा बोर्डों द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेज में संचालित, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम से संबद्ध प्रशिक्षण भागीदार (एनएसडीसी) सेक्टर स्किल काउंसिल, स्टेट स्किल मिशन, स्टेट स्किल कॉर्पोरेशन पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है, इस उद्देश्य के लिए ऋण ले सकते हैं।
- बैंकों द्वारा कोई प्रोसेसिंग शुल्क नहीं लिया जाता है।
- पाठ्यक्रम के आधार पर ऋण की राशि 5,000 से 1,50, 000/– रुपए तक है; और 3 से 7 वर्ष की चुकौती अवधि है।
- अध्ययन अवधि के दौरान ब्याज की सरल दर 11% और 12% प्रति वर्ष ली जाती है।
- कोई न्यूनतम पाठ्यक्रम अवधि नहीं।
- आयु से संबंधित कोई विशेष प्रतिबंध नहीं।
- (कौशल विकास के लिए क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम (सीजीएफएसएसडी) के माध्यम से कवर किए गए बैंकों के जोखिम सीजीएफएसएसडी स्कीम के अंतर्गत, सदस्य ऋण संस्था (एमएलआई) द्वारा प्रभारित की जाने वाली ब्याज दर, आधार दर से 1.5% प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- ऋणदाता संस्थाओं द्वारा विस्तारित ऋण के पुनर्भुगतान में चूक के खिलाफ गारंटी प्रदान करने के लिए उधारकर्ता को नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी (एनसीजीटीसी) के साथ करार करना चाहिए।
- फंड डिफ़ॉल्ट रूप से राशि का 75% तक गारंटी कवर प्रदान करेगा।
- ऋण बिना किसी संपार्श्विक प्रतिभूति या तीसरे पक्ष की गारंटी के संस्वीकृत किया जाता है।

तालिका

क्र.सं.	ऋण की राशि	अवधि
1	50,000/– रुपए तक ऋण	3 वर्ष तक
2	50,000 रुपए से 1 लाख रूपए तक ऋण	5 वर्ष तक
3	1.00 लाख रुपए से ऊपर ऋण	7 वर्ष तक

इस स्कीम के अंतर्गत, 31.10.2021 तक, कुल 64.37 करोड़ रुपए के लिए 6018 गारंटियां दी जा चुकी हैं।

कौशल ऋण स्कीम में सुधार करने के लिए सीईओ, राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी), भारतीय बैंक संघ (आईबीए), सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र बैंकों और अन्य हितधारकों के साथ सचिव द्वारा 22.11.2021 को एक समीक्षा बैठक की गई थी।

5.23 भारतीय कौशल संस्थान (आईआईएस)

क. कौशल इकोसिस्टम में उपलब्ध वर्तमान कार्यक्रमों के अतिरिक्त प्रशिक्षण मानकों को बढ़ाने और स्थानीय/क्षेत्रीय उद्योग की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए उद्योग के सहयोग से विशेष क्षेत्रों में शिक्षुओं को "हैंडस ऑन स्किल्स" प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए देश में आईआईएस की स्थापना की जा रही है।

ख. 24.10.2018 को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, सार्वजनिक व निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में तीन स्थानों, अर्थात् महाराष्ट्र (मुंबई), गुजरात (अहमदाबाद) और उत्तर प्रदेश (कानपुर) में भारतीय कौशल

संस्थान (आईआईएस) स्थापित करने का निर्णय लिया गया, जिरकी मांग और उपलब्ध बुनियादी ढांचे के आधार पर चयनित स्थानों पर आईआईएस के उन्नयन हेतु तलाश की जाएगी।

ग. आईआईएस, अभिज्ञात क्षेत्रों/डोमेन में एनएसक्युएफ के अनुरूप 2–वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रमों का संचालन करेंगे। ऐसे पाठ्यक्रमों में पारंपरिक और अधिक उन्नत क्षेत्रों का मिश्रण होगा जो शिक्षुओं को वर्टिकल गतिशीलता प्रदान करेंगे। इस तरह, व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रणाली के शिक्षु अपने संबंधित क्षेत्रों में पर्यवेक्षक/प्रबंधक बनने की आकांक्षा कर सकते हैं।

घ. आईआईएस उच्च स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करेगा, जो शिक्षुओं को प्रगति के लिए अकादमिक तुल्यता प्रदान करके उनकी वर्टिकल गतिशीलता को सुसाध्यक बनाएंगे और कार्यक्रम शिक्षुओं के लिए करियर मार्ग को परिभाषित करेगा और वस्तुतः क्षेत्रीय विशेषज्ञ तैयार करेगा।

ङ. यह देश भर के इच्छुक छात्रों को उच्च कुशल प्रशिक्षण तक पहुंच प्रदान करने और क्षेत्रों में उद्योग और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता के साथ अपने जुड़ाव के माध्यम से जवाबदेही के दायरे को बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगा। सरकारी भूमि के संदर्भ में निजी क्षेत्र के उद्यम और सार्वजनिक पूंजी के लाभो का फायदा उठाकर यह विशेषज्ञता, ज्ञान और प्रतिस्पर्धा के नए संस्थानों का निर्माण करेगा।

च. आईआईएस की स्थापना के लिए गठित अंतर–मंत्रालयीय अधिकार प्राप्त समिति (आईएमईसी) का गठन सचिव, एमएसडीई की अध्यक्षता में किया गया है। 20.12.2018 को अधिकार प्राप्त समिति की पहली बैठक हुई। अब तक आईएमईसी की छह बैठकें हो चुकी हैं। आईएमईसी की अंतिम बैठक 01 अप्रैल, 2021 को आयोजित की गई थी।

छ. अधिकार प्राप्त समिति के प्रमुख कार्य हैं: निजी भागीदारों के चयन के लिए मापदंड और मानदंड स्थापित करने जैसे मामलों पर निर्णय लेना; स्थान/स्थल/ट्रेड के अनुसार आईआईएस का चयन और स्थापना, सरकार के व्यवहार्यता अंतराल वित्त पोषण की आवश्यकता, विषय, विशेषज्ञता और निजी साझेदार की प्रतिबद्धता और दिशा निर्देशों के अनुसार भूमि का आबंटन, प्रत्येक आईआईएस के लिए शासन तंत्र के विवरण, लागू नियम और करार और स्कीम के विनियमन और निगरानी के अन्य सभी पहलू।

ज. मुंबई, अहमदाबाद और कानपुर में भारतीय कौशल संस्थान (आईआईएस) की स्थापना की दिशा में अब तक हुई प्रगति की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है:

(i) आईआईएस मुंबई: वर्तमान में मुंबई में आईआईएस की स्थापना के लिए भूमि की पहचान की गई है और आईआईएस की स्थापना के लिए टाटा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट (टीईडीटी) को निजी भागीदार के रूप में चुना गया है। आईआईएस, मुंबई की आधारशिला माननीय कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री द्वारा 11 सितंबर, 2019 को उच्च स्तरीय गण्यमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में रखी गई थी। एनएसटीआई, मुंबई में आईआईएस की स्थापना के लिए 11 नवंबर, 2020 को एमएसडीई, डीजीटी और टाटा आईआईएस के बीच संचालन करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। साथ ही, परियोजना के लिए ग्रीन जोन मंजूरी महाराष्ट्रऔ सरकार से प्राप्त हो चुकी है और 22 सितंबर 2021 को एनएसटीआई, मुंबई और टाटा आईआईएस के बीच भूमि लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके अलावा, टाटा आईआईएस ने मुंबई में परिसर स्थल का कब्जा ले लिया है और यह प्रत्याशित छात्र और पाठ्यक्रम मिश्रण के आधार पर कैंपस के लिए डिजाइन को अंतिम रूप देने पर कार्य कर रहा है। स्थलाकृतिक सर्वेक्षण, भू–तकनीकी सर्वेक्षण और प्लाट फेंसिंग जैसे पूर्व–निर्माण कार्यकलाप पूरे कर लिए गए हैं। निर्माण कार्यकलापों को मई–जून 2023 तक शुरू करने की योजना है। इस बीच, पुणे में टीईडीटी द्वारा फेस्टो डिडैक्टिक इंडिया लिमिटेड और फेनुक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, में अल्पावधि प्रशिक्षण शुरू हुआ है, जिसमें "एसेंशियल ऑफ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन" और "एसेंशियल ऑफ इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स" में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इन पाठ्यक्रमों के अंतर्गत अब तक 291 छात्रों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

(ii) आईआईएस अहमदाबाद: गांधीनगर/अहमदाबाद में आईआईएस की स्थापना के लिए चुना गया निजी ऑपरेटिंग पार्टनर टाटा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट (टीईडीटी) है। जमीन गुजरात सरकार द्वारा नस्मेड,

गांधीनगर/अहमदाबाद में प्रदान की गई थी। 15.01.2020 को, श्री अमित शाह, माननीय गृह मंत्री, भारत सरकार ने माननीय कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री, श्री रतन टाटा, अध्यक्ष टाटा ट्रस्ट और गुजरात सरकार और एमएसडीई के अन्य वरिष्ठ गण्ययमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में गांधीनगर/अहमदाबाद में भारतीय कौशल संस्थान (आईआईएस) की आधारशिला रखी। आईआईएस, अहमदाबाद के लिए संचालन करार पर 28 फरवरी, 2022 को एमएसडीई, गुजरात सरकार और टाटा आईआईएस द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। भूमि सीमांकन और स्थलाकृतिक सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। निर्माण के डिजाइन को अंतिम रूप दिया जा रहा है। निर्माण गतिविधियों को मई–जून 2023 तक शुरू किए जाने की योजना है। टाटा आईआईएस ने एसएमसी डिडेटिक सेंटर और ताज अहमदाबाद की भागीदारी से क्रमशः "एसेंशियल ऑफ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन" और "गार्डे मैनेजर (पैंट्री स्किल्स)" में अल्पावधि प्रशिक्षण शुरू किया है। अब तक इन पाठ्यक्रमों के अंतर्गत 67 छात्रों को प्रशिक्षित किया जा चुका है और 54 छात्र प्रशिक्षणाधीन हैं।

(iii) आईआईएस कानपुरः कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) ने डीजीटी, एमएसडीई को एक संस्थान भवन, प्रशासनिक भवन, कार्यशाला और छात्रावास के निर्माण के लिए भूखंड को पट्टे पर दिया था। आईआईएस कानपुर के लिए आरएफपी को 29 सितंबर 2020 को आयोजित 5वीं बैठक में आईएमईसी द्वारा अनुमोदित किया गया था। एनएसटीआई, कानपुर परिसर में आईआईएस भवन के निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण–पत्र (एनओसी) केडीए, कानपुर से भी प्राप्त किया गया है। कानपुर में भारतीय कौशल संस्थान की स्थापना, संचालन, रखरखाव और प्रबंधन के लिए संचालन भागीदार के चयन के लिए आरएफपी 27.05. 2021 को सीपीपी पोर्टल पर प्रकाशित किया गया था।

5.24 आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अर्जन और ज्ञान जागरूकता (संकल्प)

परिचय

संकल्प को इकोसिस्टम में कौशल पहल को विकेंद्रीकृत करने, कौशल विकास के लिए संस्थागत तंत्र को मजबूत करने और देश भर के युवाओं के लिए गुणवत्ता और बाजार–प्रासंगिक प्रशिक्षण तक पहुंच बढ़ाने के लिए 19 जनवरी, 2018 को लॉन्च किया गया था। संकल्प की कार्यान्वयन अवधि मार्च 2023 तक छह वर्ष है और इसका उदेश्य अल्पावधि प्रशिक्षण के संदर्भ में निजी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए संकेन्द्र ण, कौशल विकास कार्यक्रमों में गुणवत्ता को बढ़ावा देने, उन्हें बाजार–प्रासंगिक और सुलभ बनाने जैसी आ रही चुनौतियों का समाधान करना है।

संकल्प अपनी तरह की पहली, परिणामोन्मुखी परियोजना है जिसे मिशन मोड में लागू किया जा रहा है और यह राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन (एनएसडीएम) के समग्र उद्देश्यों के अनुरूप है। इसे कौशल विकास पहलों के संचालन के लिए मौजूदा सिस्टम की दक्षता का आकलन करने और इकोसिस्टम में विभिन्न चुनौतियों के परीक्षण स्केलेबल समाधानों में मदद करने और लक्षित प्रयोगों का विकास करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इन परिणामों को एमएसडीई और विश्व बैंक के बीच सहमत परिणाम ढांचे और संवितरण लिंक्ड संकेतक (डीएलआई) के माध्यम से मापा जाता है। विश्व बैंक ने अब तक परियोजना के लिए एक मध्यावधि समीक्षा मिशन, सात कार्यान्वयन सहायता मिशन और दो पुनर्गठन मिशन शुरू किए हैं। परियोजना को वर्तमान में "विश्व बैंक द्वारा लगातार दो वर्ष "संतोषजनक" का दर्जा दिया गया है।

परिणाम क्षेत्रः संकल्प के तीन प्रमुख परिणाम क्षेत्र हैं: (i) केंद्रीय, राज्य और जिला स्तर पर संस्थागत सुदृढ़ीकरण; (ii) कौशल विकास कार्यक्रमों का गुणवत्ता आश्वासन; और (iii) हाशिए की आबादी को कौशल विकास कार्यक्रमों में शामिल करना।

वित्तीयः संकल्प को भारत सरकार और विश्व बैंक के बीच समझौते के अनुसार +250 मिलियन की विश्व बैंक ऋण सहायता के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है। विश्व बैंक द्वारा संवितरित कुल धनराशि 169.46 मिलियन अमरीकी डालर है। दिसंबर, 2021 तक किया गया कुल खर्च 472.78 करोड़ रुपए, जिसमें से आकांक्षी जिलों को 13.91 करोड़ रुपए राज्य प्रोत्साहन अनुदान (एसआईजी) के रूप में और 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 274.00 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

संवितरण से जुड़े संकेतकः संकल्प कौशल विकास में एक कार्यनीतिक सुधार कार्यक्रम है, और विश्व बैंक से ऋण वितरण परिणामों की उपलब्धि के सापेक्ष में होगा। संवितरण से जुड़े संकेतक (डीएलआई) एक सत्यापन प्रोटोकॉल के साथ पूरक हैं जो परिभाषित करता है कि प्रत्येक डीएलआई के सापेक्ष में उपलब्धि को कैसे मापा जाएगा।

ग) **डीएलआई 1:** प्रशिक्षु जिन्होंने एनएसक्यूएफ–संरेखित बाजार–प्रासंगिक अल्पावधि एसडी कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा किया है और प्रमाणित किए गए थे।

घ) **डीएलआई 2:** वेतनभोगी स्नातकों का प्रतिशत या अल्पावधि एसडी कार्यक्रमों को पूरा करने के छह महीने के भीतर स्वरोजगार

ङ) **डीएलआई 3:** एनएसक्यूएफ संरेखित क्यूपी को एक मॉडल पाठ्यक्रम, प्रशिक्षकों के मार्गदर्शक, और अध्या पन–अध्य यन संसाधन पैक में परिवर्तित करना

च) **डीएलआई 4:** प्रशिक्षित/पुनःप्रशिक्षित प्रशिक्षकों और आकलनकर्ताओं की संख्या।

छ) **डीएलआई 5:** संस्थागत मजबूती पर राज्यों का बेहतर प्रदर्शन,एसडी कार्यक्रमों की बाजार प्रासंगिकता और पहुँच तथा हाशिए की आबादी द्वारा प्रशिक्षण पूरा करना।

ज) **डीएलआई 6:** एसडी कार्यक्रमों में भाग लेने वाली महिलाओं के प्रतिशत में वृद्धि (प्रमाणित) (स्वरोजगार और आरपीएल शामिल नहीं)

झ) **डीएलआई 7:** कौशल प्रमाणित व्यक्तियों को स्थानीय रोजगार से जोड़कर ग्राम पंचायत (जीपी) स्तर पर बेहतर सेवा प्रदायगी

ञ) **डीएलआई 8:** अल्पावधि कौशल कार्यक्रमों को लागू करने के लिए जिला कौशल समिति (डीएससी) की सुदृढ़ क्षमता

संकल्प के अंतर्गत कुछ प्रमुख पहलें इस प्रकार हैं:

महात्मा गांधी राष्ट्रीय फैलोशिप

महात्मा गांधी राष्ट्रीय फैलोशिप एक दो वर्ष का शैक्षणिक कार्यक्रम है जो जिला स्तर पर गहन क्षेत्र निमज्जान के साथ आईआईएम में कक्षा सत्रों को जोड़ता है। यह जिला कौशल समितियों में अध्येकता को रखकर विकेन्द्रीकृत कौशल योजना और प्रबंधन को बढ़ावा देता है। इससे अध्येलता को जिला कौशल इकोसिस्टम में चुनौतियों की पहचान करने और उनका निराकरण करने में मदद करने के लिए जिला प्रशासन के साथ मिलकर काम करने का अवसर मिलता है। यह युवा, ऊर्जावान व्यक्तियों के लिए कौशल विकास को बढ़ाने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का एक अवसर है।

पहले चरण की सफलता के बाद, जहां छह राज्यों के 69 जिलों में 69 अध्येरता तैनात किए गए थे, अब एमएसडीई ने देश के शेष जिलों में कार्यक्रम का विस्तार किया। यह नौ आईआईएम के साथ राष्ट्रीय स्तर पर शुरू किया गया है। इसमें अकादमिक भागीदारों के रूप में आईआईएम अहमदाबाद, आईआईएम बैंगलोर, आईआईएम जम्मू, आईआईएम कोझीकोड, आईआईएम लखनऊ, आईआईएम नागपुर, आईआईएम रांची, आईआईएम उदयपुर और आईआईएम विशाखापत्तनम शामिल हुए हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय फैलोशिप चरण–II का उद्घाटन अक्टूबर, 2021 को माननीय शिक्षा मंत्री और कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री द्वारा किया गया था।

एमजीएनएफ उद्घाटन

वर्तमान में, 604 फेलो ने आईआईएम के साथ अपने शैक्षणिक मॉड्यूल को पूरा कर लिया है और देश के 31 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में तैनात हैं। वे कौशल विकास कार्यक्रम योजना और वितरण में सुधार के लिए राज्यों और जिलों को उत्प्रेरक सहायता प्रदान करेंगे और विकास पेशेवरों का एक कैडर तैयार करेंगे जो अपने संबंधित जिलों में व्यापक कौशल विकास योजना और कार्यान्वयन के लिए जिला कौशल समितियों को उपलब्ध होंगे।

अंतर्राष्ट्रीय कार्यबल गतिशीलता: भारत से कुशल श्रमिकों के लिए कुशल जनशक्ति की मांग और आपूर्ति के साथ–साथ विदेशों में रोजगार के अवसरों में अंतर की पहचान करने के लिए एक वैश्विक कौशल अंतर अध्ययन किया गया है। तदनुसार, एनएसडीसी के माध्यम से एमएसडीई अब भारतीय कार्यबल के लिए अंतर्राष्ट्रीय अवसरों की पहचान करने के लिए "अंतर्राष्ट्रीय कार्यबल गतिशीलता" नामक एक परियोजना को लागू कर रहा है। इस पहल के हिस्से के रूप में, कई हस्तक्षेप किए जा रहे हैं, जिसमें प्रशिक्षित और प्रमाणित भारतीयों की गतिशीलता को सक्षम करने के लिए विभिन्न गंतव्य देशों में मांग मूल्यांकन, प्रोफाइलिंग और आवश्यक हस्तक्षेपों को सुविधाजनक बनाने के लिए अध्ययन, वैश्विक या गंतव्य देश मानकों से मेल खाने के लिए कौशल संस्थानों को मजबूत करना, शाखा कार्यालय स्थापित करना, पहचाने गए गंतव्य देशों में वकालत और ब्रांडिंग और प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम सामग्री का विकास शामिल है।

जिला कौशल विकास योजना में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार (डीएसडीपी पुरस्कार)

जिला कौशल विकास योजना में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार एमएसडीई द्वारा संकल्प कार्यक्रम के तहत विकेंद्रीकृत योजना को बढ़ावा देने और कौशल विकास के क्षेत्र में जिलों द्वारा की गई अनुकरणीय योजना को पहचानने और पुरस्कृत करने के लिए स्थापित किए गए थे।

डीएसडीपी अवार्ड्स के दूसरे संस्करण का पुरस्कार वितरण समारोह जून, 2022 में आयोजित किया गया था, जिसमें 30 जिलों को शॉर्टलिस्ट किया गया था, जिनमें से 8 जिलों को 'अवॉर्ड ऑफ एक्सीलेंस' से सम्मानित किया गया था, 13 जिलों को 'उत्कृष्टता प्रमाणपत्र' से सम्मानित किया गया था और 9 जिलों को 'प्रशंसा पत्र' से सम्मानित किया गया।

आदर्श ग्राम कौशल शिविर (एजीएससी)

आदर्श ग्राम कौशल शिविर भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में माननीय प्रधान मंत्री की आजादी का अमृत महोत्सव पहल का एक हिस्सा हैं। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, ओडिशा, असम, त्रिपुरा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु के 100 + गांवों में श्रमिकों के पूर्व शिक्षण प्रमाणन की मान्यता के माध्यम से ग्राम पंचायतों में कौशलीकरण और रोजगार को अभिज्ञात सेवाओं से जोड़ना है।

यह परियोजना अगस्त, 2021 में 15,000 से अधिक श्रमिकों को कौशल–आधारित प्रमाणीकरण प्रदान करके कुशल श्रमिकों के प्रतिशत को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। साप्ताहिक आरपीएल शिविर 3–5 दिनों में फैले 12 घंटे के लिए आयोजित किए गए, और प्रत्येक प्रमाणित उम्मीदवार को सफल प्रमाणीकरण के बाद पुरस्कार राशि के रूप में 500 रुपये प्राप्त हुए।

क्षेत्र कौशल परिषदों (एसएससी) की भागीदारी में छह शिविर निम्नानुसार आयोजित किए जा रहे हैं:

क. पेंट और कोटिंग्स कौशल परिषद (पीसीएससी)

ख. भारतीय नलसाजी कौशल परिषद (आईपीएससी)

ग. ऑटोमोटिव कौशल विकास परिषद (एएसडीसी)।

घ. फर्नीचर और फिटिंग कौशल परिषद (एफएफएससी)।

ङ. भारतीय कृषि कौशल परिषद (एएससीआई)

च. खाद्य उद्योग क्षमता और कौशल पहल (एफआईसीएसआई)

यह परियोजना 30 सितंबर, 2022 को पूरी हुई, जिसमें कुल 14,021 उम्मीदवारों का उन्मुखीकरण किया गया, जिनमें से 13,901 को प्रशिक्षित किया गया, 12,761 का मूल्यांकन किया गया और 12,018 को प्रमाणित किया गया।

जीव विज्ञान पेशेवरों के लिए कौशलोन्नयन कार्यक्रमः

इस परियोजना का उद्देश्य मध्यम और लघु आकार के फार्मा उद्यमों का सहयोग करना है जो कठोर कौशल मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं हैं और कई बार आर्थिक रूप से अभावग्रस्त अर्थव्यवस्था के कारण अपने कर्मचारियों का कौशलोन्नयन और पुनर्कौशल करने में विफल रहते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य निर्धारित फार्मा क्लस्टर्स या उद्यमों में कार्यरत 7,500 कर्मचारियों (संविदात्मक और स्थायी) का कौशलोन्नयन या पुनर्कौशल किया जाए और इन फार्मा क्लस्टरों/उद्यमों को उन कौशल अंतरालों को पाटने में सहायता करना है जो नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन न करने का कारण बनते हैं। इस

परियोजना का कार्यान्वयन आंध्र प्रदेश, गोवा, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, सिक्किम, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में है।

उद्यमशीलता संवर्धनः राष्ट्रीय उद्यमशीलता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निस्बड) के साथ भागीदारी में एमएसडीई ने एक परियोजना शुरू की है जिसका उद्देश्य 24,600 उम्मीदवारों को क्षमता–निर्माण, पोषण सहायता, परामर्श और हैंडहोल्डिंग प्रशिक्षण के माध्यम से उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है। यह परियोजना असम, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और केरल, मध्य प्रदेश, महरहतरा, ओडिशा, राजस्थान तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में कार्यान्वित की जा रही है। अब तक, 289 कार्यक्रमों के अंतर्गत 14,577 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है।

उद्यमशीलता प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए क्लस्टर–आधारित मॉडल

अत्यधिक कुशल प्रशिक्षकों का एक पूल बनाने के अपने दृष्टिकोण के अनुरूप, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) ने संकल्प के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य कौशल विकास सोसाइटी (एमएसएसडीएस), ऑटोमोटिव कौशल विकास परिषद (एएसडीसी), और इंडो–जर्मन व्यावसायिक और प्रशिक्षण कार्यक्रम (जीआईज़ेड–आईजीवीईटी) के साथ भागीदारी में औरंगाबाद, महाराष्ट्र में एक परियोजना शुरू की। इस प्रायोगिक परियोजना के तहत औरंगाबाद में सीएनसी प्रोग्रामिंग और ऑपरेशंस, एडवांस्ड वेल्डिंग टेक्नोलॉजीज और रोबोटिक टेक्नोलॉजी और ऑपरेशंस जैसे तीन ट्रेडों में 75 प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया था।

दूसरे चरण में, 200 प्रशिक्षकों को पुणे में प्रशिक्षित करने के लिए पांच श्रेणियों में बांटा गया था। उपर्युक्त तीन ट्रेडों के अलावा, दो नए ट्रेडों अर्थात गुणवत्ता नियंत्रण और उन्नत ऑटोमोटिव तकनीकों की शुरुआत की गई।

ज्ञान साथी के रूप में, जीआईज़ेड ने टीओटी की अवधारणा को विकसित करने और कार्यान्वयन प्रक्रिया के लिए सभी हितधारकों को एक साथ लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जीआईज़ेड भी जर्मन विशेषज्ञता से परियोजना का समर्थन कर रहा है, जिससे पाठ्यक्रम, ऑन–द–जॉब प्रशिक्षण आदि में मूल्यवर्धन हो रहा है। जीआईज़ेड द्वारा शुरू किया गया सहयोग इंडो–जर्मन चैंबर ऑफ कॉमर्स (आईजीसीसी) प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा करने वाले प्रशिक्षकों को इंडो–जर्मन दोहरा प्रमाणन प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है।

इस परियोजना की अवधि 12 महीने है, और 110 प्रशिक्षकों ने अब तक पुणे में अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया है।

आयोजित प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण की झलक

अंबर (बेहतर रोजगार और प्रतिधारण के लिए त्वरित मिशन)

अंबर (बेहतर रोजगार और प्रतिधारण के लिए त्वरित मिशन) का उद्देश्य कौशल विकास के एक मापनीय और नियमित मॉडल को विकसित करना और कार्यान्वित करना है जो उद्योग–प्रासंगिक कौशल और रोजगार के अवसरों के साथ भारत के युवाओं को सशक्त बनाने के लिए बेहतर परिणाम और संस्थागत मजबूती सुनिश्चित करने के लिए समावेशी विकास का समर्थन करता है। इस परियोजना का लक्ष्य 30,000 प्रशिक्षुओं को शामिल करना है। इस परियोजना में कुल परियोजना लागत का 50% निजी/परोपकारी निधि शामिल है। संकल्प, एमएसडीई के तत्वावधान में जनरेशन इंडिया फाउंडेशन के साथ भागीदारी में एनएसडीसी द्वारा यह परियोजना शुरू की जा रही है।

ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली में एक प्रशिक्षण सत्र की झलकियां

हीरो मोटोकॉर्प के साथ जीविका परियोजनाः एएसडीसी और हीरो मोटोकॉर्प के साथ भागीदारी में एमएसडीई, बीएस–टप तकनीक के साथ मौजूदा कौशल विकास केंद्रों (एसडीसी) के प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे को उन्नत करने और दोपहिया वाहनों के रख–रखाव और मरम्मत संबंधी एक व्यापक अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करने के लिए इस परियोजना को कार्यान्वित कर रहा है। इस परियोजना से पांच एसडीसी का उन्नयन होगा और चार नए एसडीसी स्थापित होंगे। इसके अलावा, यह परियोजना 720 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करेगी, जिनमें स्थानीय गैरेज के कर्मचारी भी शामिल हैं, जिनके पास नवीनतम बुनियादी ढांचा और तकनीकी प्रशिक्षण तक पहुंच नहीं है। यह परियोजना छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में कार्यान्वित की जा रही है।

ब्रिजस्टोन के साथ सारथी परियोजनाः एमएसडीई, एएसडीसी और हीरो मोटोकॉर्प के साथ भागीदारी में भारी वाणिज्यिक वाहन (एचएमवी) चालकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए एक परियोजना कार्यान्वित कर रहा है। इस परियोजना का लक्ष्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों के 1080 युवाओं को शामिल करना है। यह परियोजना ओडिशा, महाराष्ट्र और तेलंगाना राज्यों में कार्यान्वित की जा रही है।

एनडीएमसी के साथ आरपीएल कार्यक्रमः एमएसडीई, एनडीएमसी को अपने अनुबंधित कर्मचारियों और कार्यरत अन्य कर्मचारियों को प्रमाणित करने तथा उनका कौशलोन्नयन करने में सहयोग कर रहा है। इस परियोजना का लक्ष्य 75,000 उम्मीदवारों को शामिल करना है, जिनमें से 25,000 को संकल्प के अंतर्गत सहायता दी जा रही है।

आरपीएल प्रशिक्षण की तस्वीरें

जिला कौशल समिति (डीएससी) का क्षमता–निर्माण

वर्चुअल रूप से आयोजित 'क्षमता–निर्माण' सत्र की झलकियां

जिला कौशल समितियों (डीएससी) को देश भर के 700 से अधिक जिलों में संस्थागत किया गया है। संकल्प के भाग के रूप में एमएसडीई द्वारा जिला कौशल समिति (डीएससी) के सदस्यों और जिला पदाधिकारियों की क्षमता–निर्माण के लिए थीम–आधारित कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। एमएसडीई ने एक डीएसडीपी टूलकिट और कौशल पुस्तिका (चार खंड) विकसित की है जो कौशल विकास योजना सहित विभिन्न कार्यों को करने में डीएससी की सहायता करेगी। वर्ष 2022 की शुरुआत तक, एमएसडीई ने जिला कौशल विकास योजना (डीएसडीपी) विकसित करने के लिए छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, नगालैंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के डीएससी सदस्यों के साथ कई कार्यशालाएं आयोजित किए। वर्ष 2022 में, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू और कश्मीर, तथा महाराष्ट्र के एसएसडीएम अधिकारियों के लिए ऑनलाइन कार्यशालाओं का आयोजन किया गया था।

केंद्रपाड़ा, ओडिशा में गोल्डन ग्रास शिल्प में महिलाओं का कौशल और उद्यमशीलता विकास

गोल्डन ग्रास शिल्प में महिलाओं का कौशल और उद्यमशीलता विकास एमएसडीई, जिला कौशल समिति (डीएससी) केंद्रपाड़ा और राज्य कला तथा शिल्प विकास संस्थान (सीडैक) ओडिशा सरकार के सहयोग से शुरू की गई एक परियोजना है। इसका प्राथमिक उद्देश्य ओडिशा के केंद्रपाड़ा ब्लॉक के 35 गांवों में गोल्डन ग्रास शिल्प में 3,000 महिला कारीगरों को कौशल प्रशिक्षण और बाजार से सम्बद्ध करना है।

अब तक, 965 कारीगरों का अंतःस्थक कौशल प्रशिक्षण पूरा हो चुका है, 305 कारीगरों का उन्नत कौशल प्रशिक्षण पूरा हो चुका है, 200 कारीगरों का बुनियादी कौशल प्रशिक्षण पूरा हो चुका है और 813 कारीगर प्रशिक्षणाधीन है।

केंद्रपाड़ा में गोल्ड ग्रास शिल्प में कौशल प्रशिक्षण की झलकियां

पंजाब में सीवरेज कामगारों का कौशल प्रशिक्षण

पंजाब कौशल विकास मिशन (पीएसडीएम), पंजाब जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड (पीडब्ल्यूएसएसबी) और पटियाला तथा कपूरथला के नगर निगमों के साथ भागीदारी में 10 अगस्त, 2021 को "200 सीवरेज कामगारों का कौशल प्रशिक्षण" परियोजना शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य मशीनीकृत सफाई में 200 सीवरेज कर्मचारियों को कुशल बनाना और स्वच्छता कार्य के संचालन में अधिक सुरक्षा और सुधार लाना है। यह परियोजना प्रमाणन प्रक्रियाओं के मानकीकरण को प्रोत्साहित करने, कौशल की रजिस्ट्री बनाने और जॉब रोल को आकांक्षीय और प्रतिष्ठित बनाने की दिशा में भी काम कर रही है। जॉब रोलों और प्रशिक्षण मॉड्यूल की भी समीक्षा की जाएगी और परियोजना के एक भाग के रूप में उन्नत किया जाएगा।

अब तक, 90 उम्मीदवारों ने नियमित रूप से प्रशिक्षण लिया है, जिनमें से 60 ने अपना ऑन–जॉब प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। 60 अन्य के लिए क्लासरूम प्रशिक्षण शुरू हो गया है।

परियोजना के तहत बैचों के क्लासरूम प्रशिक्षण की तस्वीरें

अवसर परियोजना

परिधान क्षेत्र में महिलाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण और रोजगार की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) ने 'आजादी का अमृत महोत्सव' जिसमें प्रगतिशील भारत के 75 वर्ष और अपने लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास का उत्सव मनाते हैं, के भाग के रूप में "अवसर" परियोजना शुरू करने के लिए अमृता विश्व विद्यापीठम के साथ भागीदारी की'। इस पहल का उद्देश्य स्व–सहायता समूहों (एसएचजी) की लगभग 4500 महिलाओं और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में ट्रांसजेंडरों को प्रमाणित करना है। अब तक, 2842 महिलाओं को नामांकित किया गया है और इस परियोजना के तहत 31 महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया है।

विभिन्न अमृता विद्यापीठम केंद्रों में आयोजित प्रशिक्षण की झलकियां

महाराष्ट्र में कारीगरों और बुनकरों का कौशल उन्नयनः 2,000 कारीगरों और बुनकरों के तकनीकी ज्ञान का उन्नयन और इसे बढ़ाने के उद्देश्य से, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) ने आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अर्जन और ज्ञान जागरूकता (संकल्प) कार्यक्रम के अंतर्गत एक पहल की है। यह सुनिश्चित करते हुए कि हस्तशिल्प उद्योग के पास मौजूदा कारोबारी माहौल में समृद्ध होने के लिए आवश्यक कौशल है। यह पहल मानखुर्द–शिवाजी नगर, गोवंडी, रमाबाई और नगर घाटकोपर सहित मुंबई के उत्तर–पूर्वी हिस्सों पर ध्यान केंद्रित करेगी, यह पहल मुख्य रूप से हस्तशिल्प क्षेत्र में असंगठित कार्यबल की दक्षताओं को मानकीकृत राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचा (एनएसक्यूएफ़) में संरेखित करने पर केंद्रित है, साथ ही उनके तकनीकी और विपणन ज्ञान को बढ़ाने, हस्तनिर्मित उत्पादों और शिल्प को बढ़ावा देने के लिए अभिनव डिज़ाइनों और तकनीकों को पढ़ाने तथा डिजिटल साक्षरता और सॉफ्ट स्किल्स प्रदान करने पर भी केंद्रित है। यह प्रशिक्षण 72 घंटे का होगा 12 घंटे के अभिविन्यास और 60 घंटे के ब्रिज मॉड्यूल केसाथ 10 दिनों के बैचों में आयोजित किया जाएगा।

उत्तर–पूर्वी मुंबई में विभिन्न स्थानों पर आयोजित प्रशिक्षण बैचों की तस्वीरें

पूर्वी नागालैंड के युवाओं के लिए पारंपरिक जनजातीय कलाओं में कौशल प्रशिक्षणः नागालैंड के राज्य कौशल विभाग और अविकसित क्षेत्रों के विकास विभाग (डीयूडीए) के साथ भागीदारी में एमएसडीई पूर्वी नगालैंड के युवाओं के कौशल को निखार कर जनजातीय पारंपरिक कलाओं को बढ़ावा देने के लिए एक परियोजना कार्यान्वित कर रहा है। इस परियोजना में पूर्वी नागालैंड के 6 जिलों में 825 जनजाति उम्मीदवारों का कौशल प्रशिक्षण शामिल है।

प्रशिक्षकों के रूप में दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) का प्रशिक्षणः इस कार्यक्रम का उद्देश्य पर्याप्त प्रशिक्षण के साथ पीडब्ल्यूडी प्रशिक्षकों को सशक्त बनाकर पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करना है। इसके अलावा, एमएसडीई उन्हें देश में प्रशिक्षण के बदलते परिदृश्य से परिचित कराने और दिव्यांग प्रशिक्षण की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार करने के लिए प्रशिक्षकों के रूप में दिव्यांग पेशेवरों को मुख्यधारा में लाने की कल्पना करता है। इसके बदले में इसका उद्देश्य बेहतर रोजगार के अवसरों के लिए सीखने के परिणामों में सुधार करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है ताकि वे एक सम्मानित जीवन जी सकें।

इस परियोजना के अंतर्गत 25 मुख्य प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा जो बाद में 150 दिव्यांग प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देंगे। अभी तक कुल दस मुख्य प्रशिक्षकों को दो बैचों में प्रशिक्षित किया जा चुका है।

परियोजना के तहत प्रशिक्षित मुख्य प्रशिक्षकों के उद्घाटन बैच की तस्वीर

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 पर एमएसडीई अधिकारियों की क्षमता–निर्माण

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) ने संयुक्त राष्ट्र महिला के साथ मिलकर एमएसडीई कर्मचारियों के लिए पांच सप्ताह के प्रशिक्षण सत्र योजना को सफलतापूर्वक पूरा किया। प्रशिक्षण सत्र को शानदार प्रतिक्रिया मिली और पांच सप्ताह में 100 से अधिक एमएसडीई अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी हुई। यह भागीदारी 21वीं सदी के भारत की तीव्र प्रगति के लिए महिलाओं को सशक्त बनाने का माननीय प्रधान मंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

इस कार्यक्रम के अनुसार, एमएसडीई अधिकारियों के क्षमता–निर्माण के लिए प्रशिक्षण सत्रों की एक श्रृंखला आयोजित की गई। इस प्रशिक्षण ने यौन उत्पीड़न का एक संक्षिप्त विवरण प्रदान किया और शिकायत प्रक्रिया के बारे में प्रतिभागियों की जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया। यह पहल देश के समावेशी विकास में समान प्रतिभागियों के रूप में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एमएसडीई की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है और महिलाओं के लिए एक सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए इसके सक्रिय प्रयासों का एक घटक है।

श्री अतुल कुमार तिवारी, सचिव, एमएसडीई आंतरिक समिति के सदस्यों को संबोधित करते हुए।

संकल्प के अंतर्गत राज्य घटकः संकल्प के राज्य घटक का उद्देश्य राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी क्षमता–निर्माण में सहायता करके कौशल विकास इको सिस्टम को मजबूत करना है।

संकल्प में भागीदारी के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने एमएसडीई को अपनी सहमति प्रस्तुत की थी। इसके अलावा, विश्व बैंक की आवश्यकता के अनुसार, एमएसडीई ने राज्य प्रोत्साहन अनुदान (एसआईजी) मैट्रिक्स पर संकल्प को कार्यान्वित करने से पहले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की आधार रेखा स्थापित करने के लिए एक बाहरी एजेंसी को शामिल किया था। यह अपनी तरह का पहला अभ्यास था जिसमें कौशल विकास योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए राज्यों की प्रणाली की परिपक्वता, राज्यों में कौशल विकास की बाजार प्रासंगिकता और उन कार्यक्रमों की पहुंच का आकलन किया गया।

संकल्प के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने के लिए, भाग लेने वाले राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र को संकल्प के तहत एक विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा, जिसमें उन कार्यकलापों की एक विस्तृत सूची होगी, जिन्हें राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र शुरू करने की योजना बना रहे हैं। इन कार्यकलापों के लिए टेम्प्लेट को संकल्प के तीन परिणाम क्षेत्रों के अनुरूप तीन मुख्य शीर्षकों अर्थात् (i) राज्य और जिला स्तर पर संस्थागत सुदृढ़ीकरण; (ii) कौशल विकास कार्यक्रमों की बेहतर गुणवत्ता और बाजार प्रासंगिकता, और (iii) महिला प्रशिक्षुओं के लिए बेहतर पहुंच और कौशल प्रशिक्षण को पूरा करना, के तहत वर्गीकृत किया गया है। इसके अलावा, इन्हें एसआईजी मैट्रिक्स के भाग के रूप में संकेतकों के अनुरूप उप–वर्गीकृत किया गया है, जिससे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इन संकेतकों के साथ अपनी कार्यकलापों को मैप करने और अपने एसआईजी स्कोर में सुधार दिखाने में मदद मिलती है।

एसआईजी बेसलाइन स्कोर पर प्रगति की वार्षिक अनुवीक्षण की जाती है। केवल वे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जिन्होंने अपने प्रदर्शन के अंतर में न्यूनतम 15% सुधार प्राप्त कर लिया है, संकल्प के अंतर्गत एमएसडीई से बाद में निधि जारी करने के पात्र हैं। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एसआईजी बेसलाइन पूरी कर ली गई है।

प्रत्येक वर्ष के लिए आकलन पूरा करने के लिए, निम्नलिखित अनुपालन अनिवार्य हैं:

- निधि की अगली किश्त के लिए पात्र होने के लिए अनिवार्य रूप से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा आंकड़ा और साक्ष्य प्रस्तुत करना।
- एक स्वतंत्र सत्यापन एजेंसी (आईवीए) द्वारा आंकड़ा और साक्ष्य के सत्यापन के बाद एमएसडीई को रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
- निधि संप्रदायगी के लिए विश्व बैंक को सत्यापित एसआईजी स्कोर और आईवीए रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

इसके अलावा, एमएसडीई ने 19 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एसआईजी आकलन पूरा कर लिया है, जिनमें से 18 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने एसआईजी बेसलाइन स्कोर पर न्यूनतम आवश्यकता को पूरा कर लिया है।

संकल्प एसआईजी के तहत जारी पहली भाग के रूप में, एमएसडीई ने राज्य घटक के अंतर्गत 287.91 करोड़ रुपए जारी किए हैं (31 राज्यों/संघ–राज्य क्षेत्रों को राज्य प्रोत्साहन अनुदान के रूपए में 274.00 करोड़ रुपए और आकांक्षीय जिलों को 13.91 करोड़ रुपए) (31 दिसंबर तक), 2022) का विवरण निम्नानुसार है:

संकल्प के अंतर्गत जारी राज्य प्रोत्साहन अनुदानः

क्र.सं.	राज्य रिलीज की तारीख	राशि भारतीय रुपये में	
1	आंध्र प्रदेश	21.01.2019	7,76,25,000
2	अरुणाचल प्रदेश	15.10.2019	2,73,28,500
3	असम	26.11.2018	8,84,00,000
4	बिहार	26.04.2019	24,76,77,600
5	छत्तीसगढ़	04.11.2019	8,04,49,200
6	गोवा	06.01.2020	1,02,00,000
7	गुजरात	29.05.2019	14,55,00,000
8	हरियाणा	28.05.2020	6,62,97,600

9	हिमाचल प्रदेश	20.10.2020	1,89,54,000
10	जम्मू और कश्मीर	21.01.2019	3,84,75,000
11	झारखंड	09.10.2019	5,61,60,000
12	कर्नाटक	28.04.2020	14,35,20,000
13	केरल	26.06.2020	6,09,30,000
14	लद्दाख	07.10.2021	50,00,000
15	मध्य प्रदेश	21.11.2019	14,42,40,000
16	महाराष्ट्र	12.02.2019	22,04,40,000
17	मणिपुर	06.03.2019	1,65,15,000
18	मेघालय	03.02.2020	2,23,20,000
19	मिजोरम	06.01.2020	1,80,90,000
20	नागालैंड	13.08.2019	2,34,00,000
21	ओडिशा	07.11.2019	4,89,60,000
22	पुडुचेरी	27.05.2020	1,82,50,000
23	पंजाब	15.07.2019	7,05,60,000
24	राजस्थान	24.12.2019	15,66,60,000
25	सिक्किम	09.01.2020	1,98,00,000
26	तमिलनाडु	29.11.2019	12,18,12,000
27	तेलंगाना	22.12.2020	8,27,64,000
28	त्रिपुरा	15.11.2019	2,16,72,000
29	उत्तर प्रदेश	21.01.2019	4,95,00,000
		30.12.2019	39,73,80,000
30	उत्तराखंड	24.12.2019	3,40,20,000
31	पश्चिम बंगाल	17.07.2020	5,00,00,000
		29.07.2020	2,38,99,666
		07.08.2020	13,31,60,334
	कुल		**2,73,99,59,900**

संकल्प के तहत आकांक्षी जिलों को जारी धनराशि :

क्र.सं.	राज्य	रिलीज की तारीख,	राशि भारतीय रुपये में
क.	आकांक्षी कौशल अभियान (एएसए)		
1	आंध्र प्रदेश	12.11.2018	30,00,000
2	अरुणाचल प्रदेश	12.11.2018	10,00,000
3	असम	12.11.2018	70,00,000
4	बिहार	12.11.2018	1,30,00,000
5	छत्तीसगढ़	28.12.2018	1,00,00,000
6	गुजरात	12.11.2018	20,00,000
7	हरियाणा	12.11.2018	10,00,000
8	हिमाचल प्रदेश	12.11.2018	10,00,000
9	जम्मू और कश्मीर	12.11.2018	20,00,000
10	झारखंड	12.11.2018	1,90,00,000
11	कर्नाटक	22.01.2019	20,00,000
12	केरल	12.01.2018	10,00,000
13	मध्य प्रदेश	28.12.2018	80,00,000
14	महाराष्ट्र	12.11.2018	40,00,000
15	मणिपुर	12.11.2018	10,00,000
16	मेघालय	12.11.2018	10,00,000
17	मिजोरम	28.12.2018	10,00,000
18	नागालैंड	12.11.2018	10,00,000
19	ओडिशा	12.11.2018	1,00,00,000
20	पंजाब	12.11.2018	20,00,000
21	राजस्थान	28.12.2018	50,00,000
22	सिक्किम	12.02.2019	10,00,000
23	तमिलनाडु	12.11.2018	20,00,000
24	तेलंगाना	28.12.2018	30,00,000
25	त्रिपुरा	12.10.2018	10,00,000
26	उत्तर प्रदेश	12.11.2018	80,00,000
27	उत्तराखंड	12.11.2018	20,00,000
28	पश्चिम बंगाल	12.11.2018	50,00,000
	कुल ए		**11,70,00,000**

क्र.सं.	राज्य	रिलीज की तारीख	राशि भारतीय रुपये में
ख.	आकांक्षी जिलों के लिए विशेष परियोजनाएं		
1	किफिरे – नागालैंड	07.10.2020	1,58,18,490.00
2	ममित – मिजोरम	06.11.2020	63,00,000.00
	कुल बी		**2,21,18,490.00**
	कुल योग (एबी)		**13,91,18,490.00**

संकल्प को कार्यान्वित करने में सहयोग देने के लिए एमएसडीई समय–समय पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ जुड़ता रहा है।

जिला कौशल योजना सहायता किट (डिस्पैक) का डिजिटलीकरण

जिला कौशल योजना सहायता किट (डिस्पैक) के उपयोग और पहुंच को बढ़ाने के लिए, इसका डिजिटलीकरण किया गया और अब तक 690 से अधिक जिले पोर्टल पर पंजीकृत हो चुके हैं। इस पहल ने वर्तमान परिदृश्य, मांग/आपूर्ति, अंतर विश्लेषण आदि के संबंध में राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कुल लागत उपलब्ध कराया है। यह जमीनी स्तर पर कुशलतापूर्वक कौशल विकास कार्यकलापों के अनुवीक्षण के लिए राष्ट्रीय स्तर के डैशबोर्ड भी प्रदान करता है।

आईटी पोर्टल्स का विकासः

संकल्प ने एमएसडीई की कई आईटी पहलों का सहयोग किया है जिसमें स्किल इंडिया डिजिटल (डीईएसएच स्टैक), स्किल इंडिया पोर्टल, शिक्षुता पोर्टल और संकल्प पोर्टल शामिल हैं।

5.25 जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस)

1. पृष्ठभूमि

कौशल विकास के लिए जन शिक्षण संस्थानों (एनजीओ) को सहायता प्राप्त स्कीम अपनी तरह की एक स्कीम है जो समाज के सीमांत, वंचित और पिछड़े वर्गों को विशेष रूप से तैयार किए गए कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से उनकी पूरी क्षमता का उपयोग करने में सहायता करता है जो गैर–साक्षर, नव–साक्षर, 8वीं तक शिक्षा के प्रारंभिक स्तर वाले व्यक्ति और 15–45 वर्ष के आयु–वर्ग में 12वीं कक्षा तक स्कूली शिक्षा बीच में छोड़ने वालों को स्व/दिहाड़ी रोजगार की सुविधा प्रदान करता है। प्राथमिकता समूह में महिलाएं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, दिव्यांगजन और समाज के अन्य पिछड़े वर्ग हैं। जन शिक्षण संस्थान न्यूनतम बुनियादी ढांचे और संसाधनों सहित लाभार्थियों के पहुंच तक काम करते हैं। वे न केवल व्यावसायिक कौशल प्रदान करते हैं बल्कि स्वास्थ्य, व्यक्तिगत स्वच्छता, शिक्षा, वित्तीय साक्षरता, पर्यावरण, महिला संबंधी मामले और राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण दिवसों से संबंधित ज्ञान जैसे स्थानीय मुद्दों पर ग्रामीण जनता के बीच जागरूकता सृजित करते हैं।

2. औचित्य और दृष्टिकोण

2.1 जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) स्कीम, जिसे प्रारम्भ में 1967 में श्रमिक विद्यापीठ (एसवीपी) के रूप में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य भारत सरकार द्वारा 100% अनुदान के साथ पंजीकृत सोसायटी (एनजीओ) के माध्यम से लाभार्थी के आवास के समीप गैर–औपचारिक तरीके से कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना है। यह स्कीम 2 जुलाई, 2018 को शिक्षा मंत्रालय (तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय) से कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय को अंतरित की गई थी।

2.2 इस स्कीम का उद्देश्य कौशल विकास प्रशिक्षण के माध्यम से स्व/दिहाड़ी रोजगार को बढ़ावा देकर घरेलू आय में वृद्धि करना है। यह कौशल प्रशिक्षण महिलाओं, अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), अल्पसंख्यकों और समाज के अन्य वंचित समूहों के लिए कम लागत वाला, लचीला और अत्यधिक सुलभ है।

2.3 इस स्कीम की शक्ति इसका सामुदायिक जुड़ाव और स्थानीय प्रशासन, ग्राम पदाधिकारियों और अन्य प्रमुख हितधारकों की भागीदारी है। यह जेएसएस स्कीम के अंतर्गत बुनियादी ढांचे, संसाधनों और लाभार्थियों को प्रभावी ढंग से जुटाने में सक्षम बनाता है।

3. स्कीम के हितधारक

3.1 इस स्कीम के प्रमुख हितधारक लक्षित लाभार्थी, मूल निकाय, जेएसएस, प्रबंधन बोर्ड (बीओएम), स्थानीय उद्योग/अन्य नियोक्ता, पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) के सदस्य, प्रमुख स्थानीय समुदाय के सदस्य और राज्य/जिला स्तर के प्रतिनिधि आदि हैं।

3.2 यह स्कीम जेएसएस के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है जो संबंधित मूल निकायों के तत्वावधान में कार्य कर रहे हैं। मूल निकाय को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत जेएसएस को एक अलग गैर–सरकारी संस्थान के रूप में पंजीकृत करना चाहिए। ये जेएसएस निर्दिष्ट लक्ष्य के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भारत सरकार से सहायता अनुदान (जीआईए) के रूप में वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं।

4. जेएसएस स्कीम के उद्देश्य

इस स्कीम का उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

क. गैर–साक्षर, नव–साक्षर, 8वीं कक्षा तक शिक्षा के प्रारंभिक स्तर वाले व्यक्तियों और 15–45 के आयु–वर्ग में 12वीं कक्षा तक स्कूली पढ़ाई बीच में छोड़ने वालों को अनौपचारिक तरीके से कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना

ख. स्थानीय मांग कौशल के माध्यम से महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों और समाज के अन्य वंचित वर्गों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए उनकी पारिवारिक आय में वृद्धि करना

ग. लक्ष्य समूह को कौशल एवं उद्यमशीलता विकास के माध्यम से स्व–रोजगार/दैनिक वेतन रोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना

घ. सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य और पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जनता के बीच जागरूकता पैदा करना।

5. कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत

इस कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित सिद्धांतों पर एकीकृत तरीके से लक्षित समूहों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है:

क) गैर/नव–साक्षर/स्कूली पढ़ाई बीच में छोड़ने वालों को आजीवन कौशल अवसरों तक निरंतर पहुंच होनी चाहिए;

ख) कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम की स्थानीय बाजार मांग होनी चाहिए और इससे आय में वृद्धि होनी चाहिए;

ग) कार्यक्रम विविधतापूर्ण, लचीले और विभिन्न आवश्यकताओं तथा स्थितियों के अनुकूल होते हैं;

घ) कौशल विकास कार्यक्रम तुलनात्मक रूप से कम लागत वाला और आसानी से सुलभ होना चाहिए

ङ) स्किलिंग पाठ्यक्रमों को राष्ट्रीय मानक अर्हता ढांचा (एनएसक्यूएफ) के साथ जोड़ा जाना चाहिए;

च) स्थानीय समुदाय के सहयोग से लाभार्थी के आवास के समीप तक कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

6. कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के मुख्य चरण

6.1 पाठ्यक्रम–चयन: इन पाठ्यक्रमों की योजना एक घर से दूसरे घर सर्वेक्षण के माध्यम से स्थानीय बाजार मांग और लाभार्थियों की आवश्यकता के आकलन के आधार पर बनाई जाती है। अधिकतम दिहाड़ी/स्व–रोजगार के अवसरों वाले पाठ्यक्रमों का चयन किया जाता है। एकरूपता और कौशल मानकों को बनाए रखने के लिए, सभी पाठ्यक्रमों को एनएसक्यूएफ मानकों के अनुरूप बनाया गया है। पाठ्यक्रम के पाठ्यचर्या में डिजिटल साक्षरता और रोजगार कौशल को भी शामिल किया गया है। स्थानीय पारंपरिक कौशल संबंधी पाठ्यक्रमों को भी बढ़ावा दिया जाता है।

6.2 लाभार्थी नामांकनः जेएसएस पाठ्यक्रम के बारे में स्थानीय स्तर पर जागरूकता पैदा करते हैं, लाभार्थियों को उनकी रुचि के क्षेत्र के बारे में परामर्श देते हैं, और तदनुसार कौशल मैपिंग करते हैं। लाभार्थियों को उनके लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम चुनने में सहायता करने के लिए प्रत्येक जेएसएस में कार्यक्रम कर्मचारी तैनात किए गए हैं। जेएसएस आधार–आधारित नामांकन प्रणाली का अनुपालन करते हैं।

6.3 पाठ्यक्रम पाठ्यचर्याः जेएसएस में प्रस्तुत किए जाने वाले पाठ्यक्रम तकनीकी और रोजगारपरक कौशल का मिश्रण हैं। यह मिश्रण लाभार्थियों को लाभकारी स्व/दिहाड़ी रोजगार के लिए उपयोग किए जाने वाले कौशल के सही सेट को सीखने में सक्षम बनाता है।

जेएसएस (डीजेएसएस) निदेशालय ने जेएसएस ग्राहकों के लिए उपयुक्त जॉब रोल विकसित किए हैं। राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) ने जेएसएस स्कीम के लिए 15 अर्हताओं/पाठ्यक्रमों को अनुमोदन दिया है जिन्हें एनएसक्यूएफ स्तर 2 और 3 के साथ संरेखित किया गया है। जेएसएस द्वारा वित्त–वर्ष 2022–23 से इन अर्हताओं/जॉब रोलों में प्रशिक्षण दिया जाएगा।

डीजेएसएस समय–समय पर आवधिक समीक्षा के आधार पर ग्राहकों की जरूरतों और आवश्यकताओं के अनुसार नए जॉब रोलों/पुराने जॉब रोलों को संशोधित कर सकता है।

6.4 प्रशिक्षण प्रक्रियाः यह प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के चयन और 20 लाभार्थियों वाले बैच के सृजन के साथ शुरू होता है। शिक्षण की पद्धति में सैद्धांतिक (30%) और व्यावहारिक (70%) शिक्षण दोनों शामिल हैं। शिक्षण को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आजीविका अनुभव, बाजार जोखिम और व्यवस्थित साक्ष्य–आधारित आकलन प्रणाली को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है।

6.5 प्रशिक्षण आकलनः जेएसएस लाभार्थियों का आकलन डीजेएसएस द्वारा आकलनकर्ताओं के एक पूल के माध्यम से किया जाएगा जिसमें पड़ोसी जेएसएस से चुने गए अनुभवी संसाधन व्यक्ति शामिल होंगे। इस आकलन को तीन भागों अर्थात सिद्धांत (20% – 30%), व्यावहारिक (60% – 70%) और मौखिक (10% – 20%), में बांटा गया है। साक्ष्य–आधारित आकलन प्रणाली और ऑनलाइन प्रमाणन नियोजन के लिए कौशल प्रशिक्षण की विश्वसनीयता को बढ़ावा देते हैं और आकलन में पारदर्शिता सुनिश्चित करते हैं। ऑनलाइन प्रमाण–पत्र में एक क्यूआर कोड और जेएसएस तथा कुशल भारत मिशन का लोगो है।

7. कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के तत्वावधान में स्कीम

जुलाई, 2018 में स्कीम के अंतरण के बाद से, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने जेएसएस के समग्र कामकाज में सुधार करने और एमएसडीई की अन्य स्कीमों के साथ इस स्कीम को कारगर बनाने के लिए कई उपाय तथा सुधार किए हैं। एमएसडीई द्वारा अनौपचारिक क्षेत्र में जेएसएस की स्कीमें निम्नलिखित हैं:

i. जेएसएस का श्रेणी क, ख और ग में वर्गीकरण समाप्त कर दिया गया और सभी जेएसएस के लिए समान वार्षिक आवर्ती सहायता अनुदान (50 लाख रुपए तक) है।

ii. बड़े समूह को अवसर प्रदान करने के लिए जेएसएस के लक्षित लाभार्थियों की आयु–समूह की ऊपरी सीमा 15–35 से बढ़ाकर 15–45 वर्ष कर दी गई है।

iii. प्रबंधन बोर्ड में महिला सदस्यों की भागीदारी बढ़ाई गई है।

iv. जेएसएस को वार्षिक आवर्ती अनुदान सहायता को 30 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए प्रति वर्ष कर दिया गया है।

v. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजन और बीपीएल श्रेणी के लाभार्थियों के लिए पाठ्यक्रम शुल्क की छूट, और सामान्य श्रेणी के लिए जेएसएस प्रति लाभार्थी 100 रुपए से अधिक का नाममात्र शुल्क नहीं ले सकते हैं।

vi. लाभार्थियों के बीच दिहाड़ी/स्व–रोजगार के लिए लाभार्थियों को प्रोत्साहित करने हेतु प्रत्येक जेएसएस में एक आजीविका प्रकोष्ठ की स्थापना। रोजगार एवं जॉब मेला आदि को बढ़ावा देने के लिए आजीविका प्रकोष्ठ को राष्ट्रीय/राज्य पोर्टल से जोड़ा जाएगा।

vii. जेएसएस के लिए सामान्य ब्रांडिंग दिशानिर्देशों का विकास।

viii. कौशल इकोसिस्टम के सभी हितधारकों को पारदर्शिता, उत्तरदायी बनाने, गुणवत्ता और समय पर जानकारी प्रदान करने के लिए जन शिक्षण संस्थान हेतु एक वेब–आधारित एमआईएस पोर्टल का विकास।

ix. आकलन और प्रमाणन में एकरूपता तथा पारदर्शिता लाने के लिए, इस स्कीम में साक्ष्य–आधारित आकलन प्रणाली और जेएसएस लाभार्थियों के ऑनलाइन प्रमाणन की शुरुआत की गई।

x. जेएसएस के मुख्य कार्यों को कमजोर किए बिना जन शिक्षण संस्थानों को शुल्क आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम और सीएसआर कार्यक्रम शुरू करने की अनुमति देना।

xi. भारत सरकार की वीटो शक्ति को वापस ले लिया गया है और जेएसएस को प्रबंधन बोर्ड की मंजूरी के साथ विकास निधि का उपयोग करने की स्वतंत्रता दी गई है।

xii. एकरूपता और कौशल मानकों को बनाए रखने के लिए एनएसक्यूएफ–संरेखित पाठ्यक्रमों को अंगीकृत किया गया है।

8. निम्न वित्तीय–वर्षों के दौरान जन शिक्षण संस्थानों की प्रगति

8.1 वित्त–वर्ष 2018–19 से वित्त–वर्ष 2021–22 के दौरान

जन शिक्षण संस्थानों ने वित्त–वर्ष 2018–19 से वित्त–वर्ष 2021–22 के बीच 14.04 लाख लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया है। इस स्कीम की प्रमुख लाभार्थी महिलाएं थीं, जो उक्त अवधि के दौरान जेएसएस द्वारा प्रशिक्षित कुल लाभार्थियों का 85% थीं। लाभार्थियों की सामाजिक श्रेणी के अनुसार इसमे अनुसूचित जाति (27%), अनुसूचित जनजाति (13%), अन्य पिछड़ा वर्ग (35%), अल्पसंख्यक (10%) और सामान्य श्रेणी (15%) शामिल है।

8.2 वित्त–वर्ष 2022–23 के दौरान

8.1 वित्तीय–वर्ष 2022–23 के लिए 514590 लाभार्थियों के कुल वार्षिक प्रशिक्षण लक्ष्य के साथ 288 जन शिक्षण संस्थानों (जेएसएस) की कार्य योजना को मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया था। तदनुसार, इन जन शिक्षण संस्थानों ने 14 फरवरी 2023 तक 490331 लाभार्थियों को नामांकित किया है और 274708 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया है। नामांकित लाभार्थियों में ग्रामीण और शहरी अल्प आय वाले क्षेत्रों में शैक्षिक रूप से वंचित और सामाजिक–आर्थिक रूप से पिछड़े समूह शामिल हैं। इस स्कीम के प्रमुख उद्देश्यों के अनुरूप, नामांकित लाभार्थियों में अधिकांश महिलाएं (81%) हैं।

8.2 इसी प्रकार, अन्य सामाजिक स्तर के लाभार्थियों को भी शामिल किया गया है। इसमें 74.96% लाभार्थी बीपीएल से संबंधित हैं, 83.58% एससी/एसटी/ओबीसी/अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित हैं। अधिकांश लाभार्थी शिक्षा के अल्पविकसित स्तर (53.15%) के साथ 15–25 (55.78%) आयु–वर्ग के हैं। नामांकित, प्रशिक्षित, आकलित और प्रमाणितों की कुल संख्या तालिका–1 में दी गई है और जेंडर, सामाजिक–आर्थिक स्थिति, आयु–समूह और शैक्षिक स्तर पर चालू–वित्तीय वर्ष के दौरान नामांकित लाभार्थियों का विस्तृत विवरण नीचे क्रमश तालिका 2, तालिका 3, तालिका 4, तालिका 5 और तालिका 6 में दिया गया है।

तालिका 1: नामांकित, प्रशिक्षित आंकलित और प्रमाणित लाभार्थियों की संख्या

कुल जेएसएस संख्या	कुल लक्ष्य	नामांकित	प्रशिक्षित	आकलित	प्रमाणित
288	515550	490331	274708	242998	232975

तालिका 2: जेंडर–वार नामांकित लाभार्थी

नामांकित पुरुष लाभार्थियों की संख्या	नामांकित महिला लाभार्थियों की संख्या	नामांकित ट्रांसजेंडर लाभार्थियों की संख्या	योग
112045	378120	166	490331

तालिका 3: नामांकित लाभार्थियों की आर्थिक स्थिति

एपीएल	बीपीएल	योग
122802	367529	490331

तालिका 4: नामांकित लाभार्थियों की सामाजिक स्थिति

एससी	एसटी	ओबीसी	वंचित	सामान्य	योग
120465	70675	174162	44514	80515	490331

तालिका 5: लाभार्थियों की आयु–वर्ग

वित्त–वर्ष आयु–वर्ग	15–18 वर्ष	19–25 वर्ष	26–35 वर्ष	35 वर्ष से अधिक	योग
2022–23	65879	207582	142961	73901	490331

तालिका 6: लाभार्थियों की शैक्षिक स्थिति

निरक्षर	नव–साक्षर	प्राथमिक स्तर	12वीं की पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले	योग
21881	91826	260590	116033	490331

6

प्रतियोगिता तथा पुरस्कार

6.1 विश्व कौशल

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के तत्वावधान में, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक दो वर्ष में कौशल प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। देश भर के विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों के कुशल युवा क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर (इंडियास्किल्स) प्रतियोगिता में अपने–अपने कौशल में एक–दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। इंडियास्किल्स के विजेता अगले एक वर्ष में अपने कौशल को और निखारते हैं और विश्व कौशल प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए खुद को तैयार करते हैं।

एनएसडीसी 2011 से वर्ल्डस्किल्स इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं (कौशल के लिए ओलंपिक खेलों के समकक्ष) में देश की भागीदारी का नेतृत्व कर रहा है। 100 से अधिक निगमों ने विश्व कौशल/भारत कौशल को प्रत्यक्ष प्रायोजन, प्रशिक्षक/जूरी सदस्य उपलब्ध करने, उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने और अन्य प्रशिक्षण सहायता के माध्यम से सहयोग दिया है।

6.1.1 विश्वकौशल प्रतियोगिता 2022

विश्वकौशल प्रतियोगिता 2022 मूल रूप से अक्तूबर, 2022 में शंघाई, चीन में आयोजित होने वाली थी। हालांकि, कोविड के बढ़ने से और शून्य कोविड नीति के कारण, शंघाई प्रतियोगिता की मेजबानी करने से पीछे हट गया। विश्वकौशल प्रतियोगिता यूरोप, एशिया और यूएसए के 15 मेजबान देशों में विकेंद्रीकृत तरीके से आयोजित की गई थी।

6.1.2 विश्वकौशल प्रतियोगिता के लिए प्रशिक्षण और विकासः

विश्वकौशल भारत के विशेषज्ञों और प्रशिक्षकों की सलाह के अंतर्गत विश्व कौशल मानकों के अनुरूप विकसित किए गए नामित प्रशिक्षण स्थलों पर विश्व कौशल प्रतियोगिता के लिए कुल 165 भारत कौशल राष्ट्रीय प्रतियोगिता विजेताओं को प्रशिक्षित किया गया था।

टोयोटा किर्लोस्कर, महिंद्रा, सेंट गोबेन, लार्सन एंड टुब्रो, मारुति सुजुकी, इंफोसिस, आईआईटी – पलक्कड़, बीआईएम लैब्स, ऑटोडेस्क, एसडीआई, गवर्नमेंट टूल रूम और प्रशिक्षण केंद्र, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, लिंकन जैसे 200 से अधिक उद्योग और शैक्षणिक भागीदार इलेक्ट्रिक, सिस्को, बीएमडब्ल्यू, वोक्सवैगन, बर्जर पेंट्स और अन्य ने भारत के प्रतिस्पर्धियों को प्रशिक्षित करने के लिए सहयोग किया, प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे, विषय–वस्तु विशेषज्ञता, अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण, कच्चे माल और विश्व कौशल प्रतियोगिता के लिए टूल–किट के संदर्भ में लगभग 20 करोड़ का प्रायोजन किया।

6.1.3 विश्वकौशल प्रतियोगिता 2022 में भारतीय टीम की संरचना

- 56 प्रतियोगी, 50 विशेषज्ञ, 11 दुभाषिए और 7 टीम लीडर
- 19% महिला – 11 प्रतियोगी
- 20% (12) प्रतियोगी आईटीआई उत्तीर्ण हैं
- 50 कौशल (6 कौशल जिसमें प्रत्येक 2 प्रतियोगियों की टीम शामिल है)।
- रोबोट सिस्टम इंटीग्रेशन, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्री 4.0, डिजिटल कंस्ट्रक्शन, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे आधुनिक कौशल में भागीदारी।

6.1.4 विश्वकौशल प्रतियोगिता 2022 में भारत का प्रदर्शनः

विश्व कौशल प्रतियोगिता 2022 में 50 से अधिक देशों के 1000 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया और भारत जीतकर 11वें स्थान पर रहाः

- 2 रजत पदक
- 3 कास्य पदक
- उत्कृष्टता के लिए 11 पदक

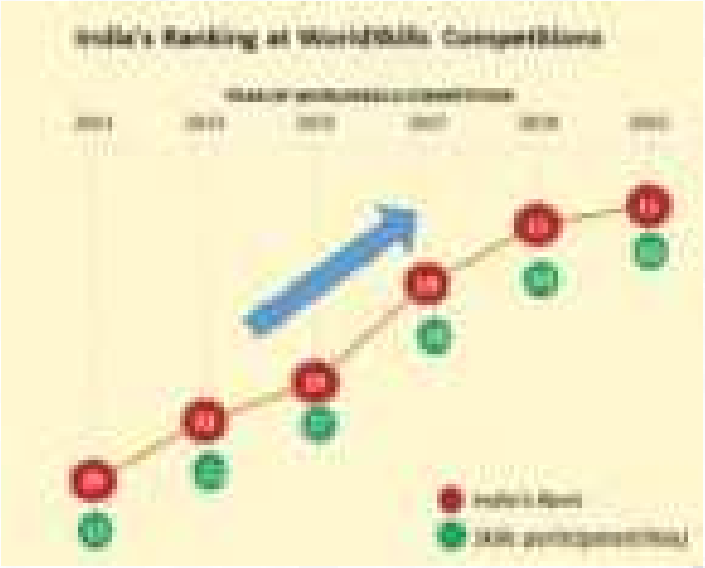

6.1.5 विश्वकौशल प्रतियोगिता 2022 में भारत के प्रदर्शन की मुख्य विशेषताएं

- विश्व कौशल प्रतियोगिता 2022 में टीम इंडिया बेहतर प्रदर्शन करके रैंकिंग में 11वां स्थान हासिल किया
- भारतीय महिला प्रतियोगियों का असाधारण प्रदर्शनः
  - o पैटिसरी और कन्फेक्शनरी कौशल में रजत पदक
  - o होटल रिसेप्शन कौशल में कांस्य पदक
  - o हेयर ड्रेसिंग एंड हेल्थ एंड सोशल केयर स्किल्स में उत्कृष्टता के लिए 2 पदक
- आईटीआई उत्तीर्ण प्रतियोगियों द्वारा उल्लेखनीय प्रदर्शनः
  - o 2 कांस्य पदक (प्रोटोटाइप मॉडलिंग और मेक्ट्रोनिक्स कौशल)
  - o उत्कृष्टता के लिए 2 पदक (ऑटोबॉडी रिपेयर एंड ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी स्किल)
- वर्ल्डस्किल्स इंटरनेशनल द्वारा भारत के विषय वस्तु विशेषज्ञों को अर्हता प्रमाण पत्रः
  - o 6 विशेषज्ञ (प्रोटोटाइप मॉडलिंग, हेयरड्रेसिंग, ब्रिकलेइंग, ऑटोबॉडी रिपेयर, ब्यूटी थेरेपी और ग्राफिक डिजाइन टेक्नोलॉजी)
  - o 1 कौशल प्रतियोगिता प्रबंधक (प्लास्टिक डाई इंजीनियरिंग)

6.2 कौशलाचार्य अवार्ड, 2022

इस वर्ष की कौशलाचार्य अवार्ड प्रक्रिया गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय अवार्ड पोर्टल (www.awards.gov.in) के माध्यम से आयोजित की गई थी और कौशल प्रशिक्षकों/प्रमुख प्रशिक्षकों को सम्मानित करने के लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता के संबंध में प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), महानिदेशालय प्रशिक्षण (डीजीटी), द्वारा स्थापित अवार्ड की विभिन्न श्रेणियों, शिक्षुता और उद्यमशीलता (ईएनपी), के अंतर्गत नामांकन किया गया था। इस वर्ष के संस्करण के लिए कौशलाचार्य अवार्ड, 2022 के तहत कुल 46 अवार्ड श्रेणियों की पहचान की गई है।

6.3 आजादी का अमृत महोत्सव (एकेएएम) का उत्सव

1. आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रगतिशील भारत के 75 वर्ष और इसके लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को स्मरण करने तथा मनाने के लिए भारत सरकार की एक पहल है।

2. 15 अगस्त, 2022 तक 75 सप्ताह में, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी), प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), पॉलिटेक्निक, भारतीय उद्यमिता संस्थान के माध्यम से कौशल विकास और

उद्यमिता मंत्रालय (आईआईई) और राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निस्बड) ने विभिन्न कार्यकलापों को शुरू की हैं, जो भारत को विश्व की कौशल राजधानी बनाने के अपने दृष्टिकोण का अनुसरण करते हुए भारत की आजादी के गौरवशाली 75 वर्षों का उत्सव मनाने के लिए हमें करीब लाएगी।

2.1 हमारे सभी 25000 से अधिक केंद्रों पर हमारे सभी सहयोगी संस्थाओं, प्रधान मंत्री कौशल केंद्रों (पीएमकेके), औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) और जन शिक्षण संस्थानों (जेएसएस) में जागरूकता पैदा करने के लिए कार्यशालाएं, संगोष्ठी, एकीकरण सत्र आयोजित किए गए हैं। हमारी उपलब्धियों पर कौशल इकोसिस्टम में हमारे उम्मीदवारों और कैसे भारत दुनिया भर के देशों के बीच एक सुपर पावर बन गया है पर हमारे सभी उम्मीदवारों के साथ हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के शौर्य, बलिदान और देशभक्ति की कहानियां साझा की गई हैं।

2.2 कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने भी अब तक 75 से अधिक आदर्श ग्राम कौशल शिविर (एजीएससी) आयोजित किए हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यबल का कौशलोन्नयन और पुनः कौशल करके हमारे देश के गांवों को सशक्त बनाते हैं।

2.3 मंत्रालय ने "स्टूडेंट हेरिटेज एंबेसडर" को प्रशिक्षित करने और एक पूल बनाने के लिए दिल्ली के प्रतिष्ठित स्कूलों के साथ एक विशेष कार्यक्रम भी शुरू किया है। यह परियोजना भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में माननीय प्रधान मंत्री की आजादी का अमृत महोत्सव पहल का एक हिस्सा है और इसमें दिल्ली–एनसीआर के 38 स्कूलों के 250 छात्रों को हेरिटेज एंबेसडर के रूप में प्रशिक्षण शामिल है। यह परियोजना उन सभी प्रेरक गाथाओं पर नज़र डालती है जिनहोने भारत की अब तक की प्रगति यात्रा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और यह उन लोगों को समर्पित है जो इसे प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को आकार देने की क्षमता रखते हैं। स्टूडेंट हेरिटेज एंबेसडर परियोजना हमारे युवाओं को कल का नेता बनने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल को विकसित करते हुए भारत के गौरवशाली अतीत पर प्रकाश डालती है।

2.4 इसी प्रकार भारत के गौरवशाली अतीत और इतिहास को छींचित करने के लिए ऐसे कई प्रयास एयर पहल की योजना बनाई गई और चल रही है।

3. कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा एक पुस्तिका विकसित की गई है को प्रस्तावित कार्यकल्पों का 75 सप्ताह का कार्यक्रम है क्योंकि हम इस ऐतिहासिक अवसर पर पहुंचे हैं।

7

अंतर्राष्ट्रीय कौशल संबद्धता

7.1 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और प्रशिक्षण:

एमएसडीई का अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और प्रशिक्षण प्रभाग क्षमता–निर्माण, व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण (वीईटी), वीईटी नीति के विकास और करियर मार्गदर्शन और आजीवन सीखने सहित कौशल क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू)/समझौतों पर हस्ताक्षर करके विदेशों के साथ सहयोग करता है। इसके अंतर्गत स्कूलों में वीईटी, इंटर्न का आदान–प्रदान, पूर्व शिक्षा की मान्यता, कौशल योग्यता की मान्यता, वीईटी डेटा और श्रम बाजार सूचना प्रणाली को साझा करना, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की कमी का सामना कर रहे देशों के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र की जॉब रोल का मानचित्रण, श्रम बाजारों में कौशल अंतराल की पहचान, विदेशी श्रम बाजारों में स्वीकार्य भारतीय कुशल श्रमिकों को तैयार करने के लिए ब्रिज कोर्स डिजाइन करना, हरित प्रौद्योगिकी आदि सहित उभरती प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है।

7.2. विभिन्न देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय कौशल अनुबंध: विभिन्न देशों के साथ एमएसडीई द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों/समझौतों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है:

7.2.1 एमडीएसई–ऑस्ट्रेलिया: एमएसडीई और ऑस्ट्रेलिया सरकार के शिक्षा, कौशल और रोजगार विभाग के बीच व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर 3 जून 2020 को पांच साल की अवधि के लिए हस्ताक्षर किए गए। एमओयू के कार्यान्वयन के लिए एक संयुक्त कार्य समूह का गठन किया गया है और संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक 26 नवंबर 2020 को आयोजित की गई थी। एसडीई के माननीय मंत्री और सचिव तथा ऑस्ट्रेलियाई प्राधिकारियों के बीच एमओयू के कार्यान्वयन की योजना के लिए कई बैठकें आयोजित की गई हैं।शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता के माननीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान के नेतृत्व में एक मंत्रिस्तरीय प्रतिनिधिमंडल 21 से 24 अगस्त 2022 तक ऑस्ट्रेलिया में शिक्षा, कौशल और अनुसंधान में आपसी हितों और कार्यनीतिक प्राथमिकताओं पर चर्चा करने के लिए गया था। इस यात्रा का उद्देश्य भारत–ऑस्ट्रेलियाई संबंधों को मजबूत करना और शिक्षा और कौशल विकास में सहयोग और सहयोग के रास्ते तलाशना है।

भारत सरकार और ऑस्ट्रेलिया सरकार ने दो तरफा गतिशीलता बढ़ाने के लिए ऑस्ट्रेलियाई और भारतीय अर्हताओं की मान्यता के लिए व्यवस्था को मजबूत करने के लिए शिक्षा अर्हता मान्यता पर एक टास्कफोर्स की स्थापना की है, जिसमें शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार कार्य के लिए सह–अध्यक्ष है। टास्क फोर्स के सदस्यों में से एक के रूप में एमएसडीई ने इनपुट प्रदान किए हैं और टास्क फोर्स की बैठकों में भाग लिया है, जिसके परिणामस्वरूप ऑस्ट्रेलियाई और भारतीय योग्यताओं की मान्यता पर एक तंत्र स्थापित करने के प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया गया है।

7.2.2 एमडीएसई–डेनमार्क:

कौशल विकास, व्यावसायिक शिक्षा और उद्यमशीलता के क्षेत्र में सहयोग के लिए एमएसडीई और डेनमार्क के बाल और शिक्षा मंत्रालय के बीच 3 मई 2022 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। कौशल विकास और उद्यमशीलता के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के विस्तार के लिए 8 अक्तूबर 2021 को डेनमार्क सरकार के बाल और शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) के बीच संयुक्त आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए और उसी का आदान–प्रदान 9 अक्तूबर 2021 को डेनमार्क के प्रधान मंत्री की भारत यात्रा के दौरान किया गया था।

7.2.3 एमएसडीई–फ्रांसः

एमएसडीई और फ्रांस के सरकार के शिक्षा और अनुसंधान उच्चतर शिक्षा मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर अक्तूबर, 2016 में हस्ताक्षर किए गए थे जो अक्तूबर, 2019 तक वैध था। कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण में सहयोग के लिए एमएसडीई और शिक्षा और युवा मंत्रालय, फ्रांसीसी गणराज्य सरकार के बीच अगस्त 2019 में अगस्त 2022 तक वैध एक प्रशासनिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। उक्त प्रशासनिक समझौते को नवंबर 2022 को दो साल की अवधि के लिए नवीकृत किया गया था। सहयोग के क्षेत्रों में मोटर वाहन, एयरोस्पेस, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, पर्यटन, सतत शहरी विकास, सौंदर्य और कल्याण, वस्त्र, और निर्माण क्षेत्र जैसे आपसी हित में फ्रांसीसी व्यावसायिक संस्थानों और कॉर्पोरेट घरानों में भारतीय उम्मीदवारों के कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा देना और सुविधा प्रदान करना शामिल है।

7.2.4 एमएसडीई–जर्मनी

- भारत के माननीय प्रधान मंत्री और जर्मन चांसलर मार्केल ने व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण (वीईटी) पर द्विपक्षीय सहयोग के लिए नवंबर, 2014 में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद एमएसडीई और संघीय शिक्षा और अनुसंधान मंत्रालय (बीएमबीएफ) और संघीय आर्थिक सहयोग और विकास मंत्रालय (बीएमजेड) के बीच एसडी और वीईटी के क्षेत्र में सहयोग के लिए 5 अक्तूबर, 2015 को एक नए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौता ज्ञापन की समाप्ति पर, एक एमएसडीई और बीएमबीएफ और बीएमजेड के बीच आशय की संयुक्त घोषणा (जेडीओआई) के रूप में इस समझौता ज्ञापन के नए संस्करण पर 1 नवंबर 2019 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे जो 31 अक्तूबर 2023 तक वैध है। जेडीओआई कौशल विकास और वीईटी, दोहरी शिक्षुताऔर कार्यस्थल–आधारित कौशल विकास, योग्यता आधारित पाठ्यक्रम सहित क्षमता–निर्माण, वीईटी क्लस्टर प्रबंधकों का प्रशिक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा, ई–गतिशीलता, ऊर्जा दक्षता आदि के क्षेत्र में सहयोग पर केंद्रित है। इस सहयोग के तहत अब तक 12 संयुक्त कार्य समूह आयोजित किए जा चुके हैं। संयुक्त कार्य समूह की पिछली बैठक 7 दिसंबर 2022 को हुई थी।

- एमएसडीई और जीआईज़ेड तथा बीएमबीएच के बीच 22 अगस्त 2016 को इंडो–जर्मन प्रोग्राम फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग (आईजीवीईटी–I) पर कार्यान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसे अप्रैल 2020 तक बढ़ा दिया गया था।
- व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए भारत–जर्मन कार्यक्रम (आईजीवीईटी) पर कार्यान्वयन समझौता –II) पर एमएसडीई, जीआईज़ेड और बीएमबीएच के बीच फरवरी 2021 में हस्ताक्षर किए गए थे जो अगस्त–2023 तक वैध है। अब तक, आईजीवीईटी परियोजना संचालन समिति (पीएससी) की 10 बैठकें हो चुकी हैं, पिछली पीएससी बैठक 7 सितंबर 2022 को हुई थी। इस परियोजना के तहत, जीआईज़ेड 12 भारतीय राज्यों में 80 से अधिक उद्योग समूहों का समर्थन कर रहा है और 16 क्षेत्रों में 41 जॉब रोलों में सहकारी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करता है।
- बीएमबीएफ ने बॉटम–अप दृष्टिकोण के माध्यम से उत्तर भारत में औद्योगिक समूहों में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण को मजबूत करने (सिनैड) पर एक परियोजना को वित्त–पोषित किया है।

- यह परियोजना दिल्ली, पुणे, चेन्नई, लखनऊ, नागपुर ऑटो और इंजीनियरिंग क्लस्टर में ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरर्स (एसीएमए) जैसे विभिन्न क्लस्टरों में दोहरे वीईटीपर औद्योगिक दृष्टिकोण को मजबूत कर रही है। इस परियोजना के तहत, सितंबर 2022 से कई क्लस्टरों के 50 स्थानीय टीवीईटी प्रबंधकों का प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। इसके अलावा, एसीएमए क्लस्टरों के लगभग 20 उम्मीदवारों ने जर्मनी की यात्रा की और दिल्ली और नागपुर में अनुवर्ती कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
- दोहरी वीईटी की प्रगति पर आशय की संयुक्त घोषणा (जेडीओएल) और वीईटी क्लस्टर प्रबंधकों और भारतीय कौशल विकास अधिकारियों (आईएसडीएस) के प्रशिक्षण पर सहयोग पर एमएसडीई और बीएमबीएफ़ के बीच 30 मई 2017 को हस्ताक्षर किए गए थे जो 29 मई 2020 तक वैध थे।
- सतत विकास के लिए कौशल संबंधी जेडीओएल पर एमएसडीई, बीएमज़ेड, सीमेंस लि. इंडिया के साथ 1 नवंबर, 2019 को हस्ताक्षर किए गए, जो 31 अक्तूबर 2023 तक वैध है। जीआईज़ेडऔर सीमेंस लि इंडिया, एमएसडीईके तत्वावधान में डीजीटीके समन्वय में आईजीआईएनईटी (तकनीकी शिक्षा के लिए भारत–जर्मन पहल)परियोजना को लागू कर रहे हैं। परियोजना सहयोग के माध्यम से, भारत में 10 समूहों में ट्रेडों के वीईटी शिक्षुओं (जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, टर्नर और मशीनिस्ट) की रोजगार क्षमता में सुधार हुआ है।
- बीएमबीएफ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और पॉलिटेक्निक कॉलेजों पर ध्यान देने के साथ 'क्वालइंडिया– भारतीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों में गुणवत्ता विश्लेषण' नामक एक शोध परियोजना को वित्तपोषित कर रहा है। यह परियोजना चार भारतीय विश्वविद्यालयों, भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) बैंगलोर, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू), जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय शिक्षा योजना विश्वविद्यालय के सहयोग से लागू की गई है ताकि राष्ट्रीय संदर्भ में मांग उन्मुख गुणवत्ता मॉडल विकसित किया जा सके।
- आईएमओवीई अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता के लिए एनएसडीसीआई के साथ मिलकर काम कर रहा है और उन्हें आधुनिक शिक्षण विधियों और पाठ्यक्रम के विकास के लिए उद्योगों और जर्मन सेवा प्रदाताओं के साथ जोड़ा है। जर्मनी में नए कुशल आप्रवासन अधिनियम पर केंद्रित 1,000 से अधिक प्रतिभागियों की भागीदारी के साथ भविष्य के कौशल पर केन्द्रित आप्रवासन और आवागमन के संबंध मे कार्यक्रम आयोजित किए गए।

7.2.5 एमएसडीई–जापान:

जापान–इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर मैन्युफैक्चरिंग (जेआईएम)/जापान एंडॉएड कोर्सेज (जेईसी): जापान–इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर मैन्युफैक्चरिंग (जेआईएम) और जापान एंडोवर्ड कोर्सेज (जेईसी) स्कीम भारत सरकार और जापान सरकार की भारत में विनिर्माण से संबंधित मानव संसाधनों को कुशल बनाने के लिए संयुक्त सरकारी पहल का हिस्सा हैं। इस उद्देश्य के लिए एमएसडीई और जापान सरकार के अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय (एमईटीआई) के बीच नवंबर 2016 में एक सहयोग ज्ञापन (एमओसी) पर हस्ताक्षर किए गए थे (10 नवंबर, 2026 तक वैध) जिसका लक्ष्य '30,000 को प्रशिक्षित करना' था। अगले दस वर्षों में फ्लोर शॉप लीडर्स और इंजीनियरों को जापानी मानकों पर लाना। वर्तमान में, देश के विभिन्न स्थानों में 19 जेआईएम और 7 जेईसी काम कर रहे हैं।

टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम (टीआईटीपी): एमएसडीईने तकनीकी इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम (टीआईटीपी) पर न्याय मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और जापान के स्वास्थ्य, श्रम और कल्याण मंत्रालय के साथ एक सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। कार्यक्रम के तहत, चयनित उम्मीदवारों को तीन से पांच साल के ऑन जॉब ट्रेनिंग (ओजेटी) से गुजरना पड़ता है, जिसके बाद उन्हें भारत लौटने और मिन जापान द्वारा हासिल किए गए कौशल का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। निगरानी एजेंसी होने के नाते एनएसडीसी ने सितंबर, 2022 तक 33 प्रेषक संगठनों (एसओ) को टीआईटीपी के तहत सूचीबद्ध किया है और 525 प्रशिक्षुओं को भारत के इन एसओ के माध्यम से जापान में रखा गया है।

विशिष्ट कुशल श्रमिक कार्यक्रम (एसएसडब्ल्यू): कैबिनेट की मंजूरी के परिणामस्वरूप, भारत सरकार और जापान सरकार के बीच "विशिष्ट कुशल श्रमिक" (एसएसडब्ल्यू) से संबंधित प्रणाली के उचित संचालन के लिए साझेदारी के बुनियादी ढांचे पर एक समझौता ज्ञापन पर 18जनवरी 2021 को हस्ताक्षर किए गए थे। इस एमओसी के तहत, भारत और जापान के बीच तीन संयुक्त कार्य समूह की बैठकें 2 अगस्त 2021, 19 अप्रैल 2021 और 3 अगस्त 2022 को आयोजित की गई हैं।

इसके अलावा, विशिष्ट कुशल कार्यकर्ता (एसएसडब्ल्यू) कार्यक्रम के तहत कुल 35 नर्सिंग देखभाल उम्मीदवारों को जापान (अक्तूबर 2022 तक) भेजा गया है।

प्रगति (दिसंबर 2022 तक):

क. 36 नर्सिंग केयर उम्मीदवार जिन्हें प्रारंभिक रूप से सेंडिंग ऑर्गनाइजेशन द्वारा टीआईटीपी के लिए नामांकित किया गया था, उन्हें एसएसडब्ल्यू–नर्सिंग केयर के तहत जापान भेजा गया है।

ख. भारत में नर्सिंग देखभाल और कृषि क्षेत्रों के लिए एसएसडब्ल्यू परीक्षण शुरू किए गए हैं।

ग. अलग से, एनएसडीसी इंटरनेशनल ने एसएसडब्ल्यू के तहत जापान में नर्सिंग देखभाल के उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करने और रखने के लिए गुरुग्राम, हरियाणा में एक आवासीय जापानी भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है।

7.2.6 एमएसडीई–कतर:

कतर में प्रमाणित भारतीय कार्य बल के कौशल प्रशिक्षण और रोजगार की सुविधा के लिए कौशल विकास और योग्यता की पारस्परिक मान्यता में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन एमएसडीई और कतर राज्य की सरकार के बीच जून, 2016 से जून, 2019 तक वैध था और इसे स्वतःसमान अवधि नवीनीकृत किया गया था।

7.2.7 एमएसडीई–संयुक्त अरब अमीरात:

एमएसडीई और राष्ट्रीय योग्यता प्राधिकरण, संयुक्त अरब अमीरात के बीच 29 अप्रैल 2016 को योग्यता की पारस्परिक मान्यता के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए 3 वर्ष के लिए वैध एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह सहयोग विशेष रूप से उन भारतीयों को लाभान्वित करेगा जो विदेशों में काम करने की इच्छा रखते हैं। पहली जेडबल्यूसी बैठक 29 अप्रैल 2016 को आयोजित की गई थी। 16 यूएई कौशल अर्हताओं को 13 भारतीय कौशल के लिए बेंच मार्किंग के संचालन के लिए एक प्रायोगिक कार्यक्रम निर्माण क्षेत्रों में योग्यता सफलतापूर्वक आयोजित की गई है।यूएई सरकार द्वारा भारत से प्रमाणित कर्मचारियों को काम पर रखने के लिए नियोक्ताओं को वीजा छूट जैसे प्रोत्साहन प्रदान किए जा रहे हैं।

7.2.8 एमएसडीई–यूनाइटेड किंगडम:

- यूके इंडिया एजुकेशन रिसर्च इनिशिएटिव (यूकेआईईआरआई) अप्रैल 2006 भारत सरकार और यूके के बीच शैक्षिक, अनुसंधान और कौशल पहल लिंक को बढ़ाने के उद्देश्य सेमें शुरू किया गया था। यूकेआईईआरआई यूके सरकार और भारत द्वारा वित्त पोषित और समर्थित है। यूकेआईईआरआई के तहत अब तक तीन चरणों को पूरा किया जा चुका है। एमएसडीई–यूकेआईईआरआई स्किल्स द मैटिक इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप के तहत बहु–आयामी क्षेत्रों जैसे पाठ्यचर्या विकास, प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (टीओटी), दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) आदि में संयुक्त रूप से 7 परियोजनाएं शुरू की गई हैं।
- इन प्रयासों को और मजबूत करने के लिए, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय और यूके सरकार के बीच कौशल विकास, व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिनांक 17.04.2018 को 3 वर्ष की अवधि के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस एमओयू का नवीकरण दिनांक12–08–2024 तक किया गया है। नियोजित/की गई गतिविधियों में परामर्श और करियर मार्गदर्शन, स्कूल स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत करना, सेवा क्षेत्र के ट्रेडों के लिए पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम डिजाइन करना, प्रशिक्षक रेत मास्टर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, कौशल वितरण में नए युग की तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देना, लिंग और विकलांगता समावेशन कार्य शामिल हैं। स्किल्स फॉर जॉब्स, और भारत–यूके नॉलेज एक्सचेंज ऑन स्किल्स एंड वोकेशनल एजुकेशन, एमएसडीई के शिक्षुता प्रभाग को नीतिगत समर्थन, अवर्डिंग और आकलन निकायों के लिए दिशानिर्देश विकसित करने के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान के साथ काम करना, डबल्यूएचओ–भारत के साथ भागीदारी फ्रंट–लाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की क्षमता–निर्माण, सूचना–प्रबंधन (बीआईएम), मूल्यांकन और प्रमाणन जैसी उन्नत तकनीकों पर ब्रिटेन के विशेषज्ञों के साथ ज्ञान साझा करने वाले वेबिनार, शिक्षुता के उत्पादकता लाभों पर अध्ययन और बीएफएसआई और बायो–सीएनजी क्षेत्रों में भविष्य के जॉब रोलों के लिए है।
- भारतीय और के प्रतिनिधित्व के साथ एक संयुक्त संचालन समिति (जेएससी) यूके पक्ष जी2जी पहलों के कार्यान्वयन का मार्गदर्शन करने के लिए मौजूद है। समिति की तीन बैठकें हुईं।

- यूके के साथ हेल्थ सेक्टर जॉब रोल मैपिंगः वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, एमएसडीई, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग (यूके) के प्रतिनिधित्व के साथ गठित टास्क फोर्स के तहत, एलाइड हेल्थ की चयनित यूके जॉब रोल्स के लिए मैपिंग अभ्यास प्रोफेशनल्स यानी हेल्थ एसोसिएट प्रोफेशनल्स (वार्ड बेस्ड), होम हेल्थ एड (केयर वर्कर), फ्लेबोटोमिस्ट (हेल्थ एसोसिएट प्रोफेशनल्स) और पैरामेडिक (हेल्थ एसोसिएट प्रोफेशनल्स) आदि की शुरुआत की गई है।

7.2.9 समाप्त हुए समझौता ज्ञापनः कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए बेलारूस, चीन और स्विट्जरलैंड के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए थे, हालांकि, उक्त समझौता ज्ञापनों की अवधि समाप्त हो गई है।

7.2.10 विचाराधीन एमओयूः कौशल विकास के संबंध में सहयोग के लिए बेल्जियम, फिनलैंड, कोरिया गणराज्य, रूस, सिंगापुर, श्रीलंका और ताइवान के साथ एमओयू पर विचार किया जा रहा है।

7.3 वर्चुअल वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन

एमएसडीई ने विदेश मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय के साथ 15 नवंबर 2022 को संयुक्त रूप से ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान, मलेशिया, मॉरीशस, सिंगापुर, तंजानिया, संयुक्त अरब अमीरात और यूनाइटेड किंगडम जैसे दस देशों से भारत मिशनों का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय राजदूतों/उच्चायोग के साथ पहली वर्चुअल ग्लोबल स्किल समिट का आयोजन किया। यह शिखर सम्मेलन एक रचनात्मक कदम था जिसमें कई देशों ने कौशल सामंजस्य और योग्यता के बेंचमार्किंग, गुणवत्ता मानकीकरण, कौशल केंद्र स्थापित करने और संयुक्त प्रशिक्षण और प्रमाणन सेवाओं का विस्तार करने आदि पर विचार–विमर्श किया।

7.4 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर (एसआईआईसी):

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) ने देश के युवाओं के लिए लाभकारी रोजगार की सुविधा के साथ, सकारात्मक जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाने और बढ़ती वैश्विक कुशल कार्यबल की आवश्यकता को पूरा करने के अवसर को जब्त करने के लिए 'कुशल भारत अंतर्राष्ट्रीय' की परिकल्पना की है। एसआईआईके तहत, दो कुशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र वाराणसी में और दूसरा एसडीआई, भुवनेश्वर में स्थापित किया गया है। एसआईआई का उद्देश्य एक

अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क गुणवत्ता कौशल इकोसिस्टममें इच्छुक उम्मीदवारों के लिए वैश्विक करियर गतिशीलता के अवसरों को बढ़ाना है। एमएसडीईका उद्देश्य पूरे भारत में एसआईआईसंस्थानों का एक नेटवर्क बनाना है। संस्थानों के इस नेटवर्क को स्किल इंडिया इंटरनेशनल (एसआईआई) नेटवर्क कहा जाएगा। इसे स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर (एसआईआईसी) नामक अत्याधुनिक सरकारी और निजी संस्थानों के पैनल के माध्यम से बनाया जाएगा। देश भर में 30 कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (एसआईआईसी) स्थापित करने का प्रस्ताव है, जो विभिन्न चिन्हित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई), औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई), कौशल विकास संस्थानों (एसडीआई) और अन्य निजी भागीदारों में हैं। एसआईआईसी का उद्देश्य भारतीय युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार उच्च गुणवत्ता वाला प्रशिक्षण प्रदान करना है। केंद्र संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), जापान, ऑस्ट्रेलिया और अन्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार जैसे देशों में अंतर्राष्ट्रीय नियोक्ताओं की मांग के अनुसार कौशल प्रदान करते हुए प्रशिक्षण सुविधाओं की मेजबानी करेंगे। केंद्रों में लामबंदी, परामर्श, कौशल प्रशिक्षण, पूर्व–प्रस्थान उन्मुखीकरण, विदेशी भाषा प्रशिक्षण, मूल्यांकन, प्रमाणन, नियोजन और आव्रजन और नियोजन उपरांत सहायता जैसी सेवाएं होंगी।

7.4.1 भारत अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र (आईआईएससी):

आईआईएससी कार्यक्रम की कल्पना सबसे पहले 2016 में एमएसडीई और एनएसडीसी द्वारा विदेशों में काम करने के इच्छुक भारतीयों को कौशल प्रशिक्षण और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्रमाणन बेंच प्रदान करने के लिए की गई थी। प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रायोगिक चरण 2018 में सफलतापूर्वक पूरा किया गया। प्रयोगिक चरण के लर्निंग सॉफ्ट के आधार पर, एनएसडीसी ने एक शुल्क आधारित, बाजार संचालित मॉडल लॉन्च किया है जिसे इंडिया इंटरनेशनल स्किल सेंटर (आईआईएससी) नेटवर्क कहा जाता है। यह नेटवर्क भारत को दुनिया की कौशल राजधानी बनाने के भारत सरकार के विजन के केंद्र में होगा। इसमें आईआईएससी के रूप में संदर्भित कई निश्चित केंद्रों के माध्यम से संचालित होने वाले सदस्य संगठन शामिल हैं। वृद्धिशील कौशल प्रशिक्षण, अंतर्राष्ट्रीय कौशल परीक्षण और प्रमाणन, पूर्व–प्रस्थान अभिविन्यास और देशों की आवश्यकताओं के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय भाषा प्रशिक्षण के अलावा, आईआईएससी परामर्श और मार्गदर्शन के माध्यम से क्लस्टर में उम्मीदवारों की नियुक्ति की सुविधा प्रदान करेगा। वर्तमान में, 100 से अधिक संगठन 32 राज्यों में 241 जिलों को कवर करने वाली 300 से अधिक जॉब रोल्स में 557 आईआईएससी के माध्यम से नेटवर्क का संचालन कर रहे हैं।

7.5 एनएसडीसी इंटरनेशनल लिमिटेड:

एनएसडीसी इंटरनेशनल लिमिटेड की स्थापना एनएसडीसी द्वारा की गई है जो कौशल विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की पहल करने के लिए 100% सहायक कंपनी है। उद्देश्यों में कौशल और विदेशी बाजारों में प्रमाणित भारतीय श्रमिकों को स्थान देना, भारतीय कर्मचारियों की अंतरराष्ट्रीय गतिशीलता का समर्थन करने के लिए विदेशी और भारतीय बाजारों में प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान स्थापित करना, कौशल विकास और शिक्षा पर विदेशी सरकारों/एजेंसियों को तकनीकी सलाहकार सेवाएं प्रदान करना और साथ में भागीदार शामिल हैं। ज्ञान के आदान–प्रदान और क्षमता–निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थान। यह टीम कार्यबल गतिशीलता सहित कौशल क्षेत्र में सहयोग के लिए किंगडम ऑफ सऊदी अरब (केएसए), संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, रूस और फिनलैंड जैसे देशों के साथ एनएसडीसी द्वारा हस्ताक्षरित बी2बी समझौता ज्ञापनों/समझौतों की भी निगरानी करती है।

7.5.1 एनएसडीसी/एनएसडीसीआई की अंतर्राष्ट्रीय संबद्धताएं:

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (आईसी) प्रभाग का गठन भारत को दुनिया की कौशल राजधानी बनाने के भारत सरकार के दृष्टिकोण को पूरा करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाने के प्रयास के साथ किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रभाग विभिन्न आंतरिक टेक होल्डरों के बीच प्रयासों का समन्वय करता है और एमएसडीई अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग के साथ मिलकर काम करता है। आईसी डिवीजन के कार्य क्षेत्रों में आईआईएससी नेटवर्क, क्षमता–निर्माण और ज्ञान विनिमय और तकनीकी सलाहकार सेवाओं के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय वोक बल गतिशीलता (जी2जी/बी2बी) शामिल हैं।

7.5.2 जीसीसी नियोजन

तेजस परियोजना (अमीरात जॉब्स और कौशल के लिए प्रशिक्षण): एनएसडीसीआई ने एक वर्ष में गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल देशों (जीसीसी) में 10,000 भारतीय श्रमिकों को प्रशिक्षित करने, प्रमाणित करने और रखने के लिए तेजसआरंभ किया। एनएसडीसीआई ने समग्र मांग के लिए कुछ सबसे बड़े नियोक्ताओं के साथ भागीदारी की है। अब तक 10+ भर्ती अभियान चलाए गए हैं, जिनमें से 3713 उम्मीदवारों का चयन किया गया और 3640 उम्मीदवारों को तैनात किया गया।

किंगडम ऑफ सऊदी अरब (केएसए) का जुड़ाव: एनएसडीसी, ताकामोल होल्डिंग के साथ, एक अर्ध–सरकारी होल्डिंग कंपनी (श्रम मंत्रालय – किंगडम ऑफ सऊदी अरब (केएसए) की छतरी के नीचे), भारत में एक एसवीपी लागू कर रही है। वर्तमान में, दिल्ली, मुंबई, केरल और बंगाल में सात अंतरराष्ट्रीय परीक्षा केंद्र मान्यता प्राप्त हैं और उम्मीदवारों के कौशल परीक्षण और आकलन कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, यूपी, बिहार और तेलंगाना के छह केंद्रों की समीक्षा के लिए टकामोल को सिफारिश की गई है।

7.5.3 मलेशिया नियोजन: एनएसडीसीआई की मलेशियाई परियोजना, भारतीय उच्चायोग, मलेशिया के सहयोग से, मौजूदा कौशल विकास कार्यक्रमों पर बनाई जा रही है। एनएसडीसीआई ने फरवरी, 2023 में कुआलालंपुर और सेलांगोर इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और मलेशियाई इंडियन रेस्तरां ओनर्स एसोसिएशन (पीआरआईएमएएस) के साथ दो समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य एक सहयोग ढांचा स्थापित करना है जिसके तहत दोनों पक्ष चिन्हित जॉब रोलों में कुशल और प्रमाणित कर्मचारी भर्ती करने का इरादा रखते हैं।

7.5.4 ऑस्ट्रेलिया–एनएसडीसी इंटरनेशनल लिमिटेड (एनएसडीसीआई) ने ऑस्ट्रेलिया में कुशल और प्रमाणित भारतीय उम्मीदवारों की अंतर्राष्ट्रीय कार्यबल गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए 28 अक्तूबर 2022 को परदमन ग्लोबल सर्विसेस लि॰ (पीजीएस) के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। पीजीएस ने एनएसडीसीआई के साथ कोयला खनन उद्योग में एचडी रखरखाव तकनीशियन फिटर, रसोइया, रसोइया, टिलर, अनुमानक सहित विभिन्न नौकरी भूमिकाओं में मांग को एकत्रित किया है। एनएसडीसीआई अपने सूचीबद्ध भागीदारों के माध्यम से साक्षात्कार के लिए नौकरी के विवरण के अनुसार उपयुक्त उम्मीदवारों की सोर्सिंग कर रहा है

7.5.5 यूनाइटेड किंगडम–आयरलैंड हेल्थकेयर परियोजना – एनएसडीसी इंटरनेशनल कुशल भारतीय स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सीपीएल हेल्थकेयर (आयरलैंड स्थित रिक्रूटर) के साथ काम कर रहा है। दिनांक 6 (संख्या) के अनुसार उम्मीदवारों को नर्स श्रेणी के तहत रोजगार की पेशकश की गई है और कई साक्षात्कार भी कतार में हैं।

7.5.6 पूर्व–प्रस्थान उन्मुखीकरण प्रशिक्षण (पीडीओटी):

गंतव्य देश में भाषा, संस्कृति, क्या करें और क्या न करें के संबंध में संभावित प्रवासी श्रमिकों को उन्मुख करने की आवश्यकता को देखते हुए, प्रवासन प्रक्रिया और कल्याणकारी उपाय, पूर्व–प्रस्थान उन्मुखीकरण प्रशिक्षण (पीडीओटी) कार्यक्रम विदेश मंत्रालय के सहयोग से(एमईए) प्रवासी कौशल विकास योजना (पीकेवीआई) के तहत शुरू किया गया था। प्रवासी श्रमिकों के लिए 2018 में कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में एनएसडीसी के साथ एक दिवसीय पीडीओटी कार्यक्रम शुरू हुआ। 31 दिसंबर 2022 तक, पीडीओटी 12 शहरों (मुंबई, कोच्चि, लखनऊ, चंडीगढ़, गोरखपुर,चेन्नई, जालंधर, अमृतसर, तिरुवनंतपुरम, कोलकाता, भुवनेश्वर और भोपाल) में 13 केंद्रों में काम कर रहा है। स्थापना के बाद से, 31 दिसंबर 2022 तक 15 केंद्रों में 1,12,671 (संख्या) से अधिक उम्मीदवारों को पीडीओटी प्रदान किया गया है। कोविड–19 महामारी प्रतिबंधों के मद्देनजर, विदेश मंत्रालय ने ऑनलाइन शुरू करने के लिए 15 मार्च 2020 को एक अधिसूचना जारी की प्रवासी कौशल विकास योजना के तहत पूर्व प्रस्थान उन्मुखीकरण प्रशिक्षण। तब से, 31 दिसंबर, 2022 तक कुल 13,044 (संख्या) उम्मीदवारों ने ऑनलाइन प्रशिक्षण में भाग लिया है।

7.5.7 तकनीकी सलाह:

एनएसडीसी उभरती टीवीईटी प्रणाली वाले देशों को तकनीकी सलाहकार सेवाएं प्रदान करता रहा है। लाभार्थी देशों में जॉर्डन और मालदीव शामिल हैं।

8

क्षमता–निर्माण इकाई, एमएसडीई

भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2021 को भारतीय सिविल सेवाओं के परिदृश्य में मानकीकरण और सामंजस्य स्थापित करने के उद्देश्य से क्षमता–निर्माण आयोग (सीबीसी) का गठन किया है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) को उचित क्षमता–निर्माण के लिए अपनी वार्षिक क्षमता–निर्माण योजना (एसीबीपी) तैयार करने के लिए सीबीसी द्वारा प्रायोगिक मंत्रालयों में से एक के रूप में चुना गया है।

एमएसडीई में क्षमता–निर्माण इकाई का गठन

क्षमता–निर्माण आयोग की सलाह के अनुसार, एमएसडीई के लिए क्षमता–निर्माण इकाई (सीबीयू) नामक एक स्थायी इकाई 17 जनवरी, 2022 को बनाई गई थी। सीबीयू इकाई सीबीसी के साथ समन्वय और एमएसडीई के तहत सभी अधिकारियों के लिएप्रशिक्षण आवश्यकता विश्लेषण (टीएनए) और सीबीसी की सिफारिशों के अनुसार निरंतर आधारित दृष्टिकोण पर विभिन्न क्षमता–निर्माण सहयोग के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है।

एमएसडीई में प्रशिक्षण आवश्यकता विश्लेषण (टीएनए) कार्य और एमएसडीई वार्षिक क्षमता–निर्माण योजना (एसीबीपी) का विकासः–

सीबीसी ने एमएसडीईऔर इससे जुड़े संगठनों के सभी अधिकारियों के प्रशिक्षण की आवश्यकता विश्लेषण को कैप्चर करने के लिए मंत्रालय के साथ टीएनए प्रारूप को डिज़ाइन और साझा किया है। टीएनए प्रारूप, जो प्रशिक्षण की भूमिका के आधार पर प्रशिक्षण की जरूरतों को दर्शाता है, के तीन घटक हैं: –

क. डोमेन क्षेत्र विशिष्ट दक्षताएं

ख. कार्यात्मक क्षेत्र विशिष्ट दक्षताएं

ग. व्यवहार क्षेत्र विशिष्ट दक्षताएं

एमएसडीई के अंतर्गत सभी संगठनों/स्वायत्त निकायों/प्रभागों/विंग्स से प्रशिक्षण की जरूरतें पूरी की गईं। सीबीयू यूनिट ने एमएसडीई के विभिन्न प्रभागों और संबद्ध संस्थानों के नेतृत्व में सीबीसी अधिकारियों के साथ एक–से–एक गहन परामर्श आयोजित किया है ताकि प्राप्त प्रशिक्षण आवश्यकताओं और साथ ही साथ महत्वपूर्ण प्राथमिकता और दीर्घकालिक प्रशिक्षण इंटरवेनशनों के साथ–साथ गैर–प्रशिक्षण इंटरवेनशनों को मान्य किया जा सके। इनपुट के आधार पर एमएसडीई की वार्षिक क्षमता–निर्माण योजना (एसीबीपी) सीबीसी द्वारा डिजाइन की जा रही है।

एमएसडीई की क्षमता–निर्माण इकाई द्वारा किए गए प्रमुख सहयोग का सारांश नीचे दिया गया है:

क. इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (आईएसबी) के साथ नेतृत्व और प्रबंधन प्रशिक्षण

(i) इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (आईएसबी) हैदराबाद और मोहाली परिसर में नेतृत्व और प्रबंधन पर 5 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया।

(ii) अब तक, 3 बैचों के तहत 90 अधिकारी (एमएसडीई, एनएसडीसी, एसएससी सीईओ, राज्य कौशल मिशन निदेशक, जेएसएस प्रिंसिपल, आईटीआई प्रिंसिपल के तहत अधिकारियों सहित) ने आईएसबी में 5 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण पूरा किया है।

ख. आर्ट ऑफ लिविंग (एओएल) के साथ एमएसडीई अधिकारियों का तनाव निवारण प्रशिक्षण

(i) एमएसडीई, डीजीटी, एनएसटीआई, आरडीएसडीई, एनसीवीईटी, निमि, निस्बड, सीएसटीएआरआई और आईआईई के सभी अधिकारियों के लिए तनाव निवारण पर 5 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया।

(ii) 18 अप्रैल 2022 से ऑफ़लाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में देश भर के 65 स्थानों पर प्रशिक्षण आयोजित किया गया था।

(iii) एमएसडीई (ग्रुप क, ख, ग) के 765 अधिकारियों ने इस प्रशिक्षण में भाग लिया है।

ग. सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान (आईएसटीएम) में एमएसडीई के अधिकारियों का प्रशिक्षण

(i) माननीय मंत्री (एमएसडीई) के निर्देशों के अनुसार, सीबीयू इकाई एमएसडीई ने आईएसटीएम में नोटिंग ड्राफ्टिंग, फाइल हैंडलिंग, कंप्यूटर कौशल, खरीद दिशानिर्देश, जीएफ़आर, आरटीआई, ईएफ़सी, एसएफ़सी के क्षेत्रों में जीईएम आदि एमएसडीई अधिकारियों के प्रशिक्षण का आयोजन किया है।

(ii) अब तक, चार बैचों के तहत कुल 114 अधिकारियों ने आईएसटीएम में उक्त प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

घ. जेम के माध्यम से खरीद पर एमएसडीई अधिकारियों का प्रशिक्षण

(i) एमएसडीई डीजीटी, एनएसटीआई, आरडीएसडीई, निमी, सीएसटीएआरआई, जेएसएस, निस्बड, आईआईईके संबंधित अधिकारियों के लिए 9 नवंबर, 2022 को सम्मेलन कक्ष, दूसरी मंजिल, पीटीआई भवन, नई दिल्ली में जेम के माध्यम से खरीद पर एक प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया था।

(ii) एमएसडीई के 150 अधिकारियों की भागीदारी के साथ कार्यशाला हाइब्रिड मोड में आयोजित की गई थी।

ङ. सीबीसी के परामर्श से एमएसडीई के तहत प्रशिक्षण संस्थानों की पुनर्कल्पना

माननीय मंत्री (एमएसडीई) की अध्यक्षता में 12 सितंबर 2022 को कांस्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया (सीसीआई) के स्पीकर हॉल में सीबीसी के परामर्श से एमएसडीई के तहत प्रशिक्षण संस्थानों की पुनर्कल्पना के लिए एक कार्यशाला – "कौशल मंथन" का आयोजन किया गया।

च. भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों का प्रशिक्षण

23 और 24 जनवरी 2023 को भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए), नई दिल्ली में एमएसडीई के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए "संपूर्ण दृश्य मॉडल" और "डिजाइन थिंकिंग" पर 2–दिवसीय भौतिक कार्यशाला का आयोजन किया गया।

(ii) उक्त कार्यशाला हार्वर्ड डिजाइन लैब के साथ साझेदारी में सीबीसी और भारत डिजाइन लैब द्वारा आयोजित की गई थी।

(iii) एमएसडीई के तहत कुल 30 वरिष्ठ अधिकारियों ने उक्त कार्यशाला में भाग लिया।

छ. आईजीओटी पोर्टल पर डिजिटल पाठ्यक्रमों के माध्यम से सरकारी अधिकारियों का निर्माण

आईजीओटी मिशन कर्मयोगी पोर्टल के माध्यम से एमएसडीई अधिकारियों के लिए निम्नलिखित ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित किए गए हैं–

(i) उभरती प्रौद्योगिकियों (एआर, वीआर, आईओटी, आदि) पर सभी एमएसडीई अधिकारियों (ग्रुप ए/बी/सी) का प्रशिक्षण

(ii) पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान पर मंत्रालय में डीएस स्तर और उससे ऊपर के सभी अधिकारियों का प्रशिक्षण।

(iii) आईजीओटी पर दक्षता कार्यात्मक योग्यता पाठ्यक्रम में एमएसडीई के सभी अनुभाग अधिकारियों/सहायक अनुभाग अधिकारियों का प्रशिक्षण।

ज. गुरुग्राम में मारुति सुजुकी प्रशिक्षण केंद्र में एनएसटीआई प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण

(i) बुनियादी ऑटोमोबाइल निर्माण प्रक्रिया में राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) के प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण गुरुग्राम में मारुति सुजुकी प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित किया गया था।

(ii) 11 एनएसटीआई के कुल 53 प्रशिक्षकों को इस 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत विभिन्न बैचों के तहत प्रशिक्षित किया गया है।

आईएसडीएस अधिकारियों का प्रवेश कार्यक्रम

एमएसडीई में नए भर्ती किए गए भारतीय कौशल विकास सेवा 2020 बैच के अधिकारियों के लिए "एमएसडीई और इसके संबद्ध विंग/डिवीजनों के बारे में संक्षिप्त जानकारी" के संबंध में तीन दिवसीय भौतिक प्रशिक्षण 2 से 4 मार्च, 2022 तक आयोजित किया गया था।

9

संसद प्रभाग के कार्यकलाप

9.1 परिचयः–

संसद इकाई मंत्रालय के सभी संसदीय मामलों को देखती है और लोकसभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय और संसदीय कार्य मंत्रालय से प्राप्त सभी मामलों को संभालने के लिए मंत्रालय के भीतर एक नोडल प्रभाग है। संसद इकाई मंत्रालय के अधीन विभिन्न संबंधित विंगों/प्रभागों के समन्वय से सभी संसदीय मामलों को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करती है। यह इकाई ऐसे सभी मामलों से निपटने के लिए मंत्रालय और लोकसभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/ संसदीय मामलों के मंत्रालय के बीच एकल नोडल बिंदु के रूप में कार्य करती है।

9.2 भूमिकाएं और जिम्मेदारियाँः–

संसद इकाई की प्रमुख भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों में अन्य बातों के साथ–साथ संसदीय प्रश्नों को संभालना; सरकारी विधेयकों/संशोधनों, गैर–सरकारी विधेयकों, कटौती प्रस्तावों आदि को पेश करने से संबंधित मामले; एमएसडीई के दायरे में आने वाले विभिन्न निकायों की वार्षिक रिपोर्ट संसद में रखने के संबंध में समन्वय; एमएसडीई की विभाग संबंधी स्थायी समिति (अर्थात श्रम, कपड़ा और कौशल विकास पर स्थायी समिति), अन्य संसदीय समितियों और एमएसडीई की सलाहकार समिति से संबंधित मामले; संसदीय आश्वासनों को संभालना; लोकसभा में नियम 377 के तहत और राज्य सभा में विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाए गए विभिन्न मामले; की–गई–कार्रवाई रिपोर्ट/स्थायी समिति की रिपोर्ट पर टिप्पणियां और अन्य विविध मामलों के साथ स्टेटमेंट सभा पटल पर रखना।

9.3 संसद इकाई में दिनांक 01.01.2022 से 08.02.2023 तक संचालित महत्वपूर्ण कार्यकलाप का विवरणः–

i॰ श्रम, कपड़ा और कौशल विकास पर स्थायी समिति की बैठकें:

क्र.सं.	दिनांक	बैठक विषय /स्थान
1	16.02.2022	संसदीय सौध में "अनुदान मांगों (2022–23)" पर एमएसडीई के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य।
2	21.07.2022	एमएसडीई के प्रतिनिधियों द्वारा "प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के कार्यान्वयन" पर समिति कक्ष 'ग', संसदीय सौध में आयोजित ब्रीफिंग।
3	09.01.2023	संसदीय सौध के समिति कक्ष 'सी' में आयोजित "प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) के कामकाज" पर एमएसडीई के प्रतिनिधियों द्वारा ब्रीफिंग।

पप. एमएसडीई की परामर्शदात्री समिति की बैठकें:

क्र.सं.	दिनांक	बैठक विषय /स्थान
1	01.04.2022	एमएसडीई के लिए परामर्शदात्री समिति की 9वीं बैठक "राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (एनसीवीईटी) की भूमिका" पर समिति कक्ष 'ख', संसदीय सौध में आयोजित की गई।
2	24.09.2022	पुरी, ओडिशा में आयोजित "राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) की भूमिका" पर एमएसडीई के लिए परामर्शदात्री समिति की 10वीं बैठक।

पपप. पिछले 3 सत्रों अर्थात 2022 के बजट, मानसून और शीतकालीन सत्र में निपटाए गए संसद प्रश्नः

क्र.सं	सत्र	लोकसभा	राज्य सभा	कुल
1.	बजट सत्र	73	68	141
2.	मानसून सत्र	84	19	103
3.	शीतकालीन सत्र	40	36	76

पअ. संसद में रखी गई वार्षिक रिपोर्ट का विवरणः

क्र. सं.	स्वायत्त निकाय/ संगठन का नाम	वित्तीय–वर्ष के लिए एआर/एए	संसद भवन में रखे गए ए.आर./ एए की तिथियां	
			लोकसभा	राज्य सभा
1	निस्बड	वित्त–वर्ष 2021–22	06.02.2023	21.12.2022
2	आईआईई	वित्त–वर्ष 2018–19 से वित्त–वर्ष 2020–21	04.04.2022	06.04.2022
		वित्त–वर्ष 2021–22	06.02.2023	21.12.2022
3	निमी	वित्त–वर्ष 2018–19 से वित्त–वर्ष 2019–20	07.02.2022	09.02.2022
		वित्त–वर्ष 2020–21	01.08.2022	03.08.2022
		वित्त–वर्ष 2021–22	19.12.2022	21.12.2022
4	एनएसडीए/एनसीवीईटी	वित्त–वर्ष 2014–15 से वित्त–वर्ष 2018–19	07.02.2022 और 08.02.2022	02.02.2022
		वित्त–वर्ष 2019–20 से वित्त–वर्ष 202–21	01.08.2022	03.08.2022

साथ ही, वर्ष 2021–22 की कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों को प्रस्तुत किया गया था और संसद के आंकड़ों में वितरित करने के लिए प्रस्तुत की गई थी।

10

राजभाषा हिंदी का प्रगामी प्रयोग

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय सरकारी कामकाज में हिंदी का उत्तरोत्तर प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2021–2022 के दौरान, मंत्रालय द्वारा राजभाषा अधिनियम, 1963 और इसके अंतर्गत बनाए गए राजभाषा नियम, 1976 के कार्यान्वयन हेतु हर संभव प्रयास किए गए। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के राजभाषा प्रभाग में 01 सहायक निदेशक, (राजभाषा) 01 कनिष्ठ हिंदी अनुवाद अधिकारी और 4 परामर्शदाता कार्यरत हैं। इस अनुभाग को अनुवाद कार्य के साथ–साथ मंत्रालय और इसके सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों तथा स्वायत्त संगठनों में संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन का कार्य भी सौंपा गया है।

मंत्रालय के सभी कंप्यूटरों (पीसी) पर द्विभाषी रूप में कार्य करने की सुविधा उपलब्ध है। मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी के पर्याप्त शब्दकोश/शब्दावलियां उपलब्ध कराई गई हैं। सरकारी पत्राचार में हिंदी के उपयोग को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए जाते हैं। वर्ष के दौरान हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक तिमाही में समेकित हिंदी प्रगति रिपोर्ट राजभाषा विभाग को नियमित रूप से भेजी गई। मंत्रालय के अनुभागों द्वारा प्राप्त विभिन्न दस्तावेज़ जैसे– मंत्रिमंडल टिप्पणियों, विभिन्न देशों के साथ होने वाले कौशल संबंधी प्रशिक्षण का आदान–प्रदान कार्यक्रमों, करारों, वार्षिक रिपोर्ट, संसदीय स्थायी समितियों से संबंधित सामग्री, संसदीय प्रश्नों के उत्तरों, मानक फार्मों/प्रारूपों, पत्रों आदि का हिंदी अनुवाद उपलब्ध करवाया गया।

मंत्रालय में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के लिए कई उपाय किए गए हैं। इन उपायों का ब्योरा संक्षेप में इस प्रकार है:–

10.1. राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) का कार्यान्वयन

भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए राजभाषा, 1963 की धारा 3(3) के तहत आने वाले सभी दस्तावेज़ हिंदी और अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में जारी किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार के 'क', 'ख' और 'ग' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के कामकाज में हिंदी पत्राचार सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय में जांच बिंदु बनाए गए हैं। राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम एवं अन्य आदेश/अनुदेश मंत्रालय के सभी अनुभागों एवं इसके संबद्ध, अधीनस्थ कार्यालयों तथा स्वायत्त संगठनों में अनुपालन संबंधी निदेशों के साथ परिचालित किए गए।

10.2. हिंदी सलाहकार समिति

केंद्र सरकार की राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन और उसकी समीक्षा के लिए माननीय कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री जी की अध्यक्षता में मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति के गठन संबंधी संकल्प राजभाषा विभाग को अनुमोदन/स्वीकृति के लिए भेजा गया है।

10.3. राजभाषा कार्यान्वयन समिति

मंत्रालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ओ.एल.आई.सी.) गठित की गई है जिसके अध्यक्ष संयुक्त सचिव (स्थापना, समन्वय और राजभाषा) हैं। यह समिति समय–समय पर हिंदी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा करती है और राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना बनाती है। इस समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की गई हैं। मंत्रालय के अधीनस्थ/संबद्ध कार्यालयों और स्वायत्त संगठनों को भी राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित करने के निदेश दिए गए हैं।

10.4. हिंदी दिवस और पखवाड़ा

14 सितंबर, 2022 को कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री द्वारा मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए सरकारी कार्य में हिंदी के प्रयोग में उत्तरोत्तर वृद्धि करने हेतु अपील जारी की गई। मंत्रालय में 14 सितंबर, 2022 से 28 सितंबर 2022 तक आयोजित हिंदी पखवाड़े में विभिन्न प्रतियोगिताएं जैसे– हिंदी निबंध प्रतियोगिता, हिंदी टिप्पण आलेखन प्रतियोगिता, हिंदी वाक्यांश अनुवाद प्रतियोगिता, राजभाषा/हिंदी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, हिंदी श्रुतलेखन प्रतियोगिता और हिंदी टाइपिंग प्रतियोगिताओं में कुल 125 अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया। इसके अलावा मंत्रालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों तथा डीईओ एवं युवा पेशेवरों को कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य करने के लिए दो कार्यशालाएं क्रमशः दिनांक – 27.09.2022 और 28.09.2022 को आयोजित की गईं। हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं में कुल 30 विजेताओं को माननीय कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर जी द्वारा नकद पुरस्कार और प्रमाण–पत्र प्रदान किए गए।

10.5. हिंदी में मूल टिप्पण/आलेखन के लिए प्रोत्साहन योजना

राजभाषा विभाग द्वारा हिंदी में शुरू की टिप्पण/आलेखन प्रोत्साहन योजना को मंत्रालय में जारी रखा गया है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक 5000/– रुपए के 2 प्रथम पुरस्कार, प्रत्येक 3000/– रुपए के 3 द्वितीय पुरस्कार और प्रत्येक 2000/– रुपए के 5 तृतीय पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इस अवधि के दौरान 09 अधिकारियों/कर्मचारियों को नकद पुरस्कार प्रदान किए गए।

10.6. हिंदी कार्यशालाएं

हिंदी में कार्य करने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने और उसमें प्रोत्साहन के उद्देश्य से रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान मंत्रालय द्वारा एक वर्ष में कुल 04 हिन्दी कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें 127 अधिकारियों/कर्मचारियों नें भाग लिया। इन कार्यशालाओं में न केवल हिंदी में टिप्पण/आलेखन का अभ्यास कराया गया, अपितु अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा हिंदी में कार्य करने में आने वाली कठिनाइयों का निराकरण भी किया गया।

10.7. हिंदी के प्रगामी प्रयोग हेतु निरीक्षण

राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की निगरानी के उद्देश्य से वर्ष के दौरान मंत्रालय के सभी अनुभागों का निरीक्षण किया गया तथा विभिन्न अधीनस्थ/सम्बद्ध कार्यालयों के कुल 16 ('क' क्षेत्र में 05, 'ख' क्षेत्र में 04 तथा 'ग' क्षेत्र में 07) के राजभाषा विषयक निरीक्षण भी किए गए। इन निरीक्षणों की रिपोर्ट तैयार करके संबंधित कार्यालयों को भेजी गई। इसके अलावा, संसदीय राजभाषा समिति के निरीक्षणों के दौरान दिए गए आश्वासनों से संबंधित अनुवर्ती कार्रवाई की गई। संसदीय राजभाषा समिति द्वारा समय–समय पर दिए गए निर्देशों तथा अन्य सिफारिशों के संबंध में कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सभी कार्यालयों को अनुपालन के निदेश दिए गए।

10.8. हिंदी प्रशिक्षण (पारंगत पाठ्यक्रम)

हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त 09 सहायक अनुभाग अधिकारियों को सरकारी कामकाज हिंदी में करने में दक्ष बनाने हेतु अभ्यास पर आधारित पारंगत में पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण दिलवाया गया।

11

लंबित मामलों के निपटान के लिए विशेष अभियान 2.0 (02 अक्तूबर – 31 अक्तूबर, 2022)

कैबिनेट सचिव के डी.ओ. पत्र संख्या 1/50/3/2021–सीएबी दिनांक 23 अगस्त 2022 को भारत सरकार के सभी सचिवों को संबोधित लंबित मामलों के निपटान के लिए विशेष अभियान दो चरणों में आयोजित किया गया था – प्रारंभिक चरण 14 सितंबर, 2022 से 30 सितंबर, 2022 और 2 अक्तूबर, 2022 से 31 अक्तूबर, 2022 तक कार्यान्वयन चरण। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) को अभियान के लिए नोडल विभाग के रूप में नामित किया गया है।

प्रारंभिक चरण

विशेष अभियान 14 सितंबर, 2022 से 30 सितंबर, 2022 तक तैयारी के चरण से पहले था। अभियान का फोकस मंत्रालयों/विभागों और उनके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के साथ–साथ क्षेत्रीय/बाहरी कार्यालयों पर था। इस चरण के दौरान, मंत्रालय ने अधिकारियों को संवेदनशील बनाया, अभियान के लिए जमीनी कार्यकर्ताओं को जुटाया, नोडल अधिकारियों को नियुक्त किया, नीचे दिए गए पैराग्राफ में दी गई चिन्हित श्रेणियों में लंबित मामलों की पहचान की, अभियान स्थलों को अंतिम रूप दिया, स्क्रैप और अनावश्यक सामग्री की पहचान की और उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संसाधित किया।

माननीय सांसदों, राज्य सरकार के संदर्भों, अंतर–मंत्रालयी संदर्भों (कैबिनेट नोट्स), संसदीय आश्वासनों, पीएमओ संदर्भों, लोक शिकायतों और पीजी अपीलों के संदर्भों में लंबित समाशोधन पर केंद्रित विशेष अभियान के मानदंड। तदनुसार, प्रारंभिक चरण के दौरान निम्नलिखित मापदंडों पर जानकारी एकत्र की गई थी:

- माननीय सांसदों के लंबित संदर्भों की संख्या
- राज्य सरकारों से लंबित संदर्भ
- लंबित अंतर–मंत्रालयी संदर्भ (कैबिनेट नोट)
- 3 महीने से अधिक समय से लंबित संसदीय आश्वासन।
- लंबित पीएमओ संदर्भ
- सरलीकरण के लिए पहचाने गए नियमों/प्रक्रियाओं की संख्या
- लंबित सार्वजनिक शिकायतें और अपीलें (साथ ही अन्य स्रोतों से प्राप्त शिकायतें)
- रिकॉर्ड प्रबंधन
- स्वच्छता अभियान स्थलों की पहचान
- स्थान प्रबंधन योजना
- स्क्रैप निपटान

कार्यान्वयन चरण

02 अक्तूबर से 31 अक्तूबर, 2022 तक विशेष अभियान के दौरान पहचाने गए सभी संदर्भों को निपटाने के लिए सभी प्रयास किए गए थे। एससीडीपीएम पोर्टल पर प्रतिदिन प्रगति की सूचना दी गई थी। रिकॉर्ड प्रबंधन में सुधार के लिए विशेष अभियान का उपयोग किया गया था। अभियान चरण के दौरान अनावश्यक स्क्रैप सामग्री और अप्रचलित वस्तुओं को हटाकर और कार्यस्थल के अनुभव को बढ़ाकर सरकारी कार्यालयों की समग्र सफाई की गई। अभियान के दौरान विकसित सर्वोत्तम पद्धति को भविष्य के संदर्भ के लिए पोर्टल पर प्रलेखित किया गया है।

एमएसडीई के हितधारक

विशेष अभियान 2.0 को कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) में विभिन्न हितधारकों जैसे मंत्रालय, राष्ट्रीय उद्यमशीलता और व्यवसाय विकास संस्थान (एनआईईएसबीयूडी), भारतीय उद्यमशीलता संस्थान (आईआईई), राष्ट्रीय शिक्षण मीडिया संस्थान (निमी), केंद्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (सीएसटीएआरआई), प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी), राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी), जन शिक्षण संस्थान निदेशालय (डीजेएसएस) और राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) के प्रयासों के साथ सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया थाजिनके कारण अधिकतम लक्ष्यों को प्राप्त करना संभव हुआ। अभियान की प्रगति पर सचिव, एमएसडीई द्वारा सभी हितधारकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें की गईं। साथ ही सचिव, एमएसडीई ने कार्यालय परिसर का निरीक्षण किया और कुछ गतिविधियों को करने का निर्देश दिया और कर्मचारियों को लंबित मामलों को कम करने और अनुभागों के अंदर सफाई सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया।

पहले–बाद की तस्वीरें

1. जन शिक्षण संस्थान निदेशालय, जामनगर हाउस, नई दिल्ली

पहले

बाद में त्र

2. पीटीआई बिल्डिंग दूसरी मंजिल, एमएसडीई कार्यालय, नई दिल्ली

पहले

बाद में

3. भारतीय उद्यमिता संस्थान, गुवाहाटी

पहले

बाद में

4. राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान, श्रीनगर

पहले

बाद में

5. पीटीआई बिल्डिंग दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, एमएसडीई कार्यालय, नई दिल्ली

पहले

बाद में

6. राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान, नोएडा

पहले

बाद में

7. राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान, नोएडा

पहले

बाद में

8. भारतीय उद्यमिता संस्थान, गुवाहाटी

पहले

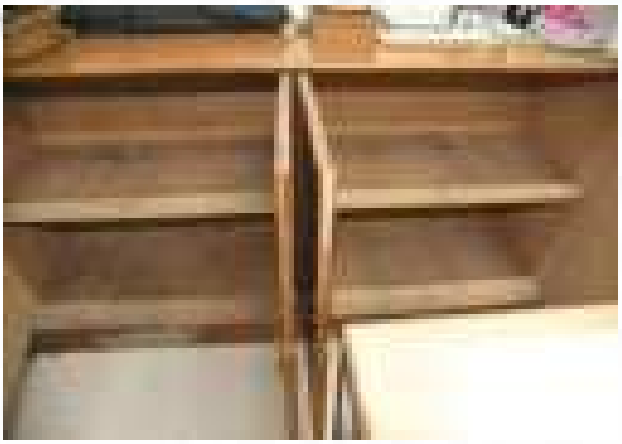

बाद में

9. श्रम शक्ति भवन तीसरी मंजिल, नई दिल्ली

पहले

बाद में

10. पीटीआई बिल्डिग दूसरी मंजिल, नई दिल्ली

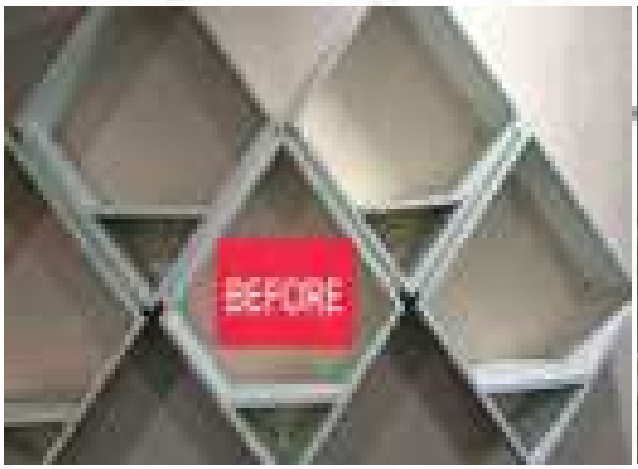

पहले

बाद में

सर्वोत्तम पद्धतियां

भारतीय उद्यमिता संस्थान, गुवाहाटी ने आईआईई द्वारा ऑफिस वेस्ट, पंचिंग मशीन पेपर वेस्ट, ट्रेनिंग मैटेरियल वेस्ट, पेपर वेस्ट आदि से रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया।

❖ राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) ने सभी फाइलों को डिजिटल कर दिया है और मशीनीकृत अलमारियों में संग्रहीत किया जाता है और उनकी फाइल अलमारियों को नियमित रूप से साफ किया जाता है और एक समर्पित टीम द्वारा जांच की जाती है।

❖ जेएसएस तदीमर्री, आंध्र प्रदेश द्वारा आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम

❖ जेएसएस सोनपुर, बिहार द्वारा आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम

12

सूचना का अधिकार (आरटीआई) प्रकोष्ठ

मंत्रालय को वर्ष 2022 (01–01–2022 से 31–12–2022 तक) के दौरान इलेक्ट्रॉनिक (आरटीआई–एमआईएस पोर्टल) और भौतिक मोड के माध्यम से कुल 1161 आरटीआई आवेदन और 72 प्रथम अपील प्राप्त हुए। मंत्रालय में केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) और प्रथम अपीलीय अधिकारियों (एफएए) को आरटीआई अधिनियम, 2005 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए नामित किया गया है। सीपीआईओ/एफएए के बीच कार्य आवंटन/असाइनमेंट और मंत्रालय के सीपीआईओ/एफएए की अद्यतन सूची मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड की जाती है। संलग्न कार्यालय–प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) और स्वायत्त निकायों– राष्ट्रीय उद्यमिता संस्थान और लघु व्यवसाय विकास (एनआईईएसबीयूडी), भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई), मंत्रालय के तहत गुवाहाटी को डीओपीटी के आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल के साथ जोड़ा गया है।

13

लोक शिकायत प्रकोष्ठ

मंत्रालय केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली 7.0 (सीपीजीआरएएमएस 7.0), सीपी ग्राम्स का एक अद्यतन संस्करण, एक ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र, जिसे प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा विकसित और मॉनिटर किया गया है, को लागू कर रहा है। 01–01–2022 से 31–12–2022 की अवधि के दौरान, मंत्रालय को अपने सीपीग्राम्स पोर्टल पर 2492 शिकायतें प्राप्त हुईं और वर्ष 2022–23 के दौरान 2486 शिकायतों का निपटान किया गया। मंत्रालय के सीपीजीआरएएम 7.0 पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों को जांच और त्वरित निवारण और शिकायत पोर्टल पर अद्यतन करने के लिए संबंधित प्रभागों/अंतिम मील शिकायत निवारण अधिकारी (अधिकारियों) को भेजा जाता है। इस मंत्रालय से संबंधित न होने वाली शिकायतों को आवेदक को सूचित करते हुए संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भेज दिया जाता है।

14

सतर्कता प्रभाग के कार्यकलाप

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय का सतर्कता ढांचा सचिव के समग्र पर्यवेक्षण के अधीन है, जो बदले में, मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा संयुक्त सचिव के स्तर पर, उप सचिव/निदेशक के स्तर पर एक उप मुख्य सतर्कता अधिकारी,एक अवर सचिव और अन्य सहायक कर्मचारी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

लोक प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय में सतर्कता अनुभाग सीवीसी और डीओपीटी द्वारा समय–समय पर निर्धारित दिशानिर्देशों और नियमावली के अनुसार कार्य करता है।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, सतर्कता प्रशासन को दुरुस्त करने और मंत्रालय के कर्मचारियों के बीच मुख्यालय और संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के साथ–साथ स्वायत्त संगठनों में अखंडता और पेशेवर अनुशासन बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास जारी रहे।

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय और उसके संगठन ने अखंडता, पारदर्शिता और सार्वजनिक जीवन में जवाबदेही को बढ़ावा देने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ "भ्रष्टाचार मुक्त भारत – विकसित भारत/ एक विकसित राष्ट्र के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत" विषय के साथ 31 अक्तूबर से 6 नवंबर, 2022 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया। इस अवधि के दौरान, एमएसडीई और उसके संगठनों के कर्मचारियों के बीच स्वच्छता और जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न गतिविधियों, जैसे– सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा और प्रतियोगिताओं का आयोजन, लघु संगोष्ठी आयोजित किए गए, जिन्हें अपने कर्मचारियों से व्यापक समर्थन और सक्रिय भागीदारी मिली।

15

मंत्रालय का संगठनात्मक चार्ट

चार्ट–12

अनुबंध–I

प्रादेशिक क्षेत्राधिकार सहित आरडीएसडीई का विवरण

क्र. सं.	आरडीएसडीई का नाम	मुख्यालय	प्रादेशिक क्षेत्राधिकार (राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम)	आरडीएसडीई के तहत केंद्रीय क्षेत्र संस्थानों (सीएफआई) के नाम
1.	आरडीएसडीई, आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	आंध्र प्रदेश	
2.	आरडीएसडीई, असम	गुवाहाटी	असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय मिजोरम, मणिपुर नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम	एनएसटीआई (डब्ल्यू) तुरा, एनएसटीआई (डब्ल्यू) अगरतला
3.	आरडीएसडीई, बिहार	पटना	बिहार	एनएसटीआई (डब्ल्यू) पटना
4.	आरडीएसडीई, छत्तीसगढ़	रायपुर	छत्तीसगढ़	
5.	आरडीएसडीई, गुजरात	गांधी नगर	गुजरात,दादरा और नगर दमन एवं दीव हवेली,	एनएसटीआई (डब्ल्यू) वडोदरा
6.	आरडीएसडीई, हरियाणा	चंडीगढ़	हरियाणा (फरीदाबाद और गुरुग्राम जिले को छोड़कर) चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र	एनएसटीआई (डब्ल्यू) पानीपत
7.	आरडीएसडीई, हिमाचल प्रदेश	शिमला	हिमाचल प्रदेश	एनएसटीआई (डब्ल्यू) शिमला
8.	आरडीएसडीई, जम्मू और कश्मीर	जम्मू	जम्मू और कश्मीर' संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र	एनएसटीआई (डब्ल्यू) जम्मू
9.	आरडीएसडीई, झारखंड	रांची	झारखंड	एनएसटीआई जमशेदपुर
10.	आरडीएसडीई, कर्नाटक	बेंगलुरु	कर्नाटक	एनएसटीआई–1 बेंगलुरु, एनएसटीआई–2 बेंगलुरु, एनएसटीआई (डब्ल्यू) बेंगलुरु
11.	आरडीएसडीई, केरल	तिरुवनंतपुरम	केरल लक्षद्वीप	एनएसटीआई (डब्ल्यू), तिरुवनंतपुरम एनएसटीआई, कालीकट
12.	आरडीएसडीई, मध्य प्रदेश	भोपाल	मध्य प्रदेश	एनएसटीआई (डब्ल्यू), इंदौर
13.	आरडीएसडीई, महाराष्ट्र	मुंबई	महाराष्ट्र, गोवा	एनएसटीआई मुंबई, एनएसटीआई (डब्ल्यू), मुंबई, एनएसटीआई (डब्ल्यू), गोवा

14.	आरडीएसडीई, ओडिशा	भुवनेश्वर	ओडिशा	एनएसटीआई भुवनेश्वर
15.	आरडीएसडीई, पंजाब	लुधियाना	पंजाब	एनएसटीआई लुधियाना, एनएसटीआई (डब्ल्यू), मोहाली
16.	आरडीएसडीई, राजस्थान	जयपुर	राजस्थान	एनएसटीआई (डब्ल्यू) जयपुर, एनएसटीआई, जोधपुर
17.	आरडीएसडीई, तमिलनाडु	चेन्नई	तमिलनाडु, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	एनएसटीआई चेन्नई, एनएसटीआई (डब्ल्यू), त्रिची
18.	आरडीएसडीई, तेलंगाना	हैदराबाद	तेलंगाना	एनएसटीआई 1 हैदराबाद, एनएसटीआई 2 हैदराबाद, एनएसटीआई (डब्ल्यू), हैदराबाद
19.	आरडीएसडीई, उत्तराखंड	देहरादून	उत्तराखंड	एनएसटीआई देहरादून, एनएसटीआई हल्द्वानी
20.	आरडीएसडीई, उत्तर प्रदेश	लखनऊ (वर्तमान में कानपुर में संचालित)	उत्तर प्रदेश (गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जिले को छोड़कर)	एनएसटीआई कानपुर, एनएसटीआई (डब्ल्यू), इलाहाबाद,
21.	आरडीएसडीई, पश्चिम बंगाल	कोलकाता	पश्चिम बंगाल	एनएसटीआई कोलकाता, एनएसटीआई (डब्ल्यू), कोलकाता
22.	आरडीएसडीई, दिल्ली	दिल्ली (वर्तमान में फरीदाबाद में संचालित)	दिल्ली, हरियाणा (केवल फरीदाबाद और गुरुग्राम जिले) उत्तर प्रदेश (सिर्फ गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जिले)	एनएसटीआई (डब्ल्यू), नोएडा

आरडीएसडीइज के व्यापक कार्य/कार्यकलाप

I. डीजीटी की सभी योजनाओं (सामान्य और महिला प्रशिक्षण) का कार्यान्वयन, निगरानी और समन्वय

क) शिल्पकार प्रशिक्षण योजना

- समय–समय पर डीजीटी (मुख्यालय) के निदेशों के अनुसार पाठ्यक्रमों को जोड़ना, पाठ्यक्रमों को हटाना आदि जैसे इनपुट देना।
- राज्यों में सभी आईटीआइज में दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली (डीएसटी) सुनिश्चित करना।
- यह सुनिश्चित करना कि राज्य के सभी आईटीआइज ग्रेडिंग अभ्यास में भाग लें।

ख) शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण योजना

- प्रैक्टिकल कौशलों को स्थानांतरित करने की तकनीकों में शिल्प अनुदेशकों का प्रशिक्षण।

ग) उन्नत व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रणाली

- उद्योग के साथ–साथ राज्य (यों) के आईटीआई अनुदेशकों के लिए अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करना और चलाना।

घ) शिक्षुता प्रशिक्षण योजना

- शिक्षुता के अनुबंधों का पंजीकरण।
- राज्य(यों) में शिक्षुता प्रशिक्षण को बढ़ावा देना।
- मुख्यालय के निर्देशों के अनुसार व्यापार समिति की बैठक और क्षेत्रीय शिक्षुता सलाहकार समिति की बैठक की व्यवस्था करना।
- क्षेत्र के तहत राज्य शिक्षुता सलाहकारों और निजी क्षेत्र के उद्योगों को सहायता और सुझाव देना।
- अच्छे ग्रेड वाले आईटीआइज और उद्योग के सहयोग से बीटीपीज सुनिश्चित करना।

ङ) राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना

- प्रतिपूर्ति के लिए नियोक्ता से दावे (क्लेम) प्राप्त करना।
- दावा (क्लेम) निकासी।
- शिक्षु वास्तव में शिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं या नहीं, यह जानने के लिए एनएपीएस की निगरानी करना।

च) औद्योगिक मूल्य संवर्धन हेतु कौशल सुदृढ़ीकरण (स्ट्राइव)

- 36 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में फैले, स्ट्राइव के तहत चुने जाने वाले औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआइज) (400 सरकारी और 100 निजी) के संबंध में वास्तविक प्रगति और वित्तीय उपयोग।
- स्ट्राइव की प्रगति और प्रक्रिया पर राज्य परियोजना कार्यान्वयन इकाइयों (एसपीआईयूज) के साथ समन्वय।
- 36 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में से चुने जाने वाले 100 औद्योगिक क्लस्टर (आईसीज) के संबंध में वास्तविक प्रगति और वित्तीय उपयोग।
- स्ट्राइव के तहत शिक्षुता कार्यक्रमों की प्रगति और प्रक्रिया पर राज्य शिक्षुता प्रबंधन समितियों (एसएएमसी) के साथ समन्वय।

छ) मॉडल आईटीआइज का उन्नयन

- त्रैमासिक कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा जिसमें जारी की गई निधि बनाम उपयोग की गई निधि शामिल है।
- डीजीटी को लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
- सिविल कार्यों की समीक्षा, उपकरण और उपस्करों की खरीद, प्रशिक्षणार्थियों के डेटा में प्रगतिः नामांकन, ड्रॉप–आउट, पास–आउट और नियोजन।

ज) सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से 1396 सरकारी आईटीआइज का उन्नयन

- त्रैमासिक कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा जिसमें जारी की गई निधि बनाम उपयोग की गई, सीड मनी, अर्जित ब्याज, अर्जित राजस्व, खोले गए नए व्यवसाय, मौजूदा व्यवसायों का उन्नयन, आईएमसी बैठकों का विवरण आदि शामिल हैं।
- छमाही/वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट, फील्ड निरीक्षण, वित्तीय मूल्यांकन।
- कार्यान्वयन प्रक्रिया में सुधार के लिए कमियों की पहचान करना और मुख्यालय को रिपोर्ट करना।

झ) पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम में कौशल विकास अवसंरचना बढ़ाना (ईएसडीआई) (केवल उन राज्यों के क्षेत्रीय निदेशक (कौशल विकास) के लिए लागू है।

योजना में निम्नलिखित चार घटकों में राज्यों को केंद्रीय सहायता का प्रावधान हैः

- प्रत्येक आईटीआई में तीन नए व्यवसाय आरंभ करके आईटीआइज का उन्नयन;
- नए छात्रावास, चारदीवारी का निर्माण करके और पुराने तथा अप्रचलित औजारों एवं उपकरणों की पूर्ति करके आईटीआइज में अवसंरचनात्मक कमियों को पूरा करना;
- केंद्रीय और राज्य स्तर पर निगरानी प्रकोष्ठों को वित्तपोषित करना; और
- 8 राज्यों में नए आईटीआइज की स्थापना।
- इस योजना के लिए कार्यकलाप और जिम्मेदारियां इस प्रकार हैंः
- प्राप्त प्रस्ताव की जांच।
- कक्षा और कार्यशाला के निर्माण और उपकरणों की खरीद की स्थिति की निगरानी करना।
- जारी बनाम उपयोग की गई निधियों की निगरानी।
- प्रति आईटीआई में तीन नए व्यवसाय आरंभ करके आईटीआइज के उन्नयन की वास्तविक प्रगति।
- नए आईटीआइज के निर्माण की स्थिति।
- कार्यान्वयन प्रक्रिया में सुधार के लिए कमियों की पहचान करना और मुख्यालय को रिपोर्ट करना।

ञ) वामपंथी अतिवाद से प्रभावित 47 जिलों में कौशल विकास

निम्न के लिए अवसंरचना तैयार किया जाएगाः–

- प्रति जिला एक आईटीआई की दर से 47 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई)।
- प्रति जिला दो एसडीसीज की दर से 68 कौशल विकास केंद्र (एसडीसीज)।
- इस योजना की जिम्मेदारियां निम्नानुसार हो सकती हैंः
- प्राप्त प्रस्ताव की जांच।
- नए आईटीआइज और कौशल विकास केंद्रों के निर्माण की स्थिति की निगरानी करना
- जारी बनाम उपयोग की गई निधियों की निगरानी।
- दीर्घावधि, अल्पावधि और अनुदेशक प्रशिक्षण के लिए युवाओं के कौशल प्रशिक्षण की निगरानी करना।
- कार्यान्वयन प्रक्रिया में सुधार के लिए कमियों की पहचान करना और मुख्यालय को रिपोर्ट करना।

II. **सभी योजनाओं (सीटीएस, एटीएस, सीआईटीएस) की परीक्षाओं के लिए व्यवसाय परीक्षण सेल**

- शिक्षुता पोर्टल पर अपने अधिकार क्षेत्र के तहत सभी प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले शिक्षुओं के हॉल टिकट पात्रता मानदंड, प्रैक्टिकल अंक अपलोड करना।
- हॉल टिकट पात्रता मानदंड, प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले शिक्षुओं के प्रैक्टिकल अंक अपलोड करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समन्वय।
- शिक्षुता पोर्टल पर राज्य क्षेत्रक और निजी प्रतिष्ठान।
- एनसीवीटी पोर्टल पर हॉल टिकट पात्रता मानदंड अपलोड करने के लिए आईटीआइज के साथ समन्वय।
- परीक्षा केंद्र मैपिंग, हॉल टिकट जेनरेशन और एनसीवीटी पोर्टल पर प्रैक्टिकल और इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंकों को अपलोड करने के लिए राज्य निदेशालयों के साथ समन्वय।
- जिला नोडल आईटीआई में इंजीनियरिंग ड्राइंग परीक्षा जाँच के संबंध में पर्यवेक्षण/समन्वय तथा इन अंकों को समयबद्ध तरीके से अपलोड करना।
- व्यवसाय परीक्षण के सुचारू संचालन के लिए डीजीटी के साथ–साथ राज्यों के व्यवसाय परीक्षण सेल के साथ समन्वय।

III. **सभी योजना (कानूनी प्रकोष्ठ) के अदालती मामलों को संभालना**

सभी योजनाओं के न्यायालयीन मामलों का निपटान। इसके लिए डीजीटी (मुख्यालय) के कानूनी प्रकोष्ठ के साथ समन्वय।

IV. **प्रधान मंत्री कौशल केंद्र (पीएमकेके) प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) केंद्रों के कार्यकलापों का समन्वय।**

V. **डीडीयू–जीकेवाई तथा एनयूएलएम आदि जैसे कौशल विकास और उद्यमशीलता पर केंद्रीय/राज्य क्षेत्र की योजनाओं के लिए केंद्रीय/राज्य मंत्रालयों/विभागों के साथ समन्वय।**

VI. **राज्य में जिला कलेक्टरों की अध्यक्षता में जिला कौशल नोडल केंद्र और जिला कौशल समिति के साथ समन्वय।**

VII. **पॉलिटेक्निक की योजना**

असेवित और अल्पसेवित जिलों में नए पॉलिटेक्निक की स्थापना

मौजूदा 500 पॉलिटेक्निकों में महिला छात्रावास का निर्माण

मौजूदा 500 पॉलिटेक्निकों का उन्नयन

पॉलिटेक्निकों के माध्यम से सामुदायिक विकास

VIII. **विभिन्न कार्यकलापों के लिए केंद्र/राज्य सरकार अधिनियम के तहत कौशल विश्वविद्यालयों के साथ समन्वय**

IX. **जहां कहीं भी मौजूद हो, एनएसटीआई विस्तार केन्द्रों की सभी कार्यकलापों/शिक्षुता प्रकोष्ठ का पर्यवेक्षण।**

X. **कोई अन्य कार्यः– कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में सरकार द्वारा समय– समय पर कोई अन्य कार्य सौंपा जा सकता है।**

शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के तहत 152 एनएसक्यूएफ अनुरूप व्यवसायों (84 इंजीनियरिंग व्यवसाय + 63 गैर इंजीनियरिंग व्यवसाय + दिव्यांगों के लिए 05 व्यवसाय) की सूची

इंजीनियरिंग व्यवसायः 84

क्र. सं.	व्यवसाय का नाम	प्रवेश योग्यता	एनएस क्यूएफ	स्तर अवधि	संशोधन वर्ष
1	एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नीशियन (3डी प्रिंटिंग)	विज्ञान और गणित के साथ 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष	3	1 वर्ष	2022
2	उन्नत सीएनसी मशीनिंग	आईटीआई के साथ 10वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा एनआईओएस के माध्यम से 12वीं कक्षा हेतु नामांकन के साथ–साथ 10वीं कक्षा उत्तीर्ण	4	दो वर्ष	2022
3	वैमानिकी संरचना और उपकरण फिटर	विज्ञान और गणित के साथ 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण	4	2 वर्ष	2022
4	वस्तुविदीय ड्राफ्ट्समैन	शिक्षा की 10+2 प्रणाली के तहत विज्ञान और गणित के साथ 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष	4	2 वर्ष	2022
5	उन्नत टूल उपयोगकर्ता कारीगर	आईटीआई के साथ 10वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा एनआईओएस के माध्यम से 12वीं कक्षा हेतु नामांकन के साथ–साथ 10वीं कक्षा उत्तीर्ण	3	एक वर्ष	2022
6	परिचारक ऑपरेटर (रासायनिक संयंत्र)	विज्ञान और गणित के साथ 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष	4	2 वर्ष	2022
7	बुनियादी डिजाइनर और वर्चुअल वेरिफायर (मैकेनिकल)	आईटीआई के साथ 10वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा एनआईओएस के माध्यम से 12वीं कक्षा हेतु नामांकन के साथ–साथ 10वीं कक्षा उत्तीर्ण	4	दो वर्ष	2022
8	कारपेंटर	8वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण	3	1 वर्ष	2022
9	सेंट्रल एयर कंडीशन प्लांट मैकेनिक	विज्ञान और गणित के साथ 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष	4	2 वर्ष	2022
10	सिविल इंजीनियरिंग सहायक	विज्ञान और गणित के साथ 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष	4	2 वर्ष	2022
11	घरेलू पेंटर	10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष	3	1 वर्ष	2022
12	ड्राफ्ट्समैन (सिविल)	विज्ञान और गणित के साथ 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष	4	2 वर्ष	2022
13	ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल	विज्ञान और गणित के साथ 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष	4	2 वर्ष	2022

14	इलेक्ट्रीशियन	विज्ञान और गणित के साथ 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष	4	2 वर्ष	2022
15	इलेक्ट्रिक वितरण इलेक्ट्रीशियन	विज्ञान और गणित के साथ 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष	4	2 वर्ष	2022
16	इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक	विज्ञान और गणित के साथ 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष	4	2 वर्ष	2022
17	इलेक्ट्रोप्लेटर	विज्ञान और गणित के साथ 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष	4	2 वर्ष	2022
18	फिटर	विज्ञान और गणित के साथ 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष	4	2 वर्ष	2022
19	फाउंड्रीमैन	10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण	3	1 वर्ष	2022
20	प्लांट में लॉजिस्टिक्स सहायक	विज्ञान और गणित के साथ 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष	3	1 वर्ष	2022
21	औद्योगिक पेंटर	10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष	3	1 वर्ष	2022
22	''औद्योगिक रोबोटिक्स और डिजिटल विनिर्माण तकनीशियन	आईटीआई के साथ 10वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा एनआईओएस के माध्यम से 12वीं कक्षा हेतु नामांकन के साथ–साथ 10वीं कक्षा उत्तीर्ण	3	एक वर्ष	2022
23	सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्रणाली रखरखाव	विज्ञान और गणित के साथ 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष	4	2 वर्ष	2022
24	सूचना प्रौद्योगिकी	विज्ञान और गणित के साथ 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष	4	2 वर्ष	2022
25	उपकरण मैकेनिक	विज्ञान और गणित के साथ 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष	4	2 वर्ष	2022
26	उपकरण मैकेनिक (रासायनिक संयंत्र)	विज्ञान और गणित के साथ 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष	4	2 वर्ष	2022
27	इंटीरियर डिजाइन और सजावट	विज्ञान और गणित के साथ 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष	3	1 वर्ष	2022
28	प्रयोगशाला सहायक (रासायनिक संयंत्र)	विज्ञान और गणित के साथ 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष	4	2 वर्ष	2022
29	लिफ्ट और एस्केलेटर मैकेनिक	विज्ञान और गणित के साथ 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष	4	2 वर्ष	2022
30	मशीनिस्ट	विज्ञान और गणित के साथ 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष	4	2 वर्ष	2022
31	ग्राइंडर मशीनिस्ट	विज्ञान और गणित के साथ 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष	4	2 वर्ष	2022

32	रखरखाव मैकेनिक (रासायनिक संयंत्र)	विज्ञान और गणित के साथ 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष	4	2 वर्ष	2022
33	विनिर्माण प्रक्रिया नियंत्रण और स्वचालन	आईटीआई के साथ 10वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा एनआईओएस के माध्यम से 12वीं कक्षा हेतु नामांकन के साथ–साथ 10वीं कक्षा उत्तीर्ण	3	एक वर्ष	2022
34	मरीन इंजन फिटर	विज्ञान और गणित के साथ 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष	3	1 वर्ष	2022
35	मरीन फिटर	विज्ञान और गणित के साथ 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष	4	2 वर्ष	2022
36	मेसन (बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर)	8वीं की परीक्षा उत्तीर्ण	3	1 वर्ष	2022
37	कृषि मशीनरी मैकेनिक	विज्ञान और गणित के साथ 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण	4	2 वर्ष	2022
38	ऑटो बॉडी पेंटिंग मैकेनिक	10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष	3	1 वर्ष	2022
39	ऑटो बॉडी रिपेयर मैकेनिक	विज्ञान और गणित के साथ 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष	3	1 वर्ष	2022
40	ऑटो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक	विज्ञान और गणित के साथ 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष	3	1 वर्ष	2022
41	उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मैकेनिक	विज्ञान और गणित के साथ 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष	4	2 वर्ष	2022
42	डीजल मैकेनिक	विज्ञान और गणित के साथ 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष	3	1 वर्ष	2022
43	इलेक्ट्रिक वाहन मैकेनिक	आईटीआई के साथ 10वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा एनआईओएस के माध्यम से 12वीं कक्षा हेतु नामांकन के साथ–साथ 10वीं कक्षा उत्तीर्ण	4	दो वर्ष	2022
44	लेंस / प्रिज्म ग्राइंडिंग मैकेनिक	विज्ञान और गणित के साथ 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष	3	1 वर्ष	2022
45	मशीन उपकरण रखरखाव मैकेनिक	विज्ञान और गणित के साथ 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष	4	2 वर्ष	2022
46	खनन मशीनरी मैकेनिक	विज्ञान और गणित के साथ 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष	4	2 वर्ष	2022
47	मोटर वाहन मैकेनिक	विज्ञान और गणित के साथ 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष	4	2 वर्ष	2022
48	ट्रैक्टर मैकेनिक	विज्ञान और गणित के साथ 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष	3	1 वर्ष	2022

49	दुपहिया तथा तीन पहिया वाहन मैकेनिक	विज्ञान और गणित के साथ 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष	3	1 वर्ष	2022
50	उन्नत मशीन टूल ऑपरेटर	विज्ञान और गणित के साथ 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण	4	2 वर्ष	2022
51	पेंटर (सामान्य)	10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण	4	2 वर्ष	2022
52	प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर	विज्ञान और गणित के साथ 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष	3	1 वर्ष	2022
53	प्लंबर	8वीं की परीक्षा उत्तीर्ण	3	1 वर्ष	2022
54	पंप ऑपरेटर सह मैकेनिक	विज्ञान और गणित के साथ 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष	3	1 वर्ष	2022
55	रिफरेक्टरी तकनीशियन	विज्ञान और गणित के साथ 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष	4	2 वर्ष	2022
56	रैफरीजरेशन और एयर कंडीशनर तकनीशियन	विज्ञान और गणित के साथ 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष	4	2 वर्ष	2022
57	रबर तकनीशियन	विज्ञान और गणित के साथ 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष	3	1 वर्ष	2022
58	शीट मेटल कर्मचारी	8वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण	3	1 वर्ष	2022
59	लघु हाइड्रो पावर प्लांट तकनीशियन	विज्ञान और गणित के साथ 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष	4	2 वर्ष	2023
60	सौर तकनीशियन (इलेक्ट्रिक)	विज्ञान और गणित के साथ 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष	3	1 वर्ष	2022
61	कताई तकनीशियन	विज्ञान और गणित के साथ 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष	4	2 वर्ष	2022
62	स्टोन माइनिंग मशीन ऑपरेटर	विज्ञान और गणित के साथ 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष	3	1 वर्ष	2022
63	स्टोन प्रोसेसिंग मशीन ऑपरेटर	विज्ञान और गणित के साथ 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष	3	1 वर्ष	2022
64	सर्वेयर	विज्ञान और गणित के साथ 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष	4	2 वर्ष	2022
65	इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और मरम्मत तकनीशियन	क) 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण ख) लेटरल एंट्रीः इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर सेक्टर या आईओटी समूह ऑफ व्यवसायों में एनटीसी पास आउट (दो वर्षीय पाठ्यक्रम) के लिए सीधे द्वितीय वर्ष का प्रवेश।	4	2 वर्ष	2022
66	मेकाट्रॉनिक्स तकनीशियन	विज्ञान और गणित के साथ 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष	4	2 वर्ष	2022

67	मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स तकनीशियन	विज्ञान और गणित के साथ 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष	4	2 वर्ष	2022
68	पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम तकनीशियन	विज्ञान और गणित के साथ 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष	4	2 वर्ष	2022
69	टेक्सटाइल मेकाट्रॉनिक्स	विज्ञान और गणित के साथ 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष	4	2 वर्ष	2022
70	टेक्सटाइल वेट प्रोसेसिंग तकनीशियन	विज्ञान और गणित के साथ 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण	4	2 वर्ष	2022
71	टूल तथा डाई मेकर (डाई और मोल्ड्स)	विज्ञान और गणित के साथ 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष	4	2 वर्ष	2022
72	टूल तथा डाई मेकर (प्रेस टूल्स, जिग्स और फिक्स्चर)	शिक्षा की 10+2 प्रणाली के तहत विज्ञान और गणित के साथ 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष	4	2 वर्ष	2022
73	टर्नर	विज्ञान और गणित के साथ 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष	4	2 वर्ष	2022
74	पोत नेविगेटर	विज्ञान और गणित के साथ 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष	4	2 वर्ष	2022
75	भंडारण तकनीशियन	10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण।	3	1 वर्ष	2022
76	बुनाई तकनीशियन	विज्ञान और गणित के साथ 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष	4	2 वर्ष	2022
77	वेल्डर	8वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण	3	1 वर्ष	2022
78	वेल्डर (निर्माण और फिटिंग)	8वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण	3	1 वर्ष	2022
79	वेल्डर (जीएमएडब्ल्यू और जीटीएडब्ल्यू)	8वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण	3	1 वर्ष	2022
80	वेल्डर (पाइप)	8वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण	3	1 वर्ष	2022
81	वेल्डर (संरचनात्मक)	8वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण	3	1 वर्ष	2022
82	वेल्डर (वेल्डिंग और निरीक्षण)	8वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण	3	1 वर्ष	2022
83	पवन संयंत्र तकनीशियन	विज्ञान और गणित के साथ 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष	4	2 वर्ष	2023
84	वायरमैन	8वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण	3	2 वर्ष	2022

गैर–इंजीनियरिंग व्यवसायों की सूचीः 63

क्र. सं.	व्यवसाय का नाम	प्रवेश योग्यता	एनएस क्यूएफ	स्तर अवधि	संशोधन वर्ष
1	कृषि प्रसंस्करण	10 वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष	3	एक वर्ष	2022
2	बेकर और हलवाई	10 वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष	3	एक वर्ष	2022
3	बैम्बू वर्क्स	8वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण	3	एक वर्ष	2022
4	खानपान और आतिथ्य सहायक	10 वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष	3	एक वर्ष	2022
5	कंप्यूटर सहाय्यित कढ़ाई और डिजाइनिंग	10 वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष	3	एक वर्ष	2022
6	कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्क रखरखाव	विज्ञान और गणित के साथ 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष	3	एक वर्ष	2022
7	कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (कोपा)	10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण	3	एक वर्ष	2022
8	सौंदर्य प्रसाधन	10 वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष	3	एक वर्ष	2022
9	डेयरी उद्योग	10 वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष	3	एक वर्ष	2022
10	डाटा एंट्री ऑपरेटर	10 वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण	3	6 माह	2022
11	डेटाबेस सिस्टम सहायक	विज्ञान और गणित के साथ 12वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष	4	एक वर्ष	2022
12	दंत प्रयोगशाला उपकरण तकनीशियन	10 वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष	4	दो वर्ष	2022
13	डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर	10 वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष	3	एक वर्ष	2022
14	डिजिटल फोटोग्राफर	10 वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष	3	एक वर्ष	2022
15	ड्रेस मेकिंग	08वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण	3	एक वर्ष	2022
16	चालक (ड्राइवर) सह मैकेनिक	8वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण	3	6 माह	2022
17	ड्रोन तकनीशियन	विज्ञान और गणित के साथ 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष	3	6 माह	2022
18	प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षक	10 वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष	3	एक वर्ष	2022
19	फैशन डिजाइन और प्रौद्योगिकी	10 वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष	3	एक वर्ष	2022
20	फाइबर टू होम तकनीशियन	10वीं परीक्षा उत्तीर्ण या दो वर्ष के संबंधित अनुभव के साथ फाइबर प्रौद्योगिकी से संबंधित स्तर के 3 अल्पावधिक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण	3	6 माह	2022
21	वित्त कार्यकारी	10 वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष	3	एक वर्ष	2022
22	अग्नि प्रौद्योगिकी और औद्योगिक सुरक्षा प्रबंधन	(क) 10 वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष	3	एक वर्ष	2022

		(ख) न्यूनतम वास्तविक आवश्यकताएं हैं i. ऊंचाई – 165 सेमी ii. वजन – 52 किलो iii. छाती – सामान्य 81 सेमी – विस्तारित 85 सेमी – विस्तारित 85 सेमी एक पंजीकृत एमबीबीएस डॉक्टर को यह प्रमाणित करना होगा कि अभ्यर्थी पाठ्यक्रम करने के लिए चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ है			
23	फायरमैन	10 वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष	3	6 माह	2022
24	पुष्पोत्पादन और भू–परिदृश्य (लेन्डस्कैपिंग)	10 वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष	3	एक वर्ष	2022
25	खाद्य और पेय सेवा सहायक	10 वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष	3	एक वर्ष	2022
26	खाद्य और पेय	विज्ञान और गणित के साथ 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष	3	एक वर्ष	2022
27	खाद्य उत्पादन (सामान्य)	10 वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष	3	एक वर्ष	2022
28	फुटवियर निर्माता	8वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण	3	एक वर्ष	2022
29	फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट	10 वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष	3	एक वर्ष	2022
30	फल और सब्जी प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग)	विज्ञान और गणित के साथ 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष	3	एक वर्ष	2022
31	भू–सूचना विज्ञान सहायक	गणित में मैट्रिक के साथ 12 वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष	4	एक वर्ष	2022
32	जेरियाट्रिक केयर सहयोगी	10 वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष	3	एक वर्ष	2022
33	स्वास्थ्य स्वच्छता निरीक्षक	10 वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष	3	एक वर्ष	2022
34	स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण	(क) 10 वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष (ख) न्यूनतम वास्तविक आवश्यकताएं हैं i. ऊंचाई – 165 सेमी ii. वजन – 52 किलो iii. छाती – सामान्य 81 सेमी – विस्तारित 85 सेमी – एक पंजीकृत एमबीबीएस डॉक्टर को यह प्रमाणित करना होगा अभ्यर्थी पाठ्यक्रम करने के लिए चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ है	3	एक वर्ष	2022
35	शहद प्रसंस्करण तकनीशियन	10 वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण	3	6 माह	2022
36	बागवानी	10 वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष	3	एक वर्ष	2022
37	अस्पताल हाउसकीपिंग	10 वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष	3	एक वर्ष	2022
38	हाउस कीपर	10 वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष	3	एक वर्ष	2022

39	मानव संसाधन कार्यकारी	10 वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष	3	एक वर्ष	2022
40	आईओटी तकनीशियन (स्मार्ट कृषि)	विज्ञान और गणित के साथ 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष	3	एक वर्ष	2022
41	आईओटी तकनीशियन (स्मार्ट सिटी)	विज्ञान और गणित या इसके समकक्ष के साथ 10 वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण	3	एक वर्ष	2022
42	आईओटी तकनीशियन (स्मार्ट स्वास्थ्य देखभाल)	विज्ञान और गणित के साथ 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष	3	एक वर्ष	2022
43	चमड़े के सामान निर्माता	8वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण	3	एक वर्ष	2022
44	विपणन कार्यकारी	10 वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष	3	एक वर्ष	2022
45	दुग्ध और दुग्ध उत्पाद तकनीशियन	10 वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष	3	एक वर्ष	2022
46	मल्टीमीडिया, एनिमेशन और विशेष प्रभाव	10 वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष	3	एक वर्ष	2022
47	फोटोग्राफर	10 वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष	3	एक वर्ष	2022
48	फिजियोथेरेपी तकनीशियन	10 वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष	3	एक वर्ष	2022
49	रेडियोलॉजी तकनीशियन	विज्ञान और गणित के साथ 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष	4	दो वर्ष	2022
50	रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट (आरपीए) /ड्रोन पायलट	विज्ञान और गणित के साथ 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष	3	6 माह	2022
51	सचिवीय अभ्यास (अंग्रेज़ी)	10 वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष	3	एक वर्ष	2022
52	सिलाई प्रौद्योगिकी	8वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण	3	एक वर्ष	2022
53	स्मार्टफोन तकनीशियन सह ऐप परीक्षक	10 वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष	3	6 माह	2022
54	सॉफ्टवेयर परीक्षण सहायक	विज्ञान और गणित के साथ 12वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष	4	एक वर्ष	2022
55	मृदा परीक्षण और फसल तकनीशियन	विज्ञान और गणित के साथ 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष	3	एक वर्ष	2022
56	स्पा थेरेपी	10 वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष	3	एक वर्ष	2022
57	आशुलिपिक सचिवीय सहायक (अंग्रेज़ी)	10 वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष	3	एक वर्ष	2022
58	आशुलिपिक सचिवीय सहायक (हिंदी)	10 वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष	3	एक वर्ष	2022
59	भूतल अलंकरण तकनीक (कढ़ाई)	8वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण	3	एक वर्ष	2022
60	पर्यटक गाइड	10 वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष	3	एक वर्ष	2022

61	यात्रा एवं टूर सहायक	10 वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष	3	एक वर्ष	2022
62	वीडियो कैमरामैन	10 वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष	3	एक वर्ष	2022
63	रेशम और ऊनी वस्त्र बुनाई तकनीशियन	8 वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण	3	एक वर्ष	2022

दिव्यांग के लिए व्यवसायों की सूचीः 05

क्र. सं.	व्यवसाय का नाम	प्रवेश योग्यता	एनएस क्यूएफ	स्तर अवधि	संशोधन वर्ष
1	कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग सहायक	10 वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण (अभ्यर्थी दृष्टिबाधित होना चाहिए)	3	1 वर्ष	2022
2	कटाई और सिलाई	8 वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण (अभ्यर्थी दृष्टिबाधित होना चाहिए)	3	1 वर्ष	2022
3	डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर	10 वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष (अभ्यर्थी कम दृष्टिवाधित होना चाहिए)	3	1 वर्ष	2022
4	केश और त्वचा देखभाल	10 वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण (अभ्यर्थी दृष्टिबाधित होना चाहिए)	3	1 वर्ष	2022
5	मेटल कटिंग परिचर	विज्ञान और गणित के साथ 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष (अभ्यर्थी दृष्टिबाधित होना चाहिए)	3	2 वर्ष	2022

अनुबंध–IV

शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के तहत 26 एनएसक्यूएफ अनुरूप फ्लेक्सी एमओयू व्यवसायों की सूची

क्र.सं.	व्यवसाय का नाम	प्रवेश योग्यता	एनएस क्यूएफ	अवधि	एनएस क्यूएफ अनुमोदन के लिए वर्ष
1	अमानत सह सर्वेयर	10वीं परीक्षा पास	4	एक वर्ष	2022
2	असेंबली तकनीशियन (ऑटोमोटिव)	10वीं कक्षा की परीक्षा या इसके समकक्ष उत्तीर्ण	4	दो वर्ष	2022
3	ऑटोमोटिव बॉडी पेंटर	10वीं कक्षा की परीक्षा या इसके समकक्ष उत्तीर्ण	4	एक वर्ष	2019
4	ऑटोमोटिव बॉडी रिपेयरिंग तकनीशियन	10वीं कक्षा की परीक्षा या इसके समकक्ष उत्तीर्ण	4	एक वर्ष	2019
5	ऑटोमोटिव विनिर्माण तकनीशियन	10वीं कक्षा की परीक्षा या इसके समकक्ष उत्तीर्ण	5	दो वर्ष	2019
6	ऑटोमोटिव पेंट तकनीशियन	10वीं कक्षा की परीक्षा या इसके समकक्ष उत्तीर्ण	4	दो वर्ष	2022
7	ऑटोमोटिव सर्विसिंग और मरम्मत तकनीशियन	10वीं कक्षा की परीक्षा या इसके समकक्ष उत्तीर्ण	5	दो वर्ष	2019
8	ऑटोमोटिव वेल्ड तकनीशियन	10वीं कक्षा की परीक्षा या इसके समकक्ष उत्तीर्ण	4	दो वर्ष	2022
9	बेयरफुट तकनीशियन	10वीं परीक्षा पास	4	दो वर्ष	2022
10	क्रेन ऑपरेटर (एकीकृत इस्पात संयंत्र)	8वीं कक्षा की परीक्षा या इसके समकक्ष उत्तीर्ण	4	छह माह	2020
11	इलेक्ट्रीशियन (एकीकृत स्टील प्लांट)	विज्ञान और गणित के साथ 10वीं कक्षा की परीक्षा या इसके समकक्ष उत्तीर्ण	4	एक वर्ष	2020
12	फिनटेक सेल्स कार्यकारी	10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण, कक्षा में भाग लेने के लिए स्मार्ट फोन रखाव और सौंपे गए कार्यों को पूरा करना	3	छह माह	2022
13	फिटर (एकीकृत इस्पात संयंत्र)	विज्ञान और गणित के साथ 10वीं कक्षा की परीक्षा या इसके समकक्ष उत्तीर्ण	4	एक वर्ष	2020
14	फिटर (ओएफ)	एनसीवीटी पास सरकारी कर्मचारी	4	एक वर्ष	2020
15	ग्राइंडर (ओएफ)	एनसीवीटी पास सरकारी कर्मचारी	4	एक वर्ष	2020
16	हल्का वाहन ऑपरेटर (एकीकृत इस्पात संयंत्र)	5वीं कक्षा की परीक्षा या इसके समकक्ष उत्तीर्ण	3	छह माह	2020
17	इंजीनियर (ओएफ)	एनसीवीटी पास सरकारी कर्मचारी	4	एक वर्ष	2020
18	मेकाट्रॉनिक्स तकनीशियन	10वीं कक्षा की परीक्षा या इसके समकक्ष उत्तीर्ण	4	दो वर्ष	2022

19	खान सर्वेक्षक	10वीं परीक्षा पास	4	दो वर्ष	2022
20	कार्यालय प्रबंधन (एकीकृत इस्पात संयंत्र)	10वीं कक्षा की परीक्षा या इसके समकक्ष उत्तीर्ण	3	छह माह	2020
21	स्मार्ट विनिर्माण ऑपरेटर (इलेक्ट्रॉनिक्स)	एप्टीट्यूड टेस्ट के साथ 10वीं की परीक्षा पास	4	दो वर्ष	2022
22	सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर (वेब डेवलपर)	एप्टीट्यूड टेस्ट के साथ 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण	4	एक वर्ष	2022
23	तकनीशियन–संयंत्र रखरखाव	विज्ञान और गणित के साथ 10वीं कक्षा की परीक्षा या इसके समकक्ष उत्तीर्ण	5	छह माह	2021
24	टर्नर (ओएफ)	एनसीवीटी पास सरकारी कर्मचारी	4	एक वर्ष	2020
25	वेल्डर (एकीकृत इस्पात संयंत्र)	8वीं कक्षा की परीक्षा या इसके समकक्ष उत्तीर्ण	3	छह माह	2020
26	वेल्डर (ओएफ)	एनसीवीटी पास सरकारी कर्मचारी	4	एक वर्ष	2020

**MINISTRY OF SKILL
DEVELOPMENT & ENTREPRENEURSHIP**

GOVERNMENT OF INDIA

Designed & Printed by Indu Cards & Graphics, Chawri Bazar, Mob: 9811419531